नए शिखरों का आरोहण
Scaling New Heights

वार्षिक रिपोर्ट 2016 - 17
ANNUAL REPORT 2016 - 17

वार्षिक रिपोर्ट

2016–17

पवन हंस लिमिटेड

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

हमारा लक्ष्य

हेलीकॉप्टर और सी–प्लेन सेवाओं में एशिया का मार्केट लीडर बनना, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट परिचालनों द्वारा क्षेत्रीय संपर्कता उपलब्ध कराना तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार हेलीकॉप्टर की मरम्मत/ओवरहॉल संबंधी सुविधाएं प्रदान करना।

तालिका

- निदेशक मंडल 4
- प्रबंध समूह 5
- सूचना 6
- सदस्यों को अध्यक्ष का संदेश 11
- निदेशकों की रिपोर्ट 15
- प्रबंधन का विचार–विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट 38
- मुख्य वित्तीय अंश 42
- संक्षिप्त लेखे 44
- वर्ष के खाते 45
- इक्विटी में प्रभारों का विवरण 49
- नकदी प्रवाह विवरण 50
- लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन का उत्तर 136
- भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट व प्रबंधन का उत्तर 162
- साचिविक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 166
- संबंधित पार्टी लेन देन 168
- नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजना/गतिविधि 169
- वार्षिक विवरणी का सार 170

निदेशक मंडल

डॉ. बी. पी. शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री अशोक नायक
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. हरीश चौधरी
स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती गार्गी कौल
संयुक्त सचिव एवं वित्तीय परामर्शदाता
नागर विमानन मंत्रालय

श्रीमती उषा पाढी
संयुक्त सचिव
नागर विमानन मंत्रालय

श्री संजीव कपूर
एवीएसएम वीएम
एसीएएस (ऑप्स एवं टी एवं एच)
वायु सेना मुख्यालय

श्री बी. एस. भुल्लर
नागर विमानन महानिदेशक

श्री टी. के. सेनगुप्ता
निदेशक (ऑफ शोर)
तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि.

प्रबंध समूह

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	डॉ. बी. पी. शर्मा
मुख्य सतर्कता अधिकारी	श्री राकेश कुमार, भा.दू.से.
कार्यपालक निदेशक (तकनीकी एवं व्यवसाय संवर्धन व विपणन)	एयर कमोडोर (सेवानिवृत) टी. ए. दया सागर
कार्यपालक निदेशक (मासं एवं प्रशा.)	श्री टेक्कम श्रीधर
मुख्य वित्तीय अधिकारी	श्री धीरेन्द्र सहाय
कंपनी सचिव एवं महाप्रबंधक (विधि)	श्री संजीव अग्रवाल
महाप्रबंधक (एमआरओ)	श्री संजीव राजदान
संरक्षा प्रमुख	श्री एम. एस. बूरा
महाप्रबंधक (व्यवसाय संवर्धन एवं विपणन)	श्री वनराजसिंह डोडिया
स्थानापन्न महाप्रबंधक (विमान अनुरक्षण अभियांत्रिकी)	श्री विजय एम पथियन
स्थानापन्न महाप्रबंधक (परिचालन)	कैप्टन बी. वी. बदूनी
संयुक्त महाप्रबंधक (मासं. व प्रशा.)	श्री ए. सी. परिछा
संयुक्त महाप्रबंधक (सामग्री)	श्री विजय एम. पथियन
उप महाप्रबंधक (आंतरिक लेखा परीक्षा)	श्री आशीष कुमार यादव
महाप्रबंधक (पश्चिमी क्षेत्र)	श्री एम. श्रीकुमार
महाप्रबंधक (उत्तरी क्षेत्र)	श्री संजय कुमार
महाप्रबंधक (पूर्वी क्षेत्र)	श्री एम. पी. सिंह

पंजीकृत कार्यालय :
रोहिणी हेलीपोर्ट, सेक्टर–36
नई दिल्ली–110 085

प्रधान कार्यालय :
सी–14, सेक्टर–1
नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301

क्षेत्रीय कार्यालय :

पश्चिमी क्षेत्र
जूहू ऐरोड्रोम
एस. वी. रोड
विले पार्ले (पश्चिम)
मुम्बई–400056

उत्तरी क्षेत्र
सी–14, सेक्टर–1
नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301

पूर्वी क्षेत्र
ग्राउण्ड फ्लोर, मनोरमालय
वीआईपी, एलजीबीआई एयरपोर्ट रोड
गुवाहाटी–781015

रोहिणी हेलीपोर्ट
सैक्टर–36
नई दिल्ली–110085

लेखापरीक्षक
मैसर्स जे.पी. कपूर एवं उबेराय
सनदी लेखाकार
नई दिल्ली–110016

शाखा लेखापरीक्षक
मैसर्स कैलाश चंद जैन एवं कंपनी
(पंजीकृत)
सनदी लेखाकार
मुम्बई–400020

बैंकर्स
विजया बैंक
पंजाब नैशनल बैंक

32वीं (स्थगित) वार्षिक आम सभा की सूचना

सेवा में,
शेयर धारक,
पवन हंस लिमिटेड

यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित व्यावसायिक मुद्दों पर चर्चा के लिए कम्पनी की 32वीं (स्थगित) वार्षिक आम सभा दिनांक 27.12.2017 को संपन्न वा.सा.बै. का आयोजन शुक्रवार, दिनांक 16वीं फरवरी, 2018 को अपराह्न 06.00 बजे होटल अशोक, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली–110011 में किया जाएगाः–

सामान्य व्यवसाय

1. **लेखा अंगीकरण**

   31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का लेखा परीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का लेखा परीक्षित लाभ एवं हानि विवरण तथा इनसे संबंधित ऑडिटरों की रिपोर्ट, नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा उनके संबंध में की गई टिप्पणियां तथा निदेशक रिपोर्ट की प्राप्ति, विचार तथा अंगीकार किया जाना।

2. **लाभांश की घोषणा**

   विचार किए जाने तथा उपयुक्त पाए जाने की स्थिति में संशोधन अथवा बिना किसी संशोधन के साथ निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के तौर पर पारित किया जाना :–

   "**यह संकल्प करते हुए** एतद्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए 7,52,96,000/– रुपए की समायोजित निवल सम्पति (739.73 करोड़ रुपए) जमा निगमित कर के लाभांश पर 5% की दर से 36,98,68,000/– रुपए का लाभांश का भुगतान कम्पनी के शेयरधारकों को किए जाने की घोषणा की जाती है।"

3. विचार किए जाने तथा उपयुक्त पाए जाने की स्थिति में संशोधन अथवा बिना किसी संशोधन के साथ निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के तौर पर पारित किया जाना :–

   i) "**यह संकल्प किया जाता है कि** एयरवाइस मार्शल संजीव कपूर (डीआईएन संख्या–08010730), जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 161 के अंतर्गत निदेशक के पद पर की गई है तथा जो 32वीं वार्षिक आम बैठक के आयोजन की तिथि तक कार्यालय पद पर कार्यरत हैं तथा जिनसे कम्पनी को लिखित में उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, को एतद्वारा कम्पनी के निदेशक पद पर बने रहने के लिए नियुक्त किया जाता है और आवर्तन क्रम में उनकी सेवानिवृत्ति शेष/विस्तारित काल तक के लिए नागर विमानन मंत्रालय की अपेक्षाओं के अनुसार होगी।

   ii) इसके अलावा **यह संकल्प किया जाता है कि** श्री अशोक नायक (डीआईएन संख्या –01621890), जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 161 के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशक के पद पर की गई थी तथा जो 32वीं वार्षिक आम सभा की तिथि तक कार्यालय पदधारी हैं, तथा जिनसे कम्पनी को लिखित में अपनी उम्मीदवारी को प्रस्तावित करने वाला नोटिस प्राप्त हुआ है, उन्हें एतद्वारा कम्पनी के स्वतंत्र निदेशक के पद पर बने रहने के लिए नियुक्त किया जाता है तथा वे शेष/विस्तारित काल तक आवर्तन क्रम में नागर विमानन मंत्रालय की आवश्यकतानुसार सेवानिवृत्त होंगे।"

   iii) इसके अलावा **यह संकल्प किया जाता है कि** श्री हरीश चौधरी (डीआईएन संख्या –00075061), जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 161 के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशक के पद पर की गई थी तथा जो 32वीं वार्षिक आम सभा की तिथि तक कार्यालय पदधारी हैं, तथा जिनसे कम्पनी को लिखित में अपनी उम्मीदवारी को प्रस्तावित करने वाला नोटिस प्राप्त हुआ है, उन्हें एतद्वारा कम्पनी के स्वतंत्र निदेशक के पद पर बने रहने के लिए नियुक्त किया जाता है तथा वे शेष/विस्तारित काल तक आवर्तन क्रम में नागर विमानन मंत्रालय की आवश्यकतानुसार सेवानिवृत्त होगें।"

4. विचार किए जाने तथा उपयुक्त पाए जाने की स्थिति में संशोधन अथवा बिना किसी संशोधन के साथ निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के तौर पर पारित किया जाना :–

"यह संकल्प किया जाता है कि शेयरधारकों के अनुमोदन से यह संकल्प पारित किया गया है कि पवन हंस लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय रोहिणी हेलीपोर्ट, सेक्टर–36, रोहिणी, दिल्ली से सी–14, सेक्टर–1, नोएडा–201301 (उत्तर प्रदेश) अर्थात दिल्ली से नोएडा में स्थानांतरित कर दिया जाए।

इसके अलावा यह संकल्प किया जाता है कि कम्पनी द्वारा अपने पंजीकृत कार्यालय को सी–14, सेक्टर–1, नोएडा–201301 (उत्तर प्रदेश) अर्थात दिल्ली से नोएडा में स्थानांतरित करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय से तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की अपेक्षाओं तथा उससे संबद्ध नियमावली के अनुसार केन्द्र सरकार (निगमित कार्य मंत्रालय) से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

यह संकल्प किया जाता है कि कम्पनी (पवन हंस लिमिटेड) के संस्था के बहिर्नियम की धारा II में तथा एतद्वारा धारा II संशोधन किया गया है जिसके अनुसार "कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित होगा।"

इसके अलावा यह संकल्प किया जाता है कि कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार स्थानांतरित किए जाने के उद्देश्य से कम्पनी के निदेशक मंडल को एतद्वारा ऐसी क्रियाएं, कृत्य, मामलों एवं अपने स्व–विवेकानुसार ऐसे कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है जो कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक समझे गए हों तथा ऐसे प्राधिकार में प्रदत्त की गई किन्हीं भी शक्तियों का प्रत्यायोजन एयर कमोडोर टी.ए.दयासागर, कार्यपालक निदेशक (तकनीकी), श्री धीरेन्द्र सहाय, मुख्य वित्तीय अधिकारी, श्री संजीव अग्रवाल, कम्पनी सचिव, कम्पनी के अन्य किसी अधिकारी तथा श्री डी.पी. गुप्ता, व्यावसायिक कम्पनी सचिव को किया जाना शामिल है।

पवन हंस लिमिटेड के
निदेशक मंडल के आदेशानुसार जारी
(संजीव अग्रवाल)
कम्पनी सचिव

नई दिल्ली
02 फरवरी, 2018

नोट :

क) बैठक में भाग लेने के पात्र तथा बैठक में मतदान के पात्र सदस्य अपनी ओर से बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करने के पात्र होगें जिसका कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्राक्सियों की प्रभाव्यता के लिए उन्हें बैठक से कम से कम 48 घंटे पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करवाया जाना होगा। एक कोरा प्रॉक्सी फार्म संलग्न है।

ख) कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 102 के अंतर्गत विशेष व्यवसाय से संबंधित सापेक्षता स्पष्टीकरण विवरण इसके साथ संलग्न किया जा रहा है।

पंजीकृत कार्यालय :
रोहिणी हेलीपोर्ट, सेक्टर–36, रोहिणी, नई दिल्ली–110085
निगमित पहचान संख्या (सीआईएन) : यू62200डीएल1985जीओआई022233

कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 102 के अनुसरण में अपेक्षित विवरणी

मद संख्या 3(i)

एयरवाइस मार्शल संजीव कपूर को दिनांक 1.9.2017 को आगामी आदेशों तक के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 के खंड 161 के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 152 के अनुसरण में एयरवाइस मार्शल संजीव कपूर की नियुक्ति का काल 32वीं वार्षिक आम सभा में समाप्त होने जा रहा है। एयरवाइस मार्शल संजीव कपूर को भारतीय वायु सेना में वरिष्ठ पदों पर कार्य करते हुए विविध क्षेत्रों में अत्यंत समृद्ध अनुभव प्राप्त है तथा वे आवर्ती क्रम में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। कम्पनी को एयरवाइस मार्शल कपूर की नियुक्ति कम्पनी के निदेशक के रूप में किए जाने का प्रस्ताव का नोटिस प्राप्त हुआ है। तदनुसार एयरवाइस मार्शल संजीव कपूर की पुनः नियुक्ति के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन मांगा गया है। शेयरधारियों के अनुमोदन के लिए प्रस्तावित नोट की मद संख्या 3(i) में दिए गए साधारण संकल्प की निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसा की गई है। इसे स्वीकार किया जाए तथा एयरवाइस मार्शल संजीव कपूर के अतिरिक्त कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा उनके संबंधी इस संकल्प के प्रति हितबद्ध अथवा सम्बद्ध नहीं हैं।

मद संख्या 3(ii)

श्री अशोक नायक की नियुक्ति दिनांक 2.1.2017 को कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 161 के अंतर्गत निदेशक के पद पर हुई थी तथा उनकी नियुक्ति का कार्यकाल कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 152 के अंतर्गत 32वीं वार्षिक आम सभा के आयोजन तक के लिए था। श्री अशोक नायक स्वतंत्र निदेशक हैं तथा उन्हें हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष के पद पर कार्य करने का विविध एवं समृद्ध अनुभव प्राप्त है। वे केन्द्रीय सरकार के अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडल में भी स्वतंत्र निदेशक हैं। तदनुसार श्री अशोक नायक की पुनः नियुक्ति के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन मांगा गया है। शेयरधारियों के अनुमोदन के लिए प्रस्तावित नोट की मद संख्या 3(ii) में दिए गए साधारण संकल्प की निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसा की गई है। इसे स्वीकार किया जाए तथा एयरवाइस मार्शल संजीव कपूर के अतिरिक्त कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा उनके संबंधी इस संकल्प के प्रति हितबद्ध अथवा सम्बद्ध नहीं है।

मद संख्या 3(iii)

श्री हरीश चौबे की नियुक्ति दिनांक 2.1.2017 को कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 161 के अंतर्गत निदेशक के पद पर हुई थी तथा उनकी नियुक्ति का कार्यकाल कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 152 के अंतर्गत 32वीं वार्षिक आम सभा के आयोजन तक के लिए था। श्री चौबे स्वतंत्र निदेशक हैं तथा उन्हें आई.आई.टी., दिल्ली में प्रोफेसर के पद पर कार्य करने का विविध एवं समृद्ध अनुभव प्राप्त है। तदनुसार श्री चौबे की पुनः नियुक्ति के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन मांगा गया है। शेयरधारियों के अनुमोदन के लिए प्रस्तावित नोट की मद संख्या 3(iii) में दिए गए साधारण संकल्प की निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसा की गई है। इसे स्वीकार किया जाए तथा एयरवाइस मार्शल संजीव कपूर के अतिरिक्त कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा उनके संबंधी इस संकल्प के प्रति हितबद्ध अथवा सम्बद्ध नहीं है।

मद सं. 4) पवन हंस लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तन कर रोहिणी, नई दिल्ली से नोएडा (उ.प्र.) के लिए अनुमोदन हेतु विशेष प्रस्ताव।

दिनांक 31.07.2017 को निदेशक मंडल ने पंजीकृत कार्यालय को सफदरजंग हवाई अड्डा से रोहिणी के लिए अनुमोदन दिया और तदनुसार पंजीकृत कार्यालय को सेक्टर –36, रोहिणी, नई दिल्ली–110085 में स्थानांतरित कर दिया गया। पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तित करने के लिए अर्थात नई दिल्ली से नोएडा (उ.प्र.) करने हेतु बोर्ड ने भी इसे अनुमोदित किया और कंपनी के सदस्यों द्वारा संस्था के ज्ञापन में विशेष संकल्प पारित करने के माध्यम से संशोधन की संस्वीकृति के लिए कंपनी को शेयरधारकों की वार्षिक सामान्य बैठक का भी अनुमोदन अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त यह सिर्फ केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से किया जा सकता है। इस संबंध में संस्था के ज्ञापन [कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 (4), (5), (7)] में भी संशोधन की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रपत्र दिया जाएगा और इसकी प्रति राज्य के मुख्य सचिव [कंपनियों के निगमन नियम 2014 का नियम 30] को भी दाखिल कराई जाएगी।

आवेदन के निपटान के लिए, सुनवाई होगी। सुनवाई के तिथि के कम से कम 14 दिन पहले कंपनी, [नियम 30]: (i) आवेदन के समय आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय की अवस्थिति वाले जिला में परिचालित समाचार पत्रों में स्थानीय भाषा और अंग्रेजी भाषा में, क्रमशः स्थानीय और अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन (सुनवाई की तिथि, समय और स्थान के संबंध में) देगीय (ii) पंजीकृत डाक पावती देय द्वारा सुनवाई (सुनवाई की तिथि, समय और स्थान के संबंध में) की सूचना (क) व्यक्तिगत रूप से सभी लेनदारों और डिबेंचर धारकों, (ख) कंपनियों के पंजीयक को देगी और आवेदक कंपनी द्वारा प्राप्त आपत्तियाँ, यदि कोई हों के को सुनवाई की तिथि या उससे पहले केंद्र सरकार को अग्रेषित किया जाएगा [नियम 30]। यदि आपत्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं आवेदन का निपटारा बिना सुनवाई के कर दिया जाएगा [नियम 30]। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आवेदक कंपनी या तो आपत्ति करने वाले लेनदारों की सहमति प्राप्त करती है या ऋण को संतुष्ट करती है या आपत्ति करने वाले लेनदारों के ऋण को सुरक्षित करती है। [नियम 30 और अनुच्छेद 13 (5)]

उस राज्य का पंजीयक जहां पंजीकृत कार्यालय को स्थानांतरित किया जा रहा है, परिवर्तन का संकेत देते हुए निगमन का एक नया प्रमाणपत्र जारी करेगा। [अनुच्छेद 13 (7) और नियम 30] रोहिणी से पंजीकृत कार्यालय के सी–14, सेक्टर –1, नोएडा –201301 में परिवर्तन के लिए अपेक्षित उपरोक्त प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, कंपनियों के पंजीयक का अधिकार क्षेत्र दिल्ली से कानपुर परिवर्तित हो जाएगा।

पंजीकृत कार्यालय के एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन से अन्य मामलों के संबंध में निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगाः–

1. उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र दिल्ली से इलाहाबाद (उ.प्र.) में बदल जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमे इलाहाबाद में होंगे। पुराने मामले जिला न्यायालय, साकेत, तीस हजारी, दिल्ली में साथ ही साथ पहले से ही परिवादित याचिकाएं दिल्ली में जारी रहेंगी।

2. आयकर मामलों के संबंध में आयकर निर्धारण प्राधिकरण के साथ–साथ सीआईटी अपील दिल्ली से नोएडा स्थानांतरित हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण आगामी अपील के लिए नोएडा परिवर्तित होगा।

3. सरकारी प्राधिकारियों के साथ नया पता अद्यतनीकरण यथा डीजीसीए, जीएसटी, सीमा शुल्क, श्रम, बीमा, हेलीकाप्टरों और वाहनों की पंजीकरण प्रतिलिपि, ग्राहक, वेबसाइट, आपूर्तिकर्ता, आदि।

कंपनी के शेयरधारक पंजीकृत कार्यालय के रोहिणी हेलीपोर्ट से नोएडा स्थानांतरण पर विचार कर अनुमोदन करें।

निदेशक मंडल शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए उपरोक्त प्रस्ताव की संस्तुति करता है।

अध्यक्ष द्वारा सदस्यों को संबोधन

प्रिय शेयरधारकों,

आपकी कम्पनी की 32वीं वार्षिक आम सभा के आयोजन के अवसर पर आपका स्वागत करते हुए मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। वित्तीय वर्ष 2016–17 की वार्षिक रिपोर्ट वितरित कर दी गई है तथा आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ा मान रहा हूँ।

वित्तीय वर्ष 2016–17 चुनौतियों से भरा वर्ष रहा है तथा कम्पनी द्वारा अपने नेतृत्व की स्थिति एवं अपने दीर्घकालिक ग्राहकों को अपने साथ बनाए रखने और कुछ नए क्षेत्रों/चार्टर व्यवसाय के लिए हेलिकॉप्टर सेवाएं प्रारम्भ करने के प्रयास किए गए हैं। कम्पनी द्वारा रोहिणी, दिल्ली में भारत के पहले एकीकृत हेलीपोर्ट का कार्य पूरा करके इसे प्रचालनात्मक बना दिया गया है। इसके अलावा, कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान इस रिपोर्ट में नीचे दिए गए अनुच्छेदों में किए उल्लेख के अनुसार अनेकों नए प्रयास किए गए हैं और अनेकों नए व्यवसाय प्राप्त किए गए हैं। ऐसे प्रयासों में से एक प्रयास जम्मू एवं कश्मीर में नागरिकों को सम्पर्कता उपलब्ध करवाने के लिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य में हेलिकॉप्टर सेवाओं का प्रारम्भ किया जाना तथा राज्य के विभिन्न कठिन एवं दुर्गम क्षेत्रों तक सम्पर्कता उपलब्ध करवाना है। कम्पनी द्वारा गोवा, आंध्र प्रदेश दमन दीव जैसे विभिन्न राज्यों एवं प्रशासनों के साथ हेली पर्यटन के प्रोत्साहन के लिए समझौता ज्ञापन किए गए हैं। हेलिकॉप्टर उद्योग में अनुभवी हेलिकॉप्टर पायलटों की अत्यधिक कमी है जिसे ध्यान में रखकर कम्पनी द्वारा नए एवं अधिक कारगर अभिनव उपाय के तौर पर देश के हेलीकॉप्टर उद्योग में पहली बार कमर्शियल हेलिकॉप्टर पायलट लाइसेंस – कैडेट पायलट योजना का शुभारंभ करने के साथ साथ पीएचएल विमानन अकादमी की स्थापना करके मुम्बई विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के साथ डीजीसीए प्रमाण पत्र तथा बीएससी वैमानिकी डिग्री के दोहरे प्रमाण पत्र/डिग्री प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन किए गए हैं। कम्पनी द्वारा कर पश्चात लाभ अर्जित किया जाना जारी रहा और शेयर धारकों को लाभांश प्रदान किए गए।

कम्पनी द्वारा हाल ही में नागर विमानन मंत्रालय की क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना में भागीदारी की गई है जिसके अंतर्गत उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के अनुसार पर्वतीय एवं पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान की जानी हैं। इससे कम्पनी के लिए व्यापार संवर्धन की अपार संभावनाएं उपलब्ध हुई हैं और ऐसी आशा है कि कम्पनी इस क्षेत्र में सफल होगी। इस परिचालन उद्यम से कंपनी को वार्षिक रुपए 80 करोड़ के प्राक्कलित राजस्व की उपलब्धता की संभावना है। इसी के साथ साथ आपके निदेशक आपको यह सूचित करना चाहते हैं कि मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति, भारत सरकार द्वारा प्रबंधन नियंत्रण के साथ साथ कम्पनी की शेयरधारिता का 51% रणनीतिक विनिवेश करने के संबंध में सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है तथा विनिवेश से संबंधित प्रक्रिया नागर विमानन मंत्रालय तथा निवेश एवं लोक सम्पति प्रबंधन विभाग द्वारा की जा रही है।

वर्ष 2016–17 के दौरान कम्पनी का कुल राजस्व वर्ष 2015–16 के 491.67 करोड़ रुपए की तुलना में 507.48 करोड़ रुपए रहा है। इसके अलावा वर्ष 2016–17 के दौरान कर पश्च लाभ वर्ष 2015–16 के 58.10 करोड़ रुपए की तुलना में इंड एएस लेखांकन प्रणाली पर आधारित लेखा परीक्षित बहियों के अनुसार 242.76 करोड़ रुपए था। पिछले वर्ष 27,894 उड़ान घंटों की तुलना में वर्ष 2016–17 में कुल उड़ान घंटे 25,839 थे। उड़ान घंटों में हुई कमी मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड सरकार के साथ वर्ष 2015 के दौरान दुर्घटनाओं में 3 हेलिकॉप्टर गंवा दिए जाने से अनुबंध न हो पाने के कारण है। कम्पनी द्वारा अपने 43 हेलिकॉप्टरों के बेड़े में से वर्ष 2016–17 के दौरान अपने 32 हेलिकॉप्टरों का औसत नियोजन पिछले वर्ष के अनुसार ही कायम रखा गया है। पिछले वर्ष के 82 प्रतिशत की तुलना में औसत विमान बेड़ा सेवायोज्यता 88 प्रतिशत हुई है।

कम्पनी द्वारा यात्रा खर्चों, टीए/डीए, विज्ञापन, ओवरटाइम, ऊपरी एवं व्यवसाय प्रौन्नति खर्चों की कड़ी मॉनीटरिंग करते हुए अपने कायाकल्प कार्यक्रम एवं लागत नियंत्रण उपाय जारी रखे गए हैं। वीडियो कांफ्रेंसिंग, मालसूची बजट का कार्यकुशल एवं प्रभावी नियंत्रण, एकीकृत कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा सभी बेसों पर एमआईएस को तैयार किया जाना, विभिन्न प्रकार के पॉयलटों के लिए क्रॉस कन्वर्जन तथा केन्द्रीकृत कम्प्यूटर प्रणाली के माध्यम से एफटीएल/एफटीडीएल की मॉनीटरिंग जैसे कार्य प्रचालनों के निष्पादन एवं दक्षता स्थापित करने के लिए जारी रखे गए हैं ।

वर्ष 2016–17 के दौरान कम्पनी का रक्षित एवं अधिशेष वर्ष 2015–16 के 350.55 करोड़ रुपए से बढ़कर 580.31 करोड़ रुपए हो गया है। 31.3.2017 की स्थिति के अनुसार दीर्घकालिक ऋण 30.34 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 169.62 करोड़ रुपए) थे। दिनांक 30.11.2016 की स्थिति के अनुसार कुल बकाया ऋण 32.10 करोड़ रुपए थे। 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार कुल बकाया ऋण

26.35 करोड़ रुपए थे। अपने दीर्घकालिक ऋणों का पुनर्भुगतान करके कम्पनी द्वारा अपनी ऋण इक्विटी का औसत कम करके 0.05:1 किया गया है। कम्पनी की रेटिंग स्टेबल इडिया ए+ जारी रखी गई है। यह उपलब्धि व्यवसाय में आए स्थायित्व, राजस्व में निरंतर वृद्धि तथा बेहतर वित्तीय निष्पादन के परिणामस्वरूप संभव हुई है।

हेलीकॉप्टर उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है तथा कम्पनी को लगभग कुल प्रचालनात्मक राजस्व का 85% भाग अब प्रतिस्पर्द्धी निविदाओं संविदाओं के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। ओएनजीसी द्वारा कम्पनी को मई, 2016 में कर्मी दल परिवर्तन कार्य के लिए डॉफिन एन3 हेलिकॉप्टर का एक और अनुबंध दिया गया है। वर्ष 2016 के दौरान कम्पनी को उत्पादन कार्य की संविदा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में ओएनजीसी को 7 वर्ष की विशिष्ट अवधि के साथ 3 डॉफिन हेलिकॉप्टर उपलब्ध करवाने का अनुबंध हासिल करने में सफलता प्राप्त हुई है। बाजार में ऑफशोर एएस–4 योग्यता प्राप्त पॉयलटों की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड (एओजी) की स्थितियों में बढ़ोतरी होती है। कम्पनी द्वारा नियमित रूप से पॉयलटों के साक्षात्कार लिए जा रहे हैं। तथापि, योग्यता प्राप्त एवं अनुभवी पॉयलटों की कमी अभी बनी हुई है।

निदेशक मंडल द्वारा 7,52,96,000/– रुपए (पिछले वर्ष कर पश्च लाभ के 20% पर लाभांश : 10.83 करोड़ रुपए जमा 2.20 करोड़ रुपए के लाभांश पर निगमित कर) की समायोजित निवल सम्पति (739.73 करोड़ रुपए) जमा निगमित कर के लाभांश पर 5% की दर से 36,98,68,000/– रुपए का लाभांश दिए जाने की अनुशंसा की गई है। यह लाभांश 31.3.2017 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की समग्र 245.616 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी पर देय है। कम्पनी द्वारा अपने शेयरधारकों को अंतरिम लाभांश के रूप में 75% लाभांश का भुगतान पहले ही कर दिया गया है। कम्पनी द्वारा पिछले 5 वर्षों से लगातार लाभ प्राप्त किए जा रहे हैं/लाभ दर्ज किए गए हैं तथा अपने शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान किया जा रहा है।

निम्नलिखित महत्वपूर्ण विकास कार्य किए गए हैं :–

i) नवम्बर, 2016 में काफी लम्बे समय से प्रतीक्षित निर्णय लिया गया है जिसके अनुसार भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में अधिग्रहण किए गए वैस्टलैंड हेलिकॉप्टरों के संबंध में 130.91 करोड़ रुपए के ऋण को इक्विटी में परिवर्तित किया जाएगा तथा 339 करोड़ रुपए की उसकी ब्याज राशि को समाप्त कर दिया जाएगा। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दिनांक 18.1.2017 को पवन हंस लिमिटेड को 130.91 करोड़ रुपए की राशि इक्विटी शेयर पूंजी अंशदान के रूप में सौंपी गई है तथा उसके पश्चात पवन हंस लिमिटेड द्वारा समतुल्य राशि कंट्रोलर ऑफ ऐड एंड एकाउंटस के पास जमा करवा दी गई है। जुलाई, 2017 में शेयर पूंजी में संवर्धन से संबंधित प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी।

ii) कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 250 करोड़ रुपए से बढ़कर 560 करोड़ हो गई है तथा नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से जुलाई, 2017 में राइट इश्यू द्वारा भारत के राष्ट्रपति को 159.05 करोड़ रुपए एवं ओएनजीसी को 152.816 करोड़ रुपए मूल्य के अतिरिक्त शेयर आबंटित किए गए हैं।

iii) पवन हंस लिमिटेड द्वारा वर्ष 2017 में मुम्बई विश्वविद्यालय के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत विज्ञान स्नातक (वैमानिकी) एवं पीएचटीआई के अंतर्गत विमान अनुरक्षण अभियांत्रिकी के प्रमाणन के दोहरे पाठ्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया है। जुलाई, 2017 में पवन हंस लिमिटेड द्वारा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के साथ तीन वर्षीय विज्ञान स्नातक वैमानिकी डिग्री दिए जाने के लिए भी अकादमिक सहभागिता की गई है। पवन हंस लिमिटेड में कमर्शियल हेलिकॉप्टर पायलट लाइसेंस एवं कैडेट पायलट योजना के लिए कौशल विकास केन्द्र भी स्थापित है। वर्ष 2017 में हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ पवन हंस लिमिटेड द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की प्रशिक्षण सेवाओं के उपयोग से 'कैडेट पायलट' के लिए चयनित प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है जिससे वे वाणिज्यिक हेलिकॉप्टर पायलट लाइसेंस प्राप्त कर सकें और यह संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की शीर्ष क्रम वाली उड़ान अकादमियों से टाईअप करने की प्रक्रिया में है।

iv) जम्मू एवं कश्मीर सरकार के साथ फरवरी 2017 में 3 हल्के हेलिकॉप्टरों के नियोजन के लिए नए अनुबंध किए गए हैं जिससे 18 करोड़ रुपए का अनुमानित राजस्व प्रतिवर्ष प्राप्त होगा।

v) असम सरकार के साथ एक हेलिकॉप्टर के नियोजन के लिए एक नया अनुबंध किया गया है जिससे प्रतिवर्ष 8.75 करोड़ का अनुमानित राजस्व प्राप्त होगा।

vi) माइचल माता देवी के साथ एक हेलिकॉप्टर के नियोजन का नया अनुबंध किया गया है जिससे 1.50

करोड़ का अनुमानित राजस्व प्राप्त होगा।

vii) क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना–उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) में अपने हेलिकॉप्टरों को शामिल करने के प्रयास किए गए हैं तथा बोली प्रक्रिया में भाग लिया गया है। पवन हंस को क्षेत्रीय संपर्कता योजना (आरसीएस) के अंतर्गत जनवरी, 2018 में असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड की 13 आरसीएस मार्गो के लिए अनुबंध प्रदान किए गए हैं जिनकी सेवाएं अगले छः माह के समय में प्रारंभ होंगी। आरसीएस योजना के अंतर्गत पवन हंस को रु. 80 करोड़ के प्राक्कलित वार्षिक राजस्व की प्राप्ति संभावित है। यह एक नया राजस्व स्रोत होगा तथा कम्पनी क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ कर सकेगी।

viii) पवन हंस ने रु. 12.50 करोड़ के प्राक्कलित वार्षिक राजस्व की राशि का दमन एवं द्वीप प्रशासन से वर्ष 2020 तक के लिए दीर्घावधि के अनुबंध को हासिल किया है।

ix) पवन हंस ने लक्षद्वीप के लिए रु. 15.60 करोड़ के प्राक्कलित वार्षिक राजस्व की राशि के लिए एक अतिरिक्त हेलीकॉप्टर का दीर्घावधि अनुबंध हासिल किया है।

x) पवन हंस लिमिटेड द्वारा गोवा सरकार के साथ राज्य में हेली–पर्यटन एवं नगरों के बीच सम्पर्कता स्थापित करने के लिए 5 वर्षों के एकल अधिकार प्राप्त करने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

xi) अक्तूबर, 2016 में पवन हंस लिमिटेड द्वारा अलग व्यवसाय केन्द्र के रूप में मरम्मत, अनुरक्षण एवं ओवरहॉल डिवीजन की स्थापना की गई है तथा बाह्य मरम्मत, अनुरक्षण एवं ओवरहॉल कार्यों से राजस्व अर्जित किया गया है।

xii) मैसर्स एयरबस हेलीकॉप्टर्स के साथ फरवरी, 2017 में भारत तथा पड़ौसी देशों में उनकी अनुमोदित मरम्मत, अनुरक्षण एवं ओवरहॉल सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन/करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिससे 08 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यवसाय राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

xiii) विभिन्न राज्य सरकारों से काफी लम्बे समय से बकाया प्राप्यों की वसूली रु: काफी लम्बे समय से बकाया प्राप्यों की वसूली के लिए अलग वसूली कक्ष की स्थापना की गई थी तथा वर्ष 2016–17 के दौरान वसूली कक्ष द्वारा काफी लम्बे समय से बकाया 46 करोड़ रुपए के प्राप्यों की वसूली कर ली गई है।

xiv) पवन हंस लिमिटेड द्वारा पहली बार ''रणनीतिक निगमित योजनाः 2020'' एवं नई व्यवसाय योजना 2027 के विजन दस्तावेज का विकास किया गया है। तथापि, प्रस्तावित रणनीतिक विनिवेश को ध्यान में रखते हुए योजना को वर्तमान में रोककर रखा गया है। इस निर्णय की समीक्षा अपेक्षित है क्योंकि कंपनी के कारोबार पर इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

xv) कम्पनी की 32वीं वर्षगांठ एवं राष्ट्र को समर्पित सेवाओं के स्मरणोत्सव पर पवन हंस द्वारा नवम्बर, 2017 में पहले ''हेली–एक्सपो'' एवं ''सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, हेलीकॉप्टरों की बहु–उद्देश्यों से उपयोज्यता तथा क्षेत्रीय वायु सम्पर्कता'' के लिए ''नागर हेलीकॉप्टरों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन'' का आयोजन किया गया था जिसमें नागर विमानन क्षेत्र से अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतिभागियों द्वारा काफी अधिक संख्या में प्रतिभागिता की गई।

xvi) संरक्षा विभाग को सुदृढ़ बनाया गया है तथा "संरक्षा के प्रति शून्य सहिष्णुता" के साथ संगठन में नई संरक्षा नीति कार्यान्वित की गई है। संगठन में संरक्षा प्रणाली में सुधार के लिए तृतीय पक्षकार सहिष्णुता संरक्षा ऑडिट (एसएमएस) का कार्य पूरा कर लिया गया है। संरक्षा एवं एहतियात के तौर पर उपाय किए गए हैं जिनमें मानक प्रचालन प्रक्रियाओं, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मौसम के मिजाज को समझने की आवश्यकता को दोहराते हुए चेतावनी पत्र जारी करने, पहाड़ी क्षेत्रों तथा खराब मौसम वाले क्षेत्रों में आपात्त स्थिति का सामना किए जाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देने से संबंधित संरक्षा परिपत्र जारी किए जाने जैसे उपाय सम्मिलित हैं। कम्पनी द्वारा नवीन उपायों के प्रयोग से प्रचालनों में संरक्षा के प्रति अनुकरण किया जा रहा है।

xvii) हेली पर्यटन को विकसित करने के दृष्टिकोण से पवन हंस द्वारा देश के विभिन्न भागों में जैसे उत्तर प्रदेश में मथुरा, गोवर्धन परिकमा, दिल्ली दर्शन, आकाश से मुम्बई की विहंगम छवि जैसी जॉय राइड्स सेवाएं प्रदान की जाती हैं। हेलिकॉप्टर को बढ़ावा देने के लिए पवन हंस ने 2016–17 में ''फैस्टिवल जॉय राइड्स'' तथा ''सिटी दर्शन''जैसी हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवाएं एवं नगर की सैर सेवाएं जैसे कि दिल्ली दर्शन, हम्पी महोत्सव, मैसूर दशहरा, पायदिथिली तथा कृष्ण पुष्करम त्यौहार इत्यादि की सेवाएं प्रारम्भ की हैं। इस उद्यम से कम्पनी के लिए 2016–17 से राजस्व सृजन के नए द्वार खुल गए हैं। इन छोटी छोटी व्यवस्थाओं से कम्पनी अपने बेड़े का

प्रयोग और अधिक प्रभावी स्वरूप में करके राजस्व की उत्पति एवं हेली पर्यटन को बढ़ावा दे रही है।

xviii) कम्पनी द्वारा लोक उपक्रम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जा रहा है। विचाराधीन अवधि के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे एवं कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व निकायों के साथ नियमित बैठकों का आयोजन किया गया। विकास की अपार संभावनाओं से युक्त भारत के हेलिकॉप्टर उद्योग में कम्पनी द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है।

xix) पवन हंस लिमिटेड को अपनी सेवाओं के उत्कृष्ट स्तर एवं नागर विमानन में अपने योगदान के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर निम्नानुसार अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान किए गए हैं :

- वर्ल्डवाईड एरियल इंजन फ्लीट की सफलता में अपना समग्र योगदान देने के लिए टर्बोमेका द्वारा प्रदान किया गया उत्कृष्टता अवार्ड।
- हेलिकॉप्टर एसोसिएशन इंटरनेशल (एचएआई) द्वारा पवन हंस को फ्रांस एयर शो में उत्कृष्ट संरक्षा रिकार्ड के लिए प्रदान किया गया प्रचालक संरक्षा अवार्ड।
- ''पूर्वोत्तर राज्यों के मध्य सम्पर्कता उपलब्ध करवाने वाली सर्वोत्तम विमानन कम्पनी'' के लिए ''टूडे का ट्रैवलर अवार्ड 2015'' प्राप्त किया गया।
- पवन हंस को दूरस्थ एवं क्षेत्रीय सम्पर्कता में संवर्धन के लिए सर्वोत्कृष्ट सामान्य विमानन कम्पनी के तौर पर एएसएसओसीएचएएम (एसोचॉम) – नागर विमानन एवं पर्यटन अवार्ड –2015 प्रदान किया गया है।
- देश के विभिन्न हिस्सों में हेली पर्यटन और ग्रामीण संपर्कता को बढ़ावा देने के लिए पवन हंस को 2016 में ''दूरस्थ संपर्कता में उत्कृष्टता'' के लिए टीटीजे जूरी चॉइस अवॉर्ड के साथ सम्मानित किया गया है।
- पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित भव्य आयोजन के अवसर पर ''हेलीकॉप्टर के माध्यम से ग्रामीण भारत को जोड़ने'' के लिए 2016 में पीएचडी पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- पवन हंस को क्षेत्रीय और दूरस्थ संपर्कता को बढ़ावा देने के लिए एसोचॉम से 2016 में ''उत्कृष्ठ सामान्य विमानन कंपनी'' पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- "गवर्नेंस नाउ" द्वारा एक आयोजन में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एवं इस्पात मंत्री के करकमलों से डिजिटल इंडिया के अंतर्गत किए गए प्रयासों के अंतर्गत अग्रणी मिनीरत्न–1 के रूप में पवन हंस को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए मान्यता प्रमाण प्रदान किया गया है।
- पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एयरो एक्सपो इंडिया 2016 के भव्य आयोजन समारोह में पवन हंस को हेलीकॉप्टरों के माध्यम से ग्रामीण भारत से संपर्कता के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- पवन हंस को अगस्त 2017 में एसोचॉम द्वारा ''हेली टूरिज्म और दूरस्थ क्षेत्र हवाई संपर्कता को बढ़ावा देने'' के लिए सामान्य नागर विमानन क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में सम्मानित किया गया है।
- इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा सितंबर 2017 में विकासशील राष्ट्र के पहले एकीकृत हेलीपोर्ट के विकास की उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मान्यता दी गई है।
- नवंबर 2017 में पवन हंस को देश में ग्रामीण संपर्कता प्रदान करने के लिए पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ सामान्य विमानन कंपनी पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- दिसंबर, 2017 में दिल्ली में संपन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में आईडब्लूपीए द्वारा महिला पाइलटों के सशक्तीकरण की मान्यता स्वरूप पवन हंस को पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

इस अवसर पर प्रबंधन के प्रति आपके विश्वास के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। मैं कम्पनी के कार्यकुशल प्रबंधन में योगदान के लिए भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय तथा अन्य विभिन्न अभिकरणों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं कम्पनी के प्रति अपने विश्वास को बनाए रखने तथा उनके कर्मचारियों द्वारा कम्पनी के विकास में योगदान के लिए प्रदत्त सेवाओं हेतु तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जीएसपीसी, नेशनल थर्मल पॉवर कारपोरेशन, गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल, मेघालय, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, असम, उड़ीसा, जम्मू एवं कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह की राज्य सरकारों तथा इनके कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

(डॉ. बी. पी. शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांकः 16 फरवरी, 2018

निदेशक रिपोर्ट

शेयरधारको,

आपके निदेशकों को पवन हंस लिमिटेड की बत्तीसवीं वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष की लेखा परीक्षित विवरणियां, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और लेखा के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियां प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 चुनौतियों से भरा वर्ष रहा है तथा कम्पनी द्वारा दीर्घकालिक ग्राहकों को अपने साथ बनाए रखने और कुछ नए क्षेत्रों/चार्टर व्यवसायों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रारम्भ करने के प्रयास किए गए हैं। कंपनी ने रोहिणी, दिल्ली में भारत के पहले एकीकृत हेलीपोर्ट को पूरा कर लिया है और परिचालन प्रारंभ किया है। इसके अलावा, कंपनी ने कई नई पहलें की हैं और वर्ष के दौरान नए व्यवसायों को अर्जित किया है, जैसा कि अग्रांकित अनुच्छेदों में रिपोर्ट में विवरण दिया गया है। उनमें से एक जम्मू और कश्मीर राज्य में जम्मू–कश्मीर के लोगों को हवाई संपर्क उपलब्ध कराने और राज्य के विभिन्न कठिन और दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ने के लिए हेलीकाप्टर सेवाओं का शुभारंभ किया जाना है। कंपनी ने विभिन्न सरकारों और प्रशासन के साथ उनके राज्य में हेली–पर्यटन विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है जैसे गोवा, आंध्र प्रदेश और दमन–दीव। चूंकि अनुभवी हेलीकाप्टर पायलटों की कमी हेलिकॉप्टर उद्योग में गंभीर समस्या है; कंपनी ने पवन हंस विमानन अकादमी स्थापित करने के लिए एक नई और सार्थक पहल की है जिसमें सीएचपीएल–कैडेट पायलट स्कीम लॉन्च करने के अलावा अपने छात्रों को डीजीसीए सर्टिफिकेट और बीएससी एयरोनॉटिक्स की दोहरी डिग्री/प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के लिए मुंबई विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कंपनी ने कर पश्चात लाभ अर्जित करना और शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करना जारी रखा है।

हेलीकॉप्टर उद्योग में अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धा बढ़ती जा रही है तथा पवन हंस को लगभग कुल प्रचालनात्मक राजस्व का 85% भाग अब प्रतिस्पर्द्धी निविदाओं के माध्यम से प्राप्त हो रहा है।

पवन हंस ने हाल ही में यूडीएएन योजना के अंतर्गत विभिन्न पहाड़ी और उत्तर पूर्व राज्यों में हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने के लिए एमओसीए–आरसीएस योजना में भाग लिया है। इसकी एक अच्छी व्यावसायिक संभावना है और कंपनी इस क्षेत्र में अच्छी तरह से काम करने की उम्मीद करती है। इसके अलावा, निदेशक शेयरधारकों को सूचित करना चाहेंगे कि सीसीईए, भारत सरकार ने प्रबंधन नियंत्रण के साथ अपनी 51% शेयरधारिता के रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी है और विनिवेश की प्रक्रिया एमओसीए और डीआईएपीएएम द्वारा प्रगति पर है।

I. प्रचालन

क) प्रचालन परिणाम

कम्पनी को प्रमुखतः तेल उद्योग एवं सरकारी क्षेत्र के संस्थागत ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संविदा निष्पादित करते में सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक 31.03.2017 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार कुल 42 हेलीकॉप्टरों के बेड़ा आकार में से हेलीकॉप्टरों के मासिक परिनियोजन का औसत पिछले वर्ष के समान 32 हेलीकॉप्टर (वर्ष 2015 में 3 हेलीकॉप्टरों की क्षति के बावजूद) था। पिछले वर्ष के 82% की तुलना में वर्ष के दौरान बेड़े की सेवायोज्यता का औसत 88% रहा। पिछले वर्ष के 27,894 उड़ान घंटों की तुलना में वर्ष 2016–17 में कुल उड़ान घंटे 25,839 थे। उड़ान घंटे में कटौती मुख्य रूप से 2015 के दौरान दुर्घटनाओं में 3 हेलीकॉप्टरों की क्षति के कारण अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में अनुबंध के नुकसान के कारण हुई।

ख) बेड़ा प्रोफाईल

अखिल भारतीय उपस्थिति के साथ पवन हंस अपने परिचालन बेड़े में वर्तमान में स्वयं के कुल 43 हेलीकॉप्टरों की संतुलित संख्या के साथ एशिया के विशालतम हेलीकॉप्टर परिचालक के रूप में बरकरार है। पवन हंस अपने गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली आईएसओ 9001–2008 मानकों के साथ–साथ आईएसओ 14001 व 18001 के अधीन भी प्रमाणीकृत हुआ है, जिसे एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के रूप में जाना जाता है, जिसमें पर्यावरण तथा संरक्षा पहलू भी शामिल हैं। कंपनी ने अपनी स्थापना से अब तक अपने बेड़े से 10 लाख घंटे से अधिक की उड़ान भरी है तथा 25 लाख से अधिक लैन्डिग की हैं। एरियल 2/2 इंजन पर 1 मिलियन घंटे के विश्व के सर्वश्रेष्ठ उड़ान के रूप में कीर्तिमान स्थापित करने

पवन हंस लिमिटेड एवं एयर बस के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन

के लिए मेसर्स टर्बोमेका द्वारा पवन हंस को पुरस्कृत किया गया है।

दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार साथ ही वर्तमान में सम्मिलित कम्पनी के प्रचालनात्मक बेड़े का स्वरूप निम्नानुसार है :–

हेलीकॉप्टर प्रकार	हेलीकॉप्टरों की संख्या	औसत आयु (वर्ष)
डॉफिन एसए365एन	17	30
डॉफिन एएस365 एन3	14	7
बेल –407	3	12
बेल 206एल4	3	20
एएस 350 बी3	2	5
एमआई–172	3	8
योग	**42**	

ग) बेड़ा परिनियोजन

बम्बई अपतटीय प्लेटफार्म पर स्थित ड्रिलिंग रिग्स तक ओएनजीसी के अपतटीय प्रचालनों हेतु दिन रात अनवरत उनके व्यक्तियों एवं महत्वपूर्ण आपूर्तियों के वहन के लिए पवन हंस द्वारा हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। पवन हंस द्वारा मुम्बई के भू–भाग से 130 नॉटिकल मील के दायरे में स्थित ओएनजीसी की रिग्स (मदर प्लेटफार्म एवं ड्रिलिंग रिग्स) तथा उत्पादन प्लेटफार्म (कुओं) के लिए प्रचालन किए जाते हैं। मार्च, 2015 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पद्धी बिडिंग में 7 वर्ष की विशिष्टता के साथ निम्नतम बोली होने से ओएनजीसी को 3 डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टरों की सेवाएं उपलब्ध करवाने की क्रू चेंज टास्क संविदा भी पवन हंस द्वारा ही पुनः प्राप्त की गई। मई, 2016 में डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टर के लिए कम्पनी को क्रू चेंज टास्क की ओएनजीसी से एक और संविदा प्रदान की गई थी। अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के तहत वर्ष 2016 में कंपनी 7 साल के विंटेज के साथ ओएनजीसी के लिए 3 डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने के लिए उत्पादन कार्य अनुबंध में सफल रही। दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार कम्पनी द्वारा ओएनजीसी को संविदा के अंतर्गत ओएनजीसी के अपतटीय कार्यों के लिए 11 डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टरों से सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं जिनमें से आपात निकासी के लिए रात्रि एम्बूलेंस के लिए नियत 1 हेलीकॉटर के अतिरिक्त मुख्य प्लेटफार्म पर 2 डॉफिन हेलीकॉप्टर रात भर परिनियोजित रहते हैं। वर्तमान में कंपनी ओएनजीसी को कुल 7 डॉफिन एन –3 हेलीकॉप्टर प्रदान कर रही है।

वर्तमान में कंपनी मिजोरम, असम, त्रिपुरा राज्य सरकारों और गृह मंत्रालय में प्रत्येक के लिए 1 डॉफिन हेलीकॉप्टर प्रदान कर रही है और 1 डॉफिन

एन 3 हेलीकाप्टर मेघालय राज्य सरकार को। कंपनी क्रमशः 1 बेल 407 हेलीकॉप्टर सिक्किम और 1 एमआई –172 हेलीकॉप्टर को क्रमशः ओडिशा और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारों को प्रदान कर रही है।

कंपनी अंडमान–निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन के लिए 3 डॉफिन हेलीकॉप्टर और 1 डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टर और लक्षद्वीप द्वीपसमूह को 02 डॉफिन हेलीकाप्टर प्रदान कर रही है।

कंपनी ने हाल ही में जम्मू–कश्मीर सरकार को 2 बेल 206 एल 4 और 1 बेल 407 हेलीकॉप्टर प्रदान किए हैं। कंपनी एनटीपीसी और जीएसपीसी प्रत्येक को एक डॉफिन एन –3 हेलीकॉप्टर और जीएआईएल एवं ऑयल इंडिया लिमिटेड प्रत्येक को 1 एएस–350 बी3 हेलीकॉप्टर प्रदान कर रही है। कंपनी ने महाराष्ट्र राज्य सरकार को 1 ध्रुव हेलीकाप्टर को एचएएल से पट्टे पर दिया है। कंपनी शीघ्र ही संघ राज्य क्षेत्र दमन और दिउ को भी 1 डॉफिन एन हेलीकॉप्टर प्रदान कर रही है। कंपनी ने चार्टर कारोबार के लिए गुवाहाटी में 1 डॉफिन एन हेलीकॉप्टर भी रखा है।

प्रत्येक वर्ष मई–जून तथा सितम्बर–अक्तूबर के दौरान पवन हंस द्वारा फाटा से पवित्र केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रचालित की जाती हैं। पवन हंस द्वारा श्री अमरनाथजी यात्रा 2016 के लिए श्री अमरनाथ श्राईन बोर्ड को भी हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान की गई हैं। पवन हंस देश के विभिन्न भागों में जॉय राइड भी प्रदान करता है जैसे मथुरा, उत्तर प्रदेश में गोवर्धन परिक्रमा, दिल्ली दर्शन, मुंबई के एरियल व्यू और एकाधिक अन्य। पवन हंस ने वर्ष 2016–17 के दौरान हेलिकॉप्टर पर्यटन और विरासत शहर को बढ़ावा देने के लिए हेलिकॉप्टर द्वारा 'फेस्टिवल जॉय राइड' और प्रमुख ''सिटी दर्शन'' शुरू किया, जैसे कि दिल्ली दर्शन, हम्पी महोत्सव, मैसूरू दशहरा, पाधिथिलि और कृष्णा पुष्करम महोत्सव आदि। इस उद्यम ने 2016–17 के दौरान पवन हंस के लिए एक अतिरिक्त राजस्व प्रदान किया। छोटी अवधि के इन कार्यों ने कंपनी को अपने बेड़े को अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने, हेली–टूरिज्म को बढ़ावा देने और राजस्व अर्जित करने में मदद की है।

हेलीकॉप्टरों का औसत मासिक परिनियोजन निम्नानुसार रहाः–

औसत मासिक बेड़ा उपयोग

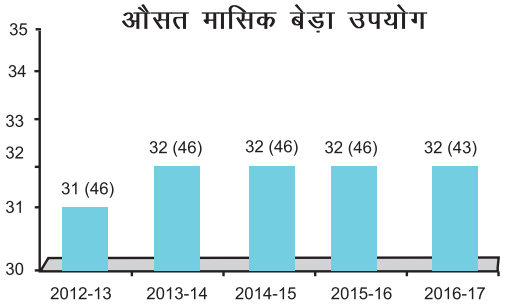

हिमाचल प्रदेश में एमआई–172

घ) पवन हंस का रणनीतिक विनिवेश

दिनांक 27 अक्टूबर, 2016 को आयोजित बैठक में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) ने विनिवेश पर सचिवों के कोर समूह की सिफारिशों के आधार पर पवन हंस लिमिटेड के रणनीतिक विनिवेश के लिए सिद्धांत रूप से स्वीकृति दी। सीसीईए ने भारत सरकार के 100% शेयरहोल्डिंग के विनिवेश के लिए दो चरण विकल्प प्रक्रिया के द्वारा पहचाने जाने वाले रणनीतिक खरीदार को विनिर्दिष्ट सिफारिशों को मंजूरी दी। डीआईपीएएम ने एसबीआई सीएपीएस को लेनदेन सलाहकार और मेसर्स क्रॉफर्ड बेली एंड कंपनी को कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। नागर विमानन मंत्रालय ने पीएचएल की परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के लिए संपत्ति वैल्यूर्स के रूप में मेसर्स आरबीएसए को नियुक्त किया है। नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 13.10.2017 को समाचार पत्र में सूचना जारी किया है जिसमें भारत सरकार द्वारा पीएचएल में प्रस्तावित रणनीतिक विनिवेश के लिए अभिरूचि के आमंत्रण के लिए वैश्विक आमंत्रण दिया गया है, जिसमें दिनांक 15.12.2017 बोली प्रस्तुत करने की तिथि है। रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया चल रही है। विनिवेश के दृष्टिगत, किसी भी बड़े वित्तीय निवेश को नहीं लिया गया है इसलिए हेलीकॉप्टरों का कोई नया अधिग्रहण और नये बिजनेस प्लान –2027 के कार्यान्वयन को रोक दिया गया है।

ङ) पंजीकृत कार्यालय का स्थानांतरण

कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 1 अगस्त, 2017 के संकल्प को पारित कर पंजीकृत कार्यालय को सफदरजंग हवाई अड्डे से रोहिणी हेलीपोर्ट, सेक्टर–36, रोहिणी, दिल्ली–110085 में स्थानांतरण को मंजूरी दे दी। कंपनी ने पंजीकृत कार्यालय को रोहिणी हेलीपोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए कंपनियों के निबंधक के समक्ष आवश्यक दस्तावेज दायर किए। कंपनी सी–14, सेक्टर–1, नोएडा–201301 (यूपी) जहां कंपनी का प्रधान कार्यालय स्थित है के लिए पंजीकृत कार्यालय के स्थानांतरण के लिए अपेक्षित अनुमोदन/प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए भी अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है।

च) बेड़े के विस्तार

कंपनी ने वर्ष 2016–17 के दौरान 3 मीडियम हेलीकॉप्टर, 3 हेवी ड्यूटी और 3 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर प्राप्त करने की योजना बनाई। सितंबर/दिसंबर, 2016 में रुपये 205 करोड़ की कुल अनुमानित लागत पर 3 बेल 412 ईईपी हेलीकाप्टरों की खरीद के लिए निविदा को अंतिम रूप दिया गया था। 3 हेलीकाप्टरों में से 2 को बेल हेलीकाप्टर द्वारा फरवरी, 2017 में अपने सेवा प्रदाता के साथ मुंबई भेज दिया गया था। हालांकि, तकनीकी निरीक्षण के दौरान आपूर्ति से छह महीने पहले के निर्माण की तारीख के मुताबिक हेलीकॉप्टर उत्पादन की तारीख (अप्रैल/मई, 2015) की आवश्यकता के संबंध में कमी पाई गई थी। जैसे कि वे निविदा आवश्यकताओं और खरीद समझौते के स्वीकृति मानदंडों को पूरा नहीं करते, इसलिए इन हेलीकॉप्टरों को अस्वीकार करने और अनुबंध रद्द करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। पीएचएल ने बैंक हेलीकाप्टरों द्वारा प्रदान की गई बैंक गारंटी को पीएचएल द्वारा अग्रिम भुगतान के लिए 34 करोड़ रुपए में पेश किया। बेल हेलिकॉप्टर ने तदनुसार पीएचएल द्वारा बैंक गारंटी की जमा राशि के नकदीकरण को रोकने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक ओएमपी (आई–सीओएमएम) नंबर 313/2017 दायर किया और उच्च न्यायालय ने सिटी बैंक को बैंक गारंटी के अंतर्गत राशि को पीएचएल को प्रेषित न करने और नवंबर 2017 तक बैंक गारंटी विस्तारित करने के लिए निर्देशित किया। बेल हेलीकॉप्टर ने दिनांक 12.9.2017 को दिए गए हेलीकॉप्टरों की अस्वीकृति के खिलाफ मध्यस्थता की सूचना भी भेजी और इसके लिए मध्यस्थ नामांकित किया, इस नोटिस में बेल द्वारा कोई दावा राशि व्यक्त नहीं की गई। पीएचएल ने अपने मध्यस्थ भी नामांकित किए और 2 मध्यस्थों ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण को पूरा करने के लिए तीसरा मध्यस्थ नामांकित किया। उच्च न्यायालय ने 28.11.2017 को ओएमपी को निलंबित कर दिया था क्योंकि मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन में बीएचटीआई को 4 सप्ताह के भीतर मध्यस्थता न्यायाधिकरण से पहले मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 17 के तहत आवेदन करने के निर्देश दिये गये थे। न्यायालय ने बीएचटीआई को

निर्देश दिया है कि बीजी की वैधता की अवधि जो 30.11.2017 समाप्त हो जाएगी को छह महीने की अवधि के लिए विस्तारित किया जाए और जब तक कि मध्यस्थीय न्यायाधिकरण निर्णय नहीं ले लेता बीजी के आवंटन पर रोक जारी रहेगा। अब, बीएचटीआई ने मध्यस्थता के तहत अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना दिनांक 30.10.2017 के निपटारे के लिए एक प्रस्ताव भेजा है, जो कि बीएचटीआई के साथ चर्चा के अधीन है।

पीएचएल ने 4 लाइट हेलीकाप्टरों और 2 हेवी ड्यूटी हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए भी आंतरिक संसाधनों से 20% निधियन और ओएनजीसी/बैंकरों से 80% मियादी ऋण के साथ निविदाओं की प्रक्रिया की थी। बोलियां प्राप्त की गई हैं और तकनीकी रूप से मूल्यांकन किया गया है। हालांकि, सरकार द्वारा पवन हंस के रणनीतिक विनिवेश के निर्णय के दृष्टिगत नागर विमानन मंत्रालय ने दीर्घकालिक निवेश के लिए निर्णय नहीं लिया जिससे इन नई खरीद निविदाओं की कोई और कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

छ) दिल्ली और आस–पास के इलाकों में हेलीपोर्ट/हेलीपैड

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जून, 2009 में रोहिणी नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के नाम पर हेलीकॉप्टर के निर्माण के लिए 25 एकड़ जमीन आवंटित की थी। पवन हंस ने जमीन पर कब्जा कर लिया और सरकार द्वारा जमीन की लागत और विकास की 80% लागत के लिए वित्त पोषण के आधार पर रोहिणी हेलीपोर्ट का विकास शुरू किया। नागर विमानन मंत्रालय ने अनुदान के रूप में भूमि की लागत के लिए 19.07 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। दिनांक 31.08.2010 को नागर विमानन मंत्रालय ने पीएचएल में 36 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी के लिए रोहिणी में हेलीपोर्ट की परियोजना लागत के लिए 64 करोड़ रुपए का योगदान दिया। रोहिणी हेलीपोर्ट की परियोजना लागत संशोधित कर रुपए 99.27 करोड़ की गई है और मार्च, 2017 में नागर विमानन मंत्रालय ने अतिरिक्त इक्विटी योगदान के जरिए 28.14 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी है। डीजीसीए और गृह मंत्रालय से परिचालन की अनुमति के बाद 28 फरवरी, 2017 को निर्माण पूरा कर लिया गया है और हेलीपोर्ट शुरू किया गया है। हेलीपोर्ट में एक टर्मिनल बिल्डिंग है जिसमें 150 यात्री (किसी भी समय) की क्षमता है, 4 हैंगर हैं और 16 हेलीकाप्टरों की पार्किंग क्षमता और 9 पार्किंग बेज हैं। यह हेलीकॉप्टर व्यवसाय के लिए एक–बिंदु समाधान प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है जिसमें नियमित हेलीकॉप्टर संचालन, लैंडिंग और अन्य ऑपरेटरों के लिए पार्किंग सुविधा,

एसोचैम पुरस्कार – हेली पर्यटन एवं ग्रामीण क्षेत्र हवाई संपर्कता पुरस्कार

एमआरओ सेवाएं और प्रशिक्षण सेवाएं शामिल हैं। रोहिणी हेलीपोर्ट में एमआरओ की स्थापना के लिए एचएएल के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया गया है और स्थापित करने के लिए चर्चा चल रही है।

पवन हंस के रणनीतिक विनिवेश और नागर विमानन मंत्रालय के पक्ष में लंबी अवधि के पट्टे पर डीडीए द्वारा रोहिणी हेलीपोर्ट के आवंटन के दृष्टिगत रोहिणी में हेलीपोर्ट रणनीतिक बिक्री के प्रस्तावित लेनदेन का हिस्सा नहीं होगा। इसलिए, नागर विमानन मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया के एक विशेष उद्देश्य वाहन के माध्यम से पूरा होने से पहले रोहिणी हेलीपोर्ट की संपत्ति पीएचएल की बहियों से से ले ली जाएगी। नागर विमानन मंत्रालय के निर्देश के अनुसार एमओसीए और ओएनजीसी की अलग दर्पण कंपनी के गठन की प्रक्रिया एक सलाहकार के माध्यम से मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ रोहिणी हेलीपोर्ट के एनसीएलटी में डिमर्जर का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया जारी है।

ज) हडप्सर, पुणे में प्रशिक्षण अकादमी और हेलीपोर्ट

पवन हंस को हडप्सर, पुणे के मौजूदा ग्लाइडिंग सेंटर जो डीजीसीए के स्वामित्व में है में एक हेलीकाप्टर ट्रेनिंग अकादमी एवं हेलीपोर्ट का विकास करने के लिए कार्य सौंपा गया था। परियोजना को नागर विमानन मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है और डीजीसीए ने उद्देश्य के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि जीबीएस के रूप में जारी की है। पवन हंस ने जमीन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के उपयोग के लिए 17 मई, 2010 को डीजीसीए के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पवन हंस ने 11.25 करोड़ रुपये की लागत से एनबीसीसी के माध्यम से जमा कार्य आधार पर नियोजन और डिजाइन और निर्माण कार्य किया। पीएचएल ने 3.24 करोड़ रुपये के अतिरिक्त काम की अंतिम समाप्ति लागत के अनुमोदन के लिए डीजीसीए से संपर्क किया है और सुविधा के प्रभावी लाभकारी उपयोग के प्रशिक्षण और व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए पवन हंस को सुविधा सौंपने का अनुरोध किया है। रणनीतिक विनिवेश के निर्णय के दृष्टिगत, पवन हंस ने पुणे में प्रशिक्षण अकादमी के मामले को डीजीसीए के साथ बंद करने का प्रस्ताव किया है।

झ) सफदरजंग हवाई अड्डे से रोहिणी तक उत्तरी क्षेत्र और बेलमैन हैंगर का स्थानांतरण

सफदरजंग हवाई अड्डे पर कार्यालय के पुराने भवन

भारतीय महिला पाइलट संघ (आईडब्ल्यूपीए) द्वारा हेलीकॉप्टर उद्योग में महिला पाइलटों के उत्साहवर्धत हेतु पवन हंस को प्रदत्त पुरस्कार

क्षेत्र को भाविप्रा/नाविमं के निर्देशों के अनुसार जनवरी–मार्च, 2017 में पीएचएल ने अभ्यर्पित किया था। तदुपरांत उत्तरी क्षेत्र अभियांत्रिकी, अनुरक्षण, सामग्री विभागों को रोहिणी हेलीपोर्ट में हैंगर नंबर 1 में स्थानांतरित कर दिया गया था और अन्य कार्यालयों को नोएडा में स्थानांतरित कर दिया गया था।

नाविमं द्वारा यथा निर्देशित, सफदरजंग हवाई अड्डे पर स्थित बेलमैन हैंगर, जिसे एएआई से पट्टे पर लिया गया था, रणनीतिक बिक्री के प्रस्तावित लेन–देन का हिस्सा नहीं होगा। इसे चरण 2 में आरएफपी जारी करने की तिथि या उससे पहले पीएचएल द्वारा भाविप्रा को वापस सौंप दिया जाएगा। पीएचएल की बहियों में अंकित संपत्ति का बही मूल्य लगभग रु 37.5 लाख (31.03.2017 को) और हैंगर के अभ्यर्पण के समय उसका निपटारा एएआई और पीएचएल के बीच किया जाएगा।

II. वित्त

कंपनी को वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए पहली बार इंड एएस के कार्यान्वयन का पालन करने की आवश्यकता है। इसलिए वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक (इंड–एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित है। 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष तक, कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों को पिछले सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया था, जिसमें कंपनियों के लेखांकन मानक नियम 2006 के तहत अधिसूचित मानक शामिल हैं। कंपनी की पहली इंडएएस वित्तीय विवरणी होने के नाते इंड एएस के रूप में परिवर्तन की तिथि 1 अप्रैल 2015 है। तदनुसार कंपनी ने यथास्थिति 31.03.2017 तुलन पत्र की वित्तीय विवरणियों को तैयार किया है, लाभ और हानि का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तनों के विवरण के साथ संशोधित महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए इंड एएस के अनुरूप खाते में अतिरिक्त नोट्स यथातिथि 1 अप्रैल 2015 को शेष तुलन पत्र और लाभ और हानि खाते का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए इक्विटी में परिवर्तन के विवरण आईजीएएपी के अनुसार समाधान के साथ इंड एएस और उपर्युक्त विवरणों का विवरण निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

क) वित्तीय परिणाम

2015–16 और 2016–17 के दौरान वित्तीय प्रदर्शन निम्नानुसार थेः –

(₹करोड़ में)

विवरण	2015–16 इंड एएस के अनुसार ऑडिट अकाउंट	2016–17 इंड एएस के अनुसार ऑडिट अकाउंट
क) अन्य आय सहित कुल राजस्व	491.67	507.48
ख) व्यय i) पूर्व अवधि समायोजन सहित परिचालनगत और गैर–परिचालनगत व्यय ii) मूल्यह्रास **योग**	321.90 72.15 394.05	391.06 78.98 470.04
ग) आपवादिक मदों से पूर्व लाभ	97.62	37.44
घ) असाधारण मदें/आपवादिक मदें	-	339.31
ङ) लाभ/(हानि) समायोजन पश्चात	97.62	376.75
च) आय कर के लिए प्रावधान/आस्थगित कर देयता	39.52	133.97
छ) कर पश्चात शुद्ध लाभ	58.10	242.78
ज) निगमित (कर) सहित लाभांश	13.03	44.40

कंपनी के आरक्षित और अधिशेष 580.31 करोड़ रुपए (विगत वर्ष रुपए 350.55 करोड़), 24.98 करोड़ रुपए (विगत वर्ष 161.25 करोड़ रुपए) की मौजूदा परिपक्वता के अलावा रुपए 5.36 करोड़ (विगत वर्ष रुपए 8.37 करोड़) के गैर चालू उधार हैं।

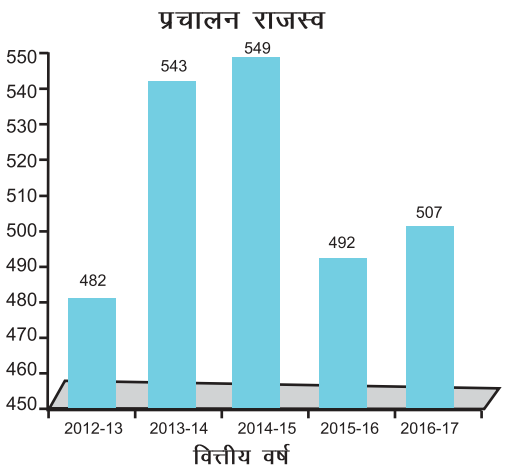

राजस्व में कमी का मुख्य कारण 2014 में वैष्णो देवी हेलीकाप्टर सेवाओं के लिए उच्च राजस्व कम लाभ निविदा गंवाना और 2015 के दौरान दुर्घटनाओं में 3 हेलीकाप्टरों की हानि के कारण अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में अनुबंध की हानि रहा।

ख) लाभांश

निदेशक मंडल ने समायोजित निवल मूल्य के 5% (रुपए 739.73 करोड़) एवं रुपए 7,52,96,000/– के लाभांश (गत वर्ष कर पश्चात लाभ के 20% की दर पर रुपए 10.83 करोड़ एवं रुपए 2.20 करोड़ के लाभांश पर निगमित कर) रु. 36,98,68,000/– के लाभांश की सिफारिश की है। दिनांक 31.03.2017 को 2,45.616 करोड़ रुपए की संपूर्ण प्रदत्त पूंजी पर लाभांश देय है। यह लगातार 5वां साल है कि कंपनी ने लाभ प्राप्त/दर्ज किए हैं और लाभांश को शेयरधारकों को प्रदान किया है। उपरोक्त संस्तुत लाभांश में से निदेशक मंडल ने जनवरी 2018 में शेयरधारकों को 75% के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया।

ग) वित्त मंत्रालय के दावे का निपटान

भारत में नागर विमानन उद्योग के सम्मुख विद्यमान प्रतिस्पर्द्धी परिवेश में कम्पनी की उत्तरजीविता के लिए अनिवार्य बेड़ा विस्तार एवं अन्य पूंजीगत परिव्यय कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध निधियों का प्रयोग करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर नागर विमानन मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय के सम्मुख भारत सरकार के दावों से संबंधित बकाया मामलों के संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा कम्पनी से दावा किए गए कुल रुपए 470.22 करोड़

पवन हंस द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए भारत सरकार और ओएनजीसी को प्रदत्त रु. 10.82 करोड़ का लाभांश

(मूल राशि रुपए 130.91 करोड़ तथा 31.3.2001 तक ब्याजः रुपए 339.31 करोड़) की राशि का दावा छोड़ने के लिए दिसम्बर, 2007 में एक प्रस्ताव रखा गया था। वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए दावों पर 31.3.2001 तक ब्याज एवं अन्य प्रभारों के संबंध में कम्पनी द्वारा 1999–2000, 2000–01 तथा 2002–03 के वित्तीय वर्षों के दौरान रुपए 339.31 करोड़ के पूर्व प्रावधान किए गए हैं तथा इन्हें अग्रेनित किया जाता रहा है। कम्पनी द्वारा भारत सरकार के दावे को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–III के अंतर्गत गैर चालू देयताओं के रूप में लिया गया है।

काफी लम्बे समय से प्रतीक्षित निर्णय निर्णय नवंबर, 2016 में लिया जा चुका है जिसके अनुसार भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में अधिग्रहण किए गए वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों के संबंध में 130.91 करोड़ रुपए के ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने तथा 339 करोड़ रुपए की उसकी ब्याज राशि को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। नागर विमानन मंत्रालय ने पत्र संख्या एवी.30020/26/2012–जीए–नाविमं दिनांक 1.12.2016 द्वारा वित्त मंत्रालय के दावों के निपटान के लिए रुपए 130.91 करोड़ रुपये के बजट के लिए कैबिनेट के अनुमोदन को सूचित किया है। नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 18.1.2017 के माध्यम से पवन हंस लिमिटेड को रुपए 130.91 करोड़ रुपये की राशि इक्विटी शेयर कैपीटल योगदान के रूप में जारी की है और पवन हंस द्वारा सहायता और लेखा नियंत्रक को समतुल्य राशि जमा कर दी गई है।

जुलाई, 2017 में शेयर पूंजी में वृद्धि की आवश्यक प्रक्रिया की गई थी। निदेशक मंडल ने नागर विमानन मंत्रालय व पवन हंस की उसके प्रयासों हेतु सराहना की गई है जिससे 30 वर्ष पुराने इस इस मामले का निपटान हुआ है।

घ) नागर विमानन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन

पवन हंस लिमिटेड सार्वजनिक उद्यम विभाग में समझौता–वार्ता बैठक के पश्चात प्रत्येक वर्ष नागर विमानन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करता है। पवन हंस द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2014–15 के लिए पवन हंस की रेटिंग "अति उत्तम" थी और वर्ष 2015–16 के लिए "उत्तम" थी और वर्ष 2016–17 के लिए "अति उत्तम" रहने की संभावना है।

ङ) इक्विटी पूंजी

नागर विमानन मंत्रालय ने पत्र संख्या एवी. 30020/26/2012–जीए–नाविमं दिनांक 1.12.2016 द्वारा वित्त मंत्रालय के दावों के निपटान के लिए रुपए 130.91 करोड़ रुपये के बजट के लिए कैबिनेट के अनुमोदन को सूचित किया है। नागर विमानन मंत्रालय ने पत्र संख्या 20037/6/2016–एफआई–नाविमं दिनांक 9.1.2007 द्वारा 2016–17 के लिए आरई में 159.05 करोड़ रुपए के वित्त पोषण की मंजूरी दे दी है (जिसमें रोहिणी हेलीपोर्ट के लिए रुपए 28.14 करोड़ की राशि भी शामिल है)। इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय ने पत्र सं एवी.30020/26/2012–जीए–नाविमं दिनांक 18.1.2017 के माध्यम से पवन हंस लिमिटेड को रुपए 130.91 करोड़ रुपये की राशि जारी की है और पवन हंस द्वारा सहायता और लेखा नियंत्रक को समतुल्य राशि जमा कर दी है। नागर विमानन मंत्रालय ने आदेश सं. एवी.30020/10/2015–जीए दिनांक 30.3.2017 द्वारा रोहिणी हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए पीएचएल में निवेश के रूप में 28.14 करोड़ रुपये की रकम जारी की है। नागर विमानन मंत्रालय ने पत्र संख्या एवी.30020/364/2015–जीए दिनांक 15.6.2017 द्वारा पवन हंस लिमिटेड की अधिकृत शेयर पूंजी को 250 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 560 करोड़ रुपए अर्थात 310 करोड़ रुपए की वृद्धि के लिए अनुमोदन सूचित किया था। इसके बाद प्राधिकृत पूंजी को 250 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 560 करोड़ रुपए करने के लिए, ज्ञापन और अनुच्छेद में संशोधन (कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकता के अनुसार संशोधन के निगमन सहित) और नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) (159.05 करोड़ रुपए) और ओएनजीसी लिमिटेड (152.816 करोड़ रुपए) को शेयरों के अधिकार निर्गम हेतु कंपनी की असाधारण आम सभा में दिनांक 22.6.2017 को पीएचएल के शेयरधारकों की मंजूरी प्राप्त की गई।

यथास्थिति दिनांक 31.3.2017 लेखा बही के आधार पर कंपनी की अन्य इक्विटी रुपए 73,935.70 लाख (गत वर्ष रुपए 35,055.41 लाख) है, जिसमें 15,905.00 लाख रुपए का प्राप्त आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि शामिल है।

पीएचएल में अपनी शेयरधारिता को 49% बरकरार

रखने के लिए इक्विटी की हिस्सेदारी के लिए ओएनजीसी को शेयर पूंजी की हिस्सेदारी 152.816 करोड़ रुपए करने का अनुरोध किया गया। ओएनजीसी ने अधिकार निर्गम के लिए प्रस्ताव स्वीकार किया, पेशकश किए गए शेयरों की सदस्यता ली और आरटीजीएस के माध्यम से 5 जुलाई, 2017 को पीएचएल को राशि विप्रेशित की।

दिनांक 10.07.2017 को पीएचएल के निदेशक मंडल द्वारा अतिरिक्त इक्विटी शेयरों के आवंटन के बाद निम्नलिखित शेयर धारण पैटर्न सामने आए हैं: –

(₹ करोड़ में)

इक्विटी शेयरधारक	आवंटन से पहले शेयरधारिता	इक्विटी शेयरों का अधिकार निर्गम	आवंटन के बाद कुल शेयरधारिता	% शेयरधारिता
नाविमं के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार)	125.266	159.050	284.316	51%
ओएनजीसी	120.350	152.816	273.166	49%
योग	**245.616**	**311.866**	**557.482**	**100%**

च) ऋण ग्रहण

कम्पनी द्वारा 2 डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टरों की 80% लागत के लिए एक्जिम बैंक से ₹90.82 करोड़ का आवधिक ऋण तथा 2 एमआई– 172 हेलीकॉप्टरों की 80% लागत के वित्तियन के तौर पर विजया बैंक से 10 वर्ष की कालावधि के लिए ₹95.18 करोड़ का आवधिक ऋण प्राप्त किया गया था। विजया बैंक तथा एक्जिम बैंक से लिए गए ऋण की सम्पूर्ण धनवापसी की जा चुकी है तथा ओएनजीसी एवं एनटीपीसी को नियमित रूप से भुगतान किए गए। कम्पनी को आवधिक ऋण पर इंडिया रेटिंग से "इंडिया ए" (स्थिर) रेटिंग प्रदान की गई है जिसका बाद में वर्ष 2015–16 के दौरान इंडिया ए (स्थिर) के रूप में उन्नयन किया गया है।

यथास्थिति 31.03.2017 चालू परिपक्वता रुपए 2,497.72 लाख (गत वर्ष रुपए 16,125.21 लाख) के अलावा गैर–चालू उधार पर चालू परिपक्वता रुपए 536.45 लाख (गत वर्ष रुपए 836.85 लाख) है। उपरोक्त में से एनटीपीसी से लिए ऋण से संबंधित दीर्घावधि का सुरक्षित उधार रु. 30.34 करोड़ (गत वर्ष 38.71 करोड़) था।

एचएएल एवं पवन हंस के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन

छ) वित्तीय वर्ष 2016–17 की समाप्ति के पश्चात घटित महत्वपूर्ण घटनाएं/विकास

1. कुल 10 मीडियम हेलीकाप्टरों की आवश्यकता के लिए ओएनजीसी ने निविदा निकाली है। कंपनी ने सात मीडियम हेलीकाप्टरों के लिए ओएनजीसी की वैश्विक निविदा में बोली प्रस्तुत की थी और नवंबर, 2016 के पहले सप्ताह में खोली गई वित्तीय बोली में कंपनी एल 2 थी। ओएनजीसी द्वारा अप्रैल, 2017 में 3 मीडियम हेलीकाप्टरों के लिए कार्य प्रदान किया गया।

2. दिनांक 13वीं जनवरी, 2018 को वर्ष 2010 में मेसर्स यूरोकॉप्टर द्वारा निर्मित हमारा एक डॉफिन एएस365 एन3 हेलाकॉप्टर पंजीकरण सं. वीटी पीडब्लूए ओएनजीसी के अपतटीय अभियान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसके परिणामस्वरूप हेलीकॉप्टर की पूर्णतया क्षति व समस्त क्रू सदस्यों और यात्रियों के जीवन की हानि हुई। एएआईबी द्वारा अन्वेषण प्रक्रियाधीन है और पवन हंस द्वारा संरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के अलावा स्वतंत्र रूप से तृतीय पक्ष संरक्षा अभिकरण द्वारा संरक्षा लेखा परीक्षण कराया जा रहा है।

III. अभियांत्रिकी/अनुरक्षण क्रियाकलाप

अपने हेलीकॉप्टरों के बेड़े के अनुरक्षण के लिए कम्पनी द्वारा नागर विमानन महानिदेशालय से अनुमोदन प्राप्त कर मुम्बई तथा नई दिल्ली में उत्कृष्ट अनुरक्षण सुविधाओं की स्थापना की गई है। विस्तृत कार्यशालाओं में हेलीकॉप्टरों के संबंध में अति सूक्ष्म अनुरक्षण परीक्षण सेवाओं के लिए आंतरिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। डॉफिन हेलीकॉप्टरों के संबंध में प्रमुख "जी" परीक्षण किए जाने के लिए अनुरक्षण सामर्थ्य बढ़ाया गया है जिसके लिए किसी विदेशी सहायता के बिना पूर्ण रूप से आंतरिक व्यवस्था की गई है तथा इसके परिणामस्वरूप मरम्मत/निरीक्षण पर होने वाली कम लागत से विदेशी मुद्रा की बचत संभव हो पाई है। विचाराधीन वर्ष के दौरान मुम्बई में अनुरक्षण सुविधाओं के कार्यक्षेत्र को "जी" परीक्षण (5400 घंटों पर एयरफ्रेम ओवरहॉल) सहित विस्तारित किया गया है। अपने स्वयं के संसाधनों से टी/2टी/5टी(600 घंटे/1200 घंटे/3000 घंटे) के संबंध में 34 परीक्षण किए गए तथा डॉफिन हेलीकॉप्टरों के संबंध में 2 'जी' परीक्षण (5400 घंटे) किए गए हैं।

कार्यशाला सुविधाओं का संवर्धन एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है तथा इसमें होने वाला प्रत्येक विस्तार स्वयं में एक उपलब्धि होता है। वर्ष के दौरान डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टरों के संबंध में 'जी' परीक्षण को शामिल किए जाने के साथ साथ डॉफिन एन3 उपकरणों के बैंच परीक्षण के लिए कार्यशाला सुविधाओं के कार्यक्षेत्र में भी विस्तार किया गया था। इसके अलावा, बेस पर बेल हेलीकॉप्टरों के संबंध में प्रमुख अनुरक्षण परीक्षण तथा प्रमुख संघटक परिवर्तन भी वर्ष के दौरान जारी रहे।

पवन हंस के निदेशक मंडल ने कंपनी में अनुरक्षण प्रणाली को सुधारने और बाहरी कारोबार लाने हेतु एमआरओ को एक पृथक शीर्ष के रूप में स्थापित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त रक्षा हेलीकॉप्टरों के एमआरओ के लिए संयुक्त रूप से कार्य करने हेतु एचएएल के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है।

IV. सामग्री प्रबंधन

अचल माल सूची के बेहतर नियंत्रण के संबंध में सामग्री प्रबंधन दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। सभी प्राप्तियों के लिए माल सूचियों के स्तर के निर्धारण इंजीनियरिंग तथा सामग्री प्रबंधन विभाग द्वारा की गई संयुक्त समीक्षा के आधार पर किए गए हैं तथा पूर्जों के लिए आदेश पूर्वानुमानों के उपायों का प्रयोग करते हुए जारी किए जाते हैं। सामग्री प्रबंधन क्रियाकलाप एकीकृत कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से ऑनलाईन किए जाते हैं। मांग तथा पूर्ति की प्रक्रिया कार्यकुशल हुई है। आंकड़ों में पारदर्शिता आई है तथा सभी क्षेत्रों तथा बेस पर ये अब प्रयोक्ताओं को नेटवर्क पर उपलब्ध हैं। सामयिक चेतावनियों के माध्यम से माल सूचियों का प्रबंधन किए जाने से आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की प्रभावोत्पादकता बढ़ी है। ई–प्राप्ति प्रक्रिया का प्रयोग प्रभावोत्पादक रूप से किया जा रहा है।

V. सूचना प्रणाली एवं प्रौद्योगिकी पहल

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत पवन हंस ने "ई–भुगतान", ''ई–प्रापण", "ई–टिकटिंग" और मोबाइल एप्प की शुरुआत के माध्यम से त्वरित व पारदर्शी सुशासन की दिशा में सूचनाओं के बेहतर प्रवाह के लिए एक आंतरिक एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापित की है। पीएचएल बेड़े के लिए प्रधान कार्यालय में सीओसीआर और कंट्रोल रूम की

स्थापना के माध्यम से एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बेड़ा ट्रैकिंग सिस्टम का अभिनव प्रोजेक्ट विकसित और कार्यान्वित किया गया है।

सूचना प्रणाली एवं प्रौद्योगिकी योजना के अंतर्गत परिचालन, अभियांत्रिकी, सामग्री एवं वित्त जैसे सूक्ष्म कार्यात्मक क्षेत्रों के लिए मेसर्स टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा विकसित एक एकीकृत साफ्टवेयर से कार्य कुशलता, प्रभाव्यता तथा ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त नोएडा स्थित प्रधान कार्यालय तथा सफदरजंग हवाईअड्डा, मुम्बई एवं गुवाहाटी में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए एकीकृत एलएएन/डब्लूएएन अवसंरचना स्थापित की गई है। प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कुछ डिटेचमेंटों के लिए एकीकृत ध्वनि संचार का कार्यान्वयन भी किया गया है। कम्पनी द्वारा प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के मध्य वीडियो कांफ्रेसिंग (वीसी) को भी स्थापित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप यात्रा लागत में बचत हुई है। वेब आधारित एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग और ई–पेमेंट गेटवे हेतु परियोजना को भी कार्यान्वित किया गया है।

कंपनी द्वारा केदारनाथ जी के लिए यात्री सेवा परिचालनों के संबंध में ई–टिकटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। कंपनी की वेबसाइट http://pawanhans-co-in नियमित रूप से हिंदी तथा अंग्रेजी में अद्यतन की जाती है। कम्पनी द्वारा कर्मचारियों के लिए नियमित अपडेटों से युक्त इन्ट्रानेट सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। कम्पनी के पास अपना स्वयं का नोएडा में स्थित प्राथमिक डाटा केन्द्र (पीडीसी) तथा मुम्बई में आपदा भरपाई केन्द्र है। कार्यकुशल ई–गवर्नेंस तथा पारदर्शिता की प्राप्ति के लिए कम्पनी द्वारा ₹5 लाख तथा अधिक मूल्य के माल एवं सेवाओं हेतु ई–ऑफिस प्रणाली तथा ई–प्रापण प्रणाली को कार्यान्वित किया गया है।

VI. मानव संसाधन प्रबंधन

क) जनशक्ति

31 मार्च, 2016 की तुलना में 799 के स्थान पर 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की कुल जनशक्ति 767 थी जिसमें 129 पायलट, 105 विमान अनुरक्षण अभियंता, 60 अधिकारी, 162 तकनीशियन तथा 311 अन्य तकनीकी एवं गैर तकनीकी कर्मचारी हैं।

पवन हंस द्वारा जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय के साथ अकादमिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा एक तीन वर्षीय बीएससी (वैमानिकी) डिग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

ख) औद्योगिक संबंध

अवधि के दौरान औद्योगिक संबंध सद्भावपूर्ण रहे तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गईं। कर्मचारियों से संबंधित मुद्दे विचार–विमर्श के माध्यम से विभिन्न बैठकों द्वारा सुलझाए गए। दिनांक 01.01.2017 से प्रभावी आईडीए वेतनमान एवं भत्ते को भी समस्त अधिकारियों, इंजीनियरों, पाइलटों और कर्मचारियों के लिए पूर्ण कार्यान्वित किया जाना प्रक्रियाधीन है।

ग) प्रशिक्षण

सभी कर्मचारियों यथा अधिशासियों, पॉयलटों, इंजीनियरों, तकनीशियनों तथा सहायक कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रबंधन दक्षता से संबंधित विभिन्न विषयों पर नियमित रूप से व्याख्यान दिए जाते हैं। कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा आंतरिक कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने के लिए भी नामांकित किया जाता है। पॉयलटों, इंजीनियरों तकनीशियनों को नियमित रूप से पुनश्चर्या प्रशिक्षण देने के लिए एविएशन ट्रेनिंग स्कूल के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। कम्पनी द्वारा सितम्बर, 2009 में मुम्बई में एएमई लाइसेंस की प्राप्ति के लिए नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित बुनियादी विमान अनुरक्षण इंजीनियरिंग लाइसेंस प्रारंभिक पाठ्यक्रम के संचालन हेतु नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है।

पॉयलटों को आपात्त स्थितियों का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए पवन हंस लिमिटेड द्वारा विमान कर्मियों के प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण पद्धति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उड़ान के दौरान जोखिमकारी परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ बनाने के लिए सभी कर्मियों के लिए सिम्यूलेटर प्रशिक्षण के माध्यम से ऐसे प्रशिक्षण प्रदान करने का भी सुनिश्चय किया जाता है। पिछले एक वर्ष में कम्पनी द्वारा 43 पॉयलटों को मेसर्स हैट्सऑफ, बंगलौर में सिम्यूलेटर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। पॉयलटों की सेवानिवृत्ति/सेवा त्याग तथा बेड़े विस्तार की आवश्यकताओं को पूरा किए जाने के कारण अनुभवी एवं युवा पॉयलटों की भर्ती एवं उनके प्रशिक्षण के संबंध में कार्रवाई की गई है। अपतटीय एएस–4 अर्हता प्राप्त पायलटों की बाजार में अनुपलब्धता एक मुख्य बाधा है और इसलिए, अनुभवी साथ ही साथ नए पायलटों को शामिल करने के लिए नियमित प्रवेश साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं।

VIII. सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली एफओसीए प्रणाली और सुधार

कंपनी द्वारा नवीन उपायों के प्रयोग से प्रचालनों में संरक्षा के प्रति अनुकरण किया जा रहा है। संरक्षा विभाग को सुदृढ़ बनाया गया है तथा "संरक्षा के प्रति शून्य सहिष्णुता" के साथ संगठन में नई संरक्षा नीति कार्यान्वित की गई है। तृतीय पक्षकार संरक्षा ऑडिट (एसएमएस) का कार्य मेसर्स एस.जी. एस. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है तथा मेसर्स एसजीएस हार्ट एविएशन, ऑस्ट्रेलिया से एक परामर्शदाता द्वारा संगठन में संरक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए संरक्षा का विस्तृत ऑडिट किया गया है। संरक्षा एवं एहतियात के तौर पर उपाय किए गए हैं जिनमें मानक प्रचालन प्रक्रियाओं, पहाड़ी क्षेत्रों तथा खराब मौसम के मिजाज को समझने की आवश्यकता को दोहराते हुए चेतावनी पत्र जारी करने, पहाड़ी क्षेत्रों तथा खराब मौसम वाले क्षेत्रों में आपात स्थिति का सामना किए जाने के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देने से संबंधित संरक्षा परिपत्र जारी किए जाने जैसे उपाय सम्मिलित हैं। मुंबई में एफओसीए प्रणाली को दैनिक चयन उड़ान विश्लेषण के संचालन और कमजोरी के क्षेत्रों में सुधार के लिए स्थापित किया गया है। स्थानों पर 100% कवरेज के लिए एफओसीए कार्यक्रम को लागू किया जाता है।

पवन हंस द्वारा अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संघ/नागर विमानन महानिदेशालय (आईसीएआ/डीजीसीए) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अपने प्रचालनों एवं अनुरक्षण कार्यकलापों के लिए संरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) को क्रियान्वित किया गया है कम्पनी की संरक्षा नीति को भी संशोधित करके इसमें संरक्षा को कम्पनी के प्रमुख ध्येयों में से एक ध्येय के रूप में स्थान दिया गया है। दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन सेफ्टी एंड सर्विसेज द्वारा विमान संरक्षा के संबंध में पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।

पवन हंस लिमिटेड के प्रत्येक प्रचालनात्मक बेस

चार्टर और ई टिकट की बुकिंग के लिए नागर विमानन मंत्री श्री पी अशोक गजपति राजू द्वारा पवन हंस की नई कारपोरेट वेबसाइट, ई–पार्टल का अतावरण

पर पवन हंस लिमिटेड के दल द्वारा नियमित रूप से गहन आंतरिक ऑडिट किया जा रहा है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के उद्देश्य से एमओई में किए गए उल्लेखानुसार संरक्षा ऑडिट का अनुपालन कड़ाई से किया जा रहा है। नागर विमानन अपेक्षाएं 145–ए 30–सी के अंतर्गत संगठनात्मक प्रक्रियाओं का गुणवत्ता ऑडिट, विमानों का गुणवत्ता ऑडिट एवं सुधार उपायों का अनुसरण किया जा रहा है। क्षेत्रों में कार्यरत इंजीनियरिंग विभाग प्रमुख, बेस/डिटेचमेंट के अनुरक्षण कर्मी को यह उपर्युक्त नागर विमानन अपेक्षाओं का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने तथा आंतरिक ऑडिट रिपोर्टों के संबंध में समय पर सुधार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निदेश दिए गए हैं। उत्तरदायी प्रबंधक द्वारा सुधार कार्रवाईयों की देखरेख की जा रही है।

IX. निदेशक मंडल

वर्ष 2016–17 में निदेशक मंडल की चार बैठकें आयोजित की गई। निदेशक मंडल में विद्यमान तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान निम्नलिखित सदस्य थेः–

विद्यमान

डा. बी. पी. शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (09.03.2015 से)
श्री बी. एस. भुल्लर	नागर विमानन महानिदेशक (01.8.2016 से)
श्रीमती गार्गी कौल	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय परामर्शदाता, नागर विमानन मंत्रालय (30.4.2015 से)
श्रीमती ऊषा पाधी	संयुक्त सचिव–नागर विमानन मंत्रालय (13.08.2015 से)
श्री अशोक नायक	स्वतंत्र निदेशक
डॉ. हरीश चौधरी	स्वतंत्र निदेशक
एवीएम संजीव कपूर	एसीएएस (प्रचालन, टी एंड एच), वायु सेना (01.09.2017 से)

वर्ष 2016–17 व उत्तरवर्ती के दौरान निवर्तमान निदेशक

श्री टी. के. सेनगुप्ता — निदेशक (अपतट), ओएनजीसी (01.02.2014 से 31.12.2017)

श्रीमती मणि सत्यावती — वित्त परामर्शदाता एवं संयुक्त सचिव–नागर विमानन मंत्रालय (31.12.2014–01.08.2016)

एवीएम एन. एम. सैमुअल — एसीएएस (प्रचालन, टी एंड एच), वायु सेना (20.06.2016 से 31.08.2017)

एवीएम ए. एस. बुटोला — एसीएएस (प्रचालन, टी एंड एच), वायु सेना (05.05.2014 से 20.06.2016)

यह निदेशक मंडल श्री टी.के. सेनगुप्ता, श्रीमती मणि सत्यावती, एवीएम ए. एस. बुटोला तथा एवीएम एन. एम. सैमुअल द्व ारा अपने कार्यकाल के दौरान प्रदत्त मूल्यवान सेवाओं के लिए अपना आभार रिकार्डबद्ध करता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 तथा अंतिम वार्षिक आम बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है :–

निदेशक का नाम	निदेशक मंडल की बैठक की तिथि – वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति					निदेशकों की वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
	30.06.16	02.08.16	19.08.16	02.11.16	13.01.17	13.01.17
डॉ. बी.पी. शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	हां	हां	हां	हां	हां	हां
मणि सत्यावती	हां	-	-	-	-	-
गार्गी कौल	हां	हां	हां	हां	हां	हां
उषा पाधी	हां	हां	हां	हां	हां	हां
एवीएम एन. एम. सैमुअल	हां	हां	हां	हां	हां	हां
टी.के. सेनगुप्ता	छुट्टी	हां	हां	छुट्टी	छुट्टी	छुट्टी
बी एस भुल्लर	हां	छुट्टी	छुट्टी	छुट्टी	छुट्टी	छुट्टी

कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 164 के उपबंधों के अनुसार कम्पनी का कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है।

वार्षिक आम बैठकों की तिथियाँ

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:–

वार्षिक आम बैठक	वार्षिक आम बैठक का आयोजन स्थल तथा विशेष संकल्प, यदि कोई हो
दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 को 12.30 बजे आयोजित 28वीं वार्षिक आम बैठक	सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली–110003 में स्थित पंजीकृत कार्यालय
दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 को 12.30 बजे आयोजित 29वीं वार्षिक आम बैठक	सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली–110003 में स्थित पंजीकृत कार्यालय
दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 को 12.30 बजे आयोजित 30वीं वार्षिक आम बैठक	सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली–110003 में स्थित पंजीकृत कार्यालय
दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 को 12.30 बजे आयोजित 31वीं वार्षिक आम बैठक	सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली–110003 में स्थित पंजीकृत कार्यालय
दिनांक 17 दिसम्बर, 2017 को 12.00 बजे आयोजित 32वीं वार्षिक आम बैठक	रोहिणी हेलीपोर्ट, नई दिल्ली–110085 में स्थित पंजीकृत कार्यालय

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों और उत्तरदायी प्रबंधक से संबंधित विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 203(1) तथा कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 8(5)(iii) के अनुसरण में कम्पनी के पास निम्नलिखित पूर्ण कालिक प्रमुख प्रबंधन कार्मिक हैं:–

i) डा. बी. पी. शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (09.03.2015 से)

ii) श्री धीरेन्द्र सहाय, मुख्य वित्तीय अधिकारी (बोर्ड द्वारा 145 वीं बैठक में दिए अनुमोदन के अनुसार 17.10. 2014 से प्रभावी)

iii) श्री संजीव अग्रवाल, कम्पनी सचिव (बोर्ड द्वारा 145 वीं बैठक में दिए अनुमोदन के अनुसार 17.10.2014 से प्रभावी)

iv) एयर कमोडोर टी.ए. दयासागर, कार्यपालक निदेशक, नागर विमानन महानिदेशालय नियमों के अधीन अपेक्षित जिम्मेदार प्रबंधक होंगे।

X. निदेशक का उत्तरदेयता विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 134(5) के प्रावधानों के अनुसरण में 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखों के संबंध में निदेशक द्वारा:–

(क) वार्षिक लेखा की तैयारी के लिए लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया है तथा सामग्री विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण, यदि कोई हों, का समावेश किया गया है।

(ख) वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के क्रियाकलापों की सत्य एवं स्पष्ट रूपरेखा तथा इस अवधि के दौरान कम्पनी की लाभदेयता को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है तथा उनका सुसंगत प्रयोग किया गया है जो निर्धारण एवं अनुमानों के लिए औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत हैं।

(ग) कम्पनी की परिसम्पतियों के संरक्षण तथा धोखेबाजी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाव एवं उनकी पड़ताल के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत लेखांकन के उपयुक्त रिकार्ड का अनुरक्षण उचित एवं पर्याप्त सावधानी के साथ किया गया है; तथा

(घ) वार्षिक लेखों को संबद्ध प्रयोजन आधार पर तैयार किया गया है।

(ङ) सभी लागू विधानों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिस उचित प्रक्रिया को अपनाया गया है वह प्रक्रिया यथोचित एवं कार्यकुशल थी।

XI. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सांविधिक ऑडिटर रिपोर्ट– कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 139 के अंतर्गत मेसर्स जे पी कपूर एवं उबेराय, सनदी लेखाकार की नियुक्ति सांविधिक ऑडिटर के तौर पर की गई है। मेसर्स जे पी कपूर एवं उबेराय, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के वार्षिक लेखा के संबंध में किए गए प्रेक्षण तथा उनसे संबंधित उत्तर अनुबंध–क (पृष्ठ संख्या 136) पर प्रस्तुत किए गए हैं।

भारत के नियंत्रण एवं महालेखाकार की रिपोर्ट– कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(6)(क) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की रिपोर्ट टिप्पणियों सहित अनुबंध– ख (पृष्ठ संख्या 163) पर प्रस्तुत की गई है।

साचिविक ऑडिट रिपोर्ट– कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 204(1) के अनुसरण में कम्पनी द्वारा 31.3.2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए साचिविक अनुपालन ऑडिट किए जाने हेतु मेसर्स एसजीएस एंड एसोसिएट्स की सेवाएं साचिविक ऑडिटर के रूप में पूर्णकालिक प्रक्रिया के लिए प्राप्त की गई हैं। उनकी रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट में अनुबंध–ग (पृष्ठ संख्या 165) पर प्रस्तुत की गई है।

साचिविक ऑडिटरों द्वारा अपनी रिपोर्ट में किए गए उल्लेखानुसार स्वतंत्र निदेशकों की संख्या कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 149(4) के अनुसरण में पर्याप्त न होने के संबंध में किए गए प्रेक्षण के उत्तर में यह प्रस्तुत है कि पवन हंस लिमिटेड एक सरकारी क्षेत्र की कम्पनी है तथा इसके सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या के अनुसार नियुक्ति किए जाने का मामला नागर विमानन मंत्रालय के सम्मुख पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

XII. निगमित संचालन

कम्पनी द्वारा निगमित संचालन के संबंध में प्रयास किए गए हैं तथा इसके क्रियाकलापों को विभिन्न भागीदारों द्वारा सराहा गया है। कम्पनी द्वारा लोक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 6.7.2007 को जारी निगमित संचालन दिशानिर्देशों को अंगीकार किया

गया है। लोक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 14.5.2010 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से इन दिशानिर्देशों का अनुपालन अनिवार्य किया गया है।

ऑडिट समिति

निदेशक मंडल द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 177 का अनुसरण करते हुए वित्तीय विवरणियों, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट, सांविधिक ऑडिटरों की रिपोर्ट, नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों की समीक्षा करने तथा वित्तीय वर्ष में अपेक्षित बैठकों का आयोजन करने के लिए एक ऑडिट समिति का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 दौरान ऑडिट समिति की बैठकें दिनांक 02.11.2016, तथा 13.01.2016 को आयोजित की गई थी। वर्तमान में ऑडिट समिति में श्री अशोक नायक, स्वतंत्र निदेशक ऑडिट समिति के अध्यक्ष के रूप में श्रीमती गार्गी कौल, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय परामर्शदाता, नागर विमानन मंत्रालय, डॉ. हरीश चौधरी, स्वतंत्र निदेशक एवं श्री टी.के. सेनगुप्ता निदेशक (अपतट)–ओएनजीसी सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं।

पारिश्रमिक समिति

निदेशक मंडल ने दिनांक 02.05.2017 को एक पारिश्रमिक समिति के गठन को अनुमोदन प्रदान किया जिसमें श्री अशोक नायक, अध्यक्ष डॉ. हरीश चौधरी, श्रीमती उषा पाढ़ी, और श्री टी के सेनगुप्ता पारिश्रमिक समिति के सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं।

सीएसआर समिति

निदेशक मंडल ने दिनांक 02.05.2017 को एक सीएसआर समिति के गठन को अनुमोदन प्रदान किया जिसमें डॉ हरीश चौधरी अध्यक्ष डॉ. बी पी शर्मा, श्री अशोक नायक और एवीएम एन एम सैमुअल सीएसआर समिति के सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं।

आंतरिक ऑडिट/आंतरिक नियंत्रण प्रणाली/शक्तियों का प्रत्यायोजन– कम्पनी द्वारा अक्तूबर, 2015 से अपने प्रचालनों के आकार के अनुरूप आंतरिक ऑडिट विभाग की स्थापना किए जाने से वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान कम्पनी के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षण किया गया था। निदेशक मंडल की ऑडिट समिति द्वारा ऑडिट पर्यवेक्षणों की संवीक्षा आवधिक आधार पर की जाती है तथा अपेक्षाओं के अनुसार आवश्यक निदेश जारी किए जाते हैं। कम्पनी द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एवं प्रक्रिया के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। कंपनी द्वारा निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात 1 नवम्बर, 2015 से प्रभावी संशोधित शक्तियों के प्रत्यायोजन मैनुअल के माध्यम से अपने विभिन्न अधिशासियों के लिए वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन विधिवत परिभाषित किया गया है।

कर्मचारी कल्याण – कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को वृहद चिकित्सा सुविधा, आवास ऋण, सेवानिवृत्ति पश्च चिकित्सा सुविधा एवं सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से कल्याण लाभ प्रदान किए जाते हैं। कम्पनी द्वारा अपनी नीतियों का संरेखण अर्थव्यवस्था एवं व्यावसायिक पर्यावरण के बदलते परिवेश के अनुरूप किया जाता है। कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए तीन ट्रस्ट यथा कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, कर्मचारी उपदान निधि ट्रस्ट तथा कर्मचारी परिभाशित अंशदायी पेंशन ट्रस्ट स्थापित किए गए हैं।

राष्ट्रपति के निदेश – इस वर्ष के दौरान राष्ट्रपति निदेश जारी नहीं किए गए हैं।

चौकसी तंत्र व्यवस्था – चौकसी तंत्र व्यवस्था के एकीकृत भाग के रूप में सरकारी दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए कम्पनी द्वारा कर्मचारियों एवं जनता को उनकी शिकायतों की सुनवाई के लिए सरल यंत्र व्यवस्था स्थापित की गई है। सरकारी लोक शिकायत पोर्टल पर लोक शिकायतों की नियमित मॉनीटरिंग एक समर्पित अधिकारी द्वारा की जाती है।

आचरण संहिता – कम्पनी द्वारा निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचरण संहिता तैयार करके उसे कम्पनी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

सचेतक नीति – एक सचेतक नीति कार्यान्वित की गई है। इस नीति से किसी विशुद्ध सचेतक को शिकायत जांच अधिकारी तथा ऑडिट समिति तक पहुंच उपलब्ध करवाए जाने सहित किसी भी प्रकार के अत्याचार से सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह नीति कम्पनी के सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है तथा

इसे कम्पनी के इन्ट्रानेट पर अपलोड किया गया है।

सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन कार्यान्वयन– कम्पनी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याधीन निगमित कार्यालय में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा पश्चिमी क्षेत्र में सहायक लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्राप्त होने वाले अनुरोधों पर कार्रवाई के लिए अपने समग्र संगठन में व्यवस्था स्थापित की गई है। निगमित कार्यालय में प्रथम अपीलिय अधिकारी भी नामित किया गया है। कम्पनी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अनुरोधों पर त्वरित कार्रवाई की गई है तथा केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है।

महिला सशक्तिकरण– कम्पनी के कार्यबल में महिला कर्मचारियों द्वारा विशेष भूमिका का निर्वाह किया जा रहा है। कम्पनी द्वारा महिलाओं का लैगिंक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेद्ध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 का अनुसरण किया गया है।

नागरिक चार्टर – कम्पनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्धारित फार्मेट के अनुरूप नागरिक चार्टर प्रदर्शित किया गया है।

सत्यनिष्ठा अनुबंध – कम्पनी द्वारा ट्रांसपरेसी इंटरनेशनल इंडिया के साथ दिनांक 9.11.2011 को सत्यनिष्ठा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सत्यनिष्ठा अनुबंध के अंतर्गत विक्रेता द्वारा हस्ताक्षर की जाने वाली एक करोड़ से अधिक मूल्य की प्रमुख निविदाएं आती हैं।

संबद्ध पार्टी कार्य व्यवहार – कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 188 के अंतर्गत वर्ष के दौरान किया गया संबद्ध पार्टी कार्य व्यवहार अनुबंध–घ (पृष्ठ संख्या 168) पर प्रस्तुत है।

व्यावसायिक कम्पनी सचिव से निगमित संचालन दिशानिर्देशों का अनुसरण किए जाने का प्रमाण पत्र – व्यावसायिक कम्पनी सचिव से निगमित संचालन दिशानिर्देशों का अनुसरण किए जाने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

पारिश्रमिक समिति – कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 178(1) के उपबंधों के अनुसार निदेशक मंडल से 3 अथवा अधिक गैर–अधिशासी निदेशकों से युक्त नामंकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किए जाने की अपेक्षा की गई है जिसमें कम से कम आधे सदस्य सरकार से स्वतंत्र निदेशक के नाम का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल किए जाएंगे। स्वतंत्र निदेशकों की वर्तमान नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय में विचाराधीन है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व – लोक उद्यम विभाग द्वारा निगमित सामाजिक दिशानिर्देशों के अंतर्गत कम्पनी को सौंपे गए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का अनुपालन कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। कम्पनी द्वारा लोक उद्यम विभाग द्वारा दिशानिर्देशों के आधार पर सितम्बर 2010 में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं उत्तरजीवित (सीएसआरउएस) नीति का निर्माण किया गया है। निदेशक मंडल द्वारा गठित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति द्वारा प्रगति की निगरानी की जाती है। 2 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के साथ दिनांक 02.05.2017 को बोर्ड की सीएसआर समिति का गठन किया गया। उपर्युक्त के आधार पर पूर्व तीन वर्षों में कम्पनी द्वारा उपार्जित शुद्ध लाभ के औसत का प्रत्येक वर्ष कम से कम 2% सीएसआर नीति के अंतर्गत व्यय किया जाना अपेक्षित किया गया है तथा तदनुसार सीएसआर में पूर्व वर्षों के लिए 200.92 लाख रुपए के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए 106.39 लाख रुपए (पिछले वर्ष 69.53 लाख रुपए) की राशि के प्रावधान किए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान पवन हंस द्वारा स्वास्थ्य देखभाल (एंबुलेंस का दान), कौशल विकास एवं आजीविका (स्व रोजगार क्षमता के साथ कौशल उन्नयन), जल एवं उर्जा प्रबंधन लेखा परीक्षण (पेयजल आपूर्ति), स्वच्छ भारत मिशन (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सहयोग से बालिका विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण) और स्वच्छ भारत कोष में योगदान के क्षेत्रों में वर्ष 2014–15 में रु. 50.22 लाख, वर्ष 2015–16 में 76.90 लाख और वर्ष 2016–17 में 83.85 लाख व्यय किए गए हैं। यद्यपि कुछ परियोजनाओं के पूर्ण होने में देरी के कारण कमी थी। कम्पनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 9 के उपबंधों के अनुसरण में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्वों के क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट अनुबंध–ङ (पृष्ठ संख्या 169) पर प्रस्तुत की गई है।

XIII. कम्पनी अधिनियम का अनुपालन

कर्मचारियों से संबंधित विवरण – निगमित कार्य

मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5.6.2015 की गजट अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए एक सरकारी कम्पनी होने के नाते कम्पनी अधिनियम के खंड 197(12) के प्रावधान पवन हंस के लिए लागू नहीं हैं। पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति की शर्तों एवं निबंधनों का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं कम्पनी सचिव के वेतन तथा नियुक्ति की शर्तों एवं निबंधनों का निर्धारण प्रमुख प्रबंधन कार्मिक होने के कारण लोक उपक्रम विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों का अनुपालन करते हुए किया जाता है।

प्रबंधन परिचर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट– प्रबंधन परिचर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट को कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में शामिल किया गया है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए लोक प्रापण नीति संबंधी अनुपालन – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आदेश, 2012 की अनुपालना मे पवन हंस के प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से क्रय के विवरण निम्नानुसार हैं :

शीर्ष	वितीय वर्ष (आंकड़े लाख में)	
	2015-16	2016-17
कुल वार्षिक प्रापण मूल्य	16031.01	13575.06
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से क्रय की गई वस्तुओं औा सेवाओं का कुल मूल्य (अनुजा/अनुजजा उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों सहित)	243.00	330.00
मात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से क्रय की गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य (अनुजा/अनुजजा उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों सहित)	शून्य	शून्य

ऊर्जा संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी प्रयोग– कम्पनी (निदेशक मंडल से संबंधित विवरण का रिपोर्ट में प्रकटीकरण) नियमावली, 1988 के अंतगर्त नियम 8(3)(क) तथा (ख) के अनुसार कम्पनी के क्रियाकलापों को दृष्टिगत रखते हुए ऊर्जा संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी प्रयोग के प्रभाव अत्यंत सीमित हैं। जहां कहीं आवश्यकता होती है कम्पनी द्वारा ऊर्जा संरक्षण, प्रतिस्थापन आयात, आंतरिक अनुरक्षण, उत्पाद सुधार, लागत कटौती तथा अनुसंधान एवं विकास के संबंध में प्रयास किए जाते हैं।

विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

कम्पनी को वर्ष 2016–17 के दौरान 83.94 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 91.03 करोड़ रुपए) की विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त हुई। वर्ष 2016–17 के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय की राशि 90.12 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 145.95 करोड़ रुपए) है।

जोखिम प्रबंधन नीति– कम्पनी अधिनियम के खंड 134(3)(एढ) के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए जोखिम प्रबंधन नीति के विकास के लिए जोखिम प्रबंधन परामर्शदाता की खुली निविदा के माध्यम से नियुक्ति के लिए आंतरिक समिति का गठन किया जा रहा है।

वार्षिक विवरण का संक्षेप सार – कम्पनी अधिनियम के खंड 92(3) की अपेक्षाओं के अनुसार फार्म एमजीटी–9 में वार्षिक विवरणी का संक्षेप सार अनुबंध–च (पृष्ठ संख्या 170) पर प्रस्तुत किया गया है।

निदेशक की नियुक्ति इत्यादि हेतु नीति – निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5.6.2015 की गजट अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए एक सरकारी कम्पनी होने के नाते कम्पनी अधिनियम के खंड 134(3)(ङ) के प्रावधान पवन हंस के लिए लागू नहीं हैं।

प्रदर्शन मूल्यांकन – कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना दिनांक 01.06.2015 के दृष्टिगत एक सरकारी कंपनी के रूप में पवन हंस पर कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुच्छेद 134(3)(त) लागू नहीं होगा।

सांविधिक प्रकटीकरण –

क) वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है।

ख) वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान कम्पनी द्वारा जनता से कोई जमाराशियां नहीं ली गई हैं।

ग) विनियामकों अथवा न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों द्वारा कम्पनी की प्रतिष्ठा तथा प्रचालनों पर भविष्य में किसी प्रकार के प्रभाव डालने से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अथवा तात्विक आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

घ) कम्पनी द्वारा उचित मॉनीटरिंग प्रक्रियाओं सहित आंतरिक नियंत्रण के लिए पर्याप्त वयवस्था की गई है जिसके द्वारा विभिन्न व्यवसाय व्यवहारों, प्रचालनों के कार्यकौशल तथा सांविधिक विधानों, विनियमों एवं कम्पनी नीतियों के अनुसरण का सुनिश्चय किया जाता है।

ङ) वित्तीय वर्ष की समाप्ति यथा 31.3.2017 तक तथा इस रिपोर्ट की तिथि तक कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डालने से संबंधित किसी प्रकार का तात्विक परिवर्तन एवं प्रतिबद्धता नहीं है।

राजभाषा नीति

विचाराधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन की दिशा में हिन्दी दिवस/सप्ताह का आयोजन, हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन, नकद प्रोत्साहन प्रदान किए जाने तथा द्विभाषिक विज्ञापन जारी करने एवं राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन किए जाने जैसे कार्य करते महत्वपूर्ण कार्यान्वयन किए गए हैं। कम्पनी द्वारा अपने सभी कार्यालयों के लिए यूनिकोड हिन्दी साफ्टवेयर प्रारम्भ किया गया है तथा हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है।

XIV. निःशक्त जन के लिए रोजगार एवं प्राथमिकता प्राप्त वर्ग के लिए सरकारी निदेशों का कार्यान्वयन

कम्पनी द्वारा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के संबंध में सभी विधिक प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है। कम्पनी द्वारा प्राथमिकता प्राप्त वर्ग यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के संबंध में सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

XV. सतर्कता

कम्पनी में मुख्य सतर्कता अधिकारी की देखरेख में एक सतर्कता विभाग स्थापित किया गया है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए ई–निविदा, ई–टिकटिंग, ई–भुगतान तथा फाईल ट्रैकिंग को कार्यान्वित किया गया है। प्राप्तियों के संबंध में पारदर्शिता स्थापित करने के लिए नवम्बर, 2011 में ट्रांसपरेंसी इंटरनेशल इंडिया के साथ सत्यनिष्ठा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुमोदन से एक स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर (आईईएम) की नियुक्ति भी की गई है। कम्पनी की सचेतक नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई है।

सतर्कता की दृष्टि से आवश्यक समझे गए मामलों के संबंध में सतर्कता मामले प्रारम्भ किए गए हैं तथा कुछ अधिकारियों/वरिष्ठ अधिशासियों को प्रमुख दंड प्रक्रियाओं के लिए आरोप पत्र जारी किए गए हैं। सतर्कता विभाग की कार्यात्मकता में सचेतना के परिणामस्वरूप संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है और साथ ही इसकी छवि उत्तरदेयता के आचरण के प्रति सुधार हुआ है। सतर्कता विभाग द्वारा कर्मचारियों को निविदा प्रक्रिया, प्राप्तियों एवं केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा प्राप्तियों एवं निविदाओं के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों की जानकारी देने के लिए दूसरी सहायक पुस्तिका जारी की गई है।

सतर्कता विभाग द्वारा कार्यकुशलता में वृद्धि लाने, व्ययों को कम करने तथा पारदर्शिता प्रदान करने के उद्देश्य से विशेषकर विद्यमान प्रक्रियाओं तथा कार्य प्रणालियों में सुधार लाने एवं उन्हें सरल बनाने के उद्देश्य से विभिन्न मामलों के मामला अध्ययन भी किए जा रहे हैं। ऐसे अध्ययन देरी के मामलों पर केंद्रित हैं जिनमें देरी के कारण तथा देरियों को कम करने के लिए उचित संभव प्रक्रिया अपनाकर देरी के कारणों को कम करने तथा भ्रष्टाचार की गुंजाइश को समाप्त करने की ओर बल दिया गया है। ऐसे अध्ययनों में पारदर्शिता स्थापित करने तथा सतर्कता यंत्र व्यवस्था को सबल बनाने के लिए वार्षिक सम्पति विवरण की समीक्षा, सतर्कता जागरूकता प्रशिक्षण, कलपुर्जो

की प्राप्ति तथा प्रौद्योगिकी के लाभ उठाने की ओर भी ध्यान दिया गया है।

विचाराधीन अवधि के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा कवारती डिटेचमेंट पर सूचित की गई वित्तीय अनियमितताओं की जांच की गई। जांच से सिस्टम तथा मॉनीटरिंग यंत्र व्यवस्था की अपर्याप्तता ज्ञात हुई है। लक्षद्वीप बेस पर घटित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

XVI. नई पहल

नए कारोबारः हाल फिलहाल निम्नलिखित नए कारोबारी उद्यम प्रारंभ व पूर्ण किए गए हैं:

- पवन हंस लिमिटेड द्वारा वर्ष 2017 में मुम्बई विश्वविद्यालय के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत विज्ञान स्नातक (वैमानिकी) एवं पीएचटीआई के अंतर्गत विमान अनुरक्षण अभियांत्रिकी के प्रमाणन के दोहरे पाठ्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया है। जुलाई, 2017 में पवन हंस लिमिटेड द्वारा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के साथ तीन वर्षीय विज्ञान स्नातक वैमानिकी डिग्री दिए जाने के लिए भी अकादमिक सहभागिता की गई है। पवन हंस लिमिटेड में कमर्शियल हेलिकॉप्टर पायलट लाइसेंस एवं कैडेट पायलट योजना के लिए कौशल विकास केन्द्र भी स्थापित है। वर्ष 2017 में हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ पवन हंस लिमिटेड द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की प्रशिक्षण सेवाओं के उपयोग से 'कैडेट पायलट' के लिए चयनित प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है जिससे वे वाणिज्यिक हेलिकॉप्टर पायलट लाइसेंस प्राप्त कर सकें और यह संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा की शीर्ष क्रम वाली उड़ान अकादमियों से टाईअप करने की प्रक्रिया में है।
- जम्मू एवं कश्मीर सरकार के साथ फरवरी 2017 में 3 हल्के हेलिकॉप्टरों के नियोजन के लिए नए अनुबंध किए गए हैं जिससे 18 करोड़ रुपए का अनुमानित राजस्व प्रतिवर्ष प्राप्त होगा।
- असम सरकार के साथ एक हेलिकॉप्टर के नियोजन के लिए एक नया अनुबंध किया गया है जिससे प्रतिवर्ष 8.75 करोड़ का अनुमानित राजस्व प्राप्त होगा।
- माइचल माता देवी के साथ एक हेलिकॉप्टर के नियोजन का नया अनुबंध किया गया है जिससे 1.50 करोड़ का अनुमानित राजस्व प्राप्त होगा।
- क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना–उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) में अपने हेलिकॉप्टरों को शामिल करने के प्रयास किए गए हैं तथा बोली प्रक्रिया में भाग लिया गया है। पवन हंस को क्षेत्रीय संपर्कता योजना (आरसीएस) के अंतर्गत जनवरी, 2018 में असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड की 13 आरसीएस मार्गो के लिए अनुबंध प्रदान किए गए हैं जिनकी सेवाएं अगले छः माह के समय में प्रारंभ होंगी। आरसीएस योजना के अंतर्गत पवन हंस को रु. 80 करोड़ के प्राक्कलित वार्षिक राजस्व की प्राप्ति संभावित है। यह एक नया राजस्व स्रोत होगा तथा कम्पनी क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ कर सकेगी।
- पवन हंस ने रु. 12.50 करोड़ के प्राक्कलित वार्षिक राजस्व की राशि का दमन एवं द्वीप प्रशासन से वर्ष 2020 तक के लिए दीर्घावधि के अनुबंध को हासिल किया है।
- पवन हंस ने लक्षद्वीप के लिए रु. 15.60 करोड़ के प्राक्कलित वार्षिक राजस्व की राशि के लिए एक अतिरिक्त हेलीकॉप्टर का दीर्घावधि अनुबंध हासिल किया है।
- पवन हंस लिमिटेड द्वारा गोवा सरकार के साथ राज्य में हेली–पर्यटन एवं नगरों के बीच सम्पर्कता स्थापित करने के लिए 5 वर्षों के एकल अधिकार प्राप्त करने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- अक्तूबर, 2016 में पवन हंस लिमिटेड द्वारा अलग व्यवसाय केन्द्र के रूप में मरम्मत, अनुरक्षण एवं ओवरहॉल डिवीजन की स्थापना की गई है तथा बाह्य मरम्मत, अनुरक्षण एवं ओवरहॉल कार्यों से राजस्व अर्जित किया गया है।
- मैसर्स एयरबस हेलीकॉप्टर्स के साथ फरवरी, 2017 में भारत तथा पड़ौसी देशों में उनकी अनुमोदित मरम्मत, अनुरक्षण एवं ओवरहॉल सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन/करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिससे 08 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यवसाय राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।
- विभिन्न राज्य सरकारों से काफी लम्बे समय से बकाया प्राप्यों की वसूली रु: काफी लम्बे समय से

बकाया प्राप्यों की वसूली के लिए अलग वसूली कक्ष की स्थापना की गई थी तथा वर्ष 2016–17 के दौरान वसूली कक्ष द्वारा काफी लम्बे समय से बकाया 46 करोड़ रुपए के प्राप्यों की वसूली कर ली गई है।

- पवन हंस लिमिटेड द्वारा पहली बार ''रणनीतिक निगमित योजनाः 2020'' एवं नई व्यवसाय योजना 2027 के विजन दस्तावेज का विकास किया गया है। तथापि, प्रस्तावित रणनीतिक विनिवेश को ध्यान में रखते हुए योजना को वर्तमान में रोककर रखा गया है। इस निर्णय की समीक्षा अपेक्षित है क्योंकि कंपनी के कारोबार पर इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
- कम्पनी की 32वीं वर्षगांठ एवं राष्ट्र को समर्पित सेवाओं के स्मरणोत्सव पर पवन हंस द्वारा नवम्बर, 2017 में पहले ''हेली–एक्सपो'' एवं ''सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, हेलीकॉप्टरों की बहु–उद्देश्यों से उपयोज्यता तथा क्षेत्रीय वायु सम्पर्कता'' के लिए ''नागर हेलीकॉप्टरों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन'' का आयोजन किया गया था जिसमें नागर विमानन क्षेत्र से अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतिभागियों द्वारा काफी अधिक संख्या में प्रतिभागिता की गई।
- संरक्षा विभाग को सुदृढ़ बनाया गया है तथा "संरक्षा के प्रति शून्य सहिष्णुता" के साथ संगठन में नई संरक्षा नीति कार्यान्वित की गई है। संगठन में संरक्षा प्रणाली में सुधार के लिए तृतीय पक्षकार सहिष्णुता संरक्षा ऑडिट (एसएमएस) का कार्य पूरा कर लिया गया है। संरक्षा एवं एहतियात के तौर पर उपाय किए गए हैं जिनमें मानक प्रचालन प्रक्रियाओं, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मौसम के मिजाज को समझने की आवश्यकता को दोहराते हुए चेतावनी पत्र जारी करने, पहाड़ी क्षेत्रों तथा खराब मौसम वाले क्षेत्रों में आपात्त स्थिति का सामना किए जाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देने से संबंधित संरक्षा परिपत्र जारी किए जाने जैसे उपाय सम्मिलित हैं। कम्पनी द्वारा नवीन उपायों के प्रयोग से प्रचालनों में संरक्षा के प्रति अनुकरण किया जा रहा है।
- हेली पर्यटन को विकसित करने के दृष्टिकोण से पवन हंस द्वारा देश के विभिन्न भागों में जैसे उत्तर प्रदेश में मथुरा, गोवर्धन परिकमा, दिल्ली दर्शन, आकाश से मुम्बई की विहंगम छवि जैसी जॉय राइड्स सेवाएं प्रदान की जाती हैं। हेलिकॉप्टर को बढ़ावा देने के लिए पवन हंस ने 2016–17 में ''फैस्टिवल जॉय राइड्स'' तथा ''सिटी दर्शन'' जैसी हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवाएं एवं नगर की सैर सेवाएं जैसे कि दिल्ली दर्शन, हम्पी महोत्सव, मैसूर दशहरा, पायदिथिली तथा कृष्ण पुष्करम त्यौहार इत्यादि की सेवाएं प्रारम्भ की हैं। इस उद्यम से कम्पनी के लिए 2016–17 से राजस्व सृजन के नए द्वार खुल गए हैं। इन छोटी छोटी व्यवस्थाओं से कम्पनी अपने बेड़े का प्रयोग और अधिक प्रभावी स्वरूप में करके राजस्व की उत्पति एवं हेली पर्यटन को बढ़ावा दे रही है।
- कम्पनी द्वारा लोक उपक्रम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जा रहा है। विचाराधीन अवधि के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे एवं कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व निकायों के साथ नियमित बैठकों का आयोजन किया गया। विकास की अपार संभावनाओं से युक्त भारत के हेलिकॉप्टर उद्योग में कम्पनी द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है।
- पवन हंस लिमिटेड को अपनी सेवाओं के उत्कृष्ट स्तर एवं नागर विमानन में अपने योगदान के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर निम्नानुसार अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान किए गए हैं :
- वर्ल्डवाईड एरियल इंजन फ्लीट की सफलता में अपना समग्र योगदान देने के लिए टर्बोमेका द्वारा प्रदान किया गया उत्कृष्टता अवार्ड।
- हेलिकॉप्टर एसोसिएशन इंटरनेशल (एचएआई) द्वारा पवन हंस को फ्रांस एयर शो में उत्कृष्ट संरक्षा रिकार्ड के लिए प्रदान किया गया प्रचालक संरक्षा अवार्ड।
- ''पूर्वोत्तर राज्यों के मध्य सम्पर्कता उपलब्ध करवाने वाली सर्वोत्तम विमानन कम्पनी'' के लिए ''टूडे का ट्रैवलर अवार्ड 2015'' प्राप्त किया गया।
- पवन हंस को दूरस्थ एवं क्षेत्रीय सम्पर्कता में संवर्धन के लिए सर्वोत्कृष्ट सामान्य विमानन कम्पनी के तौर पर एएसएसओसीएचएएम (एसोचॉम) – नागर विमानन एवं पर्यटन अवार्ड –2015 प्रदान किया गया है।
- देश के विभिन्न हिस्सों में हेली पर्यटन और ग्रामीण संपर्कता को बढ़ावा देने के लिए पवन हंस को 2016 में ''दूरस्थ संपर्कता में उत्कृष्टता'' के लिए टीटीजे जूरी चॉइस अवॉर्ड के साथ सम्मानित किया गया है।
- पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित भव्य आयोजन के अवसर पर ''हेलीकॉप्टर के माध्यम से

ग्रामीण भारत को जोड़ने'' के लिए 2016 में पीएचडी पुरस्कार प्रदान किया गया है।

- पवन हंस को क्षेत्रीय और दूरस्थ संपर्कता को बढ़ावा देने के लिए एसोचॉम से 2016 में ''उत्कृष्ठ सामान्य विमानन कंपनी'' पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- "गवर्नेंस नाउ" द्वारा एक आयोजन में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एवं इस्पात मंत्री के करकमलों से डिजिटल इंडिया के अंतर्गत किए गए प्रयासों के अंतर्गत अग्रणी मिनीरत्न–1 के रूप में पवन हंस को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए मान्यता प्रमाण प्रदान किया गया है।
- पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एयरो एक्सपो इंडिया 2016 के भव्य आयोजन समारोह में पवन हंस को हेलीकॉप्टरों के माध्यम से ग्रामीण भारत से संपर्कता के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- पवन हंस को अगस्त 2017 में एसोचॉम द्वारा ''हेली टूरिज्म और दूरस्थ क्षेत्र हवाई संपर्कता को बढ़ावा देने'' के लिए सामान्य नागर विमानन क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के रूप में सम्मानित किया गया है।
- इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा सितंबर 2017 में विकासशील राष्ट्र के पहले एकीकृत हेलीपोर्ट के विकास की उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मान्यता दी गई है।
- नवंबर 2017 में पवन हंस को देश में ग्रामीण संपर्कता प्रदान करने के लिए पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ सामान्य विमानन कंपनी पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- दिसंबर, 2017 में दिल्ली में संपन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में आईडब्लूपीए द्वारा महिला पाइलटों के सशक्तीकरण की मान्यता स्वरूप पवन हंस को पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

XVII. उदयीमान परिदृश्य

उदयीमान परिदृश्यों में कम्पनी के सम्मुख प्रतिस्पर्द्धा, गुणवत्ता एवं लागत प्रभाव्यता जैसे अवसर तथा चुनौतियां प्रमुख हैं। भारत में पवन हंस सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर कम्पनी है तथा इसके प्रचालन एवं अनुरक्षण मानक उसी प्रकार से उच्च हैं। कम्पनी द्वारा संरक्षा एवं निष्पादन की दिशा में चौमुखी उत्कृष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य को सम्मुख रख कठोर अनवरत प्रयास किए गए हैं। कम्पनी अब अपनी शक्ति एवं कौशल के उपयोग से हेलीकॉप्टर परिचालनों के लिए एशियाई बाजार का नेतृत्व करने तथा विमानन उत्पादों की मरम्मत एवं ओवरहॉल के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में भाग लेने के अपने लक्ष्य को पूरा करने की स्थिति में है।

विकासशील विविधताओं की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर पवन हंस लिमिटेड द्वारा 2020 के लिए कार्यनीतिक व्यवसाय योजना तैयार की गई है तथा ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार पवन हंस द्वारा अपनी संगठनात्मक संरचना में कार्यनीतिक बदलाव करते हुए इसे व्यावसायिक, पारदर्शी एवं प्रक्रिया चालित संगठन बनाने के प्रयास किए गए हैं।

XIX. कृतज्ञता

यह निदेशक मंडल भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेषकर नागर विमानन मंत्रालय तथा नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा प्रदत्त अनवरत सहयोग, दिशानिर्देशन एवं सहायता के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

यह निदेशक मंडल, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, विभिन्न राज्य सरकारों तथा अन्य ग्राहकों एवं देश में प्रचालन कर रहे अन्य सभी भागीदारों द्वारा प्रदत्त विश्वास के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है।

यह निदेशक मंडल कम्पनी की प्रगति के लिए कार्यरत सभी वर्ग के अपने कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सत्यनिष्ठ एवं समर्पित सेवाओं के लिए भी अपना आभार व्यक्त करता है।

कृते तथा
पवन हंस लिमिटेड
के निदेशक मंडल की ओर से

(डॉ. बी. पी. शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक: 16 फरवरी, 2018
स्थान: नई दिल्ली

हेलीकॉप्टर प्रचालनों के संबंध में सिंहावलोकन

औद्योगिक संरचना एवं विकास

भारत में हेलीकॉप्टरों के लिए संभावनाएं अपार हैं। विविध परिस्थितियों में उड़ान भरने के हेलीकॉप्टरों के सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए तथा फिक्स्ड विंग वाले विमानों की अवसंरचना का विस्तार केवल आनुक्रमिक रूप से ही संभव हो सकने के तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए हेलीकॉप्टरों का अभूतपूर्व गति से विकास स्वतः स्वाभाविक ही है। वर्तमान में भारत में लगभग 271 नागर हेलीकॉप्टर प्रचालन कर रहे हैं जो 35,750 के अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े की तुलना में अत्यंत कम हैं। वर्ष 2011–12 से वर्ष 2016–17 के दौरान नागर हेलीकॉप्टरों की संख्या कुल 300 से घटकर 271 होने से हेलीकॉप्टर उद्योग का नकारात्मक विकास हुआ है।

यह प्रचालन की बढ़ती लागत के परिणामस्वरूप हुआ था जो अधिकांश हेलीकॉप्टरों तथा उनके कलपूर्जो के आयात के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली मुद्रा अमेरिकी डालर/यूरो की तुलना में रुपए के अवमूल्यन सहित अन्य अनेक घटकों के कारण है। इसके अलावा हवाई अड्डा प्रशुल्क, एयर टर्बाइन फ्यूल की लागत तथा स्थल संचलन प्रभारों में बढ़ोतरी होने से प्रचालनों की लागत में वृद्धि हुई। ये सभी कारण थे जिनके कारण हेलीकॉप्टर प्रचालन अव्यवहार्य हुए और अनेक प्रचालकों को अपने हेलीकॉप्टर का निपटान विदेशों में करना पड़ा। तथापि, अर्थव्यवस्था के बदलते हुए स्वरूप एवं रुपए के मूल्य में स्थिरता तथा सरकारी सेक्टर में बढ़ रही हेलीकॉप्टरों की मांग को ध्यान में रखते हुए यह आशा है कि प्रचालनों की लागत किफायती होगी तथा नागर हेलीकॉप्टरों का बेड़ा पुनः निकट भविष्य में विकास का रूख अख्तियार करेगा।

इन स्थितियों में भी हमारे देश में लगभग 271 नागर हेलीकॉप्टर पंजीकृत हैं तथा हमारी जनसंख्या लगभग 1.25 बिलियन है जिसके अनुसार प्रति 52 लाख व्यक्तियों के लिए हमारे पास एक हेलीकॉप्टर है तथा इस स्थिति के अनुसार हम विश्व के अनेकों विकासशील देशों से काफी पीछे हैं।

फिक्स्ड विंग वाले विमानों तथा रोटेरी विंग वाले विमानों के संबंध में देश का आर्थिक विकास विमानन विकास के लिए उत्प्रेरक रहा है। सरकार द्वारा प्रतिपादित की गई उचित नीतियों से भी विकास को बढ़ावा मिला है।

भारत में हेलीकॉप्टर प्रचालनों के विकास को सौभ्य बनाने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अलग से एक हेलीकॉप्टर विंग विकसित किया गया है। इस सेक्टर के विकास के लिए हेलीकॉप्टरों के लिए विनियामक व्यवस्था को निरंतर उन्नत किए जाने की आवश्यकता है।

वर्ष 2005–06 से वर्ष 2016–17 के दौरान भारत में पंजीकृत नागर हेलीकॉप्टरों के विकास को दर्शाने वाला रेखाचित्रः

भारत में नागर हेलीकॉप्टरों के पंजीकरण में सम्वृद्धि

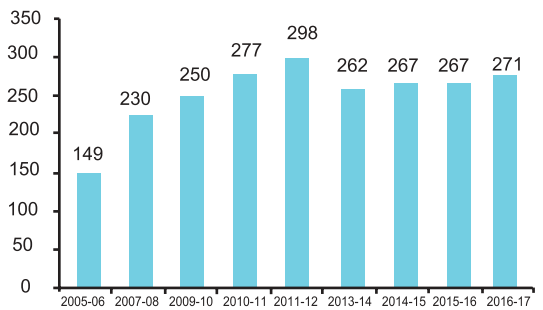

वर्ष 2016–17 की स्थिति के अनुसार भारत में पंजीकृत कुल 271 नागर हेलीकॉप्टरों में से 185 हेलीकॉप्टरों के बेड़े का प्रचालन 61 गैर अनुसूचित प्रचालकों द्वारा किया जा रहा है, 15 सरकारी प्रचालकों के पास 27 हेलीकॉप्टरों का बेड़ा आकार है, सीमा सुरक्षा बल के बेड़े में 21 हेलीकॉप्टर हैं तथा 24 निजी प्रचालकों के बेड़े में 38 हेलीकॉप्टर हैं। कुल 271 हेलीकॉप्टरों में से 55% अर्थात कुल 140 हेलीकॉप्टर दोहरे इंजन वाले हैं तथा शेष देश के कुल हेलीकॉप्टर बल का 45% अर्थात 121 हेलीकॉप्टर एकल इंजन वाले हैं। देश में नागर प्रयोग के लिए कुल 271 हेलीकॉप्टरों में से 43 हेलीकॉप्टर (16%) ई एंड पी कम्पनियों को परिचालनों में सहयोग के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं, 207 हेलीकॉप्टर (76%) हेलीचार्टरों के रूप मं तथा 26 हेलीकॉप्टर (8%) तीर्थयात्रा/हेली पर्यटन के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं। (स्रोत : भारत की हेलीपावर के संबंध में आरडब्ल्यूएसआई की रिपोर्ट, सितंबर, 2017)

वर्तमान में पवन हंस के पास अपने 43 हेलीकॉप्टरों तथा एचएएल से लीज पर लिए एक/ध्रुव हेलीकॉप्टर का स्वामित्व है। भारत में चार अथवा अधिक हेलीकॉप्टरों के साथ 6 वाणिज्यिक प्रचालकों द्वारा प्रचालन किए जा रहे हैं। पवन हंस सबसे बड़ा प्रचालक है तथा दीर्घकालिक आधार पर प्रयोग

में लाए जा रहे वाणिज्यिक प्रचालनों का प्रमुख बाजार अंश इसके पास है। ग्लोबल वैक्ट्रा हेलीकॉर्प लिमिटेड दूसरा सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर प्रचालक है तथा इसके 26 हेलीकॉप्टरों से प्रचालन किए जा रहे हैं। अन्य वाणिज्यिक प्रचालकों में हिमालयन हेली सर्विस द्वारा 7 हेलीकॉप्टरों के साथ, हेलीगो चार्टर्स द्वारा 9 हेलीकॉप्टरों के साथ तथा दक्कन हेलीकॉप्टर्स 5 हेलीकॉप्टर, तथा ओएसएस एयर द्वारा 5 हेलीकाप्टरों के साथ प्रचालन किए जा रहे हैं।

विषय	अनुकूल प्रयास
हेलीकॉप्टर सेवाओं के माध्यम से हवाई सम्पर्कता	हेलीकॉप्टर प्रचालनों का त्वरित विकास
अवसंरचना निर्माण	i. देश में हेलीपोर्टों तथा हेलीपैडों का निर्माण ii. हेलीकॉप्टरों के विश्व श्रेणी के अनुरक्षण, मरम्मत एवं ओवरहॉल (एमआरओ) केन्द्रों का विकास iii. मानव संसाधन क्षमता विकास के हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण अकादमी का निर्माण

कम्पनी के सम्मुख प्रस्तुत होने वाले संभावी (अवसरों) तथा महत्वपूर्ण जोखिमों के संबंध में कम्पनी की आउटलुक के लिए प्रबंधन मूल्यांकन

नेतृत्वकर्ता की अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए अगले 5 वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा उल्लिखित 5 प्रमुख प्रयास निमित्त किए गए हैं :–

➢ हेलीकॉप्टर प्रचालन

- विद्यमान बाजार में अपनी प्रतिस्पद्धी स्थिति को सशक्त करना
- नए बेड़े का अधिग्रहण
- नए क्षेत्रों में व्यवसाय संवर्धन
- अन्यों के स्वामित्व वाले हेलीकॉप्टरों के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए करार

➢ अनुरक्षण, मरम्मत एवं ओवरहॉल सेवाओं की स्थापना

➢ हेलीपोर्टों तथा हेली हब की स्थापना

➢ सी–प्लेन प्रचालन

➢ फिक्स्ड विंग प्रचालन

➢ ग्राहक संतुश्टि में संवर्धन

पवन हंस ने पहली बार एक संदृश्य प्रलेख कार्यनीतिक नैगमिक योजनाः 2020 विकसित की है और दीर्घावधि की कारोबारी योजना के विकास के लिए भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय (एएससीआई) को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है जिसमें अगले 10 वर्षों में कंपनी के हेलीकॉप्टरों के वर्तमान 43 से बढ़कर 83 होने और वर्तमान राजस्व 477 करोड़ के बढ़कर 1685 करोड़ रुपए होने की परिकल्पना की गई है।

विद्यमान बाजार में अपनी प्रतिस्पद्धी स्थिति को सशक्त करना

– बाजार लाभ की प्राप्ति के लिए विद्यमान करारों का नवीकरण।

– संरक्षा एवं विश्वसनीयता के उच्च मानकों का अनुरक्षण।

– मध्यम श्रेणी के नए हेलीकॉप्टरों का अधिग्रहण करते हुए अपतट प्रचालनों के लिए क्षमता में वृद्धि लाना।

– जब कभी अवसर उपलब्ध हो चयनित अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन प्रारम्भ करना।

– प्रतिस्पर्द्धा हेतु ग्राहक आवश्यकताओं के प्रति अधिक ध्यान देते हुए अनुकूलता का संवर्धन।

– ग्राहकों एवं अन्य व्यावसायिक सहभागियों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करना।

नए बेड़े का अधिग्रहण

12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012–17) के दौरान योजना आयोग द्वारा पवन हंस के संबंध में किए गए प्रक्षेपण में 10 हेलीकॉप्टरों तथा 2 सी–प्लेनों के अधिग्रहण, उपकरणों के आयात, अनुरक्षण केन्द्र की स्थापना/संयुक्त उद्यम, भवन परियोजना तथा अन्यों के संबंध में आईईबीआर के माध्यम से कुल 725 करोड़ रुपए की राशि का अनुमोदन दिया गया है।

बेड़ा संवर्धन के अंतर्गत कम्पनी द्वारा जनवरी, 2016 में वैश्विक निविदा जारी की गई थी तथा समान दरों, शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार एक अतिरिक्त हेलीकॉप्टर की खरीद के विकल्प के साथ मैसर्स बेल हेलीकॉप्टर टैक्सट्रॉन के साथ 2 ब्रांड नए बेल 412ईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद

का अनुबंध कम्पनी द्वारा किया गया है। कम्पनी द्वारा एक अतिरिक्त हेलीकॉप्टर की समान दरों, शर्तों एवं निबंधनों के साथ खरीद किए जाने के विकल्प के साथ दो भारी हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए निविदा जारी की गई थी। इसके अलावा, कम्पनी द्वारा एक अतिरिक्त हेलीकॉप्टर की समान दरों, शर्तों एवं निबंधनों के साथ खरीद किए जाने के विकल्प के साथ तीन लाईट सिंगल इंजन हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए निविदा जारी की गई है।

नए क्षेत्रों में व्यवसाय संवर्धन

- चिकित्सा बचाव कार्य, विधि प्रवर्तन, समाचार संग्रहण, प्रमुख नगरों के नगर केन्द्रों से हवाईअड्डा क्नेक्ट करने के लिए नगरों के मध्य परिवहन, निगमित यात्रा, पावर इनसुलेटरों की हॉटलाईन वाशिंग इत्यादि।
- देश में पर्यटन/तीर्थ क्षेत्रों के लिए अपार संभावनाएं उपलब्ध हैं जिनकी ओर बस सावधानी पूर्वक कदम ही बढ़ाए जाने अपेक्षित हैं। इन उद्देश्यों से नए क्षेत्रों की खोज हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, दक्षिण भारत, गोवा तथा पूर्वोत्तर स्थित राज्यों से की जा सकती है।

आपदा प्रबंधन–समर्पित आपात चिकित्सा सेवाएं/एस ए आर प्रचालन

- ओएनजीसी को देश में पहला मैडीवैक हेलीकॉप्टर पवन हंस लिमिटेड द्वारा उपलब्ध करवाया गया था।
- पवन हंस लिमिटेड द्वारा एनडीएमए के सहयोग से मैडीवैक /एस ए आर सेक्टर के लिए संभावनाओं की खोज की जाएगी।
- आपात चिकित्सा सेवाओं/एसएआर भूमिकाओं एवं बेहतर गवर्नेंस के लिए जिला स्तरों पर हेलीपैड/हेलीपोर्टों के निर्माण के लिए जीबीएस के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय समर्थन दिया जाना अपेक्षित है।

हेलीकॉप्टर अनुरक्षण सेवाएं

डॉफिन श्रृंखला के हेलीकॉप्टरों के लिए पवन हंस मैसर्स यूरोकॉप्टर, फ्रांस का प्राधिकृत अनुरक्षण केन्द्र है। शुरूआती दौर में पवन हंस डॉफिन के बेड़े का प्रयोग करने वाले अन्य प्रचालकों को सेवाओं की प्रस्तुति करते हुए मरम्मत एवं ओवरहॉल के अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहता है। इस उद्देश्य से एक उत्कृष्ट श्रेणी का अनुरक्षण केन्द्र बनाए जाने की योजना बनाई गई है। पवन हंस द्वारा रोहिणी हेलीपोर्ट में एचएएल के ध्रुव हेलीकॉप्टरों के अनुरक्षण के लिए अनुरक्षण, मरम्मत एवं ओवरहॉल की स्थापना हेतु एचएएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

हेलीपोर्ट

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा रोहिणी, नई दिल्ली में हेलीपोर्ट के विकास का दायित्व सौंपा गया और पवन हंस ने देश के पहले एकीकृत हेलीपोर्ट का निर्माण किया है जिसमें हेलीकॉप्टरों के प्रचालन तथा पार्किंग, अनुरक्षण सुविधाएं, छोटे वाणिज्यिक केन्द्र इत्यादि का प्रावधान है।

ग्राहक संतुष्टि में संवर्धन

पवन हंस द्वारा अपने यात्रियों तथा अन्य ग्राहक संस्थानों से समय समय पर अपनी सेवाओं के प्रति जानकारियां प्राप्त की जाती हैं तथा उनसे ऐसी जानकारियां प्राप्त किए जाने के लिए एक बाह्य एजेंसी की सेवाएं प्रोफार्मे का पुनः विकास किए जाने के लिए ली गई हैं।

शक्ति एवं निर्बलता:– पवन हंस के पास संस्थागत ग्राहकों (जैसे ओएनजीसी, राज्य सरकारें, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम) को दीर्घकालिक आधार पर हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने, उत्कृष्ट श्रेणी की अनुरक्षण सुविधाएं, ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध प्रकार का हेलीकॉप्टर बेड़ा होने का लाभ प्रतिस्पर्द्धा के रूप में उठाने, कुशल कार्य बल का विशाल स्वरूप (अनुभवी पॉयलट, इंजीनियर तथा तकनीशियन) और सरकारी समर्थन जैसी कुछ शक्तियां हैं। तथापि, प्रतिस्पर्द्धा के विद्यमान परिवेश के परिणामस्वरूप निम्नतर हेलीकॉप्टर चार्टर दें तथा बढ़ी हुई इनपुट लागत के परिणामस्वरूप आने वाले समय के लिए लाभ का मार्जिन घटने की आशा की गई है।

जोखिम एवं उनसे संबद्धता

ओएनजीसी तथा जीएसपीसी जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा हेलीकॉप्टरों के लिए 7 से 10 वर्ष की विशिष्टता शर्त के साथ निविदाएं जारी की गई हैं। कुछ पूर्वोत्तर राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश द्वारा भी 5 वर्ष की विशिष्टता के लिए हैवी हेलीकॉप्टरों के लिए निविदाएं जारी की गई हैं। ऐसी स्थिति में यदि यही चलन अन्य ग्राहकों द्वारा भी अपना लिया गया तो हेलीकॉप्टरों के पुराने बेड़े के साथ नए ग्राहकों को खोजना कठिन हो जाएगा। ग्राहकों, विशेषकर राज्य सरकारों, से प्राप्त की जाने वाली वसूलियों की अवधि काफी लम्बी होती है जिसके परिणामस्वरूप बड़ी राशियां बकाया रहती हैं। इससे कम्पनी का नकद प्रवाह प्रभावित होता है जिससे हेलीकॉप्टरों के नए बेड़े के लिए

आवधिक ऋण को चुकता करने की निधि आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। बहरहाल, ग्राहकों के साथ किए जाने वाले अधिकांश करारों में विदेशी मुद्रा एवं एविएशन टर्बाइन फ्यूल की दरों के उतार चढ़ाव से बचाव के लिए प्रावधान रख दिए जाते हैं जिनके न किए जाने से नियत एवं निश्चित दरों पर चार्टर सेवाएं सेवाएं प्रदान करने पर ऐसे उतार चढ़ावों के परिणामस्वरूप इनपुट लागत बढ़ सकती है तथा लाभ के मार्जिन कम हो सकते हैं। विमानन व्यवसाय के संलक्षण आकाश तथा धरती पर संरक्षा के लिए हैं। हेलीकॉप्टरों से होने वाली दुर्घटनाओं से ग्राहकों का विश्वास कम होता है तथा कम्पनी का व्यवसाय प्रभावित होता है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां एवं उनकी पर्याप्तता

प्रत्येक प्रकार के क्रियाकलापों में संस्थागत बेहतर प्रक्रियाओं का प्रयोग किए जाने के लिए मानक प्रक्रियाएं एवं दिशानिर्देश समय समय पर जारी किए जाते हैं। सभी क्रियाकलापों तथा परिसम्पतियों के अनाधिकृत प्रयोग की मॉनीटरिंग तथा प्रत्येक व्यवहार सही प्रकार से प्राधिकृत, रिकार्डबद्ध एवं सूचनाबद्ध होने का सुनिश्चय किए जाने के लिए पवन हंस में पर्याप्त आंतरिक व्यवस्था की गई है। कम्पनी द्वारा सभी आंतरिक नियंत्रण नीतियों तथा प्रक्रियाओं का उनसे जुड़े विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अनुपालन किए जाने का सुनिश्चय किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार सुधार कार्रवाई कर ली जाती है। निदेशक मंडल की लेखा परीक्षण समिति द्वारा आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता की देख रेख की जाती है। समय समय पर विनियामक प्राधिकरणों द्वारा प्रचालनात्मक एवं संरक्षा की दृष्टि से ऑडिट किए जाते हैं।

वित्त एवं प्रचालनों का विश्लेषण

प्रत्येक तिमाही में भौतिक एवं वित्तीय निष्पादन के औसत का विश्लेषण करके उसका अंतिम स्वरूप निदेशक मंडल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। कम्पनी की वेबसाईट पर वार्षिक रिपोर्ट के साथ साथ कार्यालय से संबंधित समाचार नियमित एवं सुलभ स्वरूप में प्रकाशित किए जाते हैं।

अंशकालिक निदेशकों तथा कम्पनी के मध्य वित्तीय अथवा व्यवहार संबंध

विचाराधीन वर्ष के दौरान किसी भी अंशकालिक निदेशक के साथ कम्पनी के वित्तीय संबंध नहीं हैं। इसके अलावा, किसी भी अंशकालिक निदेशक को किसी प्रकार का पारिश्रमिक अथवा उपस्थित प्रभार का भुगतान नहीं किया गया है।

मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध तथा प्रतिभा प्रबंधन मामले

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष में कुल कर्मचारियों की संख्या 799 होने की तुलना में 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष में यह संख्या 767 है। वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। कम्पनी द्वारा अपने पॉयलटों तथा अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है तथा नियमित आधार पर कर्मचारियों के संबंध में आंतरिक प्रशिक्षण विकास भी किए जाते हैं। कर्मचारियों के साथ औद्योगिक संबंध सामान्यतः सौहार्दपूर्ण हैं।

ऊर्जा संरक्षण, अक्षय ऊर्जा प्रयोग तथा अनुसंधान एवं विकास मामले

ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकों का समावेश सदैव ही कम्पनी का परम लक्ष्य रहा है तथा विचाराधीन वर्ष के दौरान इस लक्ष्य को प्राथमिकता प्रदान की गई है। पर्यावरण एवं संरक्षा के घटकों को समाहित किए जाने से ज्ञात एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के लिए कम्पनी को आईएसओ–14001 तथा 18001 प्रमाणन प्राप्त है। इस प्रमाणपत्र के नवीकरण की प्रक्रिया की जा रही है। कम्पनी द्वारा रोहिणी में हेलीपोर्ट के विकास के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त किया गया है। नवोपाय के रूप में कम्पनी द्वारा कलपुर्जों के स्वदेशीकरण एवं एचएमयू (डॉफिन एन–3 हेलीकॉप्टरों) की विश्वसनीयता में संवर्धन के लिए अध्ययन किए गए हैं।

सचेतक विवरण

प्रबंधन परिचर्चा तथा विश्लेषण की इस रिपोर्ट में वर्णित कम्पनी के उद्देश्यों, प्रक्षेपणों, अनुमानों, आंकड़ों तथा प्रत्याशाओं से संगत विधान एवं विनियमों के अर्थ के दायरे में "अग्रसारित उन्नति" का आभास हो सकता है। वास्तविक परिणाम की गई अभिव्यक्ति तथा विविक्षा से वस्तुगत रूप से भिन्न हो सकते हैं।

अनुवर्ती विकास क्रमों, सूचना अथवा घटनाओं के आधार पर भविष्य में किए जाने वाले परिवर्तनों के संबंध में कम्पनी द्वारा यहां प्रस्तुत अग्रसारित उन्नति के विवरण के प्रति किसी प्रकार के उत्तरदायित्व का दावा नहीं किया गया है।

वित्तीय अंश

2016–17 के लिए

आय के स्रोत

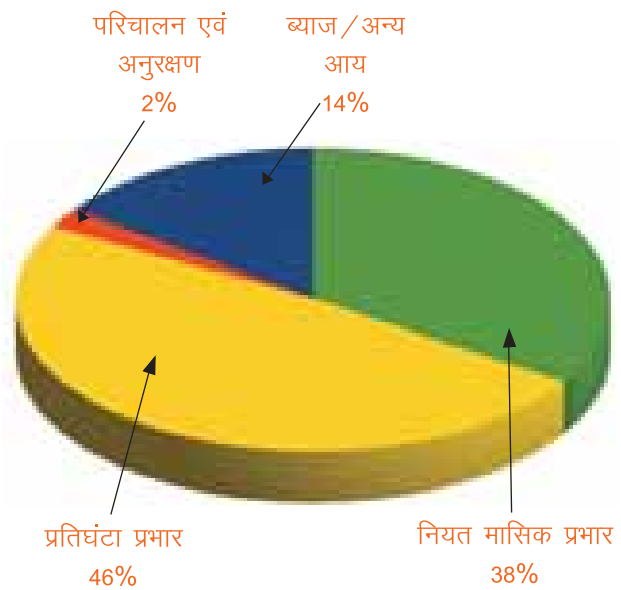

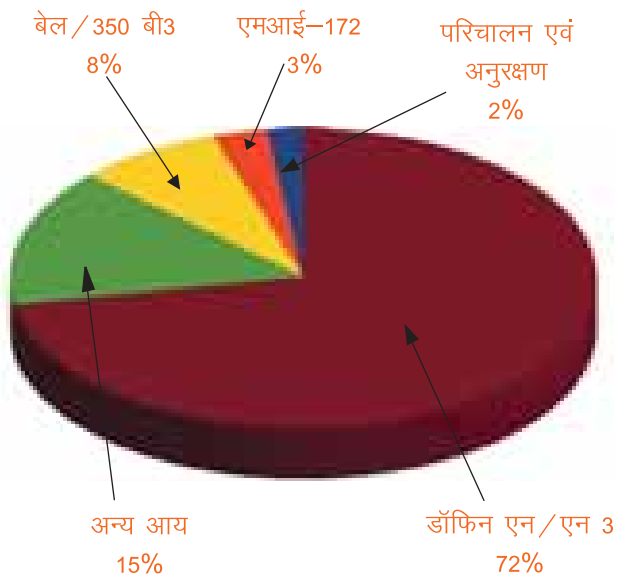

लागत संरचना

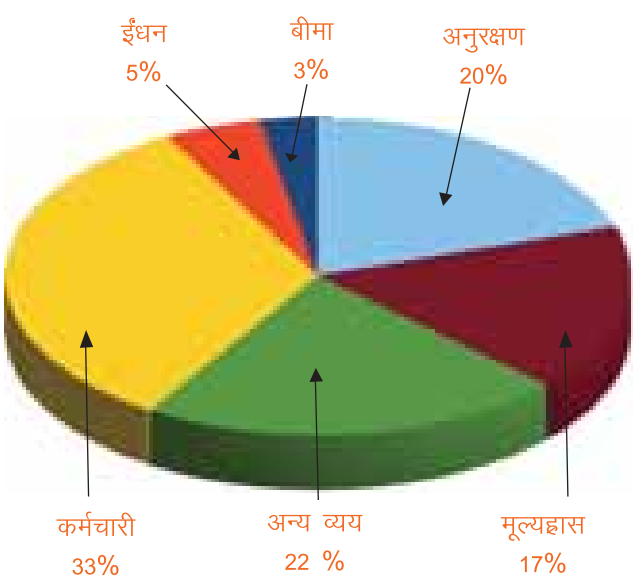

जनशक्ति विवरण

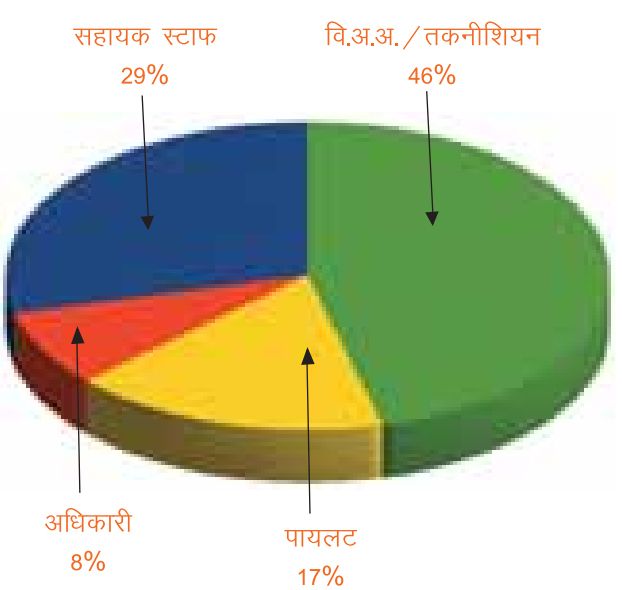

परिचालन से राजस्व, परिचालन लाभ और शुद्ध लाभ

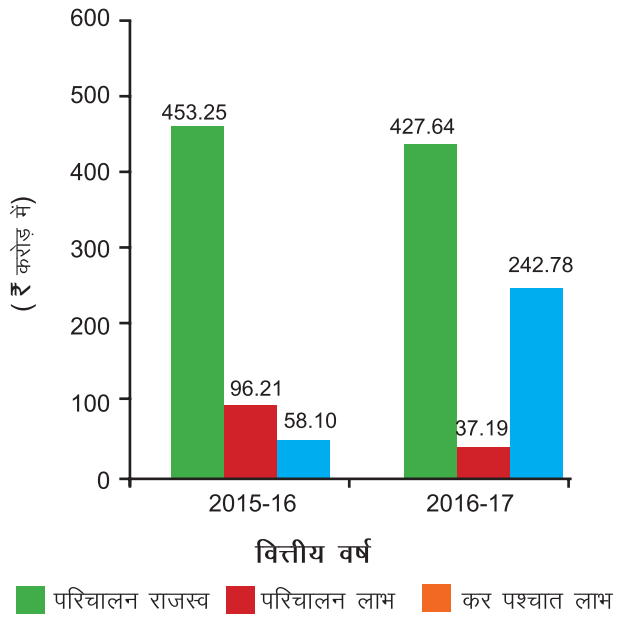

राजस्व उड़ान घंटे

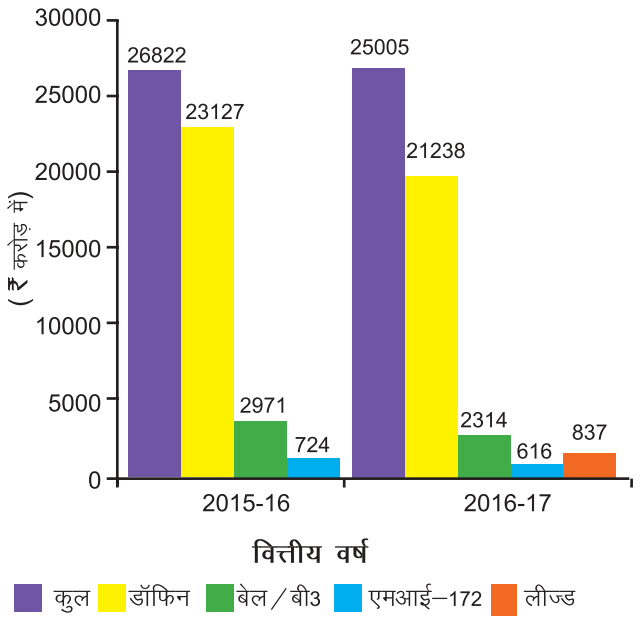

राजस्व

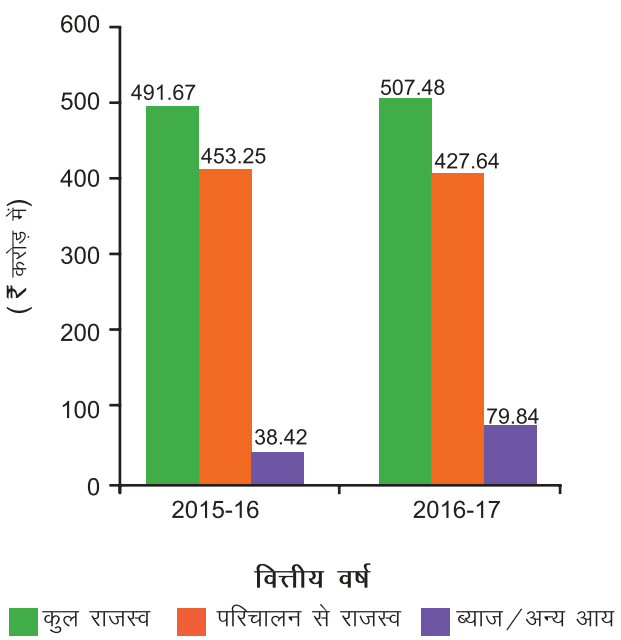

संपत्ति संयंत्र एवं उपस्कर

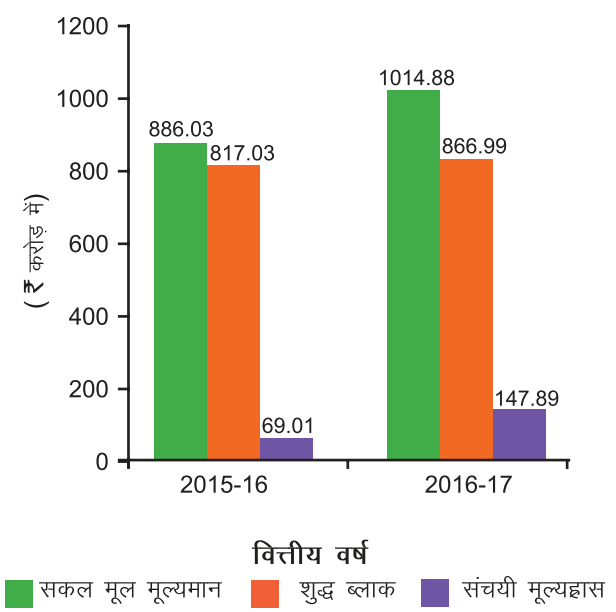

पवन हंस लिमिटेड

2012–13 से 2016–17 के संक्षिप्त लेखे

₹/करोड़

विवरण	अनुपात	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
संसाधन						
निवल मूल्य		98497.30	59611.46	55512.05	51383.82	48452.72
गैर चालू देयताएं						
– ऋण निधियां सुरक्षित ऋण		2497.72	16125.21	16959.39	10059.26	27469.39
– अन्य दीर्घावधिक देयताएं		163.41	34072.41	34316.36	47121.89	47140.47
– दीर्घाविधि प्रावधान		2854.91	2983.62	2723.57	4690.57	3932.96
– आस्थागित कर देयताएं		22672.49	18266.28	15714.21	14362.99	13626.81
योग		**126685.83**	**131058.98**	**125225.58**	**127618.53**	**140622.35**
संसाधनों का उपयोग						
नियत आस्तियां		101488.35	88603.41	86758.17	144643.66	143347.49
घटा : मूल्यह्रास		14789.07	6900.91	601.57	52386.08	44965.04
शुद्ध नियत संपत्तियां		86699.28	81702.50	86156.60	92257.58	98382.45
पूंजीगत कार्य प्रगति पर		604.3	5393.65	1804.33	1135.97	1807.46
दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम		601.71	609.42	593.79	7595.47	8148.48
अन्य गैर चालू आस्तियां		9944.20	6336.58	6359.67	526.36	356.81
अन्य वित्तीय आस्तियां		190.28	238.44	253.30	289.34	289.34
शुद्ध कार्यशील पूंजी		28537.42	36637.96	29885.69	25813.84	31628.03
		126577.19	130918.55	125053.38	127618.56	140612.57
प्रयुक्त पूंजी		**115841.00**	**123734.11**	**117846.62**	**119207.39**	**131817.94**
आय						
परिचालन से राजस्व		42763.93	45324.55	53814.71	52958.81	47166.19
ब्याज/अन्य आय		7984.09	3842.44	1155.38	1346.00	1039.20
योग		**50748.02**	**49166.99**	**54970.09**	**54304.81**	**48205.39**
व्यय						
हेलीकॉप्टर परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय		13112.55	11708.17	18093.82	18740.26	15511.99
कर्मचारी हितलाभ व्यय		15579.64	15168.50	15416.34	14898.91	14906.20
वित्तीय लागत		203.51	450.13	1749.35	3180.68	2851.16
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय		7898.28	7214.75	7652.34	7971.29	7378.70
अन्य व्यय		10235.06	5004.70	4740.12	4044.57	4763.63
योग		**47029.04**	**39546.25**	**47651.97**	**48835.71**	**45411.68**
असाधारण पूर्व वर्ष के लिए लाभ		3718.98	9620.74	7318.12	5469.10	2793.71
आपवादिक मदें		33931.19	-	(144.67)	654.29	-
कर पूर्व लाभ		37650.17	9620.74	7173.45	6123.39	2793.71
कराधान के लिए प्रावधान		8943.02	1405.00	1720.00	1450.00	650.00
पूर्व वर्ष के लिए कर हेतु प्रावधान		42.10	-	165.85	80.56	0
आस्थागित कर देयता		4403.14	2498.53	1406.70	736.18	973.89
आय व्यापक आय		16.28	93.27	-	-	-
कर पश्चात शुद्ध लाभ		**24278.19**	**5810.48**	**3880.90**	**3,856.65**	**1,169.82**
सार्थक अनुपात	शुद्ध लाभ /(हानि)					
क) शुद्ध लाभ अनुपात	—————— कुल राजस्व शुद्ध लाभ/(हानि)	56.8%	12.8%	7.2%	7.1%	2.4%
ख) निवेश पर प्रतिफल	—————— प्रयुक्त पूंजी शुद्ध लाभ/(हानि)	21.0%	4.7%	3.3%	3.2%	0.9%
निवल मूल्य पर प्रतिफल	—————— निवल मूल्य परिचालनगत ऋण	24.6%	9.7%	7.0%	7.5%	2.4%
ऋण वसूली की अवधि (माह)	—————— औ.मा.परि. राजस्व वर्ष एवं इंनवेटी	5.39	6.26	6.48	6.22	5.35
इंवेनट्र टर्नआवर (माह)	——————	1.26	1.33	1.26	1.25	1.71
वर्तमान अनुपात	औ.मा.परि. राजस्व सी ए : सी एल	2.87	3.90	2.80	1.95	3.44
ऋण इक्विटी	ऋण/इक्विटी ऋण/निवल मूल्य	0.10 0.03	0.66 0.27	0.69 0.31	1.11 0.53	1.34 0.68

लेखे

यथातिथि 31 मार्च, 2017 को
तुलन पत्र

(मूल्य लाख में)

विवरण	नोट संख्या	यथातिथि 31 मार्च, 2017	यथातिथि 31 मार्च, 2016	यथातिथि 1 अप्रैल, 2015
आस्तियाँ				
(1) गैर चालू आस्तियाँ				
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	3.1	86,699.27	81,702.50	86,156.60
(ख) पूंजीगत कार्य– प्रगति पर	3.1	604.30	5,393.65	1,804.33
(ग) अमूर्त आस्तियाँ	4	9.34	16.01	27.53
(घ) वित्तीय आस्तियाँ				
(i) निवेश	5	102.31	124.42	144.67
(ii) ऋण	6	601.71	609.42	593.79
(iii) अन्य वित्तीय आस्तियाँ	7	190.28	238.44	253.30
(ङ) अन्य गैर चालू आस्तियाँ	8	9,944.20	6,336.58	6,359.67
कुल गैर चालू आस्तियाँ		**98,151.41**	**94,421.02**	**95,339.89**
(2) चालू आस्तियाँ				
(क) मालसूचियाँ	9	4,496.69	5,018.64	5,648.36
(ख) वित्तीय आस्तियाँ				
(i) यवसाय प्राप्य	10	19,216.47	23,661.80	29,045.17
(ii) नकदी एवं नकदी स्वरूप	11.1	5,340.34	5,816.43	5,123.22
(iii) अन्य बैंक शेष	11.2	9,991.44	6,318.94	2,815.16
(iv) ऋण	12	490.20	467.02	524.45
(अ) अन्य वित्तीय आस्तियाँ	7	996.79	5,153.79	1,062.31
(ग) चालू कर आस्तियाँ (शुद्ध)	13	930.54	1,198.63	1,068.33
(घ) अन्य चालू आस्तिया	8	2,321.32	1,658.23	1,231.91
(ङ) निपटान/वितरण के लिए रखी वर्गीकृत आस्तियाँ	3.2	0.84	-	-
कुल चालू आस्तियाँ		**43,784.63**	**49,293.48**	**46,518.91**
कुल आस्तियाँ		**141,936.04**	**143,714.50**	**141,858.80**
इक्विटी और देयताएं				
इक्विटी				
(क) इक्विटी शेयर कैपिटल	14	24,561.60	24,561.60	24,561.60
(ख) अन्य इक्विटी	14	73,935.70	35,055.41	30,950.45
कुल इक्विटी		**98,497.30**	**59,617.01**	**55,512.05**
देयताएं				
(1) गैर चालू देयताए				
(क) वित्तीय देयताएं				
(i) उधार	15	2,497.72	16,125.21	16,959.39
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	18	163.41	34,072.41	34,316.36
(ख) प्रावधान	16	2,854.91	2,983.62	2,723.57
(ग) आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)	17	22,672.49	18,260.73	15,714.21
कुल गैर चालू देयताएं		**28,188.53**	**71,441.97**	**69,713.53**
(2) चालू देयताएं				
(क) वित्तीय देयताएं				
(i) व्यवसाय प्राप्य	19	7,351.28	3,652.05	3,467.16
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	18	864.90	2,252.85	4,952.48
(ख) अन्य चालू देयताएं	20	1,925.68	1,807.86	1,624.67
(ग) प्रावधान	21	2,297.72	4,942.76	6,349.61
(घ) चालू कर देयताएं (शुद्ध)	13	2,810.63	-	239.30
कुल चालू देयताएं		**15,250.21**	**12,655.52**	**16,633.22**
कुल इक्विटी और देयताएं		**141,936.04**	**143,714.50**	**141,858.80**

नोट 1 से 33 वित्तीय विवरणियों का एक अभिन्न अंग बनाते हैं।
यह तुलन पत्र है जिसे हमारी तारीख की रिपोर्ट में भी उल्लिखित किया गया है।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

कृते जे. पी. कपूर एवं यूबेराय
सनदी लेखाकार
फर्म निबंधन सं. 000593एन

(डॉ. बी. पी. शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 07125290

(श्रीमती गार्गी कौल)
निदेशक
डीआईएन सं. 07173427

(विनय जैन)
साझीदार
सदस्यता सं. 095187

(संजीव अग्रवाल)
कम्पनी सचिव

(धीरेन्द्र सहाय)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 01.12.2017

1 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि की विवरणी

(₹ लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
I	परिचालनों से राजस्व	22	42,763.93	45,324.55
II	अन्य आय	23	7,984.09	3,842.44
	कुल आय (III)		**50,748.02**	**49,166.99**
IV	व्यय			
	हेलीकॉप्टर परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय	24	13,112.55	11,708.17
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	25	15,579.64	15,168.50
	वित्तीय लागत	26	203.51	450.13
	मूल्यह्रास एवं परीशोधन व्यय	27	7,898.28	7,214.75
	अन्य व्यय	28	10,235.06	5,004.70
	कुल व्यय (IV)		**47,029.04**	**39,546.25**
V	**असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ (III-IV)**		**3,718.98**	**9,620.74**
VI	असाधारण मदें	29	33,931.19	-
VII	**कर पूर्व लाभ (V-VI)**		**37,650.17**	**9,620.74**
VIII	कर व्ययः			
	(1) चालू कर (एमएटी)		8,943.02	1,405.00
	(2) पूर्व वर्षों के लिए आयकर के लिए प्रावधान		42.10	-
	(3) आस्थगित कर		4,403.14	2,498.53
			13,388.26	**3,903.53**
IX	**अवधि के लिए लाभ (VII-VIII)**		**24,261.91**	**5,717.21**
X	**अन्य व्यापक आय**			
	(क) बाद की अवधि में लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत करने के लिए अन्य व्यापक आयः			
	(i) उपरोक्त पर शुद्ध लाभ/(हानि)		-	-
	(ii) उपरोक्त पर कर प्रभाव		-	-
			-	-
	(ख) बाद की अवधि में लाभ या हानि को पुनः वर्गीकृत नहीं करने वाली अन्य व्यापक आयः			
	(i) उपरोक्त पर शुद्ध लाभ/(हानि)	30	24.90	141.26
	(ii) उपरोक्त पर कर प्रभाव		(8.62)	(47.99)
			16.28	**93.27**
XI	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (IX+ X) (अवधि के लिए लाभ और अन्य व्यापक आय सहित)**		**24,278.19**	**5,810.48**
XII	प्रति इक्विटी शेयर आय	31		
	(1) मूल		9,885	2,366
	(2) डायल्यूटिड		8,954	2,366

नोट 1 से 33 वित्तीय विवरणियों का एक अभिन्न अंग बनाते हैं।

यह तुलन पत्र है जिसे हमारी तारीख की रिपोर्ट में भी उल्लिखित किया गया है।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

कृते जे. पी. कपूर एवं यूबेराय	**(डॉ. बी. पी. शर्मा)**	**(श्रीमती गार्गी कौल)**
सनदी लेखाकार	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक
फर्म निबंधन सं. 000593एन	डीआईएन सं. 07125290	डीआईएन सं. 07173427
(विनय जैन)	**(संजीव अग्रवाल)**	**(धीरेन्द्र सहाय)**
साझीदार	कम्पनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी
सदस्यता सं. 095187		
स्थानः नई दिल्ली		
दिनांक : 01.12.2017		

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इक्विटी में प्रभार की विवरणी

(₹ लाख में)

विवरण	इक्विटी शेयर पूंजी	शेयर आवेदन धन लंबित आबंटन	आरक्षिति एवं अधिशेष		ओसीआई की मदें			कुल अन्य इक्विटी
			सामान्य आरक्षिति	प्रतिधारित उपार्जन	ऋण लिखतों के माध्यम से अन्य व्यापक आय	इक्विटी लिखतों के माध्यम से अन्य व्यापक आय	अन्य व्यापक आय की दूसरी मदें	
यथातिथि 1 अप्रैल, 2015	**24,561.60**	**-**	**2,050.00**	**27,501.40**	**-**	**-**	**-**	**29,551.40**
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-
लाभांश और कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	1,705.52	-	-	-	1,705.52
पूर्वावधि त्रुटियाँ	-	-	-	(306.47)	-	-	-	(306.47)
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	24,561.60	-	2,050.00	28,900.45	-		-	30,950.45
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	5,717.21	-	-	-	5,717.21
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	(12.35)	105.61	93.27
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**5,717.21**	**-**	**(12.35)**	**105.61**	**5,810.48**
लाभांश और कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	(1,705.52)	-	-	-	(1,705.52)
प्रतिधारित उपार्जन पर हस्तांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-
कोई अन्य परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-
यथातिथि 31 मार्च, 2016	**24,561.60**	**-**	**2,050.00**	**32,912.14**	**-**	**(12.35)**	**105.61**	**35,055.41**
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-
भारत सरकार से प्राप्त राशि		15,905.00	-	-	-		-	15,905.00
पूर्वावधि त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	**24,561.60**	**15,905.00**	**2,050.00**	**32,912.14**	**-**	**(12.35)**	**105.61**	**50,960.41**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	24,261.91	-	-		24,261.91
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	(14.46)	30.74	16.28
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**24,261.91**	**-**	**(14.46)**	**30.74**	**24,278.19**
लाभांश और कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	(1,302.90)	-	-	-	(1,302.90)
लाभांश वितरण कर का भुगतान	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिधारित उपार्जन पर हस्तांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-
कोई अन्य परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-
यथातिथि 31 मार्च, 2017	**24,561.60**	**15,905.00**	**2,050.00**	**55,871.15**	**-**	**(26.81)**	**136.36**	**73,935.70**

नोट 1 से 33 वित्तीय विवरणियों का अभिन्न अंग बनाते हैं
यह इक्विटी में परिवर्तन की विवरणी भी है जो कि हमारी तिथि की रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया है

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

कृते जे. पी. कपूर एवं यूबेराय
सनदी लेखाकार
फर्म निबंधन सं. 000593एन

(विनय जैन)
साझीदार
सदस्यता सं. 095187
स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 01.12.2017

(डॉ. बी. पी. शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 07125290

(संजीव अग्रवाल)
कम्पनी सचिव

(श्रीमती गार्गी कौल)
निदेशक
डीआईएन सं. 07173427

(धीरेन्द्र सहाय)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की विवरणी

(₹ लाख में)

	विवरण	यथा तिथि			
		31 मार्च, 2017		31 मार्च, 2016	
क.	**परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	कर पूर्व शुद्ध लाभ		37,650.17		9,620.74
	के लिए समायोजनः				
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय (शुद्ध)	7,898.28		7,214.75	
	बैंक जमा पर ब्याज आय	(626.62)		(438.64)	
	बीमा दावा – केवल पोत	(1,385.29)		(2,395.24)	
	ब्याज लागत	203.51		450.13	
	नियत आस्तियाँ बट्टे खाते	179.94		87.97	
	संदिग्ध ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान	876.94		324.49	
	अचल मालसूची/जीवनकाल समाप्त मदों के लिए प्रावधान	209.55		73.26	
	भारत सरकार के दावे पर ब्याज में छूट	(33,931.19)		-	
	पायलट और एएमई के लिए लाइसेंस संबंधित भत्ते के लिए अतिरिक्त प्रावधान	(4,381.16)		-	
	संपत्तियों की हानि पर नुकसान	0.15		0.89	
	निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	22.11		20.25	
		(30,933.78)		5,337.86	
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ		6,716.39		14,958.60
	आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन				
	व्यापार प्राप्य	3,697.91		5,183.44	
	ऋण और अग्रिम एवं अन्य आस्तियाँ	(3,971.56)		(192.01)	
	मालसूचियाँ	293.08		567.39	
	व्यापार प्राप्य, अन्य देयताएं और प्रावधान	4,287.98		(1,892.98)	
	परिचालन से सृजित नकद		4,307.41		3,665.84
	प्रदत्त आय कर		6,226.98		(1,774.61)
	परिचालन गतिविधियों से सृजित शुद्ध नकदी		**4,796.82**		**16,849.83**
ख.	**निवेश गतिविधियां से नकदी प्रवाह**				
	नियत आस्तियों का क्रय	(6,912.51)		(7,057.32)	
	बिक्री/बीमा दावा/नियत आस्तियों का समायोजन	5,533.00		3,570.25	
	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	(1,318.22)		(3,625.98)	
	3 महीने से अधिक और लीन के तहत परिपक्वता				
	वाली निश्चित जमा राशि का निवेश/प्राप्ति	(3,672.50)		(3,503.78)	
	प्राप्त ब्याज	626.62		438.64	
	निवेश गतिविधियों में उपयोग की गई कुल नकदी		**(5,743.61)**		**(10,178.19)**
ग.	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**				
	ब्याज लागत	(203.51)		(450.13)	
	लाभांश	(1,082.52)		(1,547.51)	
	लाभांश पर कारपोरेट कर	(220.38)		(158.01)	
	शेयर आवेदन धन प्राप्त लंबित आबंटन	15,905.00		-	
	दीर्घकालिक उधार का पुनर्भुगतान	(13,927.89)		(3,822.77)	
	वित्त पोषण गतिविधियों से सृजित/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी		**470.70**		**(5,978.42)**
	नकदी और नकदी समतुल्य/(में उपयोग) में शुद्ध वृद्धि		**(476.09)**		**693.21**
	अवधि की शुरुआत में नकदी और नकदी समतुल्य		5,816.43		5,123.22
	अवधि के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		**5,340.34**		**5,816.43**

नोट 1 से 33 वित्तीय विवरणियों का अभिन्न अंग बनाते हैं

नोटः

1. कोष्टक के आंकड़े नकदी बहिर्गमन को इंगित करते हैं।

2 उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरणी इंड एएस –7 नकदी प्रवाह विवरणी में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है। यह नकदी प्रवाह विवरणी है जिसे हमारी तिथि की रिपोर्ट में भी निर्दिष्ट किया गया है।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

कृते जे. पी. कपूर एवं यूबेराय
सनदी लेखाकार
फर्म निबंधन सं. 000593एन

(डॉ. बी. पी. शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 07125290

(श्रीमती गार्गी कौल)
निदेशक
डीआईएन सं. 07173427

(विनय जैन)
साझीदार
सदस्यता सं. 095187
स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 01.12.2017

(संजीव अग्रवाल)
कम्पनी सचिव

(धीरेन्द्र सहाय)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

29. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. निगमित सूचना

पवन हंस लिमिटेड (''कम्पनी'') (सीआईएन संख्या यू 62200डीएल1985जी 01022233) एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है जिसका निगमन 15 अक्तूबर, 1985 को हुआ था तथा भारत में स्थित इस कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय रोहिणी हेलीपोर्ट, सेक्टर–36, नई दिल्ली –110085 में स्थित है। यह कम्पनी सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है तथा इसका पंजीयन कम्पनी अधिनियम, 1956 के अध्याधीन कम्पनी पंजीयक के कार्यालय में किया गया है।

कम्पनी भारत के विमानन क्षेत्र का पथ प्रदर्शक के रूप में नेतृत्व कर रही है तथा यह कम्पनी समग्र राष्ट्र को अवसंरचना निर्माण, मानव संसाधन विकास तथा हेलीकॉप्टर प्रचालनों के संरक्षा स्तरों में संवर्धन के साथ साथ विविध श्रेणी की हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान कर रही है। कम्पनी द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों नामतः मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, सिक्किम, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, गुजरात, गृह मंत्रालय, लक्षद्वीप प्रशासन, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन, श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए श्री अमरनाथ धाम एवं केदारनाथ यात्रा के साथ साथ एमटीडीसी एवं जीटीडीसी के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान की जा रही हैं और साथ ही ओएनजीसी, एनटीपीसी, ओआईएल, जीएसपीसी, गेल, महाराष्ट्र पुलिस, सीमा सुरक्षा बल को भी अपनी सेवाएं दी जा रही हैं।

2. क. तैयारी का आधार

(i) अनुपालन विवरण

निगमित कार्य मंत्रालय के दिनांक 16 फरवरी, 2015 की अधिसूचना, जिसके माध्यम से कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 अधिसूचित की गई है, के अनुसरण में कम्पनी द्वारा 1 अप्रैल, 2015 की पारमगन तिथि के साथ 1 अप्रैल, 2015 से भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) अंगीकार किए गए हैं। तदनुसार, कम्पनी के वित्तीय विवरण कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली के नियम 3 के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम''), अधिनियम के संबंधित प्रावधानों तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन मानकों में किए गए निर्धारण के अनुसार इंड एएस का अनुपालन करते हुए तैयार किए गए हैं।

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण, यदि कहीं अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया है, कम्पनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों, अधिनियम के खंड 133 के अंतर्गत की गई अधिसूचना (पूर्व भारत में स्वीकृत सामान्य लेखांकन मानक) तथा अधिनियम के अन्य संबद्ध प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण कम्पनी द्वारा इंड एएस के अंतर्गत तैयार किए गए प्रथम वित्तीय विवरण हैं। इंड एएस में किए गए पारगमन से पूर्व सूचित वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा कम्पनी के रोकड़ प्रवाह पर हुए प्रभाव का स्पष्टीकरण नोट 33 में शामिल किया गया है।

इन वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 1 दिसम्बर, 2017 को प्राधिकार प्रदान किया गया है।

(ii) मापन का आधार

ये वित्तीय विवरण उचित मूल्य अथवा परिशोधन लागत पर मापे गए कुछ वित्तीय उपकरणों के अलावा ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं।

(iii) महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान तथा निर्धारण

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय

प्रबंधन द्वारा लेखांकन नीतियों एवं सूचित परिसम्पत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय की राशियों की उपयोज्यता पर प्रभावी होने वाले निर्धारण किए गए हैं, अनुमान लगाए गए हैं तथा पूर्वानुमान किए गए हैं। वास्तविक परिणाम ऐसे अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों तथा पूर्वानुमानों की समीक्षा अविरत आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में किए गए संशोधनों की स्वीकृति भावी प्रभाव के लिए की गई है।

लेखांकन नीतियों के उपयोग से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए लगाए गए जिस अनुमान/ अनिश्चितता तथा निर्धारण से वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं उससे संबंधित सूचना नीचे दी गई है:–

नीचे प्रस्तुत नोट 32 (XI) तथा मद संख्या 2 (xi) – परिभाषित लाभ दायित्वों का मापनः प्रमुख वास्तविक

नीचे प्रस्तुत नोट 2 (vi) – सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का उपयोज्य जीवन एवं अवशिष्ट मूल्य का मापन।

नोट 32 (XIX) – ओवरहॉल लागत का अनुमान।

नोट 32 (II (ग, घ तथा ङ)– यह ज्ञात करने के लिए निर्धारिण किया जाना अपेक्षित है कि क्या संसाधनों के बर्हिगमन से उत्पन्न लाभ कराधान विवादों एवं विधिक दावे के निपटान के लिए संभाव्य होंगे अथवा नहीं।

नोट 32 (XXVI) तथा नीचे प्रस्तुत मद संख्या 2 (iii) – वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्य का मापन।

ऐसे कोई पूर्वानुमान तथा अनुमान अनिश्चिताएं नहीं हैं जिनके परिणामस्वरूप अगले वित्तीय वर्ष में सामग्रीगत समायोजन के प्रति महत्वपूर्ण जोखिम हो।

ख. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

नीचे प्रस्तुत की गई लेखांकन नीतियों का अनवरत उपयोग इन प्रस्तुत वित्तीय विवरणों की सभी अवधियों के संबंध में तथा इंड ए एस में पारगमन के उद्देश्य से 1 अप्रैल, 2015 की स्थिति के तुलन पत्र के अथशेष को तैयार करने के लिए किया गया है।

(i) चालू बनाम गैर–चालू वर्गीकरण

सभी परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का वर्गीकरण चालू तथा गैर–चालू के रूप में किया गया है।

परिसम्पत्तियां

किसी परिसम्पत्ति का वर्गीकरण चालू के रूप में तब किया जाता है जब निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करता हो:

- वह नकदीकरण अथवा बिक्री के लिए नियत हो अथवा कम्पनी के सामान्य प्रचालन कम में खपत की जाने वाली हो;
- वह प्रारम्भ से ही व्यवसाय के लिए धारित की गई हो;
- वह रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर बिक्री की जानी हो, अथवा
- यदि वह विनियम के लिए प्रतिबंधित न होने अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात किसी देयता के समाधान के लिए कम से कम बारह माह के लिए उपयोग की जा रही होने के अलावा रोकड़ अथवा रोकड़ समतुल्य हो।

चालू परिसम्पत्तियों में गैर–चालू वित्तीय परिसम्पत्तियों का चालू भाग भी शामिल है। अन्य सभी परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पत्ति के रूप में किया गया है।

देयताएं

किसी देयता का वर्गीकरण चालू देयता के रूप में तब किया जाता है जबः

- सामान्य प्रचालन क्रम में इसका निपटान संभावित हो;
- यह मुख्यतः व्यवसाय के उद्देश्य से धारित की गई हो;
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर इसका समाधान किया जाना हो, अथवा
- कम्पनी के पास इसके प्रति रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह की अवधि के लिए देयताओं के निपटान को स्थगित करने का किसी प्रकार का कोई असंबंध अधिकार न हो। देयताओं के निबंधन दूसरी पार्टी को उपलब्ध विकल्प के अनुसार इक्विटी उपकरण को जारी करने के निपटान के तौर पर परिणत होते हों तथा जिससे यह वर्गीकरण प्रभावित न होता हो।

चालू देयताओं में गैर–चालू वित्तीय दायित्वों का चालू भाग शामिल है। अन्य सभी दायित्वों का वर्गीकरण गैर–चालू के रूप में किया गया है।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पत्ति तथा देयताओं के रूप में किया गया है।

प्रचालन काल क्रम संसाधन के लिए परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण तथा उनकी नकदी अथवा नकदी समतुल्य प्राप्ति के बीच का समय है। प्रचालनों की प्रकृति तथा उनके नकदी अथवा नकदी समतुल्य प्राप्ति के आधार पर कम्पनी द्वारा परिसम्पत्तियों एवं देयताओं को चालू अथवा गैर–चालू वर्गीकरण प्रदान करने के उद्देश्य से अपने प्रचालन काल क्रम की अवधि निर्धारित की गई है।

(ii) विदेशी मुद्रा संव्यवहार एवं अंतरण

कार्यात्मक एवं उपयोग के लिए मुद्रा

कम्पनी द्वारा उस मुद्रा को कार्यात्मक मुद्रा अर्थात भारतीय रुपए (₹) को उपयोग के लिए अपनाया गया है जिसके प्राथमिक आर्थिक परिवेश में कम्पनी द्वारा अपने कार्य किए जाते है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपए में प्रस्तुत किए गए हैं जो कम्पनी की कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा है। यदि कहीं अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो तो सभी राशियों को दो दशमलव स्थल तक निकटतम लाख रुपए में पूर्णांकित किया गया है।

संव्यवहार एवं शेष

विदेशी मुद्राओं में किए जाने वाले लेनदेन स्वीकृति के लिए मान्य कम्पनी की कार्यात्मक मुद्रा में संव्यवहार की तिथि के अनुसार प्रारम्भ से रिकार्ड किए जाते हैं।

विदेशी मुद्राओं में वर्णित मौद्रिक परिसम्पत्तियों का अंतरण उनकी कार्यात्मक मुद्रा में रिपोर्टिंग तिथि की स्पॉट विनिमय दरों पर किया जाता है। मौद्रिक मदों के समाधान अथवा अंतरण से उत्पन्न विनिमय दर अंतरों, 31 मार्च, 2016 से पूर्व लिए गए दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा ऋणों के अंतरण से उत्पन्न लाभ/(हानियों) तथा उनका समायोजन मूल्यह्रास योग्य सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अधिग्रहण के लिए सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की लागत में किए जाने के अलावा, को उनके संव्यवहार के वर्ष के लाभ एवं हानि लेखा में दर्शाया जाता है। उपर्युक्त व्यवस्था विदेशी मुद्रा ऋण का पुनर्भुगतान कर दिए जाने तक जारी रखी जाती है।

विदेशी मुद्रा के अंतरण से उत्पन्न विदेशी मुद्रा विनिमय दर लाभ/(हानि) को सकल आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया गया है। तथापि, विदेशी मुद्रा ऋण से उत्पन्न मुद्रा विनिमय अंतर उनकी वित्त लागतों के दायरे में लाभ एवं हानि विवरण में ऋण लागतों को समायोजित करते हुए दर्शाए गए हैं।

(iii) उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य की राशि वह होती है जो मापन की तिथि को बाजार भागियों के मध्य व्यवस्थित संव्यवहार द्वारा किसी परिसम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त हो अथवा किसी देयता के अंतरण के लिए चुकता की जा सकेगी। उचित मूल्य के मापन का आधार परिसम्पत्ति की बिक्री अथवा देयता के अंतरण से संबंधित संव्यवहार पर आधारित है जो निम्नलिखित में से किसी में भी किया जा सकता है:–

– परिसम्पत्ति अथवा देयता के लिए श्रेष्ठ बाजार में, अथवा

– परिसम्पत्ति अथवा देयता के लिए श्रेष्ठ बाजार उपलब्ध न होने की स्थिति में अत्यधिक लाभकारी बाजार में।

श्रेष्ठ अथवा अत्यधिक लाभकारी बाजार कम्पनी के लिए/द्वारा सुलभ होने चाहिए।

वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य के साथ मापन अथवा प्रकटन की गई सभी परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का वर्गीकरण उनके उचित मूल्य के क्रम में निम्नानुसार न्यूनतम स्तर इनपुट को पूर्ण रूप में उचित मूल्य मापन के निर्धारण के आधार पर वर्णित किया गया है:–

- स्तर 1 — सक्रिय बाजार में समान परिसम्पत्तियों अथवा देयताओं का उद्धृत (गैर–समायोजित) मूल्य
- स्तर 2 — न्यूनतम स्तर इनपुट के लिए मूल्यांकन तकनीक जो उचित मूल्य मापन के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में विचार योग्य है।
- स्तर 3 — न्यूनतम स्तर इनपुट के लिए मूल्यांकन तकनीक जो उचित मूल्य मापन के लिए विचार योग्य नहीं है।

वित्तीय विवरणों में आवृत्ति आधार पर मान्य परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के लिए कम्पनी द्वारा यह संज्ञान किया जाता है कि क्या इनके संबंध में स्तरों के मध्य वर्गीकरण का मूल्यांकन करते हुए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में (पूर्ण उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तर इनपुट के आधार पर) अंतरण किए गए हैं अथवा नहीं।

उचित मूल्य के प्रकटन के उद्देश्य से कम्पनी द्वारा परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के वर्गों का निर्धारण उनकी प्रकृति, विशिष्टता तथा परिसम्पत्ति अथवा देयता के जोखिम तथा ऊपर स्पष्ट क्रम बद्ध उचित मूल्यों के अनुसार किया गया है।

कम्पनी द्वारा निवेश जैसे (सहायक कम्पनियों में किए गए निवेश के अलावा) वित्तीय उपकरणों का मापन रिपोर्टिंग तिथि को उनके उचित मूल्य के अनुसार किया गया है। इसके अलावा वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्यों का मापन नोट 32(XI) में प्रकटन की गई परिशोधन लागत पर किया गया है।

(iv) वित्तीय उपकरण

किसी करार के ऐसे वित्तीय उपकरण जिनसे किसी एक इकाई की वित्तीय परिसम्पतियां तथा किसी अन्य इकाई की वित्तीय देयताएं अथवा इक्विटी उपकरण का उत्थान होता हो।

क) वित्तीय परिसम्पत्तियां

<u>स्वीकृति तथा प्रारम्भिक मापन</u>

प्रारंभिक स्वीकृति करते हुए वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रारंभिक मापन एवं स्वीकृति केवल उस स्थिति के अलावा उचित मूल्य पर की जाती है जिस स्थिति में कम्पनी द्वारा पारगमन की तिथि के पश्चात किए गए संव्यवहार के लिए उचित मूल्य का मापन भावी प्रभाव पर करने के लिए इंड एएस 101 के पैरा डी20 में अंगीकरण किए जाने पर पहली बार दी जाने वाली छूट का प्रयोग किया है। लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर रिकार्ड में न ली गई वित्तीय परिसम्पत्तिके मामले में उसकी संव्यवहार लागतें वित्तीय परिसम्पत्ति के अधिग्रहण से संबद्ध की गई हैं।

वर्गीकरण एवं अनुवर्ती मापन वर्गीकरण

कम्पनी द्वारा अपनी वित्तीय परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण नीचे उल्लिखित अनुवर्ती मापन श्रेणियों में किया गया है:–

- वे, जिनका अनुवर्ती मापन उनके उचित मूल्य (जो या तो अन्य विस्तृत आय अथवा लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से है) पर किया जाना है, तथा
- वे, जिनका मापन परिशोधित लागत पर किया गया है।

यह वर्गीकरण वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रबंधन, नकदी प्रवाहों के संविदागत उपबंधों के प्रबंधन के लिए कम्पनी के व्यवसाय मॉडल पर निर्भर करता है। उचित मूल्य, लाभ एवं हानि पर मापन की गई परिसम्पत्तियों को लाभ एवं हानि विवरण अथवा अन्य विस्तृत आय में रिकार्ड किया जाता है। ऋण उपकरणों में किए गए निवेश की स्थिति में यह उस व्यवसाय मॉडल पर निर्भर होगा जिसमें निवेश किया गया है। इक्विटी उपकरण में निवेश के लिए यह इस पर निर्भर होगा कि क्या कम्पनी द्वारा अन्य विस्तृत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किए गए इक्विटी निवेश की प्रारंभिक स्वीकृति लेखे में करते समय अप्रतिसंहरणीय का चयन किया गया है अथवा नहीं।

प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन अनुवर्ती मापन

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसम्पत्तियों का मापन

किसी वित्तीय परिसम्पत्ति का मापन परिशोधित लागत पर तब किया जाता है जब उसका धारण ऐसे व्यावसायिक मॉडल में किया गया हो जिसका लक्ष्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों के संग्रहण के लिए परिसम्पत्ति का धारण करना है तथा वित्तीय परिसम्पत्ति के संविदागत उपबंधों से विशिष्ट तिथियों को ऐसे रोकड़ प्रवाह उत्पन्न होते हों जो केवल मूलधन एवं मूलधन की बकाया राशि के भुगतान के लिए हों।

यह श्रेणी कम्पनी के लिए अधिक उपयुक्त है। प्रारंभिक मापन के पश्चात ऐसी परिसम्पतियों का अनुवर्ती मापन प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ एवं हानि विवरण की वित्तीय आय में शामिल किया जाता है। क्षति के कारण उत्पन्न हानियों (यदि कोई हों) की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। यह श्रेणी सामान्यतः कर्मचारियों को दिए गए ऋणों, व्यवसाय प्राप्यों, सुरक्षा जमा राशियों तथा अन्य प्राप्यों के लिए लागू होती है।

अन्य विस्तृत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पत्तियां (एफवीटीओसीआई)

किसी वित्तीय परिसम्पत्ति का मापन एफवीटीओसीआई के अनुसार तब किया जाता है जब उसका धारण ऐसे व्यवसाय मॉडल में किया गया हो जिसमें उसके संविदागत रोकड़ प्रवाह तथा वित्तीय परिसम्पत्तियों की बिक्री के दोनों लक्ष्य प्राप्त किए जा चुके हों तथा उसके संविदागत उपबंधों से विशिष्ट तिथियों को ऐसे रोकड़ प्रवाह उत्पन्न होते हों जो केवल मूलधन एवं मूलधन की बकाया राशि के भुगतान के लिए हों।

लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पत्तियां (एफवीटीपीएल)

उपर्युक्त में से किसी में भी वर्ग में शामिल न की गई परिसम्पति का मापन एफवीटीपीएल के अनुसार किया जाता है।

ख) वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति (उचित मूल्य के अलावा)

लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्यन न की गई वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए कम्पनी द्वारा संभावित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के उपयोग से हानि भत्ते की स्वीकृति की जाती है। किसी गैर महत्वपूर्ण वित्तीय घटक

वाले व्यवसाय प्राप्यों के हानि भत्ते का मापन संभावित क्रेडिट हानि के उपयोज्यता काल की समतुल्य राशि पर किया जाता है। अन्य सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों, जिनकी संभावित क्रेडिट हानियों का मापन 12 माह के संभावित क्रेडिट के समतुल्य राशि पर किया गया है, के संबंध में प्रारंभिक स्वीकृति के प्रति क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण बढ़ोतरी न होने की स्थिति में ऐसी वित्तीय परिसम्पत्तियों का मापन उनके उपयोज्यता काल पर संभावित क्रेडिट हानि के लिए होता है। संभावित क्रेडिट हानि मॉडल के उपयोग से हानि भत्ते में किसी प्रकार के बदलाव (वृद्धिशील अथवा विपर्यय) की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में क्षति लाभ अथवा हानि के रूप में की जाती है।

ग) बट्टे खाते

वित्तीय विवरण में ऐसी सकल वहन राशि को बट्टे खाते (आंशिक अथवा पूर्ण) डाल दिया जाता है जिसकी प्राप्ति की कोई उचित संभावना नहीं होती है।

घ) वित्तीय देयताएं

प्रारम्भिक स्वीकृति एवं मापन

वित्तीय देयताओं की प्रारम्भिक स्वीकृति एवं मापन की आरंभिक पहचान का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जा सकता है:–

- लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं,
- परिशोधन लागत पर मापन की गई वित्तीय देयताएं,
- ऋण एवं उधार तथा देय,

सभी वित्तीय देयताओं की प्रारंभिक स्वीकृति उनके उचित मूल्य पर तथा ऋण एवं उधार तथा देय के मामले में संव्यवहार लागतों से प्रत्यक्ष संबद्ध मूल्य पर की जाती है।

कम्पनी की सभी वित्तीय देयताओं में सुरक्षा जमा, व्यवसाय एवं अन्य देय शामिल हैं।

अनुवर्ती मापन

परिशोधन लागत के अनुसार मापन (जो कम्पनी की एकमात्र सम्बद्ध श्रेणी है) की गई वित्तीय देयताओं का अनुवर्ती मापन प्रभावी ब्याज दर के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। ब्याज व्यय एवं विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ तथा हानियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण की जाती है।

ड.) वित्तीय उपकरणों की स्वीकृति समाप्त करना

कम्पनी द्वारा ऐसी वित्तीय परिसम्पत्ति की स्वीकृति समाप्त की जाती है जिस वित्तीय परिसम्पत्ति के रोकड़ प्रवाह के संविदागत अधिकारों की अवधि समाप्त हो गई होती है अथवा जिन वित्तीय परिसम्पत्तियों का अंतरण किया जाता है तथा ऐसा अंतरण इंड एएस 109 के अंतर्गत स्वीकृति समाप्ति के लिए योग्य होता है।

कम्पनी के तुलन पत्र में से किसी वित्तीय देयता (अथवा किसी वित्तीय देयता का कोई भाग) की स्वीकृति तब समाप्त की जाती है जब उसकी संविदा में निर्धारित दायित्वों का निर्वाह हो जाता है अथवा रद्द हो जाते हैं अथवा समाप्त हो जाते हैं।

च) वित्तीय उपकरणों का समंजन

वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं का समंजन तथा तुलन पत्र में सकल राशियों की स्वीकृति तब की जाती है जब स्वीकृत राशियों के समंजन के प्रति कोई प्रवर्तन योग्य चालू विधिक अधिकार न हो तथा ऐसा परिसम्पत्तियों से धर्नाजन तथा दायित्वों को चुकाने के लिए सकल आधार पर निपटाए जाने की मंशा से किया गया हो।

(v) रोकड़ अथवा रोकड़ समतुल्य

तुलन पत्र में दर्शाए गए रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य में बैंकों में जमा एवं उपलब्ध तथा तीन माह अथवा कम अवधि की सामान्य

परिपक्वता के साथ अल्प–कालिक जमा, जो मूल्य में परिवर्तन के अल्प जोखिम की शर्त पर है, शामिल हैं।

(vi) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

स्वीकृति एवं मापन

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का मापन उनकी लागत में से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन एवं संचित अपसामान्य क्षतियों को लागत, यदि कोई हों, घटाकर किया गया है। लागत में वे व्यय शामिल हैं जो प्रबंधन के अभिप्रेत उद्देश्य से प्रचालन योग्य बनाने के लिए सम्पति को स्थल तथा आवश्यक स्थिति में लाए जाने के लिए प्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं। कम्पनी द्वारा सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण का मूल्यह्रास उनके अनुमानित उपयोज्य काल के लिए सीधी लाइन विधि के उपयोग से किया जाता है। किसी सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की मूल लागत की 5% राशि को अवशिष्ट मूल्य माना जाता है।

वर्ष 2015–16 के दौरान कम्पनी की एक तकनीकी समिति द्वारा गहन तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात हेलीकॉप्टर बेड़े के अनुमानित उपयोज्य काल का पुनः मूल्यांकन किया गया था। इस प्रकार इन परिसम्पत्तियों का उपयोज्य काल कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग ग में निर्धारित उपयोज्य कालों से भिन्न है। भिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टर बेड़े लिए निर्धारित किए उपयोज्य काल का विवरण नीचे दिया गया है:–

हेलीकॉप्टर का प्रकार	अनुमानित उपयोज्य काल वर्षों में	अनुमानित उपयोज्य काल उड़ान घंटों में
डॉफिन एसए 365 एन	35 वर्ष	1,00,000 उड़ान घंटे
डॉफिन एसए 365 एन3	35 वर्ष	1,00,000 उड़ान घंटे
इक्यूरेयूइल एएस350 बी3	35 वर्ष	1,00,000 उड़ान घंटे
बेल 206 एल4	35 वर्ष	35,000 उड़ान घंटे
बेल 407	35 वर्ष	35,000 उड़ान घंटे
एमआई–172	30 वर्ष	18,000 उड़ान घंटे

मोबाइल हैंडसेटों का अनुमानित उपयोज्य काल तीन वर्ष माना गया है।

मूल्यह्रास विधि, उपयोज्य काल तथा अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किए जाने के साथ साथ आवधिक तौर पर की जाती है।

कम्पनी द्वारा सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का घटक लेखांकन उनकी स्वीकृति एवं किसी सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के किसी महत्वपूर्ण घटक, जिसकी लागत की सम्बद्धता मद की कुल लागत पर विशिष्ट हो तथा जिसका उपयोज्य काल भिन्न हो, का अलग से मूल्यह्रास इंड एएस के अनुसरण में किया गया है। कम्पनी द्वारा ऐसे घटक को विचार में लिया गया है जिनकी लागत हेलीकॉप्टर के महत्वपूर्ण घटक की कुल लागत का 8% अथवा अधिक है, सन्निहित अनुरक्षण के रूप में प्रस्तुत हेलीकॉप्टर के प्रमुख ओवरहॉल की लागत की स्वीकृति अलग से की गई है तथा अन्य परिसम्पत्तियों के मामले में किसी महत्वपूर्ण घटक की स्वीकार्यता घटक लेखांकन के उद्देश्य से नहीं की गई है।

किसी परिसम्पति के प्रमुख पूर्जे को बदलने अथवा पुनः निर्मित किए जाने की स्थिति में पुराने पूर्जे की वहन राशि की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है तथा नए पूर्जे को परिसम्पत्ति में जोड़ लिया जाता है। जब किसी स्वीकृति समाप्त किए गए/बदले गए घटक का वहन मूल्य ज्ञात नहीं होता है तो चालू लागत के अनुसार उचित अनुमान निर्धारित किए जाते हैं।

हेलीकॉप्टर के संदर्भ में भिन्न उपयोज्य काल वाले स्वीकृत महत्वपूर्ण घटकों का विवरण नीचे दिया गया है:–

बेड़ा प्रकार	पहचाने गए घटक	घटक का उपयोज्य काल
डॉफिन एन	इंजन	3000 घंटे/5 वर्ष **
	एम.जी.बी.	3000 घंटे/5 वर्ष **
	हेलीकॉप्टर की ओवरहॉल लागत	5400 घंटे/9 वर्ष **
डॉफिन एन3	इंजन	33500 घंटे/6 वर्ष **
	एम.जी.बी.	3000 घंटे/5 वर्ष **
	हेलीकॉप्टर की ओवरहॉल लागत	5400 घंटे/9 वर्ष **
इक्यूरेयूइल एएस350 बी3	इंजन	3500 घंटे/6 वर्ष **
	एम.जी.बी.	3000 घंटे/5 वर्ष **
	हेलीकॉप्टर की ओवरहॉल लागत	प्रमुख जांच–12 वर्ष **
बेल 407	इंजन	2000 घंटे/3 वर्ष **
	ट्रांसमिशन एसेंबली	5000 घंटे/8 वर्ष **
	हब एसेंबली	2500 घंट/4 वर्ष **
	हेलीकॉप्टर की ओवरहॉल लागत	कोई प्रमुख ओवरहॉल नहीं
एमआई–172	इंजन	1500 घंटे/5 वर्ष **
	हेलीकॉप्टर की ओवरहॉल लागत	4500 घंटे/15 वर्ष **

**एन, एन3, बी3 एवं बेल 407 के संदर्भ में वर्ष का निर्धारण 600 घंटों की उड़ान तथा एमआई–172 के लिए 300 घंटों की उड़ान के आधार पर किया गया है।

अनुवर्ती लागतें

अनुवर्ती लागतों का पूंजीयन तभी किया जाता है जब विशिष्ट परिसम्पत्ति से संबद्ध इसके भावी आर्थिक लाभों में वृद्धि हो। अन्य मूर्त परिसम्पत्तियों की सभी अन्य मरम्मत एवं अनुरक्षण व्ययों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में इनके उत्पन्न होने के समय की जाती है।

इंड एएस में पारगमन

इंड एएस में पारगमन से कम्पनी द्वारा पूर्व सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार 1 अप्रैल, 2015 की स्थिति को किए गए मापन के अनुसार अपनी प्रत्येक सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकार्यता वहन मूल्य के रूप में उपयोग करने का चयन किया गया है तथा ऐसे वहन मूल्य, इंड एएस के अनुसार ''पहली बार भारतीय लेखांकन मानकों का अंगीकरण' किए जाने की स्थिति में अनुमत्त, सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की मान्य लागत के अनुसार वहन मूल्यों के रूप में उपयोग किए गए हैं।

मूल्यह्रास

एयरफ्रेम तथा एयरो–इंजन उपकरण–रोटेबल का मूल्यह्रास एवं मध्य उपयोज्यता काल उन्नयन कार्यक्रम (टाइप प्रमाणन लागतों के साथ)/हेलीकॉप्टरों के प्रमुख पुनःसंयोजन का आकलन सीधी रेखा आधार पर इस स्वरूप में किया गया है कि उनकी 95% राशियों का हानि मूल्य प्रमुख परिसम्पत्ति (हेलीकॉप्टरों के प्रकार) का शेष उपयोज्यता काल वह हो जिनसे वे सम्बद्ध हैं। इस उद्देश्य से हेलीकॉप्टरों के अंतिम बैच (डाफिन एन के मामले में चूंकि इसका बेड़ा आकार में सशक्त है) को विचार में लिया गया है।

पट्टे की भूमि की लागत का परिशोधन पट्टे की अवधि के अनुसार किया गया है। इसी प्रकार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ संयुक्त विकास

कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित आवासीय फ्लैटों की लागत का परिशोधन उनके करार से संबंधित शर्तों के अनुसार सम्पति के धारण अधिकार की अवधि पर किया गया है।

हेलीकॉप्टरों/अतिरिक्त एयर इंजनों के संवर्धन अथवा विलोपन से संबंधित मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर अधिग्रहण की तिथि (हेलीकॉप्टरों के लिए भारत के क्षेत्र में उड़नयोग्यता अधिकारी द्वारा उड़नयोग्यता प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि) से/तक दिनों की संख्या के अनुसार किया जाता है। अन्य प्रत्येक सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण से संबंधित मूल्यह्रास दिनों की संख्या के अनुसार आनुपातिक आधार पर किया जाता है। परिसम्पत्ति का क्रय किए जाने वाले माह के अगले माह के पहले दिन को ऐसी अन्य परिसम्पत्तियों के संवर्धन की प्रभावी तिथि माना जाता है। इसी प्रकार विलोपन के मामले में पूर्व माह के अंतिम दिन को ऐसी परिसम्पत्ति से संबंधित मूल्यह्रास के लिए विचार में लिया जाता है। सक्रिय उपयोग के पश्चात सामग्रीगत मूल्य वाली हटाई गई तथा निपटान के लिए धारित परिसम्पत्तियों की प्रस्तुति उनके न्यूनतम सकल बही मूल्य अथवा सकल प्राप्य मूल्य (जहां भी उपलब्ध हो) के अनुसार की जाती है तथा लेखे में अलग से उनका प्रकटन किया जाता है। ऐसी परिसम्पत्तियों (वित्तीय वर्ष 1995–96 से वैस्टलैंड हेलीकॉप्टरों तथा संबंधित मदों सहित) के लिए मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया जाता है। परिसम्पत्तियों को हटाए जाने अथवा निपटान किए जाने से उत्पन्न लाभ अथवा हानियां लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित की जाती हैं।

पूंजीगत कार्य प्रगति पर

रिपोर्टिंग तिथि को उस सम्पति, संयंत्र तथा उपकरण का प्रकटन पूंजीगत कार्य प्रगति पर होने के रूप में किया जाता है जो प्रयोग के लिए तैयार नहीं हैं।

(vii) अमूर्त परिसम्पत्तिां

स्वीकृति एवं मापन

अधिगृहित अमूर्त परिसम्पत्तियों का मापन अलग से उनकी प्रारंभिक स्वीकृत लागत तथा उसकी अनुवर्ती वहन लागत में से संचित परिशोधन एवं संचित क्षति हानि घटाकर, यदि कोई हो, किया जाता है।

किसी अमूर्त परिसम्पत्ति की स्वीकृति की समाप्ति उसके निपटान अथवा उसके उपयोग अथवा निपटान से किसी प्रकार के भावी आर्थिक लाभ संभावित न होने की स्थिति में की जाती है। स्वीकृति समाप्ति से उत्पन्न लाभ अथवा हानियों का निर्धारण उनसे हुए मुनाफे की तुलना वहन राशि से करके उन्हें लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

अनुवर्ती लागतें

किसी विशिष्ट परिसम्पत्ति की सन्निहित लागत में सम्बद्ध भावी आर्थिक लाभ बढ़ने पर अनुवर्ती लागतों का पूंजीयन किया जाता है। अन्य अमूर्त परिसम्पतियों के अन्य सभी व्ययों की स्वीकृति किए गए व्यय के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

इंड एएस में पारगमन

इंड ए एस में पारगमन के लिए कम्पनी ने पूर्व सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार 1 अप्रैल, 2016 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत सभी अमूर्त परिसम्पत्तियों के वहन मूल्य को जारी रखने तथा ऐसे वहन मूल्य का उपयोग अमूर्त परिसम्पत्ति की मान्य लागत के रूप में करने का चयन किया गया है।

परिशोधन

कम्पनी द्वारा अमूर्त परिसम्पत्तियों का परिशोधन अमूर्त परिसम्पत्तियों के उपयोज्य काल पर सीधी रेखा विधि के उपयोग से परिमत उपयोज्य काल के साथ किया जाता है। अमूर्त परिसम्पत्तियों के परिशोधन व्यय की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। प्रबंधन द्वारा अनुमानित उपयोज्य जीवन की वार्षिक समीक्षा की जाती है तथा उनका समायोजन पूर्व प्रभाव से किया जाता है।

क्रय किए गए/आंतरिक रूप से विकसित किए गए 5 लाख रुपए प्रत्येक से अधिक मूल्य के साफ्टवेयर की लागत का परिशोधन सीधी रेखा आधार पर साफ्टवेयर की सफल कमीशनिंग की तिथि से, प्रत्येक वर्ष के अंत में उनकी समीक्षा किए जाने की शर्त के साथ, 60 माह की अवधि में किया जाता है तथा राजस्व के लिए उसे क्रय के वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पत्तियां

गैर–चालू परिसम्पत्तियों तथा निपटान समूहों का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित मदों के लिए तब किया जाता है जब उनकी वहन राशि की वसूली मूलतः उनके निरंतर उपयोग के स्थान पर बिक्री संव्यवहार से की जानी हो। इस स्थिति को पूर्ण तब माना जाता है जब परिसम्पत्ति (अथवा निपटान समूह) अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए केवल व्यावहारिक एवं सामान्य शर्त के साथ उपलब्ध हो तथा ऐसी परिसम्पत्ति (अथवा निपटान समूह) की बिक्री की संभावना उच्चतर हो। प्रबंधन ऐसी बिक्री के प्रति प्रतिबद्ध होता है जिसकी पूर्ण बिक्री उसके वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर स्वीकृति के लिए संभावित समझी गई हो।

बिक्री के लिए धारित के तौर पर वर्गीकृत की गई गैर–चालू परिसम्पत्तियों (तथा निपटान समूहों) का मापन उनकी वहन राशि से कम तथा उचित मूल्य में से बिक्री की लागत कम करते हुए किया जाता है।

(viii) पट्टे

जहां कहीं पट्टा अंतरण के अनुबंधों में स्वामित्व के सभी जोखिम एवं लाभ मूलतः पट्टाधारी को प्राप्त हैं वहां पट्टों का वर्गीकरण वित्त के रूप में किया गया है। ऐसे पट्टे का वर्गीकरण प्रचालन पट्टे के रूप में किया गया है जिसके महत्वपूर्ण भाग में स्वामित्व के जोखिम तथा लाभ पट्टेदाता द्वारा धारित किए जाते हैं।

क) प्रचालन पट्टा

प्रचालन पट्टा भुगतानों की स्वीकृति, ऐसी स्थिति के अलावा जिसके अतर्गत किसी भाग के संबंध में अन्य प्रक्रिया आधार उस समय पैटर्न के लिए अधिक अनुकूल हो, जिसमें पट्टा परिसम्पत्तियों से आर्थिक लाभों का उपयोग किया गया है, लाभ एवं हानि विवरण में पट्टा काल के लिए सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में की जाती है। पट्टेदार द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहन लाभ के औसत (उन स्फीतीकारी वृद्धियों के अलावा जिनके किरायों की संरचना मात्र पट्टेदार के स्फीतीकारी लागत संवर्धन की प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से सामान्य स्फीति की संभावना से बढ़ाकर किए जाते हैं, ऐसी वृद्धियों की स्वीकृति उस वर्ष की जाती है जिस वर्ष लाभ उत्पन्न होते हैं) की स्वीकृति सीधी रेखा आधार पर पट्टे की अवधि में से किराया व्यय घटाकर की जाती है।

ख) वित्तीय पट्टे

वित्तीय पट्टे के अंतर्गत धारण की गई कम्पनी की परिसम्पत्तियों की स्वीकृति पट्टे के प्रारम्भ में उसके उचित मूल्य अथवा, यदि कम है तो न्यून मूल्य, के अनुसार न्यूनतम पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर की जाती है। पट्टेदाता के उत्तरदेयी दायित्व तुलन पत्र में वित्तीय पट्टा दायित्व के रूप में शामिल किए जाते हैं।

वित्तीय पट्टे के अंतर्गत धारित परिसम्पत्तियों का मूल्यह्रास उनके संभावित उपयोज्यता काल पर स्वामित्व परिसम्पत्तियों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले आधार के अनुसार अथवा पट्टे की संबंधित अवधि, यदि कम है, के अनुसार किया जाता है। पट्टे के बकाया शेष के संबंध में नियत ब्याज दर की स्थापना के लिए वित्तीय व्ययों एवं पट्टा दायित्व में की गई कटौती के माध्यम से पट्टा भुगतान विभाजित कर दिए जाते हैं।

(ix) मालसूचियां

मालसूचियों (नीचे अलग से उल्लिखित मदों के अलावा) का मूल्य निर्धारण, उनके अप्रयोग एवं अन्य हानियों के प्रावधान करते हुए, जहां आवश्यक समझे जाएं, उनकी न्यूनतम लागत (गतिमान भारित औसत आधार पर) तथा सकल प्राप्य मूल्य के अनुसार किया जाता है। लागतों में माल को उसके वर्तमान स्थल तथा स्थिति पर लाने के लिए व्यय किए गए सभी प्रभार शामिल होते हैं। वर्ष के अंत में षॉप फ्लोर में रखी गई कलपूर्जो तथा भंडार की मदें भी मालसूची के अंतशेष के भाग के रूप में विचार में लाई जाती हैं।

लूज औजारों/परीक्षण औजारों का परिशोधन समान रूप से 3 वित्तीय वर्षों की अवधि में किया जाता है जिसमें इनके क्रय का वर्ष शामिल होता है तथा इनका उल्लेख उसी के अनुसार किया जाता है। इन शीर्षों के अंतर्गत रद्द की गई मदों का बट्टा एफआईएफओ आधार पर किया जाता है।

भंडार एवं अतिरिक्त पूर्जों की वे मदें, जिनका प्राप्ति मूल्य 1000/– रुपए से कम है, अथवा तेल, ग्रीस एवं स्नेहकों की सभी उपभोज्य मदों के व्यय उनके क्रय वर्ष में दर्शाए जाते हैं।

लेखे में भंडार, अतिरिक्त पूर्जों तथा उपभोज्य मदों (स्थल सहायता एवं परीक्षण उपकरणों तथा अनुरक्षण औजारों के अलावा) की गैर गतिमान मदों, जो पिछले संव्यवहार की तिथि से तीन निरंतर वर्षों में वास्तविक उपयोग के लिए जारी नहीं की गई हैं, के संबंध में गतिमान भारित औसत आधार पर प्रावधान किए गए हैं।

(x) क्षति

क) वित्तीय परिसम्पत्तियां

इंड एएस 109 के अनुसरण में कम्पनी द्वारा क्षति हानियों के मापन एवं स्वीकृति के उद्देश्य से निम्नलिखित वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं क्रेडिट जोखिम विवरण के लिए संभावित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल का उपयोग किया गया है:–

i. वित्तीय परिसम्पत्तियां जो ऋण उपकरण हैं तथा जिनका मापन परिशोधन लागत अर्थात ऋण, जमा इत्यादि पर किया गया है।

ii. व्यवसाय प्राप्य – कम्पनी द्वारा व्यवसाय प्राप्यों, यदि संव्यवहार में महत्वपूर्ण वित्तीय घटक शामिल नहीं है, उनके संव्यवहार मूल्य पर तथा किया जाता है तथा क्षति हानि भत्ते की स्वीकृति के उद्देश्य से कम्पनी द्वारा व्यवसाय प्राप्य के लिए इंड एएस –109 वित्तीय उपकरण में दी गई सरलीकृत विधि का उपयोग किया जाता है। सरलीकृत विधि के उपयोग से कम्पनी को क्रेडिट जोखिम में होने वाले ट्रैक परिवर्तनों का अनुगमन नहीं करना होता है। इसकी अपेक्षा इसमें क्षति हानि भत्ते की स्वीकृति उनके उपयोज्यता काल की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को संभावित क्रेडिट पर की गई प्रारंभिक स्वीकृति पर आधारित है।

कम्पनी द्वारा संभावित क्रेडिट हानियों का मापन केवल उन मामलों में किया गया है जिनके लिए रिपोर्टिंग तिथि के लिए औचित्यपरक एवं समर्थनकारी सूचना किसी अदेय लागत अथवा पूर्व कार्यों, चालू स्थितियों एवं भावी आर्थिक स्थिति के पूर्वानुमान के प्रयासों के बिना उपलब्ध होती है।

किसी औचित्यपरक सूचना की अनुपलब्धि की स्थिति में कम्पनी द्वारा सामान्यतः केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश से सात वर्षों से अधिक अवधि के प्राप्य बकाया को संदेहास्पद मान लिया जाता है तथा उसे प्रभारित किया जाता है। केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेशों के अलावा अन्य पार्टियों से तीन वर्ष से अधिक अवधि के प्राप्य बकाया को संदेहास्पद मान लिया जाता है तथा इस अवधि से पूर्व उनके संदेहास्पद न होने का विशिष्ट संज्ञान होने की स्थिति के अलावा स्थिति में उसे प्रभारित किया जाता है।

iii. व्यवसाय देय–बाह्य पार्टियों के दावा न किए गए क्रेडिट शेष तथा तीन वर्षों से अधिक बकाया को लेखे में लेकर आय मान लिया जाता है।

ख) गैर–वित्तीय परिसम्पत्तियां

सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण एवं नियत उपयोज्य काल वाली अमूर्त परिसम्पत्तियों के संबंध में उनकी वहन राशि की वसूली न हो पाने का कोई लक्षण होने की स्थिति में उनका मूल्य निर्धारण उनकी वसूली योग्यता के अनुसार किया जाता है। लाभ एवं हानि विवरण में उस राशि के लिए क्षति हानि की स्वीकृति की जाती है जिस राशि से परिसम्पत्ति का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होता है। किसी परिसम्पत्ति से यदि ऐसे रोकड़ प्रवाह उत्पन्न नही होते हैं मुख्यतः अन्य परिसम्पत्तियों से अलग हो तो उसकी वसूली योग्य राशि (उचित मूल्य का उच्चतर घटा बिक्री लागत एवं उपयोग मूल्य) का निर्धारण किसी एकल परिसम्पत्ति के आधार पर किया जाता है। ऐसे मामलों में वसूली योग्य राशि का निर्धारण उसकी उस रोकड़ उत्पति यूनिट (सीजीयू) के लिए होता है जिससे ऐसी परिसम्पत्ति सम्बद्ध होती है।

(xi) कर्मचारी हितलाभ

क) अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उस बारह माह की अवधि, जिस अवधि में कर्मचारियों द्वारा संबद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं, के दौरान देय वेतन, मजदूरी, बोनस इत्यादि के सभी कर्मचारी हितलाभों की देयताओं की स्वीकृति रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक की गई है तथा उनका मापन गैर छूट प्राप्त राशि पर देयताओं के निपटान के भुगतान की संभाव्यता के साथ किया गया है।

ख) सेवानिवृत्ति पश्च हितलाभ योजनाएं

कर्मचारी हितलाभों में भविष्य निधि अंशदान, पेंशन, सेवानिवृत्ति पश्च चिकित्सा हितलाभ, प्रतिपूरक अनुपस्थिति तथा सेवानिवृत्ति के समय सामान भत्ता इत्यादि शामिल है।

परिभाषित अंशदायी योजनाएं

पात्र कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी सेवानिवृत्ति हितलाभ योजना के भुगतान देय होने पर व्यय में प्रभारित किए जाते हैं। ऐसे हितलाभों का वर्गीकरण परिभाषित अंशदायी योजनाओं में किया गया है क्योंकि इसमें किए गए अंशदान के अलावा कम्पनी का अन्य कोई दायित्व नहीं होता है।

भविष्य निधि

कम्पनी द्वारा भविष्य निधि में अंशदान के तात्पर्य से योग्य कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति हितलाभ योजना के अंतर्गत परिभाषित अंशदान दिया जाता है। योजना के अंतर्गत कम्पनी से हितलाभों में निधियन के लिए मूल वेतन के विशिष्ट प्रतिशत का अंशदान किया जाना अपेक्षित किया गया है। यह अंशदान विधि द्वारा निर्दिष्ट है तथा इसका भुगतान कम्पनी द्वारा स्थापित भविष्य निधि ट्रस्ट को चुकता किया जाता है। कम्पनी से मासिक अंशदान किया जाना अपेक्षित किया गया है तथा निधि परिसम्पत्ति में किसी प्रकार की न्यूनता भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम दरों पर आधारित होती है। ऐसे अंशदान एवं न्यूनताओं, यदि कोई हों, को भुगतान के वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

पेंशन निधि

कम्पनी की पेंशन योजना परिभाषित अंशदान योजना है जिसमें कम्पनी की देयताएं प्रत्येक माह में किए गए अंशदान पर उस वेतन के 10% के समतुल्य हैं जिस पर भविष्य निधि अंशदान किया गया है। कम्पनी द्वारा नागर विमानन मंत्रालय से अनुमोदन के पश्चात भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ पेंशन योजना को अंतिम रूप दिया गया है।

परिभाषित हितलाभ योजनाएं

कम्पनी द्वारा नीचे प्रस्तुत प्रमुख परिभाषित हितलाभ योजनाएं प्रदान की गई हैं:–

उपदान

कम्पनी में परिभाषित हितलाभ उपदान योजना लागू की गई है। पांच वर्ष अथवा अधिक काल की अनवरत सेवाएं प्रदान करने वाला प्रत्येक कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति, त्याग–पत्र, सेवा मुक्ति, अक्षमता अथवा मृत्यु होने पर 10.00 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक उपदान का पात्र होता है। उपदान योजना के लिए निधियन कम्पनी द्वारा किया जाता है तथा इसका प्रबंधन अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।

सेवानिवृत्ति पश्च चिकित्सा हितलाभ योजना (पीआरएमबीएस)

कम्पनी में सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ योजना लागू है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उसकी पत्नि/उसके पति को कम्पनी द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा की शर्त के साथ पैनलबद्ध अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

सेवानिवृत्ति के समय सामान भत्ता

सामान भत्ते के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी ऐसे स्थान के लिए, जहां कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात अपना निवास स्थापित करना चाहता है, कर्मचारी परिवार के सदस्यों की यात्रा तथा सामान की शिफ्टिंग के लिए पुनर्भुगतान करने की व्यवस्था की गई है।

कम्पनी की परिभाषित हितलाभ योजनाओं के संबंध में देयताओं अथवा परिसम्पत्तियों की स्वीकृति तुलन पत्र में परिभाषित हितलाभ दायित्व के विद्यमान मूल्य पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजना परिसम्पत्तियों में से उचित मूल्य घटाकर की जाती है। परिभाषित हितलाभ दायित्व का आकलन वार्षिक तौर पर बीमांकन द्वारा अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि के उपयोग से किया जाता है।

उक्त दायित्व के विद्यमान मूल्य का निर्धारण सरकारी बांडों, जो संबद्ध दायित्व के काल की लगभग समान अवधि के होते हैं, के बाजार प्रतिफल के उपयोग से अनुमानित भावी रोकड़ बर्हिप्रवाह में न्यूनता करके किया जाता है।

ब्याज आय/(व्यय) का आकलन सकल परिभाषित देयता अथवा परिसम्पत्ति पर छूट दर के उपयोग से किया जाता है। सकल परिभाषित हितलाभ दायित्व अथवा परिसम्पत्ति पर सकल ब्याज आय/(व्यय) की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

अनुभव समायोजनों से उत्पन्न पुनःमापन लाभों तथा हानियों एवं बीमांकित अनुमानों की स्वीकृति उनके उत्पन्न होने के वर्ष में सीधे अन्य विस्तृत आय में की जाती है। इन्हें इक्विटी परिवर्तन विवरण एवं तुलन पत्र में धारित आय में शामिल किया जाता है।

योजना संशोधनों अथवा संक्षेपन से उत्पन्न परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के परिवर्तन पूर्व सेवा लागत पर लाभ एवं हानि विवरण में तत्काल स्वीकृत किए जाते हैं।

छुट्टी (अर्जित छुट्टी/अर्ध वेतन छुट्टी)

कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी हितलाभ (प्रतिपूरक अनुपस्थिति सहित) तथा अर्ध वेतन छुट्टी लाभ प्रदान किए जाते हैं जिनका प्रति वर्ष क्रमशः 30 दिन एवं 20 दिन का उपार्जन होता है। सेवा के दौरान 75: अर्जित छुट्टियों का नकदीकरण किया जा सकता है। अर्ध–वेतन छुट्टी का नकदीकरण केवल 50 वर्ष की आयु के पश्चात अधिकतम 480 दिनों के लिए किया जा सकता है तथा अर्ध वेतन छुट्टी के विनिमय की अनुमति नहीं है। लोक उपक्रम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार अर्जित छुट्टी तथा अर्ध–वेतन छुट्टी का एक साथ नकदीकरण अधिकतम 300 दिनों के लिए किया जा सकता है। इसके दायित्व की स्वीकृति बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(xii) प्रावधान

प्रावधानों की स्वीकृति तब की जाती है जब कम्पनी के समक्ष किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप (विधिक अथवा तर्कसाध्य) विद्यमान दायित्व हो तथा जिसमें आर्थिक लाभों के बहिर्प्रवाह की अपेक्षा ऐसे दायित्व के निपटान के लिए किए जाने की संभावना की गई हो तथा जिसकी राशि के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हों। 5000/– रुपए से कम मूल्य के संव्यवहार के संबंध में व्यय/दायित्वों के प्रावधान लेखे में नहीं किए जाते हैं।

तुलन पत्र की तिथि को प्रत्येक ज्ञात दायित्वों के लिए लेखे में प्रावधान किए गए हैं। ऐसे दायित्वों को लेखे में नहीं लिया गया है जिन दायित्वों की जानकारी नहीं है अथवा जिन दायित्वों की राशि का निर्धारण औचित्यपरक सटीकता के साथ नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, माल तथा मरम्मत ओवरहॉल प्रभारों के दायित्व आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक किए गए ऐसे माल के प्रेषण के संबंध में किए गए हैं जिनकी डिलीवरी कम्पनी को वर्ष के अंत तक प्राप्त नहीं हुई है तथा इन्हें निर्माता से प्राप्त सूचना/इंजीनियरिंग अनुमानों के आधार पर लेखे में प्रभारित किए गए हैं।

किसी प्रावधान से संबंधित किसी पुनर्भुगतान के व्यय लाभ एवं हानि विवरण में प्रस्तुत किए गए हैं। धन का समय मूल्य सामग्रीगत होने की स्थिति में दायित्व से संबद्ध जोखिम के समरूप चालू कर दर के उपयोग, जहां उचित हो, से प्रावधानों में न्यूनता की जाती है। न्यूनता का उपयोग किए जाने की स्थिति में समय के साथ साथ प्रावधान में होने वाली बढ़त की स्वीकृति वित्त लागतों के रूप में की जाती है।

(xiii) आकस्मिक देयताएं/आकस्मिक परिसम्पत्तियां

आकस्मिक देयताएं संभावित दायित्व होते हैं जो पूर्व घटनाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं तथा जिनके अस्तित्व की पुष्टि भविष्य में उनके एक अथवा अधिक

अवसरों पर घटित होने अथवा न होने से होती है जो कि कम्पनी के नियंत्रण से परे होते है अथवा जिनकी स्वीकृति दायित्वों के निपटान के लिए संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित न होने की संभावना से नहीं की गई थी। कम्पनी द्वारा किसी आकस्मिक देयता की स्वीकृति नहीं की गई है परन्तु वित्तीय विवरणों में उनके विद्यमान होने का प्रकटन किया गया है। ऐसे संभावित दायित्व अथवा किसी ऐसे विद्यमान दायित्व, जिससे संसाधनों के बर्हिप्रवाह की संभावना अत्यधिक कम है, के संबंध में प्रकटन नहीं किया गया है।

आकस्मिक परिसम्पत्तियां संभावित परिसम्पत्तियां होती हैं जो पूर्व घटनाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं तथा जिनके आस्तित्व की पुष्टि भविष्य में उनके एक अथवा अधिक अवसरों पर घटित होने अथवा न होने से होती है जो कि कम्पनी के नियंत्रण से परे होते है।

(xiv) राजस्व स्वीकृति

राजस्व का मापन प्रतिफल की प्राप्ति अथवा प्राप्यता की स्थिति में उचित मूल्य पर की जाती है। राजस्व की स्वीकृति किए जाने से पूर्व नीचे उल्लिखित विशिष्ट स्वीकृति मानदंडों के अंतर्गत निर्णय लिए हैं–

क) हेलीकॉप्टरों के प्रचालन से राजस्व की स्वीकृति उपचय आधार पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार की जाती है।

ख) इंजीनियरिंग तथा अन्य सेवाओं से सम्बद्ध राजस्व की स्वीकृति संव्यवहार की पूर्णता के स्तर के संदर्भ में रिपोर्टिंग तिथि के अंत में तब की जाती है जब सेवाओं की प्रस्तुति के संबंध में प्रतिफल के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हों।

ग) अपशिष्ट परिसम्पत्तिया/भंडार की बिक्री से प्राप्त राजस्व की स्वीकृति वास्तविक प्राप्तियों के अनुसार की जानी है।

घ) वित्तीय परिसम्पत्तियों से ब्याज आय की स्वीकृति तब की जानी है जब ऐसी संभावना हो कि इससे कम्पनी के लिए आर्थिक लाभ प्रभावित होगें तथा आय की राशि का मापन विश्वसनीयता से किया जा सकेगा। मूल बकाया के संदर्भ में समय आनुपातिक आधार पर लागू ब्याज दर पर उत्पन्न ब्याज की दर वह होती है जो उस परिसम्पत्ति की प्रारंभिक स्वीकृति के समय की सकल वहन राशि के अनुसार वित्तीय परिसम्पत्तियों के संभावित उपयोज्यता काल के माध्यम से अनुमानित भावी रोकड़ प्राप्तियों में स्टीक न्यूनता करती है।

(xv) इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश

इक्विटी शेयरधारक के लाभांश की स्वीकृति दायित्व के रूप में की जाती है तथा शेयरधारक की इक्विटी में से इसकी कटौती उस अवधि में की जाती है जिस अवधि के दौरान आम बैठक में शेयरधारक द्वारा लाभांश अनुमोदित किया गया था। अंतरिम लाभांश, यदि कोई हो, कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा की गई घोषणा की तिथि के लिए दायित्व के तौर पर रिकार्ड में लिया जाता है।

(xvi) पूर्व चुकता व्यय

5,000/– रुपए की राशि से कम के एकल पूर्व चुकता व्यय का लेखांकन नहीं किया जाता है।

(xvii) ऋण लागतें

किसी ऐसी योग्य परिसम्पत्ति, जिसके ओषित उपयोग के लिए निर्माण अथवा अधिग्रहण में काफी समय लगना अपेक्षित हो, से सीधे सम्बद्ध ऋण लागतों का पूंजीयन परिसम्पत्तियों के भाग के रूप में उस समय तक किया जाता है जब तक ऐसी परिसम्पत्तियां ओषित उद्देश्य के लिए तैयार होती है। अन्य ऋण लागतों की स्वीकृति व्यय के रूप में उनके व्यय के वर्ष में की जाती हैं।

(xviii) कमीशन

बिक्री पर चुकता/देय कमीशन की स्वीकृति टिकटों की बिक्री के लिए तथा एजेंटों (ग्राहकों) के साथ किए गए अनुबंध के उपबंधों के अनुसार की जाती है। कम्पनी इसमें चूंकि प्रधान के कार्य करती है अतः लाभ एवं हानि विवरण में इस व्यय की स्वीकृति कमीशन के रूप में की जाती है।

(xix) व्यय

व्ययों का लेखांकन उपचय आधार पर किया जाता है तथा प्रत्येक ज्ञात हानियों एवं देयताओं के लिए प्रावधान किए जाते हैं।

(xx) हेलीकॉप्टर अनुरक्षण एवं मरम्मत लागत

कम्पनी द्वारा हेलीकॉप्टर मरम्मत एवं अनुरक्षण लागत (अपने स्वामित्व वाले हेलीकॉप्टरों की प्रमुख निरीक्षण लागत, उल्लेखनीय ओवरहॉल के अलावा) को व्यय के आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

(xxi) हेलीकॉप्टर ईंधन व्यय

हेलीकॉप्टर ईंधन व्ययों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में किसी प्रकार की छूट काटकर भराई एवं खपत के अनुसार की जाती है।

(xxii) आय कर

आय कर व्यय में चालू एवं आस्थगित आय कर शामिल है। लाभ एवं हानि विवरण में आय कर व्ययों की स्वीकृति इक्विटी से प्रत्यक्ष स्वीकृत मदों, जिन्हें अन्य विस्तृत आय में स्वीकृत किया जाता है, के अलावा की जाती है।

चालू कर

चालू एवं पूर्वावधियों के चालू आय कर की स्वीकृति कर प्राधिकरणों को देय संभावित राशि अथवा वसूल की जाने वाली राशि के अनुसार उन कर दरों एवं कर विधियों के उपयोग से की जाती है जिनका सम्पादन अथवा अनुवर्ती सम्पादन तुलन पत्र तिथि के लिए किया गया है।

निर्धारण के अनुसार की गई अतिरिक्त आय कर मांग की स्वीकृति अंतिम निर्धारण तय होने के वर्ष में की जाती है। तदनुसार आय कर धनवापसी पर ब्याज का लेखांकन निर्धारण तय होने के वर्ष अथवा वास्तविक प्राप्ति, जो भी बाद में हो, के अनुसार किया जाता है।

कम्पनी द्वारा उन चालू कर परिसम्पत्तियों तथा चालू कर दायित्वों का समंजन किया जाता है जिनके संबंध में स्वीकृत मात्रा के अनुसार समंजन के लिए विधिक प्रवर्तन अधिकार उपलब्ध हैं तथा जिनके संबंध में यह सकल आधार पर इनका निपटान करने अथवा परिसम्पत्ति से धन प्राप्त करने अथवा साथ साथ दायित्व का निपटान करने की मंशा रखती है। संबंधित वर्ष के लिए आय कर प्रावधान वित्तीय वर्ष के लिए लागू संभावित वार्षिक कर दर पर किए जाते हैं।

(xxiii) आस्थगित कर

आस्थगित आय कर परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की स्वीकृति परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के कर आधार एवं वित्तीय विवरणों में उनकी वहन राशि के कर आधार के मध्य उत्पन्न सभी अस्थाई अंतरों के अनुसार की जाती है। आस्थगित कर की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में होती है तथा इसे उस सीमा तक न्यून किया जाता है जहां तक उपयोग की जाने वाली आस्थगित कर परिसम्पति के प्रत्येक अथवा किसी भाग पर पर्याप्त कर योग्य लाभ प्राप्त होने की संभावना न हो।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का मापन तुलन पत्र तिथि के सम्पादन अथवा अनुवर्ती सम्पादन के लिए उपयोग में लाई गई कर दरों तथा कर विधियों के अनुसार किया जाता है तथा जिनके उपयोग की संभावना उन वर्षों की कर योग्य आय के लिए होती है जिन वर्षों में इनके अस्थाई अंतरों की वसूली अथवा निपटान संभावित हैं। आस्थगित कर परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों की कर दरों में परिवर्तन के प्रभाव उनके अधिनियमन अथवा विधिवत प्रस्तावित अधिनियमन की तिथि के साथ वर्ष की आय अथवा व्यय में स्वीकृत किए जाते हैं। आस्थगित कर आय परिसम्पत्ति की स्वीकृति उस सीमा तक की जाती है जिसके प्रति उनसे ऐसे भावी कर योग्य लाभों की प्राप्ति की संभावना हो जिससे कटौती योग्य अस्थाई अंतरों तथा कर हानियों का उपयोग किया जा सकेगा।

स्वीकृत न किए गए आस्थगित कर का पुनःमूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है तथा उनकी स्वीकृति उस सीमा तक की जाती है जिसमें उन कर योग्य लाभों की प्राप्ति की संभावना हो जिन्हें इनके प्रति उपयोग में लाया जा सकेगा।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का समंजन केवल तभी किया जाता है जब कम्पनी के पास चालू कर दायित्वों के प्रति चालू कर परिसम्पत्तियों के समंजन के लिए प्रवर्तन योग्य विधिक अधिकार उपलब्ध हो तथा आस्थगित कर परिसम्पत्तियां एवं आस्थगित कर दायित्व उन्हीं कराधान प्राधिकरण द्वारा समान कर योग्य इकाई के लिए अधिरोपित आय कर से संबंधित हों।

लाभ एवं हानि से बाहर की मदों से संबंधित स्वीकृत आस्थगित कर की स्वीकृति लाभ एवं हानि के बाहर (अन्य विस्तृत आय में अथवा इक्विटी में) की जाती है।

आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध न्यूनतम वैकल्पिक कर की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। चुकता किए गए न्यूनतम वैकल्पिक कर के संबंध में अधिनियम के अंतर्गत प्रयुक्त क्रेडिट की स्वीकृति परिसम्पत्ति के रूप में केवल तभी की जाती है जब ऐसा स्वीकार्य प्रमाण उपलब्ध हो कि कम्पनी द्वारा उस अवधि के लिए सामान्य आय कर चुकता कर दिया जाएगा जिस अवधि के लिए सामान्य कर दायित्वों का समंजन न्यूनतम वैकल्पिक कर को अग्रेषित करके किया जा सकता है। परिसम्पत्ति के तौर पर स्वीकृत न्यूनतम वैकल्पिक कर की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में की जाती है तथा उपर्युक्तानुसार स्वीकार्य प्रमाण विद्यमान न होने की स्थिति में इन्हें संबंधित सीमा तक प्रभारित कर लिया जाता है।

(xxiv) प्रति इक्विटी शेयर आय

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय का आकलन कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों के शुद्ध लाभ अथवा हानि को वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है। प्रति शेयर विरल की गई राशि सामान्य इक्विटी शेयरों के लाभ एवं हानि तथा भारित औसत इक्विटी शेयरों से समायोजित करके आकलित करते हुए सम्बद्ध की जाती है जिससे विरल किए गए शेयरों की संख्या के प्रभाव उत्पन्न हो सकें।

(xxv) सेगमेंट रिपोर्टिंग

प्रचालनात्मक सेगमेंट की रिपोर्टिंग आंतरिक रिपोर्टिंग से संगत पद्धति के अनुसार मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक को की जाती है। मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक निदेशक मंडल होता है जिसके द्वारा रणनीतिक निर्णय लिए जाते हैं तथा जो प्रचालनात्मक सेगमेंट के संसाधनों एवं निष्पादन मूल्यांकन के निर्धारण के प्रति उत्तरदेयी है।

(xxvi) बीमा/बीमा दावे

क) हेलीकॉप्टरों तथा मालसूची से भिन्न बीमा दावों का लेखांकन रोकड़ आधार पर किया जाता है तथा आय के रूप में इनकी स्वीकृति तब की जाती है जब ये किसी तृतीय पक्षकार को देय हों।

ख) पूर्ण हानि के अलावा वसूली योग्य हेलीकॉप्टर एवं मालसूची से संबंधित दावों का लेखांकन अनुमानित/अंतिम मूल्यांकित मूल्य पर बीमा सर्वेक्षक/बीमा कम्पनी द्वारा दावे की स्वीकृति के प्रति यथार्थ निश्चितता स्थापित होने के संबंध में संबंधित वित्तीय वर्ष की लेखा बहियों के समापन से पूर्व जानकारी प्राप्त होने पर अंतिम दावा किए जाने के वर्ष की लेखा बहियों में किया जाता है अथवा इनका लेखांकन दावा स्वीकृति के वर्ष में किया जाता है। मरम्मत के वास्तविक व्यय तथा कुल बीमा दावे की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है तथा परिसम्पत्तियों को उनके बही मूल्य पर अग्रेषित किया जाता है।

ग) हेलीकॉप्टर की पूर्ण क्षति के मामले में घटना घटित होने के वर्ष में सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में से हेलीकॉप्टर के बही मूल्य को घटाकर समायोजन किए जाते हैं तथा "बीमा दावा प्राप्य लेखा" में इसका उल्लेख किया जाता है तथा बीमा कम्पनी द्वारा दावे के मूल्य की स्वीकृति/निपटान किए जाने पर "परिसम्पत्ति के भंजन पर प्राप्त बीमा दावे"

के लिए लाभ/हानि के उचित समायोजन किए जाते हैं।

(xxvii) हाल ही में की गई लेखांकन घोषणाएं

जारी मानक जो अभी प्रभावी नहीं हुए हैं

मार्च, 2017 में निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियमावली, 2017 जारी करके इंड एएस 7 'रोकड़ प्रवाह के विवरण' तथा इंड एएस 102 'शेयर आधारित भुगतान' में संशोधन अधिसूचित किए गए हैं। ये संशोधन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा आईएएस 7 'रोकड़ प्रवाह के विवरण' तथा आईएफआरएस 2, 'शेयर आधारित भुगतान' में क्रमशः किए गए संशोधनों के अनुसरण में किए गए हैं। ये संशोधन कम्पनी के संबंध में 1 अप्रैल, 2017 से लागू हैं।

इंड एएस 7 में संशोधन

भारतीय लेखांकन मानक 7 में कम्पनी से इस संबंध में प्रकटन किए जाने की अपेक्षा की गई है तथा ऐसे प्रकटन की अपेक्षा की पूर्ति के लिए वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ता वित्तीय क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह एवं गैर रोकड़ परिवर्तनों के दोनों परिणामों से उत्पन्न दायित्वों के परिवर्तनों, वित्तीय क्रियाकलापों से उत्पन्न दायित्वों के संबंध में तुलन पत्र में अथ शेष एवं अंत शेष के मध्य समाधान के मूल्यांकन के लिए की गई है।

कम्पनी द्वारा संशोधन में की गई अपेक्षाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है तथा वित्तीय विवरणों पर इससे हुए प्रभाव का मूल्यांकन जारी है।

इंड एएस 102 में संशोधन

इंड ए एस 102 के संशोधन में नकद–निपटान कार्यों के मापन, नकद निपटान कार्यों में बदलाव तथा ऐसे कार्यों जिनमें धारित करों के संबंध में नकद निपटान की व्यवस्था शामिल की गई है, से संबंधित विशिष्ट दिशानिर्देश दिए गए हैं।

संशोधन की अपेक्षाओं से कम्पनी के वित्तीय विवरण प्रभावित नहीं हुए हैं क्योंकि एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है तथा सामान्यतः इसके द्वारा शेयर आधारित भुगतानों के लिए संव्यवहार नहीं किया जाता है।

नोट 3: संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर

3.1 सक्रिय उपयोग में आस्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	पट्टाधृत भूमि	हेलीकॉप्टर/एयरो इंजन एवं अन्य संबंधित घटक	भवन	संयंत्र एवं उपस्कर	फर्नीचर एवं जुड़नार	वाहन	कार्यालय उपस्कर	कंप्यूटर एवं अन्य संबंधित उपस्कर	चालू पूंजीगत कार्य	कुल
1 अप्रैल, 2015 तक सकल कैरिंग वैल्यू	**42.57**	**80,739.06**	**2,440.92**	**2,313.45**	**298.58**	**75.85**	**97.68**	**148.49**	**1,804.33**	**87,960.93**
जोड़	-	7,959.18	0.64	206.68	6.32	1.33	26.63	52.47	3,625.98	11,879.23
निपटान/समायोजन	-	(5,797.68)	-	(6.90)	0.17	(0.24)	(0.62)	(1.17)	(36.66)	(5,843.10)
विनिमय अंतर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2016 तक सकल कैरिंग वैल्यू	**42.57**	**82,900.56**	**2,441.56**	**2,513.23**	**305.07**	**76.94**	**123.69**	**199.79**	**5,393.65**	**93,997.06**
जोड़	-	6,882.47	5,199.02	555.17	116.44	7.07	310.72	20.31	1,318.22	14,409.42
निपटान/समायोजन	-	(188.55)	(16.23)	(0.19)	-	(0.99)	(0.01)	(0.29)	(6,107.57)	(6,313.83)
विनिमय अंतर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2017 तक सकल कैरिंग वैल्यू	**42.57**	**89,594.48**	**7,624.35**	**3,068.21**	**421.51**	**83.02**	**434.40**	**219.81**	**604.30**	**102,092.65**
मूल्यह्रास और हानि										
1 अप्रैल 2015 को संचित अवमूल्यन	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	0.65	6,610.84	122.90	268.66	57.42	26.47	34.16	82.12	-	7,203.22
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
प्रतिधारित आय से समायोजित राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निपटान	-	(302.01)	-	(0.58)	0.04	-	-	0.24	-	(302.31)
विनिमय अंतर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2016 तक संचित अवमूल्यन	**0.65**	**6,308.83**	**122.90**	**268.08**	**57.46**	**26.47**	**34.16**	**82.36**	**-**	**6,900.91**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	0.65	7,325.90	155.26	260.74	52.06	16.25	28.31	55.44	-	7,894.61
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिधारित आय से समायोजित राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निपटान	-	(11.81)	(2.16)	-	-	-	-	7.54	-	(6.43)
विनिमय अंतर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2017 तक संचित अवमूल्यन	**1.30**	**13,622.92**	**276.00**	**528.82**	**109.52**	**42.72**	**62.47**	**145.34**	**-**	**14,789.09**
शुद्ध बही मूल्य										
31 मार्च 2017 को	41.27	75,971.57	7,348.35	2,539.39	311.99	40.30	371.93	74.47	604.30	87,303.57
31 मार्च 2016 को	41.92	76,591.73	2,318.66	2,245.15	247.61	50.47	89.53	117.43	5,393.65	87,096.15
1 अप्रैल 2015 को	42.57	80,739.06	2,440.92	2,313.45	298.58	75.85	97.68	148.49	1,804.33	87,960.93

	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	1 अप्रैल 2015 को
संपत्ति संयंत्र एवं उपस्कर	86,699.27	81,702.50	86,156.60
चालू पूंजीगत कार्य	604.30	5,393.65	1,804.33

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियों पर नोट

3.2 निपटान/वितरण के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में वर्गीकृत

(₹ लाख में)

विवरण	संयंत्र एवं उपस्कर	हेलीकॉप्टर/ एयरो इंजन एवं अन्य संबंधित घटक	फर्नीचर एवं जुड़नार	वाहन	कार्यालय उपस्कर	कंप्यूटर एवं अन्य संबंधित उपस्कर	कुल
1 अप्रैल, 2015 तक सकल कैरिंग वैल्यू	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	-	-	-	-	-	-	-
निपटान/समायोजन	4.17	-	-	4.97	-	4.98	14.12
विनिमय अंतर	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2016 तक सकल कैरिंग वैल्यू	**4.17**	**-**	**-**	**4.97**	**-**	**4.98**	**14.12**
जोड़	-	-	-	0.99	-	-	0.99
निपटान/समायोजन	(4.17)	-	-	(5.12)	-	(4.98)	(14.27)
विनिमय अंतर	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2017 तक सकल कैरिंग वैल्यू	**-**	**-**	**-**	**0.84**	**-**	**-**	**0.84**
मूल्यह्रास और हानि							
1 अप्रैल, 2015 तक संचित अवमूल्यन/हानि	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	-	-	-	-	-	-	-
हानि	0.21	-	-	0.25	-	0.25	0.71
प्रतिधारित आय से समायोजित राशि	-	-	-	-	-	-	-
निपटान	3.96	-	-	4.72	-	4.73	13.41
विनिमय अंतर	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2016 तक संचित अवमूल्यन/हानि	**4.17**	**-**	**-**	**4.97**	**-**	**4.98**	**14.12**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	-	-	-	-	-	-	-
हानि	(0.21)	-	-	(0.25)	-	(0.25)	(0.71)
प्रतिधारित आय से समायोजित राशि	-	-	-	-	-	-	-
निपटान	(3.96)	-	-	(4.72)	-	(4.73)	(13.41)
विनिमय अंतर	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2017 तक संचित अवमूल्यन/हानि	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
शुद्ध बही मूल्य							
31 मार्च 2017 को	-	-	-	0.84	-	-	0.84
31 मार्च 2016 को	-	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल 2015 को	-	-	-	-	-	-	-

नोटः रुपये 0.84 लाख रुपए में 0.15 लाख रुपए की हानि के डब्ल्यूडीवी वैल्यू नेट पर निपटान के लिए कंपनी कार का प्रतिनिधित्व करता है। ये वाहन उपयोग योग्य स्थिति में नहीं थे और बाद में अप्रैल 2017 में विक्रय कर दिए गए थे।

नोट सं. 4
अमूर्त आस्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	कप्यूटर सॉफ्टवेयर	कुल
1 अप्रैल, 2015 तक सकल कैरिंग वैल्यू	**27.53**	**27.53**
जोड़	-	-
31 मार्च, 2016 तक सकल कैरिंग वैल्यू	**27.53**	**27.53**
जोड़ / (विलोपन / समायोजन)	(3.00)	(3.00)
31 मार्च, 2017 तक सकल कैरिंग वैल्यू	**24.53**	**24.53**
परिशोधन और हानि		
1 अप्रैल 2015 को संचित अवमूल्यन	**-**	**-**
परिशोधन	11.52	11.52
हानि	-	-
31 मार्च, 2016 तक संचित अवमूल्यन	**11.52**	**11.52**
परिशोधन	3.67	3.67
हानि	-	-
31 मार्च, 2017 तक संचित अवमूल्यन	**15.19**	**15.19**
शुद्ध बही मूल्य		
31 मार्च 2017 का	9.34	9.34
31 मार्च 2016 को	16.01	16.01
1 अप्रैल 2015 को	27.53	27.53

नोट सं. 5
निवेश

(₹ लाख में))

विवरण	यथा तिथि		
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
गैर–चालू			
गैर निर्दिष्ट इक्विटी उपक्रण			
ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेश (पूर्णतः प्रदत्त)			
राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान प्राइवेट लिमिटेड	289.34	289.34	289.34
(28,93,353 (गत वर्ष 28,93,353) प्रत्येक रुपए 10 / – के इक्विटी शेयर पूर्णतः प्रदत्त)			
घटाएः निवेश मूल्य में क्षति के लिए प्रावधान	(187.03)	(164.92)	(144.67)
योग	**102.31**	**124.42**	**144.67**
गैर निर्दिष्ट निवेशों का कुल कैरिंग वल्यू	289.34	289.34	289.34
गैर निर्दिष्ट निवेशों का कुल बजार मूल्य	-	-	-
निवेश के मूल्य में क्षति की कुल राशि	187.03	164.92	144.67

नोट सं. 6
ऋण*

(₹ लाख में)

विवरण	यथा तिथि		
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
गैर–चालू			
(क) प्रतिभूति जमा			
अरक्षित, अच्छे समझे गए	353.21	335.94	336.82
अरक्षित, संदेहास्पद समझे गए	1.91	1.91	1.91
	355.12	337.85	338.73
घटाएः संदेहास्पद जमा के लिए प्रावधान	(1.91)	(1.91)	(1.91)
	353.21	**335.94**	**336.82**
(ख) संबंधित पार्टी के लिए ऋण	-	-	1.04
(ग) अन्य ऋण			
(i) कर्मचारियों को ऋण			
प्रतिभूत, अच्छे समझे गए	216.25	263.36	238.27
अरक्षित, अच्छे समझे गए	28.41	7.57	17.66
अरक्षित, संदेहास्पद समझे गए	-	-	-
	244.66	**270.93**	**255.93**
घटाएः संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान	-	-	-
	244.66	270.93	255.93
(ii) पूर्वदत्त व्यय – प्रतिभूत, अच्छे समझे गए	3.84	2.55	-
(iii) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को ऋण, संदेहास्पद समझे गए	725.00	725.00	725.00
घटाएः संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान	(725.00)	(725.00)	(725.00)
	-	-	-
योग	**601.71**	**609.42**	**593.79**

*प्रतिवेदन अवधि के दौरान निदेशक, कंपनी के अन्य अधिकारी या फर्म जिसमें कोई निदेशक एक साझेदार हो या निजी कंपनियों जिनमें कोई निदेशक एक निदेशक या सदस्य हो से कोई राशि देय नहीं है।

नोट सं. 7
अन्य वित्तीय आस्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	यथा तिथि		
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
(अरक्षित, अच्छे समझे गए जब तक अन्यथा कथित न हो)			
गैर–चालू			
अर्जित ब्याज	-	-	-
– कर्मचारी ऋण			
प्रतिभूत, अच्छे समझे गए	178.40	210.87	212.93
अरक्षित, अच्छे समझे गए	3.43	-	-
अरक्षित, संदेहास्पद समझे गए	22.78	22.78	22.78
घटाएः कर्मचारी ऋण पर संचित ब्याज के लिए प्रावधान	(22.78)	(22.78)	(22.78)
	181.83	**210.87**	**212.93**
संबंधित पार्टी से अर्जित ब्याज	0.77	2.39	2.67
प्रतिभूति जमा	7.68	25.18	37.70
	190.28	**238.44**	**253.30**
चालू			
अर्जित ब्याजः			
– सावधि जमा	200.56	231.61	204.64
– कर्मचारी ऋण			
प्रतिभूत, अच्छे समझे गए	39.96	30.99	45.77
अरक्षित, अच्छे समझे गए	1.92	-	-
	41.88	30.99	45.77
संबंधित पार्टी से अर्जित ब्याज	0.89	0.41	0.33
प्राप्य बीमा दावा	478.48	4,745.67	444.73
घटाएः संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	(5.00)	-	-
	473.48	4,745.67	444.73
बैंक के साथ सावधि जमा खाते/चालू खाते	45.19	43.14	40.35
(परियोजना के लिए डीजीसीए से प्राप्त राशि के लिए उपचित ब्याज सहित)			
अन्य	234.79	101.97	326.49
	996.79	**5,153.79**	**1,062.31**
योग	**1,187.07**	**5,392.23**	**1,315.61**

नोट सं. 8
अन्य आस्तियाँ*

(₹ लाख में)

विवरण	यथा तिथि		
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
गैर–चालू			
पूंजीगत अग्रिम	3,398.40	8.87	9.98
अन्यों को अग्रिम			
अरक्षित, अच्छे समझे गए	53.00	208.07	274.15
अरक्षित, संदेहास्पद समझे गए	99.91	100.21	112.33
	152.91	308.28	386.48
घटाएः संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	(99.91)	(100.21)	(112.33)
	53.00	208.07	274.15
अग्रिम आयकर (प्रावधानों का शुद्ध)	6,393.65	6,073.07	6,073.07
पूर्वदत्त व्यय	0.11	0.14	-
अन्य प्राप्य	101.96	49.35	5.39
घटाएः संदेहास्पद प्राप्तियों के लिए प्रावधान	(2.92)	(2.92)	(2.92)
	99.04	46.43	2.47
योग	**9,944.20**	**6,336.58**	**6,359.67**
अन्यों को अग्रिम			
अरक्षित, अच्छे समझे गए	1,378.41	1,045.79	624.31
अरक्षित, संदेहास्पद समझे गए	66.08	66.08	59.15
	1,444.49	1,111.87	683.46
घटाएः संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	(66.08)	(66.08)	(59.15)
	1,378.41	1,045.79	624.31
अरक्षित, अच्छे समझे गए			
सांविधिक प्राधिकारियों के साथ शेष	240.86	248.82	158.46
पूर्वदत्त व्यय	699.30	354.58	429.94
अन्य	2.75	9.04	19.20
योग	**2,321.32**	**1,658.23**	**1,231.91**

*प्रतिवेदन अवधि के दौरान निदेशक, कंपनी के अन्य अधिकारी या फर्म जिसमें कोई निदेशक एक साझेदार हो या निजी कंपनियों जिनमें कोई निदेशक एक निदेशक या सदस्य हो से कोई राशि देय नहीं है।

नोट सं. 9
मालसूचियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	यथा तिथि		
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
(प्रबंधन द्वारा प्रमाणित एवं मूल्य निर्धारित)			
भंडार एवं पुर्जे	7,918.20	8,258.47	8,461.26
निरीक्षणाधीन माल	25.48	3.09	342.89
घटाएः (i) अचल भंडार एवं पुर्जों के लिए प्रावधान	(2,967.97)	(2,758.43)	(2,735.43)
(ii) मालसूची की कमी के लिए प्रावधान	(89.10)	(90.27)	(73.50)
(iii) मूल्य में क्षति के लिए प्रावधान	(453.13)	(453.14)	(453.14)
	4,433.48	4,959.72	5,542.08
मरम्मत योग्य और घूर्णन पुर्जे	1,575.57	1,575.57	1,575.57
घटाएः (i) अप्रचल आरक्षित	(1,436.26)	(1,436.27)	(1,436.27)
(ii) मूल्य में हानि के लिए प्रावधान	(139.31)	(139.30)	(139.30)
	-	-	-
जेम मॉड्यूल	501.37	501.37	501.37
घटाएः (i) अप्रचल आरक्षित	(447.21)	(447.21)	(447.21)
(ii) मूल्य में हानि के लिए प्रावधान	(54.16)	(54.16)	(54.16)
	-	-	-
मार्गस्थ माल (लागत पर)	40.74	10.62	13.20
एविएशन टर्बाइन ईंधन (लागत पर)	9.05	15.79	24.88
योग	**4,496.69**	**5,018.64**	**5,648.36**

नोट सं. 10
व्यवसाय प्राप्य

(₹ लाख में)

विवरण	यथा तिथि		
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
अरक्षित, अच्छे समझे गए	9,894.41	12,090.07	13,755.64
संदेहास्पद	1,572.59	825.17	625.24
अन्य ऋण अच्छे समझे गए	9,322.06	11,571.73	15,289.53
	20,789.06	24,486.97	29,670.41
घटाएः संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रवधान	(1,572.59)	(825.17)	(625.24)
योग	**19,216.47**	**23,661.80**	**29,045.17**

(i) व्यापार प्राप्तियां ब्याज रहित हैं और सामान्यतः 30 से 90 दिनों की जमा शर्तों पर होती हैं।

(ii) कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से अलग–अलग या संयुक्त रूप से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां देय नहीं हैं। न ही कंपनियों क्रमशः फर्मों या निजी कंपनियों जिसमें कोई भी निदेशक, निदेशक, भागीदार या सदस्य है से कोई व्यापार या अन्य प्राप्य देय है।

(iii) किसी भी नए ग्राहक को स्वीकार करने से पहले, कंपनी संभावित ग्राहक की क्रेडिट गुणवत्ता का आकलन करती है और ग्राहक की क्रेडिट सीमा निर्धारित करती है। ग्राहकों को दिए जाने वाली सीमाओं की सालाना समीक्षा की जाती है।

(iv) 31 मार्च, 2017 तक के व्यापार प्राप्य शेष में से रुपए 10945.75 लाख चार ग्राहकों से देय हैं। (31 मार्च, 2016 तक रु. 13150.98 लाख चार ग्राहकों से देय थे) 1 अप्रैल, 2015 तक रु. 13648.69 लाख तीन ग्राहकों से देय थे). किसी अन्य ग्राहक के पास व्यापार प्राप्य के कुल शेष के 5% से अधिक की राशि शेष नहीं है।

नोट सं. 11
नकदी और नकदी समतुल्य

(₹ लाख में)

	विवरण	यथा तिथि		
		31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
11.1	बैंकों के साथ शेषः			
	– चालू खाते में	3,047.00	1,307.83	2,649.88
	– निर्यात आय विदेशी मुद्रा खाते	441.24	260.01	196.36
	– फ्लेक्सी जमा खाते	1,833.20	623.05	1,500.39
	– 3 महीनों से कम की मूल परिपक्वता के साथ सावधि जमा	-	3,600.00	750.00
	उपलब्ध नकदी	18.90	25.54	26.59
	नकदी प्रवाह की विवरणी के अनुसार कुल नकदी और नकदी समतुल्य	5,340.34	5,816.43	5,123.22
11.2	अन्य बैंक शेष राशि			
	– सावधि जमा खाते	8,512.46	4,662.63	2,281.16
	(3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता)	-	-	-
	– बैंकों के पास मार्जिन राशि	1,789.97	1,903.62	1,520.91
		10,302.43	6,566.25	3,802.07
	घटाएः अस्थाई बैंक ओवरड्राफ्ट	(310.99)	(247.31)	(986.91)
	कुल अन्य बैंक शेष	9,991.44	6,318.94	2,815.16
	योग	**15,331.78**	**12,135.37**	**7,938.38**

नोट सं. 12
स्वंदे

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	यथा तिथि		
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
चालू			
संबंधित पार्टियों को ऋण	0.51	1.04	2.48
अन्य			
– कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम			
प्रतिभूत, अच्छे समझे गए	59.68	99.51	105.78
अरक्षित, अच्छे समझे गए	430.01	366.47	416.20
अरक्षित, संदेहास्पद समझे गए	36.63	32.26	18.62
	526.32	498.24	540.59
घटाएः संदेहास्पद ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	(36.63)	(32.26)	(18.62)
	489.69	465.98	521.97
योग	**490.20**	**467.02**	**524.45**

*प्रतिवेदन अवधि के दौरान निदेशक, कंपनी के अन्य अधिकारी या फर्म जिसमें कोई निदेशक एक साझेदार हो या निजी कंपनियों जिनमें कोई निदेशक एक निदेशक या सदस्य हो से कोई राशि देय नहीं है।

नोट सं. 13
चालू कर आस्तियाँ एवं देयताएं

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	यथा तिथि		
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
चालू कर आस्तियाँ (शुद्ध)	930.54	1,198.63	1,068.33
चालू कर देयताएं (शुद्ध)	(2,810.63)	-	(239.30)
योग	**(1,880.09)**	**1,198.63**	**829.02**

(क) 31 मार्च, 2017 और 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्षों के लिए आय कर व्यय के प्रमुख घटक हैं:

लाभ या हानि अनुभागः

विवरण	यथा तिथि	
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
वर्तमान आय करः		
वर्तमान आय कर प्रभार	8,943.02	1,405.00
वर्तमान आयकर के संबंध में पिछले वर्ष का समायोजन	42.10	-
आस्थगित करः		
प्रवर्तन और व्युत्क्रम के अस्थाई अंतरों से संबंधित	4,403.14	2,498.53
	13,388.26	**3,903.53**

ओसीआई अनुभागः

विवरण	यथा तिथि	
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
एफवीटीओसीआई इक्विटी प्रतिभूतियों पर अप्राप्त लाभ/(हानि)	-	-
निवेश के मूल्य में गिरावट पर शुद्ध हानि/(लाभ)	(7.65)	(7.90)
परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन पर शुद्ध हानि/(लाभ)	16.27	55.90
ओसीआई पर प्रभारित आयकर	**8.62**	**47.99**

(ख) 31 मार्च, 2017 और 31 मार्च 2016 को भारत के घरेलू कर की दर से कर व्यय का समाधान और लेखा लाभ गुणन

विवरण	यथा तिथि	
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
कर पूर्व लेखा लाभ	37,650.17	9,620.74
उपरोक्त पर आयकर/21.3416% (31 मार्च, 2016: 21.3416%)	8,035.15	2,053.22
जोड़: व्ययों का कर प्रभाव जो कि बही लाभ को निर्धारित करने में कटौती योग्य नहीं है।		
कर उद्देश्यों के लिए गैर–कटौती व्ययः		
– संदेहास्पद/ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान	187.15	69.25
– अचल/मालसूची की कमी के लिए प्रावधान	44.72	15.63
– ओसीआई में प्रदर्शित परिभाषित लाभ बाध्यता का पुनर्मापन	10.03	34.47
– व्यय/प्रावधान की प्रावधान आयकर के अंतर्गत अनुमति नहीं है।	-	(0.41)
– वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए इंड–एएस प्रभाव और घटक लेखा में नियत कर पूर्व लाभ में बदलाव।	-	(767.16)
– प्रतिधारित आय के लिए प्रभारित पूर्वावधि मदों का कर प्रभाव।	140.52	-
– आय कर अधिनियम 1961 के अधिनियम 234 (ख) एवं 234 (ग) के अंतर्गत आय कर पर ब्याज	525.45	-
लाभ और हानि की विवरणी में प्रतिवेदित आय कर व्यय	**8,943.02**	**1,405.00**

नोट सं. 14
इक्विटी शेयर पूंजी

(रुपए लाख में, जैसा कि अन्यथा कथित हो को छोड़कर)

विवरण	यथा तिथि		
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
शेयर पूंजी			
(क) प्राधिकृत, निर्गत, अभिदत्त और प्रदत्त शेयर पूंजी और प्रति भोयर सममूल्य			
प्राधिकृत पूंजी			
2,50,000 (गत वर्ष 2,50,000) प्रत्येक रु. 10,000/– का इक्विटी शेयर	25,000.00	25,000.00	25,000.00
निर्गत पूंजी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त			
2,45,616 (गत वर्ष 2,45,616) प्रत्येक रु. 10,000/– का इक्विटी शेयर			
प्रदत्त पूंजी			
2,45,616 (गत वर्ष 2,45,616) प्रत्येक रु. 10,000/– का इक्विटी शेयर	24,561.60	24,561.60	24,561.60
	24,561.60	24,561.60	24,561.60

(ख) वर्ष की शुरुआत और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या का समाधान

(रुपए लाख में, जैसा कि अन्यथा कथित हो को छोड़कर)

विवरण	यथातिथि 31 मार्च, 2017		यथातिथि 31 मार्च, 2016	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
अवधि की शुरुआत में बकाया शेयरों की संख्या	245,616	24,561.60	245,616	24,561.60
अवधि के अंत में बकाया शेयरों की संख्या	245,616	24,561.60	245,616	24,561.60
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-	-	-

(ग) विभिन्न कोटि के शेयरों के लिए संलग्न अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध

शेयरों की कोटि	इक्विटी शेयरों से जुड़े नियम, अधिकार
इक्विटी	लाभांश के आबंटन तथा पूंजी के पुनर्भुगतान के प्रतिबंध सहित कंपनी के साधारण शेयरों का अंकित मूल्य प्रति शेयर रु 10,000 है तथा मतदान अधिकार एवं लाभांश की पात्रता तथा पूंजी के पुनर्भुगतान सहित शेयरों की प्रत्येक श्रेणी के साथ वोटिंग राइट्स, प्रेफ्रेंस सम्मिलित है।

(घ) 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारक का विवरण

विवरण	यथातिथि 31 मार्च, 2017		यथातिथि 31 मार्च, 2016	
	शेयरों की संख्या	% धारित	शेयरों की संख्या	% धारित
राष्ट्रपति	125,266	51%	125,266	51%
ओएनजीसी लिमिटेड	120,350	49%	120,350	49%

नोट सं. 14
अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	यथा तिथि		
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
सामान्य आरक्षित	2,050.00	2,050.00	2,050.00
प्रतिधारित आय	55,871.15	32,912.14	28,900.45
अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी उपकरणों के लिए आरक्षित	(26.81)	(12.35)	-
अन्य व्यापक आय के माध्यम से ऋण उपकरणों के लिए आरक्षित	-	-	-
शेयर आवेदन राशि प्राप्त लंबित आबंटन	15,905.00	-	-
अन्य आरक्षित	136.36	105.61	-
योग	**73,935.70**	**35,055.41**	**30,950.45**

नोट सं. 15
उधार

(₹ लाख में)

विवरण	परिपक्वता	यथा तिथि		
		31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
गैर–चालू उधार				
केंद्र सरकार द्वारा दावाकृत राशि				
– मूल राशि		-	13,091.03	13,091.03
सुरक्षित अवधि ऋण				
– एनटीपीसी लि.	अप्रेल, 2022	2,497.72	3,034.18	3,539.46
सुरक्षित अवधि ऋण				
– ओएनजीसी लि.	अगस्त, 2015	-	-	328.90
योग		**2,497.72**	**16,125.21**	**16,959.39**
उधार की परिपक्वता को निम्नानुसार संक्षेपित किया गया है:				
– एक वर्ष से अधिक नहीं।		536.45	836.85	3,825.44
		536.45	**836.85**	**3,825.44**
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता		-	15,443.65	15,635.87
– एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष से अधिक नहीं		2,497.72	681.56	1,323.52
– पाँच वर्ष से अधिक		**2,497.72**	**16,125.21**	**16,959.39**

नोट सं. 16
प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	यथा तिथि		
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
गैर चालू			
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान			
– सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना	905.98	739.49	632.90
– अर्जित अवकाश	1,494.04	1,511.39	1,430.69
– अर्द्ध वेतन अवकाश	438.65	716.91	645.12
– पेंशन	-	-	-
– अन्य	16.24	15.83	14.86
योग	**2,854.91**	**2,983.62**	**2,723.57**

नोट सं. 17
आस्थगित कर देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	यथा तिथि		
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)	22,672.49	18,260.73	15,714.21
	22,672.49	18,260.73	15,714.21

(क) स्थगित आयकर संपत्ति और देनदारियों के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण अस्थायी अंतर का कर प्रभाव इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

विवरण	यथा तिथि		
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
आस्थगित आय कर देयताएं:			
– कर उद्देश्यों के लिए त्वरित मूल्यह्रास	26,562.27	24,856.80	23,494.69
– उपदान	57.52	62.87	43.51
कुल आस्थगित आयकर देयताएं	**26,619.79**	**24,919.68**	**23,538.20**

आस्थगित आय कर आस्तियाँ:			
– कर्मचारी लाभ	1,669.40	2,642.78	2,960.90
– अचल मालसूची	1,057.99	985.88	954.76
– निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	64.73	57.08	49.17
– अग्रेनित अप्रतिबंधित मूल्यह्रास	-	2,512.27	3,284.65
– संदेहास्पद ऋण/अग्रिम	625.65	363.84	286.52
– संपत्ति कर के लिए प्रावधान	-	60.27	34.70
– एएआई को लीज किराए के लिए प्रावधान	498.69	-	194.79
– लक्षद्वीप में हानि के लिए प्रावधान	30.84	30.84	30.29
आयकर अधिनियम के अनुच्छेद 40 (क) (आअ) के अंतर्गत स्वीकार्य राशि	-	5.99	28.21
कुल आस्थगित आयकर आस्तियाँ	**3,947.30**	**6,658.94**	**7,823.99**
समंजन के बाद आस्थगित आयकर आस्तियाँ	**-**	**-**	**-**
समंजन के बाद आस्थगित आयकर देयताएं	**22,672.49**	**18,260.73**	**15,714.21**

(ख) आस्थगित आय कर देयताओं का समाधान (शुद्ध)

(₹ लाख में)

विवरण	यथा तिथि		
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
यथातिथि 1 अप्रैल को अथशेष	**18,260.73**	**15,714.21**	**15,769.68**
अवधि के दौरान लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कर (आय)/व्यय	4,403.14	2,498.53	(55.47)
ओसीआई में मान्यता प्राप्त अवधि के दौरान कर (आय)/व्यय	8.62	47.99	-
यथातिथि 31 मार्च अंत शेष	**22,672.49**	**18,260.73**	**15,714.21**

नोट सं. 18
अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	यथा तिथि		
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
गैर चालू			
प्रतिभूति जमा/बयाना राशि जमा	163.41	141.22	227.52
केंद्र सरकार को देय ब्याज/अन्य प्रभार	-	33,931.19	33,931.19
देय व्यय	-	-	157.65
	163.41	34,072.41	34,316.36
चालू			
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता	536.45	836.85	3,825.44
नियत आस्तियों के क्रय पर देय	71.12	1,159.27	783.79
पूंजीगत व्यय के लिए देय	19.02	19.02	19.02
कर्मचारियों को देय	114.05	124.83	74.00
प्रतिभूति/बयाना राशि जमा	79.07	68.62	209.88
संबंधित पार्टियों को देय राशि	-	1.12	-
परियोजना के लिए डीजीसीए से अग्रिम (ब्याज सहित)	1,205.96	1,203.91	1,201.12
घटाएः परियोजना पर व्यय की गई राशि	(1,160.77)	(1,160.77)	(1,160.77)
	45.19	43.14	40.35
	864.90	2,252.85	4,952.48
योग	**1,028.31**	**36,325.26**	**39,268.84**

नोट सं. 19
व्यापार देय*

(₹ लाख में)

विवरण	यथा तिथि		
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
चालू			
सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों की बकाया देय राशि	-	-	-
सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों के अतिरिक्त व्यापार देय का बकाया भुगतानी	7,351.28	3,652.05	3,467.16
योग	**7,351.28**	**3,652.05**	**3,467.16**

*व्यापार देय गैर ब्याज धारित हैं और सामान्यतः 120 दिनों के भीतर निपटान किया जाता है।

नोट सं. 20
अन्य चालू देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	यथा तिथि		
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
प्रतिभूति/बयाना राशि जमा	63.47	60.56	59.80
ग्राहकों से अग्रिम	177.71	166.74	285.80
सांविधिक देयताएं	261.50	398.70	364.34
अन्य देय	1,423.00	1,181.86	914.73
योग	**1,925.68**	**1,807.86**	**1,624.67**

नोट सं. 21
प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	यथा तिथि		
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	1 अप्रैल, 2015
चालू			
कर्मचारी लाभः			
– सेवानिवृति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना	29.98	24.41	20.12
– अर्जित अवकाश	119.26	90.96	105.22
– अर्द्ध वेतन अवकाश	39.98	49.71	52.14
– पेंषन	6.51	5.70	2,498.52
– अन्य	1,773.09	4,481.93	3,311.54
	1,968.82	4,652.71	5,987.54
लक्षद्वीप में हानि	89.12	89.12	89.12
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व	239.78	200.93	225.74
अन्य	-	-	39.31
संपत्ति कर	-	-	7.90
योग	**2,297.72**	**4,942.76**	**6,349.61**

नोट सं. 22
परिचालनों से आय

(₹ लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
सेवाओं को प्रदान किया जाना		
हेलीकॉप्टर किराया प्रभार	43,107.30	43,670.45
घटाएः हेलीकॉप्टरों की गैर उपलब्धता हेतु कटौती (एओजी)	(1,150.12)	(557.36)
	41,957.18	43,113.09
अन्य परिचालन राजस्व		
परिचालन और अनुरक्षण अनुबंध से आय	752.99	2,196.37
प्रशिक्षण शुल्क और अन्य वसूली	38.18	15.09
रोहिणी हेलीपोर्ट से राजस्व	15.58	-
	806.75	2,211.46
योग	**42,763.93**	**45,324.55**

नोट सं. 23
अन्य आय

(₹ लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
ब्याज आयः		
– बैंकों के पास जमा	626.62	438.64
– कर्मचारियों को ऋण	33.09	38.25
– अन्य	71.65	107.79
	731.36	584.68
अन्य गैर परिचालन आय		
बीमा दावों के निपटारे पर अधिशेष	1,458.18	2,395.24
मालसूची मदों के विक्रय पर लाभ	12.41	1.74
विनिमय उतार चढ़ाव (शुद्ध)	619.64	508.30
अनापेक्षित प्रावधान – पुनरांकित	4,544.70	143.30
निर्णित हर्जाने (खरीद)	473.11	9.14
विविध आय	144.69	200.04
योग	**7,984.09**	**3,842.44**

नोट सं. 24
हेलीकॉप्टर परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
हेलीकॉप्टर अनुरक्षण व्यय	5,001.96	7,038.88
ईंधन व्यय	2,112.47	2,007.09
बीमा व्यय	1,525.68	930.59
लैंडिंग, पार्किंग एवं अन्य व्यय	136.58	263.80
हेलीकॉप्टर लीज प्रभार	1,230.19	-
निर्णित हर्जाने (खरीद)	2,479.82	996.96
श्राइन बोर्ड को रॉयल्टी/कमीशन	51.51	91.19
अचल मालसूची/उपयोग अवधि समाप्ति वाली मदों के लिए प्रावधान	209.55	73.26
अचल परिसम्पत्तियों की क्षति से हुई हानि	0.15	0.89
बट्टे खाते डाली गई नियत आस्तियाँ	179.94	87.97
भंडारण, संचलन एवं विलंबन प्रभार	61.91	51.88
माल, परिवहन एवं ढुलाई	107.93	152.69
अन्य परिचालन व्यय	14.86	12.97
योग	**13,122.55**	**11,708.17**

नोट सं. 25
कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
वेतन, मजदूरी एवं अन्य लाभ	14,176.51	13,847.69
भविष्य एवं उपदान निधि में अंशदान	1,099.26	1,010.20
कर्मचारी कल्याण	48.97	55.30
अन्य कर्मचारी व्यय	254.90	255.31
योग	**15,579.64**	**15,168.50**

नोट सं. 26
वित्तीय लागत

(₹ लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
ब्याज	203.51	450.13
योग	**203.51**	**450.13**

नोट सं. 27
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
मूर्त आस्तियों पर मूल्यह्रास	7,894.61	7,203.23
अमूर्त आस्तियों का परिशोधन	3.67	11.52
योग	**7,898.28**	**7,214.75**

नोट सं. 28
अन्य व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
मरम्मत एवं अनुरक्षण		
भवन	63.85	47.40
उपस्कर	84.57	87.27
अन्य	103.93	104.45
	252.35	239.12
किराया	5,566.48	681.13
यात्रा और परिवहन	1,628.50	2,004.55
क्रू और स्टाफ प्रशिक्षण	646.96	431.63
बैंक प्रभार	46.14	49.73
बिजली और पानी व्यय	237.35	244.12

टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक		118.23		128.38
विज्ञापन एवं प्रचार		33.88		44.73
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		65.33		59.27
वाहन चालन एवं अनुरक्षण		32.38		26.65
लेखापरीक्षको को पारिश्रमिक				
सांविधिक लेखा परीक्षण शुल्क	6.73		6.73	
अन्य मामलों के लिए	0.40		1.75	
व्यय की प्रतिपूर्ति	0.68		0.68	
		7.81		**9.16**
दर, शुल्क और कर		177.87		155.12
संदेहास्पद ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान		876.94		324.49
नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व		83.85		76.90
बीमा व्यय		32.42		29.27
अन्य व्यय		428.57		500.45
योग		**10,235.06**		**5,004.70**

नोट सं. 29
असाधारण मद

(₹ लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2017	**31 मार्च 2016**
भारत सरकार के बकाया पर ब्याज छूट	33,931.19	-
योग	**33,931.19**	**-**

नोट सं. 30
अन्य व्यापक आय

(₹ लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
कर्मचारी लाभ व्यय	47.01	161.51
निवेश के मूल्य में गिरावट के लिए प्रावधान	(22.11)	(20.25)
योग	**24.90**	**141.26**

नोट सं. 31
प्रति शेयर उपार्जन (ईपीएस)

(₹ लाख में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
इक्विटी धारकों को साम्यिक लाभ	24,278.19	5,810.48
बेसिक ईपीएस (रु.)	9,885	2,366
डायल्यूटेड ईपीएस (रु.)	8,954	2,366

32. वित्तीय विवरणियों से संबंधित अतिरिक्त नोट

(31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखा के साथ पठनीय तथा भाग)

I. पूंजीगत एवं अन्य प्रतिबद्धताएं

पूंजी लेखा/निवेशों (चुकता अग्रिम का निवल) में निष्पादन के लिए शेष तथा प्रावधान न किए गए अनुबंधों की अनुमानित राशिः

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
पूंजीगत प्रतिबद्धताएं	874.96	1493.08	4951.65

II. आनुशंगिक देयताएं/आस्तियां

क) दी गई गारंटी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
बैंकों को दी गई प्रति गारंटी	3121.12	2620.85	2313.14

ख) साख पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
साख पत्र	425.75	113.31	460.12

ग) कर आकस्मिकताएं

आयकर, जो विवाद में हैं, के संबंध में कंपनी पर राजस्व अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन की गई मांगों के संबंध में राशि, नीचे सारणीबद्ध की गई हैः

i. आयकर

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
आईटीएटी/सीआईटी (अपील) में कंपनी द्वारा प्रतिवादित आयकर की मांग	5464.36	5558.65	5375.00

आयकर विभाग द्वारा उपर्युक्त राशि पर रोक विभिन्न वर्षों में कम्पनी से संबंधित मांगों/धन वापसी के विरुद्ध किए गए जमा के लिए किया गया है। अधिकांश मामलों में मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किए गए प्रारंभिक मूल्यांकन के समय की गई आय कर मांग अपीलिय प्राधिकरण द्वारा समाप्त कर दी गई है। आयकर अपीलिय अभिकरण के पास बकाया पड़ी आयकर से संबंधित अधिकांश मांगे भारत सरकार से प्राप्त ऋण पर देय ब्याज से संबंधित हैं। इस संबंध में नोट संख्या III की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता हैः

ii. मूल्य वर्द्धित कर

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
2006–07 से 2009–10 की अवधि के लिए जुर्माना और ब्याज सहित वैट के भुगतान के लिए डिमांड नोटिस	45431.46	43407.26	41383.04

दिल्ली के बिक्री कर विभाग द्वारा उठाई गई मांगें कुछ ग्राहकों के वित्तीय वर्षों 2006–07 से 2009–10 में हेलिकॉप्टर का उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण से संबंधित हैं।

कंपनी ने उत्तर दिया था कि चूंकि यह ऐसे लेनदेन पर सेवाकर दे रहा है, वैट के भुगतान की मांग का प्रश्न खड़ा नहीं होता है। मामले की अंतिम सुनवाई के लिए माननीय वैट न्यायाधिकरण के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है।

iii. सेवा कर

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
अप्रैल, 2009 से मार्च, 2015 की अवधि के लिए सेवा कर विभाग से कारण बताओ नोटिस।	2266.63	2269.91	1962.72

अप्रैल, 2009 से मार्च, 2015 के अवधि के लिए कारण बताओ नोटिस सेवा कर विभाग से संबंधित है। न्यायाधिकरण में ₹287.74 लाख की मांग नोटिस के लिए सेवा कर विभाग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध कंपनी द्वारा सेवा कर आयुक्त को न्यायाधिकरण में प्रतिवाद किया गया है। ₹949.52 लाख की मांग नोटिस और ₹1029. 37 लाख की मांग नोटिस के लिए न्यायिक निर्णय प्रतीक्षित है। यद्यपि कंपनी को उम्मीद है कि परिचालनों और नकदी प्रवाह के परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा।

घ) कानूनी विवाद

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
i)	न्यायालयीन मामले/पंचाट के अधीन मामले	4724.71	3163.64	4426.00
ii)	**अन्य मामले** (जिसमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से हैंगर और भूमि के लिए लीज किराए के बारे में वित्तीय वर्ष 2014–15 और वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए दावा सम्मिलित है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पंचाट का निर्णय लागू नहीं किया गया है। यद्यपि, उनके द्वारा अत्यधिक बढ़ी हुई मांग की गई थी, जिसे कंपनी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। ₹32073.93 लाख और ₹22,278.49 लाख के लिए किए गए शुद्ध भुगतान/प्रावधानों को क्रमशः वित्तीय वर्ष 2015–16 और वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया था। हालांकि, जैसा कि नोट नंबर XXII (क) पर बताया गया है नागर विमानन मंत्रालय, पत्र संख्या एवी–30020/7/2015–जीए–एमओसीए डीटी दिनांक 01.08.2017 द्वारा 01.10.2014 से 31.03.2017 की अवधि के लिए भविप्रा को देय पट्टा किराया शुल्क का फैसला किया। तदनुसार, हैंगर और जमीन के लिए पट्टा किराया के लिए देयता का प्रावधान किया गया है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए भाविप्रा के खाते में शून्य आकस्मिक देयता है।	103.06	32177.00	22381.56

ङ) कम्पनी के लंबित कानूनी मामलों में कम्पनी के खिलाफ किए गए दावे तथा कर/वैधानिक/सरकारी प्राधिकरणों के पास अनिर्णित पड़े मामले हैं। कम्पनी ने अपने सभी अनिर्णित कानूनी मामले तथा उनकी प्रक्रियाओं की समीक्षा की है तथा जहां कहीं आवश्यकता हुई उसके लिए प्रावधान किए हैं तथा आवश्यकतानुसार अपनी वित्तीय विवरणियों में आनुशंगिक देयताओं का प्रकटीकरण किया है। कम्पनी को ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इन प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप इसकी वित्तीय स्थिति पर किसी प्रकार का कोई ठोस प्रभाव पड़ेगा। भविष्य में उपर्युक्त निर्धारणों के संबंध में होने वाले नकदी प्रवाह का निर्धारण विभिन्न न्यायाधिकरणों/प्राधिकरणों के पास अनिर्णित पड़े मामलों के निर्धारण/निर्णय की प्राप्ति पर ही संभव हो सकेगा।

च) आकस्मिक आस्तियां

कंपनी ने शुरुआती सालों में स्रोत पर कर की कथित कम कटौती के लिए आयकर विभाग द्वारा की गई कर की मांगों के लिए ₹133.35 लाख की रकम का भुगतान किया है। कंपनी ने उसका प्रतिवाद किया और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने 20 अप्रैल 2005 को कंपनी के पक्ष में एक आदेश पारित किया था, जिसे आयकर विभाग द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। हालांकि, मामले को खारिज कर दिया गया था। उसी के आधार पर, आयकर विभाग मुंबई में 16/03/2009 के आदेश को पारित कर दिया है जिसमें उन्होंने मूलधन राशि वापस कर दी है। हालांकि, इस पर ब्याज अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है और उसी की प्राप्ति पर उसका हिसाब किया जाएगा।

III. भारत सरकार के दावे

वर्ष 1986 में भारत सरकार कम्पनी में किए जाने वाले इक्विटी निवेश में किए जाने वाले अंशदान के प्रयोग से कम्पनी द्वारा ₹25090.00 लाख की परियोजना लागत से 21 डॉफिन तथा 21 वेस्टलेंड हेलीकॉप्टरों को अपने बेड़े में शमिल किया गया था। तथापि, कम्पनी को 11376.00 लाख की राशि की इक्विटी ही प्राप्त हुई थी जिसमें ओएनजीसी द्वारा किए गए इक्विटी अंशदान की ₹2450.00 लाख की राशि भी सम्मिलित है। कम्पनी द्वारा इस पूंजी अंशदान का प्रयोग आंतरिक स्रोतो की ₹622.97 लाख की राशि के साथ किया गया तथा ₹13091.03 लाख की राशि का शेष अलग रखकर प्रायोजित लागत के अंतर्गत पूंजीगत अंशदान का प्रयोग हुआ। शेष ₹13091.03 लाख की राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा हेलीकॉप्टरों के आपूर्तिकर्ताओं को किया गया तथा इसे भारत सरकार को बकाया राशि के तौर पर लिया गया। कम्पनी ने 31.03.2001 तक इन बकायों/देयताओं के ब्याज के तौर पर ₹33931.19 लाख का लेखांकन कर लिया है तथा चूंकि वित्त मंत्रालय द्वारा कम्पनी से 31.03.2016 तक बकाया मूल राशि 13091.03 लाख तथा ब्याज के रूप में ₹33931.19 लाख अर्थात कुल राशि ₹47022.22 लाख होने की पुष्टि की गई है अतः कम्पनी द्वारा 31.03.2001 के पश्चात से बकाया पड़े ₹35345.80 लाख की राशि के ब्याज (पिछले वर्ष ₹32989.41लाख) के लिए किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है। कम्पनी द्वारा नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से समय समय पर भारत सरकार के सम्मुख इस आधार पर इन देयताओं और इसके ब्याज से छूट प्राप्ति के लिए इस आधार पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि यह परियोजना उन 42 हेलीकॉप्टरों के आयात के लिए थी जिसका पूर्ण निधियन भारत सरकार द्वारा इक्विटी अंशदान के माध्यम से किया जाना था। इस संबंध में कम्पनी द्वारा एक बार फिर से जनवरी, 2016 में यह मामला वित्त मंत्रालय के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने के लिए नागर विमानन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।

इस संबंध में नागर विमानन मंत्रालय द्वारा मंत्रिमंडल के विचारार्थ कैबिनेट समिति नोट (सीसीएन) को प्रस्तुत किया गया था।

अंततः वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान दीर्घ प्रतीक्षित निर्णय प्राप्त हुआ जिसमें नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दिनांक 01.12.2016 के पत्र के माध्यम से वित्त मंत्रालय के दावे के निपटान के लिए पवन हंस लिमिटेड को वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों के आयात मद में सरकार को भुगतान के लिए ₹13091.03 लाख और यथातिथि 01.04.2001 के स्तर पर ब्याज फ्रीज करने और पवन हंस लिमिटेड द्वारा वित्त मंत्रालय को देय ₹33,931.19 लाख के अधित्याग के मद में ₹13091.03 लाख के बजटीय प्रावधान को उपलब्ध कराने के लिए मंत्रीमंडल द्वारा दिए अनुमोदन के निर्णय की सूचना दी गई। तदनुसार, नागर विमानन मंत्रालय ने 18.01.2017 की स्वीकृति आदेश के अनुसार पवन हंस लिमिटेड को 2016–17 के लिए पवन हंस लिमिटेड में इक्विटी निवेश के रूप में पवन हंस लिमिटेड को 1,3091.03 लाख की मंजूरी दे दी। इस राशि का उपयोग आरबीआई में सीएएए के खाते में ₹1,301.03

लाख के मूलधन का भुगतान करने के लिए पवन हंस लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। उक्त राशि नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दिनांक 20.01.2017 को पवन हंस लिमिटेड के खाते में हस्तांतरित की गई थी। उसके बाद, वित्त मंत्रालय के दावों के निपटान के लिए दिनांक 04.02.2017 को भारतीय रिजर्व बैंक में सीएएए के खाते में ₹13091.33 लाख जमा किए गए।

IV. वैस्टलैंड परिसम्पतियों का निपटान

क) वेस्टलैंड बेड़े को भूमिगत किए जाने के पश्चात भारत सरकार द्वारा दिनांक 18 जनवरी,1993 को समग्र वेस्टलैंड बेड़े को उससे संबंधित माल सूची के साथ वैश्विक निविदा के माध्यम से बेचे जाने तथा इसकी बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग भारत सरकार तथा ब्रिटेन सरकार के मध्य आपसी परामर्श से गरीबी उन्मूलन के लिए उपलब्ध करवाए जाने के निर्णय से अवगत करवाया गया था। तथापि, इसकी वैश्विक निविदा की प्रतिक्रिया अनुकूल न होने के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा दिनांक 12 मई, 1994 को कम्पनी को वेस्टलैंड परिसम्पत्तियों का निपटान इसकी खरीद के प्रति इच्छुक पार्टियों के साथ परक्रामण के माध्यम से किए जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। भारत सरकार द्वारा वेस्टलैंड परिसम्पत्तियों के निपटान की देख रेख के लिए एक संचलन समिति का गठन भी किया गया था।

ख) वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों (एक क्षतिग्रस्त हेलीकॉप्टर सहित) तथा उससे संबद्ध मालसूची के रूप में ये परिसम्पत्तियां निपटान किए जाने तक के लिए ₹2239.00 लाख के औसत बही मूल्य पर दर्शाई गई हैं। कम्पनी द्वारा पिछले वर्षों में पूर्व विचार करते हुए वेस्टलैंड परिसम्पत्तियों से होने वाली संभावित हानियों का बही मूल्य के समरूप 100% प्रावधान किया गया था। वर्ष 1999–2000 में इन परिसम्पतियों के निपटान से संबंधित ₹723.00 लाख को बही मूल्य में समायोजित करने के पश्चात ₹1516.00 लाख के बकाया प्रावधान को अग्रेनित किया गया है।

ग) वर्ष 1999–2000 के दौरान सरकारी से अनुमोदन प्राप्त करके कम्पनी द्वारा वेस्टलैंड की परिसम्पत्तियों की बिक्री पांउड स्टर्लिंग 9,00,000 की एकमुश्त राशि की एक पैकेज डील के अंतर्गत ब्रिटेन की एक फर्म मैसर्स एईएस एयरोस्पेस लिमिटेड को किए जाने के लिए करार किया गया था। यह सहमति हुई थी समग्र पैकेज अधिकाधिक दो परेषणों में प्रत्येक किए जाने वाले परेषण के अनुमानित मूल्य का भुगतान करने हुए किया जाएगा। पहला परेषण दिसम्बर, 1999 में भेजा गया था तथा कम्पनी को बिक्री के तौर पर पांउड स्टर्लिंग 4,50,000 (₹322.00 लाख) की राशि जनवरी, 2000 में प्राप्त हुई थी जिसे प्रशासनिक मंत्रालय के निदेशानुसार तत्काल भारत सरकार के पास जमा करवा दिया गया था। क्रेता द्वारा विवाद खड़ा किए जाने के कारण दूसरा परेषण नहीं भेजा जा सका। कम्पनी द्वारा करार के अंतर्गत सहमत विभिन्न दायित्वों को पूरा न किए जाने के प्रति क्रेता के विरुद्ध विशिष्ट निष्पादन न किए जाने एवं नुकसानों की भरपाई के लिए दावा किया गया है। तथापि, क्रेता की वित्तीय स्थिति को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2012 को इस मामले को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए कहा गया है।

घ) वित्तीय वर्ष 1999–2000 के दौरान बेची गई वेस्टलैंड परिसम्पत्तियों (लागत ₹5146.00 लाख बट्टा मूल्य ₹723.00 लाख) से संबंधित आवश्यक समायोजन पहले परेषण के अंतर्गत किए गए लेन देन को पूर्ण बिक्री मानते हुए उस वर्ष की लेखा पुस्तिकाओं में किया गया है। बेची गई तथा मुम्बई के मालगोदाम से एकत्र की गई मालसूचियों का पूर्ण प्रमात्रा विवरण उपलब्ध न होने के कारण इससे संबंधित आंकड़ों को अस्थाई आधार पर विचार में लिया गया है। वेस्टलैंड परिसम्पत्तियों की बिक्री से संबंधित करार चूंकि एकमुश्त मूल्य पर आधारित था अतः इससे संबंधित मदों के निपटान पर हुई हानि का निर्धारण पहले परेषण के अंतर्गत पांउड स्टर्लिंग 4,50,000 (₹322.00 लाख) की राशि से बेचे गए 9 हेलीकॉप्टरों, टेस्ट बैड, माल सूची की मदों से संबंधित उनका मदवार बिक्री मूल्य उपलबध न होने के कारण औसत बही मूल्य से कम करते हुए किया गया है। इनका लेखांकन वित्तीय वर्ष 1999–2000 के दौरान कर लिया गया था।

ङ) शेष वैस्टलैंड हेलीकॉप्टर पवन हंस लिमिटेड, पश्चिमी क्षेत्र के परिसर में हैं तथा वित्तीय वर्ष 1999–2000 के दौरान कम्पनी के दिल्ली कार्यालय से मुम्बई कार्यालय में ले जाई जाने वाली मदें खरीददार के नियुक्त परिवाहक द्वारा खरीददार के निदेश पर वापस मोड़ ली गई थी तथा ये मुम्बई के मालगोदाम में रखी हुई हैं। वैस्टलैंड माल सूची तथा पूंजीगत मदों की मूल लागत ₹3250.00 लाख (बट्टा मूल्य

– ₹450.00 लाख) है। मालगोदाम कम्पनी तथा मालवाहक द्वारा दायर की गई विशेष रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2012 में निरस्त कर दी गई है। सागर वेयरहाउसिंग कम्पनी के मालगोदाम में से वैस्टलैंड की मालसूची की मदों को कम्पनी के पश्चिमी क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया है। तदनुसार शेष बची वैस्टलैंड परिसम्पत्तियों के निपटान के लिए अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात कार्रवाई की जाएगी। ये हेलीकॉप्टर तथा इनकी शेष मालसूची की मदें कम्पनी के पास हैं (इन्हें बॉक्सों में रखा गया है परन्तु वर्ष के दौरान इसकी भौतिक जांच नहीं की गई है) तथा पैरा IVख के प्रावधानों के अनुसार इनके ₹647.00 लाख के बही मूल्य को अग्रेषित किया गया है। नागर विमानन मंत्रालय से संचलन समिति के पुनर्गठन का अनुरोध किया गया है। मंत्रालय द्वारा शेष वैस्टलैंड परिसम्पत्तियों के मूल्य निर्धारण की रिपोर्ट तैयार करने के निदेश दिए गए हैं तथा मूल्य निर्धारणकर्ता ने इसका मूल्य ₹25.73 लाख निर्धारित किया है। तथापि मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 7.11.2014 के पत्र के माध्यम से किसी अन्य मूल्य निर्धारणकर्ता से इनका पुनः मूल्यांकन करवाए जाने के निदेश दिए गए हैं। अन्य मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट में इसका मूल्यांकन ₹26.53 लाख रुपए किया गया है तथा निपटान के लिए संचालन समिति के पुनर्गठन के लिए इसे नागर विमानन मंत्रालय को भिजवा दिया गया है।

V. आवासीय फ्लैट/क्वार्टर

क) कम्पनी द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से 25 वर्ष की अवधि के लिए आबंटित की गई भूमि पर ₹2270.68 लाख की लागत से 242 फ्लैटों का निर्माण एवं पूंजीयन किया गया है। कम्पनी द्वारा संयुक्त विकास करार के अंतर्गत उक्त भूमि के पट्टा किराए तथा परियोजना आर्किटैक्ट द्वारा अनुमानित इन फ्लैटों की निर्माण लागत की ₹595.00 लाख की राशि के स्थान पर 242 फ्लैटों में से 50 फ्लैट भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को आबंटित किए गए हैं।

ख) कम्पनी द्वारा वर्ष 1998 में एमएचएडीए, मुम्बई से 6 आवासीय फ्लैट खरीदे गए हैं तथा यद्यपि इन फ्लैटों का कब्जा आबंटन पत्र के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी देकर पंजीकरण करवा लिया गया है तथा अंतिम भुगतान किए जाने पर यह सोसायटी के पक्ष में उचित हस्तांतरण करार तैयार किए जाने की शर्त पर है। कुछ सोसायटियों द्वारा मुम्बई उच्च न्यायालय में एमएचएडी के खिलाफ मूल्य में भिन्नता का दावा किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में स्टॉम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण की राशि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

ग) कम्पनी द्वारा वर्ष 1991–92 में कर्मचारियों के लिए लोखंडवाला कन्टस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई से 42 आवासीय फ्लैटों की खरीद की गई थी । कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा ये फ्लैट सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को किराए पर दिए जाने का अनुमोदन दिया गया था तथा तदनुसार 31 मार्च, 2015 की यथास्थिति के अनुसार 29 फ्लैट किराया आधार पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को किराए पर दिए गए हैं परन्तु इसके पट्टा करार की अवधि 22.7.2013 को समाप्त हो चुकी है जिसके लिए 20% की वृद्धि के साथ नए पट्टा करार पर हस्ताक्षर किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा इससे संबंधित लेखांकन हमारी लेखा पुस्तिकाओं में कर दिया गया है

VI. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

क) 31.03.2017 की यथास्थिति के अनुसार ₹5158.24 लाख की सकल लागत (31 मार्च, 2016 ₹5844.75 लाख एवं 01 अप्रैल, 2015 ₹5187.95 लाख) तथा ₹1650.62 लाख की बट्टा मूल्य लागत (31 मार्च, 2016 ₹2161.15 लाख एवं 01 अप्रैल, 2015 ₹3102. 61 लाख) के रोटेबल्स एवं मरम्मत योग्य उपकरण विदेशी उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के पास मरम्मत के लिए पड़े हुए हैं। इनमें से ₹769.80 लाख की सकल लागत (31 मार्च, 2016 ₹2136.13 लाख एवं 01 अप्रैल, 2015 ₹3047.39 लाख) एवं ₹394.07 लाख (31 मार्च, 2016 ₹886.84 लाख एवं 01 अप्रैल, 2015 ₹1881.78 लाख) की बट्टा लागत के रोटेबल्स 31 मार्च, 2017 के पश्चात प्राप्त हो गए हैं। शेष रोटेबलस संबंधित पार्टी के पास होने के संबंध में पुष्टि प्राप्त की जा रही है। ये मदें मरम्मत/ओवरहॉल के पश्चात हमें वापस भिजवाने के लिए मूल उपकरण निर्माताओं से सम्पर्क के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं।

ख) अचल परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है तथा अचल परिसम्पत्तियों के रजिस्टर से इनका मिलान किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। पुस्तक और भौतिक शेष के बीच अंतर का पता लगाया गया है और समाधान की प्रक्रिया के पूरा होने के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया है।

ग) कम्पनी की यह धारणा है कि कम्पनी के स्वामित्व वाले हेलीकॉप्टर नागर विमानन महानिदेशालय से आवधिक/वार्षिक आधार पर उड़नयोग्यता के लिए प्रमाणित किए गए हैं तथा इनसे वर्ष के दौरान राजस्व का अर्जन किया गया है अतः हेलीकॉप्टरों के मूल्य के प्रति हानि के संबंध में किसी प्रकार की अलग से कोई प्रक्रिया किए जाने की आवश्यकता नहीं समझी गई है।

VII. मालसूचियाँ

1) वर्ष के दौरान पश्चिम क्षेत्र में मालसूचियों का भौतिक सत्यापन किए जाने पर नीचे उल्लिखित कमियां/बढ़ोतियां प्रकाश में आई हैं:

(₹ लाख में)

2016-2017		2015-2016	
कमियां	**बढ़ोतियां**	**कमियां**	**बढ़ोतियां**
39.92	80.17	41.74	12.95

उपरोक्त राशियों के लिए वित्तीय वक्तव्यों में उचित समायोजन किए गए हैं। उत्तरी क्षेत्र में ऐसा कोई अंतर नहीं पाया गया है। हालांकि, भौतिक शेष और लेखा रिकॉर्ड के समाधान प्रगति पर हैं।

2) अनुमोदित लेखांकन नीति का अनुसरण करते हुए विचाराधीन वर्ष के दौरान गतिमान न हो सकने वाले भंडार, कलपूर्जो एवं उपभोज्य वस्तुओं की समीक्षा करने पर वर्ष के दौरान ₹209.55 लाख (31 मार्च, 2016 ₹73.26 लाख एवं 01अप्रैल, 2015 ₹541.89 लाख) के प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, पश्चिम क्षेत्र में गतिमान न हो सकने वाले भंडार, कलपूर्जो एवं उपभोज्य वस्तुओं की समीक्षा करने पर ₹ शून्य (31 मार्च, 2016 ₹50.26 लाख एवं 01 अप्रैल, 2015 ₹ शून्य) के प्रावधान वर्ष के दौरान हटा दिए गए हैं।

3) विमानन क्षेत्र में कीमत की प्रवृत्ति दूसरे उद्योग में कीमत की प्रवृत्ति की तुलना में अलग है, पूर्व स्वामित्व हेलीकाप्टर स्टोर्स/स्पेयर/उपभोग्य वस्तुओं के लिए बिक्री/खरीद मूल्य के अलावा खुले बाजार में सीधे उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, विमानन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, जबकि बाजार में विक्रेता बहुत सीमित हैं। इसलिए, इन्वेंट्री का मान शुद्ध वास्तविक मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।

VIII. सुरक्षित ऋण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	ऋणदाता	सीमा संस्वीकृत/दिनांक	दिनांक 31.03.2017 तक आहरण	दिनांक 31.03.2017 तक पुनर्भुगतान	ब्याज दर (मासिक अवकाश)	भुगतान अनुसूची	प्रतिभूति
1.	ओएनजीसी लिमिटेड	27500.00 12/08/2010	16516.00 (इक्विटी में परिवर्तित शुद्ध ₹9585.00 लाख)	16516.00	भा.स्टे बैं. बेसिक दर जमा 1.5%	60 समान मासिक किश्तें	सुरक्षित ऋण के पुनर्भुगतान के पश्चात अदद 7 नए डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टरों रेहन मुक्त
2.	एनटीपीसी लि.	5430.00 29/04/2010	5283.63	2249.45	6% प्रति वर्ष	120 समान मासिक किश्ते	डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टर के रेहन द्वारा

IX. शेष राशि के लिए व्यापार प्राप्तियों, व्यापार भुगतानकर्ताओं और ऋण एवं अग्रिम/जमाओं से दिनांक 31 मार्च 2017 तक पुष्टि की गई, लेकिन प्राप्त प्रतिक्रिया सीमित थी।

X. कंपनी के प्रमुख ग्राहक सरकारी और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जहां भुगतान में चूक की संभावना

सामान्य रूप से नगण्य होती है। प्रबंधन को उम्मीद है कि उसे अपने ग्राहकों से इसकी पूरी बकाया मिलेगी। तदनुसार, ग्राहकों से बकाया की वसूली की 100% संभावना माना गया है। इसलिए, कंपनी ने संभाव्यता मैट्रिक्स का हल नहीं निकाला है और इंड एएस 109 के प्रावधान के अनुसार 'अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रावधान' के लिए जिम्मेदार नहीं है।

XI. कर्मचारियों के पारिश्रमिक और अन्य लाभ

क) वर्ष के दौरान कंपनी ने पायलटों और इंजीनियरों के लाइसेंस से संबंधित भत्तों के मद में अनुमानित आधार पर ₹1147.39 लाख (31 मार्च 2016 को ₹1147.00 और 1 अप्रैल 2015 ₹1104.78 लाख) प्रदान किए हैं। निदेशक मंडल ने बोर्ड की अपनी 154 वीं बैठक में पायलटों और एएमई के लाइसेंस से संबंधित भत्ते को यथातिथि 01.04. 2016 को मंजूरी दे दी है, तदनुसार, पहले के वर्षों में किए गए ₹4381.16 लाख के प्रावधान समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष में उत्क्रमित किए गए हैं। यथातिथि 31.03.2017 लेखों में ₹1147.3 9 लाख (31 मार्च, 2016 ₹4381.16 लाख और 1 अप्रैल, 2015 ₹3234.16 लाख) का कुल प्रावधान किया गया है।

ख) सेवानिवृति हितलाभ योजना

1) निम्नलिखित सारणी वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं की स्थिति निर्धारित करती है:

(₹ लाख में)

विवरण	2016–17			2015–16		
	अथ देयताएं	वर्ष के दौरान जमा / समायोजित	अंत देयताए	अथ देयताएं	वर्ष के दौरान जमा / समायोजित / अंत देयताएं	अर्जित छुट्टी
अर्जित छुट्टी	1602.34	10.96	1613.30	1535.90	66.44	1602.34
अर्ध वेतन छुट्टी	766.62	(288.00)	478.62	697.27	69.35	766.62
सेवानिवृत्ति पश्च चि. सु. लाभ	763.90	172.06	935.96	653.02	110.88	763.90
सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ता	16.63	1.96	18.59	15.61	1.02	16.63
योग	**3149.49**	**(103.02)**	**3046.47**	**2901.80**	**247.69**	**3149.49**

2) उपदान

i. परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन इस प्रकार हैं:

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
वर्ष की शुरुआत में निर्धारित हितलाभ दायित्व	3305.02	3262.26	3129.97
वर्तमान सेवा लागत	178.65	169.40	168.65
ब्याज लागत	264.40	260.98	250.40
एक्चुरियल लाभ / (हानि)	(136.07)	(198.69)	(158.11)
पिछली सेवा लागत	-	-	-
हितलाभ का भुगतान	(110.37)	(188.93)	(128.65)
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	3501.63	3305.02	3262.26

ii. योजना संपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
वर्ष की शुरुआत में योजना संपत्ति का उचित मूल्य	3487.14	3390.70	3248.56
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	278.97	271.26	259.88
नियोक्ता द्वारा योगदान	-	-	-
लाभ का भुगतान	(110.37)	(188.93)	(128.65)
एक्चुरियल फायदे / (नुकसान)	12.52	14.11	10.91
वर्ष के अंत में योजना संपत्ति का उचित मूल्य	3668.26	3487.14	3390.70

iii. कुल योजना संपत्तियों के उचित मूल्य के प्रतिशत के रूप में योजना की प्रमुख श्रेणियां निम्नानुसार हैं

विवरण	31 मार्च 2017 (%)	31 मार्च 2016 (%)	1 अप्रैल 2015 (%)
सरकारी प्रतिभूति / आरबीआई के साथ विशेष जमा	64.18	64.03	64.27
उच्च गुणवत्ता वाली कॉरपोरेट बॉन्ड	24.48	26.27	26.84
बीमा कंपनियां	शून्य	शून्य	शून्य
नकद और नकद समकक्ष, बैंक बैलेंस	1.86	0.56	0.89
मियादी जमा	9.02	8.75	7.55
इक्विटी (म्युचुअल फंड्स)	0.46	0.39	0.45

iv. परिभाषित लाभ दायित्व का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	3501.63	3305.02	3262.25
योजना संपत्ति का उचित मूल्य	3668.26	3487.14	3390.70
लाभ देयता	166.63	182.12	128.45

v. लाभ और हानि की विवरणी में मान्यता प्राप्त व्ययः

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
वर्तमान सेवा लागत	178.65	169.40	168.65
हितलाभ दायित्व पर ब्याज लागत	264.40	260.98	250.40
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	(278.97)	(271.25)	(259.88)
अवधि के लिए शुद्ध व्यय	164.08	159.13	159.17

vi. अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त व्ययः

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
अवधि के लिए दायित्व पर एक्चुरियल लाभ/(हानि)	136.07	198.70	158.11
नियोजित आस्तियों पर वापसी (ब्याज आय छोड़कर)	12.52	14.10	10.91
परिसंपत्ति सीमा में बदलाव	-	-	-
ओसीआई में मान्यता प्राप्त अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	148.59	212.80	169.02

vii. कर्मचारी लाभों के निर्धारण में प्रयुक्त प्रमुख मान्यताओं को नीचे दिया गया है:

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
रियायत की दर	7.50%	8.00%	8.00%
भविष्य की लागत में वृद्धि/वेतन वृद्धि दर	6.00%	6.00%	6.00%
सेवानिवृत्ति आयु	60	60	60
संघर्षण दर			
आयु (वर्ष)			
30 वर्ष तक	3.00%	3.00%	3.00%
44 साल तक	2.00%	2.00%	2.00%
44 साल से ऊपर	1.00%	1.00%	1.00%

उपर्युक्त सूचना की एक्चुअरी द्वारा सत्यापित है तथा इसे लेखापरीक्षकों द्वारा स्वीकार किया गया है।

मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संबंधित कारकों जैसे रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एक्चुरियल मूल्यांकन में भविष्य की अनुमानित वेतनवृद्धि दर्ज की जाती है। देयता का निपटान किए जाने से ऊपर की अवधि पर प्रयोज्य नियोजित आस्तियों पर समग्र प्रत्याशित प्रतिलाभ की दर यथातिथि तुलनपत्र की तिथि को लागू बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित की जाती है।

viii. संवेदनशीलता विश्लेषण

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
वर्तमान धारणाओं पर अनुमानित लाभ दायित्व			
छूट की दर में 0.50% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	(107.13)	(109.91)	(114.85)
छूट की दर में –0.50% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	112.69	115.74	121.10
वेतन वृद्धि दर में 0.50% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	113.77	117.41	112.85
वेतन वृद्धि की दर में –0.50% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	(109.10)	(112.44)	(117.50)
कर्मचारी टर्नओवर की दर में 0.50% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	(8.18)	(7.72)	(7.62)
कर्मचारी टर्नओवर की दर में –0.50% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	8.55	8.07	7.97

ix. अनुमानित लाभ दायित्व का परिपक्वता विश्लेषणः निधि से

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
रिपोर्टिंग की तिथि से भविष्य के वर्षों में देय अनुमानित लाभ			
1ला अनुगामी वर्ष	227.44	168.87	174.24
2रा अनुगामी वर्ष	55.00	87.61	188.65
3रा अनुगामी वर्ष	96.37	203.35	194.21
4था अनुगामी वर्ष	252.99	241.31	248.50
5वां अनुगामी वर्ष	244.53	237.52	227.88
6ठा अनुगामी वर्ष	302.96	296.97	294.78
6 वर्ष उपरांत	2322.34	2069.41	1933.99

x. वर्तमान और पिछली अवधि की राशियां निम्नानुसार दी गई हैः

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	31 मार्च 2015	31 मार्च 2014
परिभाषित लाभ दायित्व	3501.63	3305.02	3262.25	3129.96
योजना संपत्ति	3668.26	3487.14	3390.70	3248.62
अधिशेष / (कमी)	(16.63)	(182.12)	(128.45)	(118.66)
योजना देनदारियों पर अनुभव समायोजन	(242.99)	(198.69)	(158.11)	(81.94)
योजना संपत्ति पर अनुभव समायोजन	(2.12)	2.57	(0.46)	2.79

3) सेवानिवृति उपरांत चिकित्सा हितलाभ योजना

i. लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	763.90	653.02	529.60
वर्तमान सेवा लागत	24.42	20.23	18.10
ब्याज लागत	61.11	52.24	42.37
एक्चुरियल लाभ/(हानि)	101.34	52.24	77.65
पिछली सेवा लागत	-	-	-
लाभ का भुगतान	(14.81)	(13.83)	(14.70)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	935.96	763.90	653.02

ii. तुलन पत्र और संबंधित विश्लेषण:

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	935.96	763.90	653.02
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-
तुलन पत्र में अनिधिबद्ध देयताएं/प्रावधान	(935.96)	(763.90)	(653.02)
तुलन पत्र में अनिधिबद्ध पहचानी गई देयताए	(935.96)	(763.90)	(653.02)

iii. लाभ और हानि की विवरणी में पहचाने व्यय:

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
वर्तमान सेवा लागत	24.42	20.23	18.10
लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	61.11	52.24	42.37
अवधि के लिए शुद्ध व्यय	85.53	72.47	60.47

iv. अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त व्यय:

मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
अवधि के लिए दायित्व पर बीमांकिक नुकसान	(101.34)	(52.24)	(77.65)
योजनागत आस्तियों पर वापसी (ब्याज आय को छोड़कर)	-	-	-
आस्तियों की उच्चम सीमा में परिवर्तन।	-	-	-
ओसीआई में मान्यता प्राप्त अवधि के लिए शुद्ध व्यय	(101.34)	(52.24)	(77.65)

v. कर्मचारी लाभों को निर्धारित करने में प्रयुक्त प्रमुख मान्यताओं को नीचे दिया गया है:

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
छूट की दर	7.50%	8.00%	8.00%
भविष्य की लागत में वृद्धि/वेतन वृद्धि की दर	6.00%	6.00%	6.00%
सेवानिवृति की आयु	60	60	60
संघर्षण की दर			
आयु (वर्ष)			
30 वर्षों तक	3.00	3.00	3.00
44 वर्षों तक	2.00	2.00	2.00
44 वर्षों से अधिक	1.00	1.00	1.00

उपरोक्त जानकारी एक्चुअरी द्वारा यथा सत्यापित है और लेखा परीक्षकों द्वारा स्वीकार किया गया है।

मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संबंधित कारकों जैसे रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एक्चुरियल मूल्यांकन में भविष्य की अनुमानित वेतनवृद्धि दर्ज की जाती है।

vi. संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
वर्तमान धारणाओं पर अनुमानित लाभ दायित्व			
छूट की दर में +0.50% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	(56.40)	(56.86)	(50.37)
छूट की दर में –0.50% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	67.59	47.24	41.65
कर्मचारी टर्नओवर की दर में +0.50% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	(0.80)	(0.68)	(0.55)
कर्मचारी टर्नओवर की दर में –0.50% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	0.82	0.70	0.57

4) अर्जित अवकाश देयताएं

i. लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1602.34	1535.90	1480.20
वर्तमान सेवा लागत	118.12	97.51	98.24
ब्याज लागत	128.19	122.87	118.42
एक्चुरियल लाभ/(हानि)	217.58	124.81	95.76
पिछली सेवा लागत	-	-	-
लाभ का भुगतान	(452.93)	(278.75)	(256.71)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1613.30	1602.34	1535.90

ii. तुलन पत्र और संबंधित विश्लेषणः

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1613.30	1602.34	1535.90
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	--	--	--
तुलन पत्र में अनिधिबद्ध देयताएं/प्रावधान	1613.30	1602.34	1535.90
तुलन पत्र में अनिधिबद्ध पहचानी गई देयताए	1613.30	1602.32	1535.90

iii. लाभ और हानि की विवरणी में पहचाने गए व्ययः

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
वर्तमान सेवा लागत	118.12	97.51	98.24
लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	128.18	122.87	118.41
अवधि में पहचाना गया शुद्ध एक्चुरियल (लाभ) हानि	217.58	124.81	95.76
अवधि के लिए शुद्ध व्यय	463.88	345.19	312.42

iv. कर्मचारी लाभों के निर्धारण में प्रयुक्त प्रमुख मान्यताओं को नीचे दिया गया है:

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
छूट की दर	7.50%	8.00%	8.00%
भविष्य की लागत में वृद्धि/वेतन वृद्धि दर	6.00%	6.00%	6.00%
सेवानिवृत्ति आयु	60	60	60
संघर्षण की दरः			
आयु (वर्ष)			
30 वर्षों तक	3.00	3.00	3.00
44 वर्षों तक	2.00	2.00	2.00
44 वर्षों से अधिक	1.00	1.00	1.00

उपरोक्त जानकारी एक्चुअरी द्वारा यथा सत्यापित है और लेखा परीक्षकों द्वारा स्वीकार किया गया है।

मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संबंधित कारकों जैसे रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एक्चुरियल मूल्यांकन में भविष्य की अनुमानित वेतनवृद्धि दर्ज की जाती है।

v. संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
वर्तमान धारणाओं पर अनुमानित लाभ दायित्व			
छूट की दर में +0.50% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	(55.16)	(53.15)	(54.14)
छूट की दर में –0.50% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	51.79	55.94	57.11
वेतन वृद्धि दर में +0.50% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	52.29	56.75	57.93
वेतन वृद्धि की दर में –0.50% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	(51.07)	(54.38)	(55.39)
कर्मचारी टर्नओवर की दर में +0.50% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	(2.73)	(2.71)	(2.60)
कर्मचारी टर्नओवर की दर में –0.50% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	3.80	2.78	2.66

vi. अनुमानित लाभ दायित्व का परिपक्वता विश्लेषणः नियोक्ता से

(मूल्य ₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
रिपोर्टिंग की तिथि से भविष्य के वर्षों में देय अनुमानित लाभ			
1ला अनुगामी वर्ष	119.26	90.95	105.21
2रा अनुगामी वर्ष	25.49	31.96	70.30
3रा अनुगामी वर्ष	42.35	105.90	99.67
4था अनुगामी वर्ष	134.38	119.59	118.65
5वां अनुगामी वर्ष	108.81	119.92	110.92
6ठा अनुगामी वर्ष	173.50	146.62	137.52
6 वर्ष उपरांत	1009.02	987.40	893.63

5) बैगेज भत्ता

i. लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन इस प्रकार हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	16.63	15.61	14.22
वर्तमान सेवा लागत	0.79	0.71	0.69
ब्याज लागत	1.33	1.25	1.14
एक्चुरियल लाभ / (हानि)	0.23	(0.95)	(0.36)
पिछली सेवा लागत	-	-	-
लाभ का भुगतान	(0.40)	-	(0.08)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	18.59	16.63	15.61

ii. तुलन पत्र और संबंधित विश्लेषणः

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
वर्तमान सेवा लागत	18.59	16.63	15.61
लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	-	-	-
अवधि में पहचाना गया शुद्ध एक्चुरियल (लाभ) हानि	(18.59)	(16.63)	(15.61)
अवधि के लिए शुद्ध व्यय	(18.59)	(16.63)	(15.61)

iii. लाभ और हानि की विवरणी में मान्यता प्राप्त व्ययः

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
वर्तमान सेवा लागत	0.79	0.71	0.69
लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	1.33	1.25	1.14
अवधि के लिए शुद्ध व्यय	2.12	1.96	1.83

iv. अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त व्ययः

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
अवधि के लिए दायित्व पर एक्चुरियल लाभ/(हानि)	(0.24)	0.95	0.36
नियोजित आस्तियों पर वापसी (ब्याज आय छोड़कर)			-
परिसंपत्ति सीमा में बदलाव			-
ओसीआई में मान्यता प्राप्त अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	(0.24)	0.95	0.36

v. कर्मचारी लाभों को निर्धारित करने में प्रयुक्त प्रमुख मान्यताओं को नीचे दिया गया है:–

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
छूट की दर	7.50%	8.00%	8.00%
भविष्य की लागत में वृद्धि/वेतन वृद्धि दर	6.00%	6.00%	6.00%
सेवानिवृत्ति आयु	60	60	60
संघर्षण की दरः			
आयु (वर्ष)			
30 वर्षों तक	3.00	3.00	3.00
44 वर्षों तक	2.00	2.00	2.00
44 वर्षों से अधिक	1.00	1.00	1.00

उपरोक्त जानकारी एक्चुअरी द्वारा यथा सत्यापित है और लेखा परीक्षकों द्वारा स्वीकार किया गया है।

मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संबंधित कारकों जैसे रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एक्चुरियल मूल्यांकन में भविश्य की अनुमानित वेतनवृद्धि दर्ज की जाती है।

vi. संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
वर्तमान धारणाओं पर अनुमानित लाभ दायित्व			
छूट की दर में +0.50% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	(0.55)	(0.56)	(0.57)
छूट की दर में –0.50% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	0.57	0.54	0.53
कर्मचारी टर्नओवर की दर में +0.50% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	(0.56)	(0.52)	(0.48)
कर्मचारी टर्नओवर की दर में –0.50% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	0.59	0.55	0.50

vii. अनुमानित लाभ दायित्व का परिपक्वता विश्लेषणः निधि से

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
रपोर्टिंग की तिथि से भविष्य के वर्षों में देय अनुमानित लाभ			
1ला अनुगामी वर्ष	1.22	0.79	0.76
2रा अनुगामी वर्ष	0.27	2.24	0.73
3रा अनुगामी वर्ष	0.54	1.32	0.93
4था अनुगामी वर्ष	1.38	1.50	1.12
5वां अनुगामी वर्ष	1.34	1.46	1.24
6ठा अनुगामी वर्ष	1.76	1.48	1.36
6 वर्ष उपरांत	12.05	7.85	9.28

6) अर्ध वेतन अवकाश देयताएं

i. लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	766.61	697.27	593.00
वर्तमान सेवा लागत	24.15	37.16	35.24
ब्याज लागत	61.33	55.78	47.44
एक्चुरियल लाभ/(हानि)	(348.56)	28.27	39.89
पिछली सेवा लागत	-	-	-
लाभ का भुगतान	(24.91)	(51.86)	(18.30)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	478.62	766.61	697.27

ii. तुलन पत्र और संबंधित विश्लेषणः–

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	478.62	766.61	697.27
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-
तुलन पत्र में अनिधिबद्ध देयताएं/प्रावधान	(478.62)	(766.61)	(697.27)
तुलन पत्र में अनिधिबद्ध पहचानी गई देयताएं	(478.62)	(766.61)	(697.27)

iii. लाभ और हानि की विवरणी में मान्यता प्राप्त व्ययः

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
वर्तमान सेवा लागत	24.15	37.15	35.24
लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	61.33	55.78	47.44
अवधि में पहचाना गया शुद्ध एक्चुरियल (लाभ) हानि	(348.56)	28.27	39.89
अवधि के लिए शुद्ध व्यय	(263.08)	121.21	122.57

iv. कर्मचारी लाभों को निर्धारित करने में प्रयुक्त प्रमुख मान्यताओं को नीचे दिया गया है:–

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
छूट की दर	7.50%	8.00%	8.00%
भविश्य की लागत में वृद्धि/वेतन वृद्धि दर	6.00%	6.00%	6.00%
सेवानिवृत्ति आयु	60	60	60
संघर्षण की दरः			
आयु (वर्ष)			
30 वर्षों तक	3.00	3.00	3.00
44 वर्षों तक	2.00	2.00	2.00
44 वर्षों से अधिक	1.00	1.00	1.00

उपरोक्त जानकारी एक्चुअरी द्वारा यथा सत्यापित है और लेखा परीक्षकों द्वारा स्वीकार किया गया है।

मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संबंधित कारकों जैसे रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एक्चुरियल मूल्यांकन में भविष्य की अनुमानित वेतनवृद्धि दर्ज की जाती है।

v. संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
मान धारणाओं पर अनुमानित लाभ दायित्व			
छूट की दर मे +0.50% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	(14.83)	(24.33)	(23.68)
छूट की दर में –0.50% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	13.90	25.53	24.91
वेतन वृद्धि दर में +0.50% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	14.04	25.90	25.27
वेतन वृद्धि की दर में –0.50% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	(15.09)	(24.90)	(24.23)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
कर्मचारी टर्नओवर की दर में +0.50% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	(1.30)	(1.18)	(1.00)
कर्मचारी टर्नओवर की दर में –0.50% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	1.33	1.21	1.03

vi. अनुमानित लाभ दायित्व का परिपक्वता विश्लेषण; नियोक्ता से

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
रिपोर्टिंग की तिथि से भविश्य के वर्षों में देय अनुमानित लाभ			
1ला अनुगामी वर्ष	39.18	49.71	52.14
2रा अनुगामी वर्ष	7.41	15.04	33.97
3रा अनुगामी वर्ष	18.88	57.77	48.91
4था अनुगामी वर्ष	39.72	65.76	59.20
5वां अनुगामी वर्ष	29.06	50.60	49.15
6ठा अनुगामी वर्ष	44.51	72.51	62.08
6 वर्ष उपरांत	299.07	455.22	391.82

XII. लागत पर इक्विटी शेयर में निवेश (गैरसूचीबद्ध) – (स्तर 3 निवेश)

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड (एनएफटीआई), गोंदिया, महाराष्ट्र में इक्विटी योगदान (गैरसूचीबद्ध) के मद में ₹289.34 लाख का निवेश किया है। निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी ने यथातिथि दिनांक 31.03.2017 ₹8368.40 लाख की पूर्वप्रदत्त शेयर शेयर पूंजी के विरुद्ध ₹5409.07 लाख की हानि संचित की है (गैर लेखापरीक्षित लेखा)। एनएफटीआई के भुगतान किए गए शेयर पूंजी में 64.64: (31 मार्च, 2016 – 56.76% और 1 अप्रैल 2015 – 51.47%) के बारे में बड़ी संचित हानि को देखते हुए, कंपनी ने दिनांक 31.03.2017 तक 187.03 लाख रुपये का कुल प्रावधान बनाया है। (नोट संख्या XXI देखें) (31 मार्च 2016 164.92 लाख रुपये और 1 अप्रैल 2015 को 144.67 लाख रुपये) निवेश के मूल्य में कमी के लिए।

XIII. बीमा दावे

क) दिनांक 28 जून 2013 को, एन 3 हेलीकॉप्टर पंजीकरण संख्या वीटी–पीएचजेड दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब हेलीकॉप्टर उत्तराखंड में मतेली से हर्षिल तक बचाव अभियान पर था। हेलीकॉप्टर की मरम्मत के पूरा होने पर ₹1086.76 लाख की राशि का वित्तीय दावा मेसर्स न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को उनके मूल्यांकन और आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। इसके बाद, 10 सितंबर, 2015 की ईमेल के अनुसार, सर्वेक्षक ने ₹733.46 लाख के दावे का मूल्यांकन किया है जो बीमा कंपनी द्वारा निपटान के अधीन है।

ख) दिनांक 04.11.2015 को डॉफिन एन हेलीकॉप्टर जिसकी पंजीकरण संख्या वीटी–ईएलजे (₹40 लाख की कटौती योग्य राशि सहित कुल बीमा आश्वासित राशि ₹1325.00 लाख) था मारुली हेलीपैड, नगालैंड में अवतरण के समय सवार दो क्रू सदस्यों और 4 यात्रियों के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना से संबंधित सूचना मेसर्स नेशनल एस्योरेंश कं. लि. को भेज दी गई है। उपर्युक्त दुर्घटना के लिए बीमा दावा प्रक्रियाधीन है।

XIV. कराधान

क) दिनांक 31.03.2007 से दिनांक 31.03.2013 को समाप्त वित्तीय वर्षों के दौरान करयोग्य हानियों के दृष्टिगत कम्पनी द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 115जेबी के अंतर्गत न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) दिया जाना है। कम्पनी द्वारा समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के लिए ₹17091.29 लाख (31 मार्च 2016 को ₹8670.65 लाख और 1 अप्रैल 2015 ₹7268.21 लाख) के न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) (वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए ₹8417.57 लाख सहित, जिसमें से ₹2285.18 लाख रुपए स्वतः कर निर्धारण के अंतर्गत देय है और ₹525.45 रुपये ब्याज के रूप में देय हैं) का भुगतान किया गया है। कम्पनी द्वारा चुकता किया गया न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) आगे भविष्य में क्रमशः भुगतान के वर्षों के लिए पंद्रह वर्षों में सामान्य आयकर देयताओं में समायोज्य है।

ख) दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम के अंतर्गत दिखाए गए ₹4513.56 लाख के शुद्ध अग्रिम कर के प्रावधानों के विश्लेषित आंकड़े (मार्च 31, 2016 ₹7271.70 लाख और 1 अप्रैल, 2015 ₹6902.09 लाख) निम्नानुसार हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
स्रोत पर कर कटौती सहित अग्रिम कर	40705.38	34476.25	33005.03
आयकर के लिए प्रावधान	36191.82	27204.55	26102.94
भुगतान की गई अग्रिम आय कर की शुद्ध राशि	4513.56	7271.70	6902.09

ग) आंकलन वर्ष 2014–15 के लिए पूर्ण किए गए आंकलनों से संबंधित अग्रिम कर की राशि रु. 6498.44 लाख (31 मार्च, 2016 ₹6715.03 लाख और 1 अप्रैल, 2015 ₹6978.93 लाख) और आंकलन वर्ष 2015–16 और आंकलन वर्ष 2016–17 से संबंधित ₹825.75 लाख का आकलन अभी पूर्ण किया जाना है।

31 मार्च, 2017 तक पूर्ववर्ती अग्रिम कर की वापसी योग्य राशि मूल्यांकन वर्ष 2014–15 (मार्च 31, 2016 ₹6715.03 लाख और 1 अप्रैल 2015 ₹6978.93 लाख) तक ₹6498.44 लाख, इस स्तर पर मात्रात्मक नहीं हैं क्योंकि ये मामले आईटीएटी के साथ लंबित हैं। इसलिए, आयकर विभाग से रिफंड के लिए वसूल करने योग्य/समायोज्य शुद्ध राशि को ''गैर–चालू कर परिसंपत्तियों'' के तहत दिखाया गया है जिनका योग ₹6393.65 लाख और शेष राशि ₹104.79 लाख चालू कर परिसंपत्तियों के तहत हैं।

कम्पनी ने निर्धारण अधिकारी द्वारा की गई अस्वीकृति के प्रति आयकर अपीलिय ट्रिब्यूनल के सम्मुख अपीले दायर की है तथा इनकी पुष्टि आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा कर दी गई है। ये अपीले मुख्यतः कम्पनी द्वारा केन्द्र सरकार को देय ब्याज/1996–97 से 2001–02 की वित्तीय वर्षों के दौरान कर मुक्त बांडों पर अर्जित ब्याज से संबद्ध हैं।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान वित्त मंत्रालय (एमओएफ) को देय भारत सरकार की ₹33931.19 लाख की कर देनदारी को स्वीकृति आदेश संख्या एफ सं. एवी30020/26/2012– जीए–एमओसीए दिनांक 01.12.2016 के माध्यम से माफ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, संस्वीकृति आदेश के अनुसार, संपूर्ण ब्याज राशि को असाधारण वस्तुओं के तहत आय के रूप में माना गया है (नोट संख्या 29 देखें)। तदनुसार, कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत कर का भुगतान किया है।

XV. हेलीपोर्ट परियोजना

सरकार ने ₹ 6400.00 लाख (1907.00 लाख रुपये भूमि की लागत सहित, जो कि एमओसीए के नाम पर है) की अनुमानित लागत पर कंपनी द्वारा रोहिणी, नई दिल्ली में एक हेलीपोर्ट का निर्माण करने की मंजूरी दे दी थी की लागत में आवश्यक सुरक्षा, संरक्षा और परिचालन आधारभूत संरचना के लिए अतिरिक्त वस्तुओं और आकस्मिकताओं के कारण 07/06/2016 को संशोधित कर 9925.00 लाख रुपए किया गया है। इस परियोजना को निम्नानुसार वित्त पोषित किया जाना है: –

क) बुनियादी ढांचे के विकास की लागत का 80% ₹6414.00 लाख सरकारी इक्विटी के पक्ष में

ख) 1604.00 लाख रुपये का कंपनी का योगदान परियोजना लागत का 20% है।

कंपनी ने मार्च 2017 तक भारत सरकार से ₹6414.00 लाख हेलीकॉप्टर परियोजना लागत (मार्च, 2017 में भारत सरकार से प्राप्त ₹2814.00 लाख सहित शेयर आवेदन धन आवंटन लंबित) के पक्ष में इक्विटी अंशदान के रूप में प्राप्त किए हैं।

31.3.2017 तक परियोजना पर होने वाले व्यय का संक्षेप नीचे दिया गया है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
भारत सरकार द्वारा निधियन न की गई भूमि की लागत	7.01	7.01	7.01
डिजायनिंग एवं परियोजना योजना के लिए परामर्शदाता को किया गया भुगतान	178.68	146.85	79.35
व्यय जिनमें चारदीवारी तथा ठेकेदारों इत्यादि को आर/ए बिलों, बिजली लोड स्वीकृति फीस इत्यादि का भुगतान शामिल है	5948.26	5114.68	1620.41
योग	6133.95	5268.54	1706.77
भारत सरकार से प्राप्त राशि	6414.00	3600.00	3600.00
परियोजना के लिए नामजद निधियों का बैंकों में सावधि जमा निवेश	280.05	शून्य	1893.23
पवन हंस लिमिटेड द्वारा आंतरिक स्रोतों से रोहिणी हेलीपोर्ट परियोजना के लिए 31.03.2016 तक निवेश की गई राशि	शून्य	1668.54	शून्य

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, रोहिणी हेलीपोर्ट ने दिनांक 28.02.2017 से अपना अभियान शुरू कर दिया है। इसलिए, घटक दृष्टिकोण के तहत विभिन्न पहचान योग्य घटकों के तहत 28.02.2017 को ₹6133.95 लाख का औपबंधिक पूंजीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त, चूंकि कंपनी और नाविमं के बीच रोहिणी हेलीपोर्ट भूमि के लिए कोई पट्टा समझौता नहीं है, इसलिए कंपनी अधिनियम के तहत बताए गए उपयोगी जीवन से संबंधित पहलुओं पर सतत प्रसंग आधार पर विचार किया गया है।

XVI. हडप्सर में हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण संस्थान एवं हेलीपोर्ट, पुणे

कंपनी को हडप्सर, पुणे में स्थित नागर विमानन महानिदेशालय के स्वामित्व एवं नियंत्रण वाले ग्लाइडिंग सेंटर पर हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण अकादमी एवं हेलीपोर्ट का निर्माण करने का उत्तरदायित्व दिया गया है। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित कर दी गई है। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा इस उद्देश्य से अप्रैल, 2010 में ₹1000.00 लाख की राशि जारी की गई है। इस प्राप्त अग्रिम में से 31.03.2017 तक किए गए व्ययों का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

(मूल्य ₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
क	–अप्रैल, 2010 में नागर विमानन महानिदेशालय से प्राप्त अग्रिम	1000.00	1000.00	1000.00
	–कुल उपार्जित एवं अर्जित ब्याज	205.96	203.91	201.12
	कुल निधि	1205.96	1203.91	1201.12

	विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
ख	– नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड को संवितरित राशि	1134.09	1134.09	1134.09
	– कम्पनी द्वारा परियोजना लागत पर व्यय की गई राशि	26.68	26.68	26.68
	कुल संवितरण/व्यय	1160.77	1160.77	1160.77
ग	बैंक में उपलब्ध शेष			
	– चालू खाते में	5.37	5.38	5.11
	– सावधि जमा	39.41	37.00	35.00
	– उपार्जित ब्याज	0.41	0.76	0.24
	योग	**45.19**	**43.14**	**40.35**

XVII. नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सतत विकास, निधि

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार 1 अप्रैल, 2014 से कम्पनी से पूर्व तीन वर्षों में कम्पनी द्वारा उपार्जित शुद्ध लाभ के औसत का प्रत्येक वर्ष कम से कम 2% सीएसआर नीति के अंतर्गत व्यय किया जाना अपेक्षित किया गया है। उपरोक्त के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2016–17 में कंपनी को ₹ 125.36 लाख (31 मार्च, 2016 ₹106.39 लाख और 1 अप्रैल, 2015 ₹69.52 लाख) व्यय करने की आवश्यकता है। उपरोक्त के अतिरिक्त, ₹ 200.92 लाख की राशि का प्रावधान (31 मार्च 2016 को 200.92 लाख रुपये और 1 अप्रैल 2015 को 255.74 लाख रुपये) पूर्व वर्षों से अग्रेनित किए गए थे। चालू वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹83.85 लाख सीएसआर गतिविधियों पर (31 मार्च, 2016 ₹ 76.90 लाख और 1 अप्रैल 2015 ₹ 50.22 लाख) निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत व्यय/सुपुर्द किए:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
स्वच्छ भारत अभियान	39.27	76.90
शिक्षा का संवर्धन	44.58	शून्य
स्वास्थ्य सेवा	शून्य	शून्य
प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	शून्य	शून्य
प्रशिक्षण एवं दक्षता विकास	शून्य	शून्य
योग	**83.85**	**76.90**

*वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान सीएसआर के तहत स्कूल के नवीकरण के लिए ₹44.58 लाख का अनुबंध प्रदान किया गया था, जिसमें से दिनांक 31.03.2017 तक ₹5.73 लाख व्यय किए गए थे और लेखा बहियों में सीएसआर के अंतर्गत प्रतिबद्धता दायित्व के रूप में ₹38.85 लाख के नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया था।

दिनांक 31.03.2014 तक की अवधि के लिए ₹200.92 लाख की न अव्ययित राशि को दिनांक 23.09.2011 को डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार और समय–समय पर जारी किए गए संशोधनों के अनुसार उपयुक्त समय पर व्यय किया जाएगा।

XVIII. प्रचालन पट्टों के प्रति दायित्वः–

निरस्त किए गए प्रचालन पट्टों के प्रति ₹6796.67 लाख (31 मार्च, 2016 ₹681.13 लाख) का किराया व्यय लाभ एवं हानि विवरणी में प्रभारित किया गया है। कम्पनी द्वारा गैर–निरस्त प्रचालन पट्टे नहीं किए गए हैं।

*एचएएल के साथ परिचालन पट्टा का प्रकटीकरण : –

(₹ लाख में)

विवरण	एक वर्ष से अधिक पुराने नहीं	एक वर्ष से अधिक पुराने परंतु पाँच वर्ष से अधिक पुराने नहीं	पाँच वर्ष से पुराने
एचएएल से शुष्क पट्टे पर/ध्रुव हेलीकाप्टर (वीटी–एचएक्यू)*	609.63	356.52	-

* वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान लाभ और हानि की विवरणी में ₹209.00 लाख (विगत वर्ष– ₹ शून्य) प्रभारित किया गया है।

इसके अलावा, भाविप्रा और कंपनी के बीच हैंगर और भूमि के लिए कोई अंतर्निहित पट्टा समझौता नहीं है, तदनुसार, इसकी पहचान नहीं की जा सकती है कि पट्टा रद्द करने योग्य है या रद्द करने योग्य नहीं है। इसलिए, भविष्य में न्यूनतम पट्टा भुगतान का प्रकटीकरण इंड–एएस के प्रावधानों के अनुसार व्यवहार्य नहीं है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने भाविप्रा लीज रेंट के हिसाब से ₹5476.15 लाख (गत वर्ष ₹584.87 लाख) का हिसाब किया है।

XIX. घटक लेखा

वर्ष के दौरान, हेलीकॉप्टर भागों के लिए घटक लेखांकन को अपनाया गया है और निम्नलिखित भागों पर घटक लेखा के लिए विचार किया गया है:

क. इंजन
ख. मुख्य गियर बॉक्स
ग. हब एसेम्बली
घ. ट्रांसमिशन एसेम्बली
ङ. एम्बेडेड लागत
च. हल

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए हेलीकॉप्टर और घटकों के लिए कुल मूल्यह्रास ₹6692.44 लाख (मार्च 31, 2016 ₹5956.87 लाख)/कर्मचारियों की लागतों, ओवरहाल प्रभार को छोड़कर, वित्त वर्ष 2016–17 में ₹6383.01 लाख के (मार्च 31, 2016 ₹7440.37 लाख) ओवरहाल प्रभार/जी निरीक्षण खर्च का पूंजीकरण किया गया था।

XX. वित्तीय वर्ष 2014–2015 में लक्षद्वीप बेस में वित्तीय अनियमितता की सूचना मिली थी।

सतर्कता विभाग ने जांच की है और प्रबंधन को रिपोर्ट सौंपी है। सतर्कता विभाग द्वारा रिपोर्ट की गई रुपए 129.21 लाख की अनुमानित वित्तीय हानि में से रुपए 89.12 लाख का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2014–2015 में बनाया गया था। रुपये 89.12 लाख का आंकड़ा कुल राशि रुपये 129.21 लाख का अनुमान लगाकर आया था जिसमे से कर्मचारियों को / सहायक / चालान इत्यादि के लिए यात्रा बिलों / देय ऋणों की राशि रुपये 40.09 लाख का पता लगा। पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान अप्रैल 2008 से मार्च 2011 की अवधि के लिए लक्षद्वीप प्रशासन से रुपये 59.29 लाख प्राप्त किए गए थे। जांच अभी भी चल रही है।

XXI. प्रावधान

यथातिथि 31.03.2017 बहियों में किए गए विभिन्न प्रावधानों का विवरण नीचे दिया गया है।

(₹ लाख में)

विवरण	यथातिथि 1 अप्रैल, 2015	वर्ष के दौरान सृजित/उपयोग किया गया	यथातिथि 31 मार्च, 2016	वर्ष के दौरान सृजित/उपयोग किया गया/अन्य समायोजन	यथातिथि 31 मार्च, 2017
परिसंपत्तियों की हानि	1618.42	(2.42)	1615.99	(0.46)	1615.53
पेंशन एवं अन्य सहित वेतन एवं भत्तों में 01.01.2007 से संशोधन के लिए प्रावधान	2575.13	(2475.74)	99.39	-	99.39
पॉयलटों एवं इंजीनियरों के लिए लाइसेंस संबद्ध भत्ते के लिए प्रावधान	3234.16	1147.00	4381.16	(3233.77)	1147.39
वेतन एवं भत्तों में 01.01.2007 से संशोधन के लिए प्रावधान	-	-	-	515.35	515.35
संदेहास्पद ऋण/अग्रिम	1567.95	208.37	1776.32	756.50	2532.82
अचल मालसूची/कालातीत मदें इत्यादि	2808.91	39.78	2848.70	208.37	3057.07
लक्षद्वीप डिटेचमेंट के लिए हानि के प्रावधान	89.12	-	89.12	-	89.12
निवेश में हुई हानि के लिए प्रावधान	144.67	20.25	164.92	22.11	187.03

XXII. रिपोर्ट की अवधि के बाद होने वाली घटना

क) नागर विमानन मंत्रालय से प्राप्त पत्र सं. एवी–30020/7/2015–जीए–नाविमं दिनांक 01.08.2017 के अनुवर्ती जिसके द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पवन हंस लिमिटेड दिनांक 1 अक्टूबर, 2014 के प्रभाव से भाविप्रा को लीज रेंट प्रभार केंद्र सरकार विभाग द्वारा प्रभारित प्रभार (वाणिज्यिक दरों का 50%) पर भुगतान करेगा। तदनुसार, कंपनी ने भाविप्रा से लंबित चालानों के खातों में पट्टे पर किराया प्रभार प्रदान किया है, वर्षवार ब्रेक अप निम्नानुसार है: –

अवधि	राशि (₹ लाख में)
दिनांक 01/10/2014 से दिनांक 31/03/2015	849.27
दिनांक 01/04/2015 से दिनांक 31/03/2016	1906.72
दिनांक 01/04/2016 से दिनांक 31/03/2017	2047.24
योग	**4803.23**

ख) तदनुसार, नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) 15,905 लाख रुपए मूल्य (13,091 लाख रुपए 20.1.2017 को प्राप्त तथा 2,814 लाख रुपए 31.3.2017 को प्राप्त) तथा ओएनजीसी को 15,281 लाख रुपए (6.7.2017 को प्राप्त) मूल्य के राइट्स इश्यू जारी करके प्राधिकृत पूंजी को 25,000 लाख रुपए किए जाने के लिए दिनांक 22.6.2017 को आयोजित असाधारण आम बैठक में कम्पनी के शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त

किया गया था। निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 10.7.2017 को आयोजित बैठक में भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) के पक्ष में 10,000 रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य के 1,59,050 इक्विटी शेयर तथा ओएनजीसी के पक्ष में 1,52,816 इक्विटी शेयर जारी करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, 10.7.2017 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की इक्विटी संरचना निम्नानुसार है:–

(₹ लाख में)

पवन हंस लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारक	10.7.2017 से पहले शेयरधारिता	10.7.2017 को आवंटित इक्विटी शेयरों के अधिकार जारी	10.7.2017 के बाद कुल शेयरधारिता (प्राधिकृत पूंजी ₹56,000 लाख)	% शेयरधारिता
नाविमं (भारत सरकार) के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	12,526.60	15,905.00	28,431.60	51%
ओएनजीसी लिमिटेड	12,035.00	15,281.60	27,316.60	49%
कुल पूर्वदत्त पूंजी	**24,561.60**	**31,186.60**	**55,748.20**	**100%**

ग) भारत सरकार द्वारा पवन हंस लिमिटेड में भारत सरकार की समग्र 51 प्रतिशत शेयरधारिता का रणनीतिक विनिवेश प्रबंधन नियंत्रण के साथ किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस उद्देश्य से निवेश एवं लोक सम्पति विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2017 को एसबीआई कैप्टिल मार्केट को उक्त रणनीतिक विनिवेश के लिए संव्यवहार परामर्शदाता की सेवाएं प्रदान की गई थी। प्रारम्भिक सूचना ज्ञापन के साथ साथ रूचि अभिव्यक्ति जारी किए जाने की प्रक्रियाएं पूरी की जा चुकी हैं तथा इनका प्रकाशन दिनांक 13.10.2017 को समाचार पत्रों में किया गया था। उक्त प्रक्रिया के माध्यम से वैश्विक बोलियां आमंत्रित की गई हैं तथा रूचि अभिव्यक्ति की अंतिम तिथि 8.12.2017 निर्धारित की गई है। उपर्युक्त के अलावा, निवेश एवं लोक सम्पति विभाग द्वारा उक्त रणनीतिक विनिवेश के लिए मैसर्स क्राफर्ड बाले एंड कम्पनी को विधि परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। पवन हंस लिमिटेड की परिसम्पतियों के मूल्यांकन की सेवाएं नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मेसर्स आर.बी.एस.ए. को सौंपी गई हैं। मेसर्स आर.बी.एस.ए. द्वारा किया जाने वाला मूल्यांकन से संबंधित कार्य समापन की स्थिति में है।

XXIII.

क. पूर्वावधि त्रुटियाँ

वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी करते समय कंपनी को इसके द्वारा सुधारी गई पिछली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित प्रकटीकरण करना आवश्यक है:

(क) पूर्वावधि त्रुटि की प्रकृति

(ख) प्रस्तुत प्रत्येक पूर्वावधि के लिए यथासंभव व्यवहार्य शोधन राशि:

- प्रत्येक वित्तीय विवरण में प्रभावित मद की लाइन; तथा
- प्रति शेयर बेसिक एवं डाय्ल्यूटिड आय;

(ग) शीघ्रातीशीघ्र पूर्णवधि प्रस्तुति की शुरूआत में संशोधन की राशि

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान निम्नलिखित पूर्वावधि समायोजन किए गए हैं:–

(₹ लाख में)

विवरण	राशि
वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान पहचानी गई वित्तीय वर्ष 2016–17 से संबंधित पूर्वावधि समायोजन	
नामे	
हेलीकॉप्टर परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय	80.71
कर्मचारी हितलाभ व्यय	8.60
मूल्यह्रास और ऋण परिशोधन व्यय	3760.15
वित्तीय लागत	0.03
अन्य व्यय	26.00
आस्थगित कर देयता	1392.62
योग	**5268.11**
जमा	
अन्य आय	15.39
हेलीकॉप्टर परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय	7497.37
मूल्यह्रास और ऋण परिशोधन व्यय	48.99
योग	**7561.75**
वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान पहचानी गई वित्तीय वर्ष 2014–15 व उसके पूर्व की पूर्वावधि समायोजन	
नामे	
हेलीकॉप्टर परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय	45.59
मूल्यह्रास और ऋण परिशोधन व्यय	7.55
अन्य व्यय	343.47
कर्मचारी हितलाभ व्यय	2.18
योग	**398.79**
जमा	
अन्य आय	3.60
मूल्यह्रास और ऋण परिशोधन व्यय	0.18
अन्य व्यय	0.75
आस्थगित कर देयता	55.47
योग	**60.00**
वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान पहचानी गई वित्तीय वर्ष 2014–15 व उसके पूर्व की पूर्वावधि समायोजन	
नामे	
हेलीकॉप्टर परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय	20.74
अन्य व्यय	163.71
कर्मचारी हितलाभ व्यय	31.78
मूल्यह्रास और ऋण परिशोधन व्यय	0.04
योग	**216.27**
जमा	
अन्य आय	92.02
मूल्यह्रास और ऋण परिशोधन व्यय	7.26
अन्य व्यय	149.30
योग	**248.58**

ख. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

यथा अपेक्षित भारतीय लेखा मानक –24 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण नीचे दिया गया है: –

क) नियंत्रक दायित्व वाले कार्मिक

भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार – 51% शेयरधारिता

तेल एवं प्राकृतिक गैस कंपनी लिमिटेड – 49% शेयरधारिता

ख) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

i. डॉ. बी. पी. शर्मा, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (दिनांक 09.03.2015 से)

ii. श्री धीरेंद्र सहाय, मुख्य वित्तीय अधिकारी

iii. श्री संजीव अग्रवाल, कंपनी सचिव

ग) संव्यवहार विवरण:– (प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ	110.04	92.71	49.12
प्राप्य राशि	2.17	3.83	6.51
देय राशि	-	1.12	-

घ) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित निदेशक को भुगतान पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

विवरण	2016-2017	2015-2016
वेतन, भत्ता, आनुशंगिक लब्धियाँ, भविष्य निधि, पेंशन आदि	37.41	35.44

ङ) विशिष्ट प्रभावी उद्यम

ओएनजीसी लिमिटेड – इक्विटी शेयरधारक – 49% के समतुल्य 12035 लाख रुपए

(₹ लाख में)

लेन–देन: –	2016-17	2015-16
हेलीकॉप्टर किराया प्रभार (एओजी का शुद्ध)	16218.66	18218.92
अन्य सेवाएं	**शून्य**	41.76
साल के अंत (डेबिट) के रूप में व्यापार प्राप्य	2300.87	2325.18
ऋण चुकाया गया (प्रिंसिपल राशि)	331.56	3346.84
ब्याज भुगतान	4.48	221.97
बकाया ऋण (प्रिंसिपल राशि)	**शून्य**	331.56

च) ट्रस्ट, जिनमें कम्पनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है: –

(₹ लाख में)

ट्रस्ट का नाम	2016- 17			2015-16		
	चुकता	देय	प्राप्य	चुकता	देय	प्राप्य
पवन हंस कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	1521.28	117.70	-	1325.83	118.30	-
पवन हंस हेलीकाप्टर लिमिटेड कर्मचारी का ग्रैच्युटी ट्रस्ट	-	-	166.20	-	-	181.67
पीएचएल कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधोसंरचना ट्रस्ट	464.53	37.57	-	2892.98	36.70	-

XXIV. मूल्य और डायल्यूटिड शेयरों की संख्या का समाधान निम्नानुसार है:–

विवरण	शेयरों की संख्या
वर्ष की शुरुआत में शेयरों की संख्या (01/04/2016)	2,45,616
लंबित आवंटनों हेतु प्राप्त शेयर आवेदन राशि पर डायल्यूटिड शेयरों की संख्या	25,542
दिनांक 31/03/2017 को कुल डायल्यूटिड शेयरों की संख्या	2,71,158

XXV.

क. तुलन पत्र तिथि के अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रति 30 दिन की अवधि के अधिक कम्पनी की कोई देयताएं नहीं हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित व्यवसाय देयताओं का विवरण ब्याज एवं मूलधन की राशि के साथ निम्नानुसार है:–

विवरण	31 मार्च, 2017 की स्थिति	31 मार्च, 2016 की स्थिति	1 अप्रैल, 2015 की स्थिति
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय			
– मूलधन	शून्य	शून्य	शून्य
– ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य
क्रेता द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006) के अंतर्गत चुकता की गई ब्याज राशि	शून्य	शून्य	शून्य
प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान नियत तिथि के पश्चात सूक्ष्म एवं लघु आपूर्तिकर्ताओं को किया गया भुगतान	शून्य	शून्य	शून्य
भुगतान (जो वर्ष के दौरान नियत तिथि के पश्चात किया गया है) में देरी की अवधि के लिए बकाया तथा देय ब्याज की राशि जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज जोड़कर चुकता नहीं की गई है।	शून्य	शून्य	शून्य

विवरण	31 मार्च, 2017 की स्थिति	31 मार्च, 2016 की स्थिति	1 अप्रैल, 2015 की स्थिति
प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में बकाया तथा चुकता न किए गए ब्याज की राशि	शून्य	शून्य	शून्य
अनुवर्ती वर्षों के लिए भी उस तारीख तक देय ब्याज की राशि, जब तक देय बकाया राषि का भुगतान उपरोक्तानुसार सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत कटौती योग्य ब्याज के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु छोटे उद्यमियों को वास्तविक रूप से अदा नहीं किया जाता है।	शून्य	शून्य	शून्य

ख. कम्पनी द्वारा किए जा रहे व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए कम्पनी का प्रचालन क्रम चूंकि 12 माह की अवधि का माना गया है अतः सामान्य प्रचालन क्रम का निर्धारण किया जाना संभव नहीं है तथा दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण कम्पनी अधिनियम की अनुसूची III के प्रावधानों के अनुसरण में किया गया है।

ग. सेगमेंट रिपोर्टिंग

कम्पनी द्वारा प्रमुखतः भारत में हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने का कार्य किया जाता है जो कि भारतीय लेखांकन मानक – 108 के अंतर्गत ''प्रचालन सेगमेंट'' के अनुसार इंड एएस 108 के अंतर्गत अपेक्षित मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक (''सीओडीएम'') को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुसार केवल सूचित किए जाने योग्य व्यवसाय सेगमेंट मानी गई है। निदेशक मंडल को मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक माना गया है, जिसके द्वारा रणनीतिक निर्णय लिए जाते हैं तथा जो संसाधनों के निर्धारण एवं प्रचालन सेगमेंट के निष्पादन के मूल्यांकन के प्रति उत्तरदायी है। कम्पनी द्वारा अपने प्रचालन भारत में किए जाते हैं जिसे जोखिमों में समानता के अनुसार एकल भौगोलिक सेगमेंट माना गया है।

घ) मुख्य ग्राहक

निम्नलिखित कंपनी के प्रमुख ग्राहक हैंः –

i. तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड

ii. अंडमान एवं निकोबार प्रशासन

iii. लक्षद्वीप प्रशासन

iv. मेघालय सरकार

v. हिमाचल प्रदेश सरकार

vi. ओडिशा सरकार

vii. एनटीपीसी लिमिटेड

घ. वर्ष के दौरान कम्पनी के पास 8 नवम्बर, 2016 से 30 दिसम्बर, 2016 की अवधि के दौरान धारित एवं संव्यवहार में लाए गए विशिष्ट बैंक नोटों के विवरण के संबंध में निगमित कार्य मंत्रालय की दिनांक 31 मार्च, 2017 की

अधिसूचना जी.एस.आर. 308(ई) में परिभाषित विशिष्ट बैंक नोटों अथवा अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोट थे तथा अधिसूचना के अनुसार ऐसे विशिष्ट बैंक नोटों तथा अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोटों का विवरण निम्नानुसार है:–

(₹ लाख में)

विवरण	विशिष्ट बैंक नोट	अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोट	योग
08.11.2016 को हाथ में नकद समापन	6.48	0.13	6.61
जोड़ें: अनुमति प्राप्त प्राप्तियां	0.00	48.38	48.38
कम: अनुमति प्राप्त भुगतान	0.01	41.10	41.11
कम: बैंकों में जमा राशि	6.47	4.51	10.98
30.12.2016 को हाथ में नकद समापन	0.00	2.91	2.91

XXVII. वित्तीय उपकरण

i. मूल्यांकन

यदि इंड एएस 101 के पैरा डी20 के अंतर्गत नीचे उल्लिखित छूट प्राप्त नहीं की गई है तो सभी वित्तीय उपकरणों की प्रारंभिक स्वीकृति एवं अनुवर्ती मापन उनके उचित मूल्य पर किया जाता है:

क) कर्मचारियों को दिए ऋण का उचित मूल्यांकन

पूर्व सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कर्मचारियों को रियायती दर पर दिए जाने वाले ऋण (जो ऋण की अवधि के अनुसार वसूली योग्य हैं) को उनके संव्यवहार मूल्य पर रिकार्ड में दर्ज किया जाता था। इंड एएस के अंतर्गत सभी वित्तीय परिसम्पतियों की स्वीकृति उनके उचित मूल्य पर किए जाने की अपेक्षा की गई है। तदनुसार, कम्पनी द्वारा पारगमन की तिथि को विद्यमान ऋणों के अलावा कर्मचारियों को दिए गए ऋणों का उचित मूल्यांकन इंड एएस के अंतर्गत किया गया है। ऋण के उचित मूल्य एवं संव्यवहार मूल्य के मध्य का अंतर स्वीकृति वर्ष से संबंधित लाभ हानि विवरण में व्यय के रूप में की गई है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार ऋणों की राशि 3.04 लाख घट गई है। 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार वर्ष के दौरान लाभ एवं इक्विटी में कर्मचारियों को दिए गए ऋण के संबंध में स्वीकृत कल्पित ब्याज आय के कारण 0.13 लाख रुपए की घटत हुई है।

ख) सुरक्षा जमा

पूर्व सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन मानकों के अंतर्गत ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा (जो पट्टा अवधि पूरी होने के पश्चात नकद धनवापसी योग्य है) को उनके संव्यवहार मूल्य पर प्रभारित किया जाता है। इंड एएस के अंतर्गत सभी वित्तीय परिसम्पतियों के संबंध में अपेक्षित स्वीकृति उचित मूल्य पर की जाने की अपेक्षा की गई है। तदनुसार,कम्पनी द्व ारा ऐसी सुरक्षा जमा के संबंध में उचित मूल्य का निर्धारण इंड एएस के अनुसार किया गया है। सुरक्षा जमा के उचित मूल्य एवं संव्यवहार मूल्य के मध्य के अंतर को आस्थगित किराए के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। ऐसे बदलाव के परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार सुरक्षा जमा की राशि में 0.12 लाख रुपए की घटत हुई है। इसके अलावा आस्थगित किराया परिसम्पतियों का वर्गीकरण प्रबंधन की मंशा के अनुसार चालू एवं गैर–चालू के रूप में क्रमशः 0.08 लाख रुपए एवं 0.04 लाख रुपए की राशि पर किया गया है। 0.07 लाख रुपए के आस्थगित कर के परिशोधन के परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार लाभ एवं निवल इक्विटी में 0.002 लाख रुपए की घटत हुई है जो सुरक्षा जमा के तौर पर स्वीकृत की गई 0.07 लाख रुपए की कल्पित ब्याज आय की राशि के साथ आंशिक रूप से संतुलित कर दी गई है।

ग) वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्य का निर्धारण लागू होने की स्थिति में न्यूनीकृत रोकड़ प्रवाह विश्लेषण के उपयोग से किया जाता है।

वित्तीय उपकरणों का वर्गीकरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017 की स्थिति	31 मार्च, 2016 की स्थिति	1 अप्रैल, 2015 की स्थिति
वित्तीय आस्तियां			
लागत पर माप			
गैर तात्कालिक परिसंपत्ति			
क) ऋण	601.71	609.42	593.79
ख) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	190.28	238.44	253.30
वर्तमान संपत्ति			
क) व्यापार प्राप्य	19216.47	23661.80	29045.17
ख) नकद और नकद समकक्ष	5340.34	5816.43	5123.22
ग) अन्य बैंक बैलेंस	9991.44	6318.94	2815.16
घ) ऋण	490.20	467.02	524.45
ङ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	996.79	5153.79	1062.31
ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा गया			
क) इक्विटी उपकरणों में निवेश	102.31	124.42	144.67
पी एंड एल के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा गया	-	-	-
वित्तीय देनदारियों			
लागत पर माप			
गैर मौजूदा देनदारियां			
क) उधारी	2497.72	16125.21	16959.39
ख) अन्य वित्तीय देयताएं	163.41	34072.41	34316.36
वर्तमान देनदारियां			
क) उधार	0.00	0.00	0.00
ख) व्यापार भुगतानकर्ता	7351.28	3652.05	3467.16
ग) अन्य वित्तीय देयताएं	864.90	2252.85	4952.48

ii. उचित मूल्यों का वर्गीकरण

नीचे दी गई तालिका में कम्पनी की वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं का उचित मूल्य मापन के अनुसार वर्गीकरण किया गया है तथा ऐसे मापन उचित मूल्य अथवा ऐसे उचित मूल्य के अनुसार किए गए हैं जिनके संबंध में यथातिथि दिनांक 31 मार्च, 2017 स्पष्टीकरण अपेक्षित है:

विवरण	योग	उचित मूल्य मापन के लिए किए गए उपयोग		
		चालू बाजार में उद्धृत मूल्य (स्तर 1)	सूचक प्रत्यक्ष इनपुर (स्तर 2)	सूचक अप्रत्यक्ष इनपुर (स्तर 3)
एफवीटीओसीआई वित्तीय संपत्तियां/देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियों/देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
परिशोधित लागत वित्तीय संपत्तिया/देनदारियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

नीचे दी गई तालिका में कम्पनी की वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं का उचित मूल्य मापन के अनुसार वर्गीकरण किया गया है तथा ऐसे मापन उचित मूल्य अथवा ऐसे उचित मूल्य के अनुसार किए गए हैं जिनके संबंध में 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार स्पष्टीकरण अपेक्षित है:

विवरण	योग	उचित मूल्य मापन के लिए किए गए उपयोग		
		चालू बाजार में उद्धृत मूल्य (स्तर 1)	सूचक प्रत्यक्ष इनपुर (स्तर 2)	सूचक अप्रत्यक्ष इनपुर (स्तर 3)
एफवीटीओसीआई वित्तीय संपत्तियां/देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियों/देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
परिशोधित लागत वित्तीय संपत्तिया/देनदारियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

नीचे दी गई तालिका में कम्पनी की वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं का उचित मूल्य मापन के अनुसार वर्गीकरण किया गया है तथा ऐसे मापन उचित मूल्य अथवा ऐसे उचित मूल्य के अनुसार किए गए हैं जिनके संबंध में 1 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार स्पष्टीकरण अपेक्षित है:

विवरण	योग	उचित मूल्य मापन के लिए किए गए उपयोग		
		चालू बाजार में उद्धृत मूल्य (स्तर 1)	सूचक प्रत्यक्ष इनपुर (स्तर 2)	सूचक अप्रत्यक्ष इनपुर (स्तर 3)
एफवीटीओसीआई वित्तीय संपत्तियां/देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियों/देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
परिशोधित लागत वित्तीय संपत्तिया/देनदारियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii. विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन :–

कम्पनी द्वारा विदेशी मुद्रा के मूल्य वर्ग के संव्यवहार किए जाते हैं जिसके परिणमस्वरूप विनिमय दर में परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न होती है।

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की विदेशी मुद्रा मूल्य वर्ग की वहन राशि मौद्रिक परिसम्पतियों एवं मौद्रिक देयताओं के अनुसार निम्नानुसार हैः–

(₹ लाख में)

विवरण	अमेरिकी डालर		यूरो		अन्य मुद्राएं	
	विदेशी मुद्रा	भा.रुपए	विदेशी मुद्रा	भा.रुपए	विदेशी मुद्रा	भा.रुपए
नकद और नकद समकक्ष	-	-	6.47	441.24	-	-
व्यापार स्वीकार योग्य	-	-	13.71	935.21	-	-
अन्य वित्तीय संपत्तियां	3.26	216.19	0.60	40.55	-	-
व्यापार देनदारियां	1.02	66.47	14.93	1045.82	0.02	1.80
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	-	-	-	-

31 मार्च, 2016 तक कंपनी की विदेशी मुद्रा की मौद्रिक संपत्तियों और मौद्रिक देनदारियों की बची हुई राशि निम्नानुसार हैः

(₹ लाख में)

विवरण	अमेरिकी डालर		यूरो		अन्य मुद्राएं	
	विदेशी मुद्रा	भा.रुपए	विदेशी मुद्रा	भा.रुपए	विदेशी मुद्रा	भा.रुपए
नकद और नकद समकक्ष	-	-	3.52	260.01	-	-
व्यापार स्वीकार योग्य	-	-	9.62	710.48	-	-
अन्य वित्तीय संपत्तियां	3.34	221.61	0.19	13.92	0.18	17.27
व्यापार देनदारियां	2.29	153.32	37.05	2815.73	0.20	18.96
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	-	-	-	-

1 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की विदेशी मुद्रा मूल्य वर्ग की वहन राशि मौद्रिक परिसम्पतियों एवं मौद्रिक देयताओं के अनुसार निम्नानुसार हैः–

(₹ लाख में)

विवरण	अमेरिकी डालर		यूरो		अन्य मुद्राएं	
	विदेशी मुद्रा	भा.रुपए	विदेशी मुद्रा	भा.रुपए	विदेशी मुद्रा	भा. रुपए
नकद और नकद समकक्ष	-	-	2.94	196.36	-	-
व्यापार स्वीकार योग्य	-	-	14.76	985.08	-	-
अन्य वित्तीय संपत्तियां	0.55	34.05	1.48	98.74	0.35	31.88
व्यापार देनदारियां	1.32	83.10	22.12	1513.74	0.18	16.46
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	-	-	-	-

iv. विदेशी मुद्रा की संवेदनशीलता का विश्लेषण :

कम्पनी द्वारा मुख्यतः अमेरिकी डालर एवं यूरो मुद्रा में संव्यवहार किया जाता है;

नीचे दी गई तालिका में संबंधित विदेशी मुद्राओं की रुपए के प्रति 5% की बढ़त तथा घटत के साथ कम्पनी की संवेदशीलता का विवरण दिया गया है। 5% की संवेदनशीलता की दर का उपयोग विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है तथा यह दर विदेशी मुद्रा की दरों में संभावित प्रबंधन के औचित्यपरक निर्धारण की प्रस्तुति करती है। यह मुख्यतः रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समूह से विवरण के अनुसार प्राप्य अथवा देय बकायों से सम्बद्ध हैं। संवेदनशीलता विश्लेषण में केवल विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग की मौद्रिक मदें तथा विदेशी मुद्रा दर पर अवधि के अंत में 5% प्रभार के साथ समायोजित उनका परिवर्तित मूल्य ही शामिल किया गया है। नीचे प्रस्तुत सकारात्मक संख्या से संबंधित मुद्रा के संबंध में 5% की मजबूती होने की स्थिति में लाभ अथवा इक्विटी में हुई बढ़त प्रदर्शित होती है। संबंधित मुद्रा की तुलना में रुपए में कमजोरी की स्थिति में लाभ अथवा इक्विटी का प्रभाव तुलनीय होगा तथा नीचे प्रस्तुत तुलन पत्र में नकारात्मक स्थिति प्रस्तुत होगी।

(₹ लाख में)

विवरण	यूएसडी प्रभाव		
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
विनिमय दर में 5% की वृद्धि	-1.14	-14.20	-10.78
विनिमय दर में 5% की कमी	1.14	14.20	10.78

विवरण	यूएसडी प्रभाव		
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
विनिमय दर में 5% की वृद्धि	-19.96	-90.15	-10.09
विनिमय दर में 5% की कमी	19.96	90.15	10.09

विवरण	अन्य मुद्रा मुद्रा प्रभाव		
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
विनिमय दर में 5% की वृद्धि	-0.09	-0.06	-0.83
विनिमय दर में 5% की कमी	0.09	0.06	0.83

v. बीमा जोखिम

कंपनी की वित्तीय देयता से संबंधित कोई भी ब्याज जोखिम नहीं है ।

vi. ऋण जोखिम

क्रेडिट जोखिम का अर्थ वह जोखिम है जिसके संबंध में प्रतिपक्षी द्वारा संविदागत दायित्वों के प्रति चूक की गई हो और जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को वित्तीय हानियां हुई हों। क्रेडिट जोखिम की उत्पति द्रव्य परिसम्पतियों, गैर–चालू वित्तीय परिसम्पतियों, डेरिवेटिव परिसम्पतियों, व्यवसाय एवं अन्य प्राप्यों से होती है। कम्पनी के पास किसी प्रकार की डेरिवेटिव परिसम्पतियां नहीं हैं तथा रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य के संबंध में उक्त राशि ऐसे अनुसूचित बैंकों के चालू खाते में जमा है जहां चूक के आसार न्यूनतम हैं। क्रेडिट जोखिम के प्रति कम्पनी का अधिकतम जोखिम कम्पनी की अन्य वित्तीय परिसम्पतियों की वहन राशि के समतुल्य है।

vii. नकदी जोखिम –

नकदी जोखिम वह जोखिम होता है जो कम्पनी के सम्मुख किन्हीं वित्तीय दायित्वों को पूरा किए जाने से जुड़ा होता है और जिसका निपटान रोकड़ अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पतियों की डिलीवरी से किया जाता है। कम्पनी ऐसा मानती है कि उसकी कार्यशील पूंजी चालू अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। तदनुसार किसी प्रकार के नकदी जोखिम का उल्लेख नहीं किया गया है।

31 मार्च, 2017 के अनुसार महत्वपूर्ण वित्तीय देनदारियों की संविदागत परिपक्वता के बारे में विवरण इस प्रकार हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–5 वर्ष	5 वर्ष	कुल	ले जाने वाली राशि
उधारी	536.45	2497.72	-	3034.17	3034.17
व्यापार प्राप्य	7351.28	-	-	7351.28	7351.28
अन्य वित्तीय देयताएं	491.86	-	-	491.86	491.86

31 मार्च, 2016 के अनुसार महत्वपूर्ण वित्तीय देनदारियों की संविदागत परिपक्वता के बारे में विवरण इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–5 वर्ष	5 वर्ष	कुल	ले जाने वाली राशि
उधारी	836.85	15443.65	681.56	16962.06	16962.06
व्यापार प्राप्य	3652.05	-	-	3652.05	3652.05
अन्य वित्तीय देयताएं	1557.22	33931.19	-	35488.41	35488.41

1अप्रैल, 2015 के अनुसार महत्वपूर्ण वित्तीय देनदारियों की संविदागत परिपक्वता के बारे में विवरण इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–5 वर्ष	5 वर्ष	कुल	ले जाने वाली राशि
उधारी	3825.44	15635.87	1323.52	20784.83	20784.83
व्यापार प्राप्य	3467.16	-	-	3467.16	3467.16
अन्य वित्तीय देयताएं	1512.21	33931.19	-	35443.40	35443.40

XXVII. पूंजी प्रबंधन

कम्पनी द्वारा अपनी पूंजी का प्रबंधन यह सुनिश्चय करने के लिए किया जाता है कि कम्पनी को ऋण एवं इक्विटी शेष के इष्टतम उपयोग से अनवरत आधार पर अपने भागीदारों को अधिकतम लाभ प्रदान किए जा सकें।

कंपनी की पूंजी संरचना में शुद्ध ऋण और कंपनी की कुल इक्विटी होती है।

कंपनी बाह्य रूप से लगाए गए पूंजी आवश्यकताओं के अधीन नहीं है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	1 अप्रैल 2015
उधारी	3034.17	16962.06	20784.83
व्यापार देनदारियां	7351.28	3652.05	3467.16
अन्य वित्तीय देयताएं	491.86	35488.41	35443.40
शुद्ध ऋण	**10877.31**	**56102.52**	**59695.39**
इक्विटी शेयर पूंजी	24561.60	24561.60	24561.60
अन्य इक्विटी	73935.70	35055.41	30950.45
कुल पूंजी	**98497.30**	**59617.01**	**55512.05**
पूंजी और ऋण	**109374.61**	**115719.53**	**115207.44**
गियर का अनुपात	0.110	0.94	1.08

XXVIII. चालू वर्ष के आंकड़े के अनुरूप होने के लिए जहां आवश्यक माना जाता है, वहां पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से संगठित किया गया है।

XXIX. दिनांक 23.8.2017 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में दिए निदेशों का अनुसरण करते हुए पवन हंस लिमिटेड द्वारा बेल हेलीकॉप्टर्स टैक्सट्रान इनकारपोरेटिड को यह सूचित किया गया था कि जुहू हवाईअड्डे पर एयर वर्क्स हैंगर में पार्क किए गए दो बेल 412 हेलीकॉप्टरों को उनके विद्यमान स्वरूप (पुरानी विन्टेज वाले) में स्वीकार नहीं किया जा सकता है तथा इसी के साथ साथ पवन हंस लिमिटेड द्वारा 28.4.2017 को लगभग 35 करोड़ रुपए के अग्रिम भुगतान की बैंक गारंटी समाप्त करने से संबंधित कार्रवाई की गई। तथापि, बेल हेलीकॉप्टर्स टैक्सट्रान इनकारपोरेटिड द्वारा दिनांक 24.8.2017 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में ओएमपी (आई–कॉम) संख्या 313/2017 दाखिल की गई जो दिनांक 25.8.2017, 30.8.2017 तथा 18.9.2017 को तर्क वितर्क के लिए पेश हुई जिसमें न्यायालय द्वारा सिटी बैंक को ये निदेश दिए गए कि वह अमेरिकी डालर 4 मिलियन की बैंक गारंटी का भुगतान न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले आगामी आदेशों तक न करे और साथ ही बेल हेलीकॉप्टर्स टैक्सट्रान इनकारपोरेटिड को इस बैंक गारंटी का विस्तार 30.11.2017 तक करने के निदेश दिए गए। पीजीबी की वैधता पहले से ही 31.1.2019 तक मान्य है। न्यायालय में तर्क वितर्क दिनांक 28.11.2017को किया जाना था। बेल हेलीकॉप्टर्स टैक्सट्रान इनकारपोरेटिड द्वारा अपने दिनांक 12.8.2017 के पत्र के माध्यम से विवाचक के लिए अनुरोध किया गया तथा इसके पश्चात पवन हंस लिमिटेड एवं बेल हेलीकॉप्टर्स टैक्सट्रान इनकारपोरेटिड, दोनों, द्वारा अपने विवाचक नामित किए गए। तृतीय विवाचक का नामांकन भी नामित विवाचकों द्वारा दिनांक 23.11.2017 को कर लिया गया है।

मैसर्स बेल हेलीकॉप्टर्स टैक्सट्रान इनकारपोरेटिड द्वारा अपने दिनांक 29.9.2017 के पत्र के माध्यम से यह सूचित किया गया कि उनके द्वारा भारत से बाहर एक ग्राहक की व्यवस्था की गई है जो उक्त हेलीकॉप्टरों की खरीद का इच्छुक है तथा उन्होंने पवन हंस लिमिटेड से इन हेलीकॉप्टरों का निर्यात भारत से बाहर करने में सहायता देने का अनुरोध किया।

उपर्युक्त की प्रतिक्रिया में पवन हंस लिमिटेड द्वारा अपने दिनांक 23.10.2017 के पत्र के माध्यम से संबंधित विधि काउंसिल के साथ विधिक परामर्श किए जाने से संबंधित कुछ पूर्व शर्तों को पूरा किए जाने की शर्त पर अपेक्षित सहयोग के प्रति अपनी सहमति प्रदान की गई।

क) क्रय करार के अंतर्गत बेल द्वारा पवन हंस लिमिटेड को अग्रिम भुगतान के रूप में चुकता की गई पूर्ण राशि अर्थात अमेरिकी डालर 5,060,833.38, की धनवापसी भुगतान (अथवा उनके आंशिक भाग) किए जाने की तिथि से पवन हंस लिमिटेड को भुगतान प्राप्त होने तक 4.5% वार्षिक ब्याज के साथ किया जाना;

ख) हेलीकॉप्टरों के आयात (नीचे प्रस्तुत की गई तालिका के अनुसार) के लिए पवन हंस लिमिटेड द्वारा चुकता किया गया सीमा शुल्क चुंगी की धनवापसी किए जाने की तिथि से पवन हंस लिमिटेड को भुगतान प्राप्त होने तक 9% वार्षिक ब्याज के साथ किया जाना।

समाधान के अंतिम समाधान के तौर पर बेल हेलीकॉप्टर्स टैक्सट्रान इनकारपोरेटिड द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव दिए गए थे:

क) पवन हंस लिमिटेड से प्राप्त होने वाली सहायता, जिसमें दस्तावेजों को तैयार करने का कार्य पूरा करना, भारतीय सीमा शुल्क अथवा अन्य सरकारी प्राधिकरणों द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों की प्रस्तुति, के प्रति बेल द्वारा पवन हंस लिमिटेड को अमेरिकी डालर 5,060,833.38 की राशि के सभी अग्रिम भुगतान वापस लौटा दिए जाएंगे।

ख) पवन हंस लिमिटेड द्वारा लागू विनियमों के अनुसरण में सीमा शुल्क से धनवापसी प्राप्त किए जाने के योग्य आयात शुल्कों की सभी रसीदें प्रस्तुत की जाएंगी।

ग) भारत से हेलीकॉप्टरों के निर्यात की लागतों का वहन एवं दायित्व बेल का होगा।

घ) अग्रिम भुगतान वापस प्राप्त होने के पश्चात पवन हंस लिमिटेड द्वारा अग्रिम भुगतान बैंक गारंटियां लौटा दी जाएंगी।

इस मामले पर दिनांक 20 नवम्बर, 2017 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में विचार विमर्श किया गया था जिसमें निदेशक मंडल द्वारा इस मामले पर अगली कार्रवाई करने से पूर्व इस विषय पर विधिक परामर्श प्राप्त करने का निदेश दिया गया था जो कि पवन हंस लिमिटेड द्वारा अपने विधि काउंसिल से प्राप्त किया जा रहा है।

विवाचक ट्रिब्यूनल की स्थापना चूंकि की जा चुकी थी अतः दिनांक 28.11.2017 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा बेल हेलीकॉप्टर्स टैक्सट्रान इनकारपोरेटिड को विवाचन एवं समाधान अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत 4 सप्ताह के भीतर विवाचक ट्रिब्यूनल के सम्मुख आवेदन प्रस्तुत करने का निदेश देते हुए ओएमपी (आई–कॉम) संख्या 313/2017 का निपटान कर दिया गया। न्यायालय द्वारा बेल हेलीकॉप्टर्स टैक्सट्रान इनकारपोरेटिड को दिनांक 30.11.2017 को समाप्त होने जा रही बैंक गारंटी की वैधता में आगामी छः माह की अवधि का विस्तार करने तथा विवाचन एवं समाधान अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत बेल हेलीकॉप्टर्स टैक्सट्रान इनकारपोरेटिड द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पर विवाचन ट्रिब्यूनल द्वारा निर्णय पारित किए जाने तक के समय के लिए बैंक गारंटी को बनाए रखने के लिए भी निदेश दिए गए।

नोट 1 से 33 वित्तीय विवरणियों का एक अभिन्न अंग बनाते हैं।
यह तुलन पत्र है जिसे हमारी तारीख की रिपोर्ट में भी उल्लिखित किया गया है।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

कृते जे. पी. कपूर एवं यूबेराय
सनदी लेखाकार
फर्म निबंधन सं. 000593एन

(डॉ. बी. पी. शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 07125290

(श्रीमती गार्गी कौल)
निदेशक
डीआईएन सं. 07173427

(विनय जैन)
साझीदार
सदस्यता सं. 095187

(संजीव अग्रवाल)
कम्पनी सचिव

(धीरेन्द्र सहाय)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 01.12.2017

नोट सं. 33
समाधान

निम्नलिखित समाधान इंड एएस 101 की साम्यता में आईजीएएपी से इंड एएस में संक्रमण के प्रभाव को उपलब्ध कराते हैं:

1. 1 अप्रैल 2015 और 31 मार्च 2016 को इक्विटी।

2. 31 मार्च 2016 को समाप्त अवधि के लिए शुद्ध लाभ।

33.1 आईजीएएपी से इंड एएस के अंतर्गत पूर्व में रिपोर्ट की गई इक्विटी का समाधान

(₹ लाख में)

विवरण	नोट सं.	1अप्रैल, 2015 को अथशेष			31 मार्च, 2016 को तुलन पत्र		
		आईजीएएपी	इंड एएस समायोजन	इंड एएस	आईजीएएपी	इंड एएस समायोजन	इंड एएस
आस्तियाँ							
गैर–चालू आस्तियाँ							
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	1	86,172.24	(15.64)	86,156.60	77,847.25	3,855.25	81,702.50
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	2	1,800.50	3.83	1,804.33	5,336.65	57.00	5,393.65
(ग) अन्य अमूर्त आस्तियाँ	3	107.27	(79.74)	27.53	60.51	(44.50)	16.01
(घ) वित्तीय आस्तियाँ							
(i) निवेश		144.67	-	144.67	124.42	-	124.42
(ii) ऋण	4	875.65	(281.86)	593.79	715.14	(105.72)	609.42
(iii) अन्य वित्तीय आस्तियाँ	5	125.70	127.60	253.30	93.57	144.87	238.44
(ङ) अन्य गैर चालू आस्तियाँ	6	6,209.25	150.42	6,359.67	6,375.77	(39.19)	6,336.58
कुल गैर चालू आस्तियाँ		**95,435.28**	**(95.39)**	**95,339.89**	**90,553.31**	**3,867.71**	**94,421.02**
चालू आस्तियाँ							
(क) मालसूची		5,648.36	-	5,648.36	5,018.64	-	5,018.64
(ख) वित्तीय आस्तियाँ							
(i) व्यवसाय प्राप्य	7	29,045.17	-	29,045.17	23,721.09	(59.29)	23,661.80
(ii) नकदी और नकदी समतुल्य	8	5,125.29	(2.07)	5,123.22	5,832.68	(16.25)	5,816.43
(iii) अन्य बैंक शेष	9	3,800.00	(984.84)	2,815.16	6,503.55	(184.61)	6,318.94
(iv) ऋण	10	962.50	(438.05)	524.45	966.09	(499.07)	467.02
(v) अन्य वित्तीय आस्तियाँ	11	732.37	329.94	1,062.31	844.52	4,309.27	5,153.79
(ग) चालू कर आस्तियाँ (शुद्ध)		1,068.33	-	1,068.33	1,198.63	-	1,198.63
(घ) अन्य चालू आस्तियाँ	12	788.87	443.04	1,231.91	5,518.68	(3,860.45)	1,658.23
कुल चालू आस्तियाँ		**47,170.89**	**(651.98)**	**46,518.91**	**49,603.88**	**(310.40)**	**49,293.48**
कुल आस्तियाँ		**142,606.16**	**(747.37)**	**141,858.80**	**140,157.19**	**3,557.32**	**143,714.50**
इक्विटी एवं देयताएं							

इक्विटी							
(क) इक्विटी षेयर पूंजी		24,561.60	-	24,561.60	24,561.60	-	24,561.60
(ख) अन्य इक्विटी	13	29,551.40	1,399.05	30,950.45	31,856.92	3,198.49	35,055.41
कुल इक्विटी		**54,113.00**	**1,399.05**	**55,512.05**	**56,418.52**	**3,198.49**	59,617.01
देयताएं							
गैर–चालू देयताएं							
(क) वित्तीय देयताएं							
(i) उधार		16,959.39	-	16,959.39	16,125.21	-	16,125.21
(ii) अन्य वित्तीय देयताए	14	34,159.86	156.50	34,316.36	34,340.32	(267.91)	34,072.41
(ख) प्रावधान		2,723.57	-	2,723.57	2,983.62	-	2,983.62
(ग) आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)	15	15,769.68	(55.47)	15,714.21	16,923.58	1,337.15	18,260.73
कुल गैर–चालू देयताएं		**69,612.50**	**101.03**	**69,713.53**	**70,372.73**	**1,069.24**	**71,441.97**
चालू देयताएं							
(क) वित्तीय देयताए							
(i) व्यवसाय प्राप्य	16	3,350.81	116.35	3,467.16	3,373.49	278.56	3,652.05
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	17	4,952.48	-	4,952.48	2,453.71	(200.86)	2,252.85
(ख) अन्य चालू देयताएं	18	2,372.06	(747.39)	1,624.67	1,388.49	419.37	1,807.86
(ग) प्रावधान	19	7,966.01	(1,616.40)	6,349.61	6,150.25	(1,207.49)	4,942.76
(घ) चालू कर देयताएं (शुद्ध)		239.30	-	239.30	-	-	-
कुल चालू देयताएं		**18,880.66**	**(2,247.44)**	**16,633.22**	**13,365.94**	**(710.42)**	**12,655.52**
कुल इक्विटी एवं देयताएं		**142,606.16**	**(747.37)**	**141,858.80**	**140,157.20**	**3,557.31**	**143,714.50**

33.2 आईजीएएपी से इंड एएस के अंतर्गत पूर्व में रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र के समाधान के लिए स्पष्टीकरण

(₹ लाख में)

नोट सं.	विवरण	यथातिथि 1 अप्रैल, 2015 को तुलन पत्र	यथातिथि 31 मार्च, 2016 को तुलन पत्र
1	मरम्मत और अनुरक्षण तथा स्पेयरों के उपभोग से संबंधित जिनको पूर्व में व्यय बंद कर दिया गया था। यद्यपि इन्हें वर्तमान में घटक लेखा के आधार पर संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर में पूंजीकृत किया गया है।	-	6,599.13
	पूर्व वर्षों में प्रभारित अतिरिक्त/अल्प मूल्यह्रास और विगत वर्षों में क्रय की गई पूंजीगत आस्तियों पर देयताओं में कमी को अब सुधार लिया गया है।	(15.64)	17.76
	इंड एएस 16 – संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कंपनी ने घटक लेखा का पालन किया है जिसके परिणामस्वरूप मूल्यह्रास में वृद्धि होती है।	-	(2,918.90)
	वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर का डब्लूडीवी दुर्घटना की तिथि को विगत जीएएपी के अंतर्गत रु. 1089.03 लाख था। यद्यपि, घटक लेखा के कारण परिवर्तित डब्लूडीवी रु. 1078.23 लाख आया है जिसके परिणामस्वरूप बीमा दावे के अधिशेष में संचित मूल्यह्रास के माध्यम से पीपीई में तदनुरूपी समायोजन से वृद्धि हुई है।	-	10.81

	इंड एएस के अंतर्गत उच्च मूल्यह्रास के कारण दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर वीटी–पीडब्लूएफ का डब्लूडीवी कम हुआ।		146.45
	उप योग	**(15.64)**	**3,855.25**
2	विगत जीएएपी के अंतर्गत मार्गस्थ/निरीक्षणाधीन आस्तियों का पृथक प्रकटीकरण किया गया, यद्यपि इन्हें अब पूंजीगत कार्य प्रगति पर के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है।	3.83	-
	मरम्मत और अनुरक्षण तथा स्पेयरों के उपभोग से संबंधित जिनको पूर्व में व्यय बंद कर दिया गया था। यद्यपि इन्हें वर्तमान में घटक लेखा के आधार पर पूंजीगत कार्य प्रगति पर के अंतर्गत दर्ज किया गया है।	-	57.00
	उप योग	**3.83**	**57.00**
3	विगत जीएएपी के अंतर्गत मार्गस्थ/निरीक्षणाधीन आस्तियों का पृथक प्रकटीकरण किया गया, यद्यपि इन्हें अब पूंजीगत कार्य प्रगति पर के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है।	(3.83)	-
	कंपनी द्वारा अंगीकृत की गई लेखा नीति के अनुसार अमूर्त आस्तियों के शुद्ध लेखा मूल्य का समायोजन इंड–एएस 8 के अनुसार पूर्वावधि त्रुटि के रूप में प्रारंभिक प्रतिधारित उपार्जन से किया गया है।	(75.91)	(44.50)
	उप योग	**(79.74)**	**(44.50)**
4	पूंजीगत अग्रिम जो पहले दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम के रूप में दिखाया गया था, अब इंड एएस के प्रकटीकरण की आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए अन्य गैर–मौजूदा परिसंपत्तियों के तहत वर्गीकृत किया गया है।	9.98	(8.88)
	आयकर वसूली योग्य, जिसे पहले दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम के रूप में दिखाया गया था, अब अन्य वर्तमान आस्तियों के रूप में प्रकट किया गया है।	5.88	-
	आपूर्तिकर्ता को अग्रिम जो कि पहले दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम के रूप में दिखाया गया था, अब अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत वर्गीकृत किया जाता है ताकि इंड एएस की प्रकटन आवश्यकता का अनुपालन किया जा सके।	266.00	(96.40)
	कर्मचारियों के लिए ऋण के शेष में परिवर्तन और कर्मचारियों के लिए ब्याज पर ब्याज के कारण इंड–एएस प्रभाव	-	(0.30)
	ऋण से अन्य वित्तीय आस्तियों के लिए पुनर्गठित	-	(0.16)
	उप योग	**281.86**	**(105.72)**
5	कर्मचारी ऋण पर अर्जित ब्याज जिसे पहले गैर मौजूदा परिसंपत्ति के रूप में दिखाया गया था, अब इंड एएस के अनुसार वित्तीय संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है।	127.60	144.72
	इंड–एएस के कारण कर्मचारी ऋण के विरुद्ध अर्जित ब्याज में परिवर्तन	-	(0.01)
	ऋण से अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए पुनर्गठित	-	0.16
	उप योग	**127.60**	**144.87**
6	पूंजीगत अग्रिम जो पहले दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम के रूप में दिखाया गया था, अब इंड एएस के प्रकटीकरण की आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए अन्य गैर–मौजूदा परिसंपत्तियों के तहत वर्गीकृत किया गया है।	9.98	8.87

	आपूर्तिकर्ता को अग्रिम जो कि पहले दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम के रूप में दिखाया गया था, अब अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत वर्गीकृत किया जाता है ताकि इंड एएस की प्रकटन आवश्यकता का अनुपालन किया जा सके।	266.00	96.40
	कर्मचारी ऋण/इंड एएस कार्यान्वयन के कारण कर्मचारियों को ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज पर पूर्वप्रदत्त व्यय की गणना की गई।		
	कर्मचारी ऋण पर अर्जित ब्याज जिसे पहले गैर मौजूदा परिसंपत्ति के रूप में दिखाया गया था, अब इंड एएस के अनुसार वित्तीय संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है।	(125.56)	(144.72)
	उप योग	**150.42**	**(39.19)**
7	वित्तीय वर्ष 2014–15 में देनदारों से प्राप्त आय को वित्तीय वर्ष 2015–16 में पूर्वावधि आय के रूप में दर्ज किया गया था और कारोबार प्राप्तियों और प्रतिधारित आय में तदनुरूपी समायोजन के प्रभाव से अब संशोधित किया जा चुका है।	-	(59.29)
	उप योग	**-**	
8	मियादी जमा में शेष जो पहले नकदी और नकदी समतुल्य का हिस्सा था, अब अन्य बैंक शेष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।	2.07	16.25
9	बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसे पहले अन्य चालू देयताओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, को अब नकदी और नकदी समतुल्य के रूप में इंड एएस के साथ प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप पुनर्गठित किया गया है।	(986.91)	(200.86)
	मियादी जमा में केश जो पहले नकदी और नकदी समतुल्य का हिस्सा था, अब अन्य बैंक केश के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।	2.07	16.25
	उप योग	**(984.84)**	**(184.61)**
10	लक्षद्वीप में हानि के लिए प्रावधान जिसे पहले ऋण और अग्रिम से घटाया गया था को अब अल्प अवधि प्रावधानों में पुनः वर्गीकृत किया गया है।	(89.12)	(89.12)
	पूर्वदत्त व्यय जो कि पहले अल्पकालिक ऋण और अग्रिमों के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए थे, को अब अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों में पुनः वर्गीकृत किया गया है।	325.38	269.68
	सरकारी प्राधिकारियों के साथ शेष, जिन्हें पहले अल्पकालिक ऋण और अग्रिम के तहत वर्गीकृत किया गया था, को अब अन्य मौजूदा आस्तियों के लिए पुनः वर्गीकृत किया गया है	144.08	183.74
	आपूर्तिकर्ता और अन्य के लिए अग्रिम, जिन्हें पहले अल्पकालिक ऋण और अग्रिमों के तहत वर्गीकृत किया गया था, को अब अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में पुनःवर्गीकृत किया गया है।	57.71	134.77
	उप योग	**438.05**	**499.07**
11	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में पहले फिक्स्ड डिपॉजिट पर अर्जित ब्याज, अब वित्तीय संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है।	0.14	0.47
	पूर्व में अन्य मौजूदा आस्तियों के रूप में प्रकट किए गए कर्मचारी ऋणों पर अर्जित ब्याज अब वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है।	23.68	12.63
	बीमा दावे प्राप्य, जिसे पहले अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में प्रकट किया गया था, अब वित्तीय संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है।	39.33	4,415.43

	अन्य चालू आस्तियों के रूप में पूर्व में प्रकट की प्राप्य आय को अब वित्तीय संपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है।	26.87	26.24
	वित्त वर्ष 2015–16 में पूर्व अवधि की आय के रूप में दर्ज की गई वित्त वर्ष 2014–15 की आय/व्यय को अब इंड एएस अपेक्षाओं के अनुसार वर्ष की आय के रूप में दर्ज किया गया है। प्रतिधारित आय में वृद्धि इसका तदनुरूपी प्रभाव है।	239.52	-
	वित्त वर्श 2016–17 में पूर्व अवधि की आय के रूप में दर्ज की गई वित्त वर्श 2014–15 की आय/व्यय को अब इंड एएस अपेक्षाओं के अनुसार वर्ष की आय के रूप में दर्ज किया गया है। प्रतिधारित आय में वृद्धि इसका तदनुरूपी प्रभाव है।	0.41	0.41
	बीमा दावा में कटौती प्राप्य	-	(146.45)
	वित्तीय वर्ष 2016–17 से संबंधित कर्मचारियों की ब्याज आय की पहचान वित्त वर्ष 2016–17 में पूर्व अवधि आय के रूप में की गई। यद्यपि इंड एएस अपेक्षा के अनुसार अनुपालन के लिए इसे अब उचित रूप से आय के वर्ष में समायोजित किया गया है, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2015–16।	-	0.55
	उप योग	**329.94**	**4,309.27**
12	पूर्व में अल्पकालिक ऋण और अग्रिम के तहत वर्गीकृत पूर्वदत्त व्यय, सरकारी प्राधिकारियों के साथ शेष और आपूर्तिकर्ता और अन्यों को अग्रिम, को अब इंड एएस अपेक्षाओं के अनुसार अन्य वर्तमान आस्तियों के अंतर्गत प्रकट किया गया है।	527.16	588.34
	पूर्व अवधि से संबंधित पायलट ऋण पर ब्याज	-	5.97
	आयकर वसूली योग्य, जिसे पहले दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम के रूप में दिखाया गया था, अब अन्य वर्तमान आस्तियों के रूप में प्रकट किया गया है।	5.88	-
	संदर्भ बिंदु क्रमांक 7.1 – 7.4	(90.01)	(4,454.77)
	उप योग	**443.03**	**(3,860.45)**
13	वित्त वर्ष 2015–16 में पूर्व अवधि की आय के रूप में दर्ज की गई वित्त वर्ष 2014–15 की आय/व्यय को अब इंड एएस अपेक्षाओं के अनुसार वर्ष की आय के रूप में दर्ज किया गया है। प्रतिधारित आय में वृद्धि इसका तदनुरूपी प्रभाव है।	138.21	241.01
	वित्त वर्ष 2016–17 में पूर्व अवधि की आय के रूप में दर्ज की गई वित्त वर्ष 2014–15 की आय/व्यय को अब इंड एएस अपेक्षाओं के अनुसार वर्ष की आय के रूप में दर्ज किया गया है। प्रतिधारित आय में वृद्धि इसका तदनुरूपी प्रभाव है।	(307.90)	(308.83)
	कंपनी द्वारा अंगीकृत की गई लेखा नीति के अनुसार अमूर्त आस्तियों के शुद्ध लेखा मूल्य का समायोजन इंड–एएस 8 के अनुसार पूर्वावधि त्रुटि के रूप में प्रारंभिक प्रतिधारित उपार्जन से किया गया है।	(75.91)	(44.50)
	वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान दर्ज किए गए पूर्व अवधि व्ययों से संबंधित जिन्हें अब व्यापार भुगतान में संबंधित समायोजन के साथ इंड एएस वित्तीयन में प्रतिधारित आय के लिए समुचित प्रकार से लेखाबद्ध किया गया है।	(105.90)	(105.90)
	वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वर्ष 2016–17 के दौरान चिन्हित पूर्वावधि व्यय से संबंधित व्ययों को अब व्यापार प्राप्यों में तदनुरूपी समायोजन के साथ इंड एएस वित्तीयनों में खोले खाते में प्रतिधारित आयों को समुचित प्रकार से लेखाबद्ध किया गया है।	-	(102.92)

	वित्तीय वर्ष 2014–15 व पूर्व के लिए वर्ष 2016–17 के दौरान चिन्हित पूर्वावधि व्यय से संबंधित व्ययों को अब व्यापार प्राप्यों में तदनुरूपी समायोजन के साथ इंड एएस वित्तीयनों में खोले खाते में प्रतिधारित आयों को समुचित प्रकार से लेखाबद्ध किया गया है।	(10.45)	(10.45)
	वित्त वर्ष 2015–16 से संबंधित कर्मचारियों को ब्याज आय की पहचान वित्त वर्ष 2016–17 में पूर्व अवधि आय के रूप में की गई थी यद्यपि इंड एएस अपेक्षाओं के अनुसार अनुपालन के लिए इसे अब उचित रूप से आय के वर्ष में समायोजित किया गया है, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2015–16।	-	0.55
	इंड एएस प्रभाव के कारण प्रस्तावित लाभांश और कॉरपोरेट लाभांश कर के प्रत्यावर्तन के लिए समायोजन	1,705.52	1,302.90
	कंपनी अधिनियम 2013 के आधार पर पीपीई के डब्लूडीवी मूल्य में नियत परिवर्तन से आस्थगित कर देयता में परिवर्तन।	40.49	(1,313.29)
	इंड एएस संरक्षा जमा के कार्यान्वयन और ऋण पर ब्याज के कारण वर्ष 2015–16 में पुनः बहाल।	-	8.75
	वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर का डब्लूडीवी दुर्घटना की तिथि को विगत जीएएपी के अंतर्गत रु. 1089.03 लाख था। यद्यपि, घटक लेखा के कारण परिवर्तित डब्लूडीवी रु. 1078.23 लाख आया है जिसके परिणामस्वरूप बीमा दावे के अधिशेष में संचित मूल्यह्रास के माध्यम से पीपीई में तदनुरूपी समायोजन से वृद्धि हुई है।	-	10.80
	मरम्मत और अनुरक्षण तथा स्पेयरों के उपभोग से संबंधित जिनको पूर्व में व्यय बंद कर दिया गया था। यद्यपि इन्हें वर्तमान में घटक लेखा के आधार पर संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर में पूंजीकृत किया गया है।	-	7,440.37
	मरम्मत और अनुरक्षण तथा स्पेयरों के उपभोग से संबंधित जिनको पूर्व में व्यय बंद कर दिया गया था। यद्यपि इन्हें वर्तमान में घटक लेखा के आधार पर पूंजीगत कार्य प्रगति पर के अंतर्गत दर्ज किया गया है।	-	56.99
	इससे पहले मरम्मत और रखरखाव और पुर्जों की खपत – खर्च उत्तरी क्षेत्र में अंशतः हस्तांतरित किया गया था। हालांकि, घटक लेखा के अंतर्गत अब इसे पूंजीकृत किया गया है, अतिरिक्त व्यय उत्तरी क्षेत्र को हस्तांतरित किया गया है।	-	(2,882.77)
	वर्ष 2015–16 से संबंधित लैंडिंग व पार्किंग प्रभार के व्यय पूर्वावधि व्यय के रूप में वित्तीय वर्ष 2016–17 में चिन्हित किए गए हैं। यद्यपि इंड एएस अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए इसे वर्ष के व्यय अर्थात वित्तीय वर्ष 2015–16 में समुचित प्रकार से समायोजित किया गया है।	-	(0.08)
	इंड एएस 16 – संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कंपनी ने घटक लेखा का पालन किया है जिसके परिणामस्वरूप मूल्यह्रास के आंकड़ों में वृद्धि होती है।	-	(2,918.90)
	वित्तीय वर्ष 2015–16 में घटक लेखों के नियत अंगीकरण के कारण मूल्यह्रास में कमी	-	(841.24)
	चूंकि मूल्यह्रास में वृद्धि हुई, कंपनी ने उत्तरी क्षेत्र को आनुपातिक अतिरिक्त मूल्यह्रास स्थानांतरित किया, जिससे उस हद तक अवमूल्यन घट गया।	-	863.40
	कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2015–16 में रुपए 133.62 लाख के पूर्वावधि व्यय की पहचान की। इंड एएस 8 अपेक्षाओं के अनुरूप अनुपालन के लिए कंपनी ने इसे समुचित रूप से वर्ष के व्यय के रूप में लिया है और कंपनी की प्रारंभिक आरक्षिति में समायोजन किया है।	-	(133.62)

	अप्रैल, 2008 से मार्च, 2011 के लक्ष्यद्वीप के टीए/डीए त्रुटिपूर्वक वर्ष 2015–16 की पूर्वावधि आय में जमा हो गए।		(59.29)
	इंड एएस 16 – संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कंपनी ने घटक लेखा का पालन किया है जिसके परिणामस्वरूप मूल्यह्रास में वृद्धि होती है। चूंकि मूल्यह्रास में कमी हुई, पक्षे ने समानुपातिक अतिरिक्त मूल्यह्रास को उक्षे स्थानांतरित किया।	-	2,019.38
	लक्ष्यद्वीप में हानि के लिए प्रावधान का आस्थगित कर प्रभाव/आय कर और उपदान के अनुच्छेद 40 (क) 1 (क) के अंतर्गत स्वीकार्य राशि।	14.99	(23.86)
	उप योग	**1,399.05**	**3,198.49**
14	अन्यों को देय जो पहले अन्य दीर्घकालिक देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया था को अब व्यापार प्राप्य के लिए पुनःसमूहित किया गया है	-	(268.03)
	पट्टा किराए पर सुरक्षा जमा के लिए इंड एएस समायोजन	-	0.12
	वित्त वर्ष 2014–15 से संबंधित व्यय/आय 2015–16 में पूर्व अवधि के रूप में दर्ज	156.50	
	उप योग	**156.50**	**(267.91)**
15	कंपनी अधिनियम 2013 के आधार पर पीपीई के डब्लूडीवी मूल्य में नियत परिवर्तन से आस्थगित कर देयता में परिवर्तन।	(40.49)	1,313.29
	लक्ष्यद्वीप में हानि के लिए प्रावधान का आस्थगित कर प्रभाव/आय कर और उपदान के अनुच्छेद 40 (क) 1 (क) के अंतर्गत स्वीकार्य राशि।	(14.98)	23.86
	उप योग	**(55.47)**	**1,337.15**
16	वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान दर्ज किए गए पूर्व अवधि व्ययों से संबंधित जिन्हें अब व्यापार भुगतान में संबंधित समायोजन के साथ इंड एएस वित्तीयन में प्रतिधारित आय के लिए समुचित प्रकार से लेखाबद्ध किया गया है।		-
	वित्तीय वर्ष 2014–15 व पूर्व के लिए वर्ष 2016–17 के दौरान चिन्हित पूर्वावधि व्यय से संबंधित व्ययों को अब व्यापार प्राप्यों में तदनुरूपी समायोजन के साथ इंड एएस वित्तीयनों में खोले खाते में प्रतिधारित आयों को समुचित प्रकार से लेखाबद्ध किया गया है।		-
	अन्यों को देय जिसे पूर्व में अन्य दीर्घावधि देयता के रूप में वर्गीकृत किया गया था को व्यापार देय के रूप में पुनः समूहित किया गया है।	-	(268.03)
	वित्तीय वर्ष 2014–15 व पूर्व के लिए वर्ष 2016–17 के दौरान चिन्हित पूर्वावधि व्यय से संबंधित व्ययों को अब व्यापार प्राप्यों में तदनुरूपी समायोजन के साथ इंड एएस वित्तीयनों में खोले खाते में प्रतिधारित आयों को समुचित प्रकार से लेखाबद्ध किया गया है।	-	(10.45)
	वर्ष 2015–16 से संबंधित लैंडिंग व पार्किंग प्रभार के व्यय पूर्वावधि व्यय के रूप में वित्तीय वर्ष 2016–17 में चिन्हित किए गए हैं। यद्यपि इंड एएस अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए इसे वर्ष के व्यय अर्थात वित्तीय वर्ष 2015–16 में समुचित प्रकार से समायोजित किया गया है।	-	(0.08)
	उप योग	**116.35**	**(278.56)**
17	विगत जीएएपी में अन्य चालू वित्तीय देयताओं के विरुद्ध इंड एएस प्रकटनों की अपेक्षाओं के अनुरूप अन्य चालू वित्तीय देयताओं से नकद और नकदी समतुल्य और अन्य बैंक शेष में पुनः समूहन का शुद्ध प्रभाव।	-	(200.86)

18	2015–16 और 2016–17 में लेखाबद्ध 2014–15 से जुड़ी मदों के लिए समायोजन और पिछले वर्षों में पूंजीगत आस्तियों की खरीद पर देयता में कटौती भी।	239.52	-
	विगत जीएएपी में अन्य चालू वित्तीय देयताओं के विरुद्ध इंड एएस प्रकटनों की अपेक्षाओं के अनुरूप अन्य चालू वित्तीय देयताओं से नकद और नकदी समतुल्य और अन्य बैंक शेष में पुनः समूहन का शुद्ध प्रभाव।	(986.91)	-
	2015–16 से संबंधित मदों का समायोजन और 2016–17 के लिए लेखाबद्ध और देयता में वृद्धि भी।	-	419.37
	उप योग	**(747.39)**	**419.37**
19	लक्षद्वीप में हानि के लिए प्रावधान जिसे पहले ऋण और अग्रिम से घटाया गया था को अब अल्प अवधि प्रावधानों में पुनरू वर्गीकृत किया गया है।		89.12
	इंड एएस प्रभाव के कारण प्रस्तावित लाभांश और निगमित लाभांश कर के प्रत्यावर्तन के लिए समायोजन	(1,705.52)	(1,302.90)
	वित्तीय वर्ष 2015–16 से संबंधित वित्तीय वर्ष 2016–17 में बोनस का भुगतान	-	6.29
	उप योग	**(1,616.40)**	**(1,207.49)**

33.3 आईजीएएपी से इंड एएस के अंतर्गत पूर्व में रिपोर्ट की गई लाभ एवं हानि का समाधान

(₹ लाख में)

विवरण	नोट सं.	31मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष		
		आईजीएएपी	इंड एएस समायोजन	इंड एएस
परिचालनों से राजस्व		45,324.55	-	45,324.55
अन्य आय	1	3,827.05	15.39	3,842.44
कुल आय		**49,151.60**	**15.39**	**49,166.99**
व्यय				
हेलीकॉप्टर परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय	2	19,124.83	(7,416.66)	11,708.17
कर्मचारी लाभ व्यय	3	14,998.39	170.11	15,168.50
वित्त लागत	4	450.10	0.03	450.13
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	5	3,503.61	3,711.14	7,214.75
अन्य व्यय	6	4,887.11	117.59	5,004.70
कुल व्यय		**42,964.04**	**(3,417.79)**	**39,546.25**
असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ		**6,187.56**	**3,433.18**	**9,620.74**
असाधारण मदें	7	(20.25)	20.25	-
कर पूर्व लाभ		**6,167.31**	**3,453.43**	**9,620.74**
कर व्ययः				

चालू कर		1,405.00	-	1,405.00
आस्थगित कर	8	1,153.90	1,344.63	2,498.53
अवधि के लिए लाभ		**3,608.41**	**2,108.80**	**5,717.21**
अन्य व्यापक आय				
बाद की अवधि में लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत करने के लिए अन्य व्यापक आयः				
(i) उपरोक्त पर शुद्ध लाभ / (हानि)		-	-	-
(ii) उपरोक्त पर कर प्रभाव		-	-	-
बाद की अवधि में लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत करने के लिए अन्य व्यापक आयः				
(i) उपरोक्त पर शुद्ध लाभ / (हानि)	9	-	141.26	141.26
(ii) उपरोक्त पर कर प्रभाव	10	-	-47.99	-47.99
अवधि के लिए कुल व्यापक आय		**3,608.41**	**2,202.06**	**5,810.48**

33.4 आईजीएएपी से इंड एएस के अंतर्गत पूर्व में रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र के समाधान के लिए स्पष्टीकरण

(₹ लाख में))

नोट सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए
1	वित्त वर्ष 2016–17 से संबंधित कर्मचारियों को ब्याज आय की वित्त वर्ष 2016–17 में पूर्व अवधि आय के रूप में पहचान की गई थी हालांकि, आवश्यकता के अनुसार इंड एएस के साथ अनुपालन के लिए, यह इसे उचित रूप से आय के वर्ष में अर्थात् वित्तीय वर्ष 2015–16 में समायोजित किया गया है।	0.55
	पिछले जीएएपी के तहत वर्ष 2015–16 के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टरों का डब्ल्यूडीवी दुर्घटना की तिथि को 1089.03 लाख था। यद्यपि घटक लेखांकन के कारण संशोधित डब्लूडीवी रु. 1078.23 लाख रही जिसके परिणामस्वरूप समायोजित मूल्यह्रास के माध्यम से पीपीई में तदनुरूपी समायोजन के कारण बीमा दावा केअधिशेष में वृद्धि हुई।	10.80
	उत्तरी क्षेत्र और प्रधान कार्यालय में कर्मचारी ऋण पर नोशनल ब्याज को ब्याज की बाजार दर के आधार पर मान्यता दी गई है। लेखा बही में पहले से पहचान किए गए उपचित ब्याज को आईजीएएपी के आधार पर कर्मचारी ऋण में स्थानांतरित कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2015–16 से संबंधित ब्याज आय प्राप्त की गई है और वित्त वर्ष 2016–17 में आईजीएएपी के तहत बुक किए गए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की त्रुटि के अंतगर्त दिखाए गए अनुसार पिछले समय की अवधि को समायोजित किया गया है।	4.04
	उप योग	**15.39**
2	मरम्मत और अनुरक्षण तथा स्पेयरों के उपभोग से संबंधित जिनको पूर्व में व्यय बंद कर दिया गया था। यद्यपि इन्हें वर्तमान में घटक लेखा के आधार पर संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर में पूंजीकृत किया गया है।	(7,159.41)
	मरम्मत और अनुरक्षण तथा स्पेयरों के उपभोग से संबंधित जिनको पूर्व में व्यय बंद कर दिया गया था। यद्यपि इन्हें वर्तमान में घटक लेखा के आधार पर पूंजीगत कार्य प्रगति पर के अंतर्गत दर्ज किया गया है।	(56.99)

	उत्तरी क्षेत्र में मरम्मत और अनुरक्षण से संबंधित वित्तीय वर्ष 2015–16 के व्ययों को आईजीएएपी के अंतर्गत कम कर दिया गया है को पूर्वावधि त्रुटि के रूप में समायोजित किया गया है तदनुसार विगत वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है।	(280.97)
	वर्ष 2015–16 से संबंधित लैंडिंग व पार्किंग प्रभार के व्यय पूर्वावधि व्यय के रूप में वित्तीय वर्ष 2016–17 में चिन्हित किए गए हैं। यद्यपि इंड एएस अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए इसे वर्ष के व्यय अर्थात वित्तीय वर्ष 2015–16 में समुचित प्रकार से समायोजित किया गया है।	0.08
	विगत वर्ष 2015–16 से संबंधित व्ययों का भुगतान किया गया है और आईजीएएपी के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में दर्ज किया गया है को पूर्वावधि त्रुटि के रूप में समायोजित किया गया है तदनुसार विगत वर्ष 2015–16 के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है।	80.63
	उप योग	**(7,416.66)**
3	ऋण के उचित मूल्य और बही मूल्य के मध्य अंतर को पूर्वदत्त व्यय के रूप में समान रूप से सरल रेखा आधार पर ऋण की अवधि हेतु परिशोधित किया गया है।	
	विगत वर्ष 2015–16 से संबंधित व्ययों का भुगतान किया गया है और आईजीएएपी के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में दर्ज किया गया है को पूर्वावधि त्रुटि के रूप में समायोजित किया गया है तदनुसार विगत वर्ष 2015–16 के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है।	8.51
	लीज किराया सुरक्षा जमा पर इंड एएस प्रभाव	0.07
	एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर ग्रैच्युटी, पीआरएमबीएस और सामान भत्ता पर ओसीआई को अन्य व्यापक आय के अंतर्गत दिखाया गया है।	161.51
	उप योग	**170.11**
4	इंड एएस कार्यान्वयन के कारण ब्याज लागत की गणना ब्याज की बाजार दर और कर्मचारियों से प्रभारित ब्याज दर पर की गई है।	0.03
5	इंड एएस 16 – संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कंपनी ने घटक लेखा का पालन किया है जिसके परिणामस्वरूप मूल्यह्रास में वृद्धि होती है।	2,918.90
	चूंकि मूल्यह्रास में वृद्धि हुई, कंपनी ने उक्षे को आनुपातिक अतिरिक्त मूल्यह्रास स्थानांतरित किया, जिससे उस हद तक मूल्यह्रास घट गया।	(863.40)
	अमूर्त परिसंपत्तियों पर वर्ष के दौरान पहचाने गए मूल्यह्रास को पूर्व अवधि त्रुटि के रूप में उत्क्रमित कर दिया गया है।	(31.42)
	वित्तीय वर्ष 2015–16 से संबंधित मूल्यह्रास को आईजीएएपी के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में दर्ज किया गया है को पूर्वावधि त्रुटि के रूप में दर्ज किया गया है तदनुसार विगत वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है।	1,687.05
	उप योग	**3,711.14**
6	कंपनी ने वित्त वर्ष 2015–16 में पूर्व अवधि के व्यय की पहचान की है। इंड एएस 8 की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कंपनी ने इसे उचित रूप से वर्ष के व्यय के रूप में लिया है और कंपनी की आरंभिक आरक्षिति में समायोजन किया गया है।	192.91
	यथास्थिति 1 अप्रैल, 2015 को पूर्वावधि त्रुटि के रूप में पूर्व वित्तीय वर्षों से संबंधित प्रतिधारित आय के रूप में समायोजित किए गए व्ययों का भुगतान वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान किया गया, तदनुसार इसे अन्य चालू देयताओं के साथ समायोजित किया गया है।	(101.31)
	वित्त वर्ष 2015–16 से संबंधित 24.02 लाख रुपये के व्यय का भुगतान किया गया है और वित्त वर्ष 2016–17 में आईजीएएपी के तहत दर्ज किए गए को पूर्व अवधि की त्रुटि के रूप में समायोजित किया गया है तदनुसार पूर्व वित्त वर्ष 2015–16 के तहत दिखाया गया है।	25.99
	उप योग	117.59
7	इंड एएस प्रावधान के कार्यान्वयन के कारण इक्विटी निवेश के मूल्य में कमी को ओसीआई के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है।	20.25

8	घटक लेखांकन और इंड–एएस के कार्यान्वयन के कारण कंपनी अधिनियम के अनुसार डब्लूडीवी में परिवर्तन के कारण वित्तीय वर्ष 2015–16 से संबंधित आस्थगित कर दायित्व में परिवर्तन और कर्मचारियों के हितलाभ के प्रभाव के प्रावधान का भुगतान वित्तीय वर्ष 2016–17 में किया गया।	1,303.60
	लक्ष्यद्वीप में हानि के लिए प्रावधान का आस्थगित कर प्रभाव/आय कर और उपदान के अनुच्छेद 40 (क) 1 (क) के अंतर्गत स्वीकार्य राशि।	41.03
	उप योग	**1,344.63**
9	उपदान, पीआरएमबीएस व समान भत्ता पर एक्चूरियल मूल्यांकन के आधार पर नियत इंड एएस ओसीआई को अन्य व्यापाक आय के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है।	161.51
	उपदान, पीआरएमबीएस एवं बैगेज भत्ता पर एक्चूरियल मूल्यांकन के आधार पर होने वाले इंड एएस कार्यान्वयन को अन्य	(20.25)
	उप योग	**141.26**
10	इंड एएस के कार्यान्वयन के कारण आस्थगित कर प्रभाव (पीआरएमबीएस) एवं बैगेज भत्ता को अन्य व्यापक प्रभाव के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है।	-55.90
	इक्विटी निवेश के मूल्य में कम करने के लिए प्रावधान पर डिफर्ड टैक्स प्रभाव इंड एएस के कार्यान्वयन के कारण अन्य व्यापक आय के तहत दिखाया गया है	7.90
	उप योग	**-47.99**

अनुबंध – 'क'

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

लेखा परीक्षक का प्रेक्षण | **प्रबंधन का उत्तर**

सेवा में,
सदस्य, पवन हंस लिमिटेड

स्टैंडएलोन इंड ए.एस. वित्तिय विवरणों की रिपोर्ट

हमने पवन हंस लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न स्टैंडएलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि विवरण (अन्य विस्तृत आय सहित), रोकड़ प्रवाह विवरण एवं समाप्त वर्ष के अनुसार इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षेप एवं अन्य स्पष्टीकरण सूचना (इसका उल्लेख एतद्वारा ''स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण'' के रूप में किया जाएगा) के साथ साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा पश्चिम क्षेत्र की लेखा परीक्षित रिपोर्ट शामिल की गई है।

स्टैंडएलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन के दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के खंड 134(5) में इन स्टैंडएलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों को तैयार किए जाने के संबंध में किए गए उल्लेखानुसार जारी संबधित नियमावली के साथ पठित अधिनियम के खंड 133 के अनुसरण में भारतीय लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा मानकों के अनुसरण में अन्य विस्तृत आय, रोकड़ प्रवाह तथा इक्विटी परिवर्तन सहित कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन की ऐसी सत्य एवं स्पष्ट छवि के वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए जाने के प्रति कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमिततओं के निवारण तथा उनका पता लगाने, उपयुक्त लेखांकन नीतियो के चयन तथा अनुप्रयोग, युक्तिसंगत निर्णय लेने तथा ऐसे मितव्ययी अनुमान लगाने जो उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण के लिए औचित्यपरक हों तथा जिनका प्रभावी रूप से प्रचालन लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता एवं पूर्णता के सुनिश्चय के लिए किया गया हो तथा जो स्टैंडएलोन इंड ए एस वित्तीय रिपोर्ट को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं तथा जो सत्य एवं स्पष्ट छवि प्रस्तुत करते हों तथा किसी भी

प्रकार की सामग्रीगत जालसाजी अथवा दुर्विवरण, से मुक्त हों, के उचित लेखांकन रिकार्ड के अनुरक्षण का दायित्व भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारे द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के आधार पर इन स्टैंडएलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में समावेश किए जाने के लिए अपेक्षित लेखांकन एवं लेखापरीक्षा मानकों की ओर ध्यान दिया है।

हमारे द्वारा किया गया स्टैंडएलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा कार्य अधिनियम के खंड 143(10) में विर्निदिष्ट लेखा परीक्षा मानकों का अनुसरण करते हुए किया गया है। इन मानकों के अंतर्गत नीतिपरक अपेक्षाओं के उपयोग से लेखापरीक्षा की योजना एवं निष्पादन का कार्य करते हुए हमें यह औचित्यपरक सुनिश्चय करना होता है कि क्या स्टैंडएलोन इंड ए एस वित्तीय विवरण वस्तुपरक मिथ्या कथन से मुक्त हैं अथवा नहीं।

लेखापरीक्षा कार्य के लिए प्रक्रियाबद्ध निष्पादन के माध्यम से राशियों एवं स्टैंडएलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटन के संबंध में लेखापरीक्षा प्रमाण एकत्र करना अपेक्षित होता है। स्टैंडएलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों में वस्तुपरक मिथ्याकथन, जालसाजी अथवा चूक के कारणों के जोखिमों के मूल्यांकन सहित प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षकों के विवेकानुसार किया जाता है। ऐसे जोखिमों का मूल्यांकन करते हुए लेखा परीक्षकों द्वारा स्थितियों के अनुरूप लेखा परीक्षा की उचित प्रक्रिया तैयार करने के उद्देश्य से स्टैंडएलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों के निर्माण एवं सत्य प्रस्तुति के लिए कंपनी के संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार किया जाता है। लेखा परीक्षा कार्य में प्रयुक्त लेखा नीतियों की उपयुक्तता तथा कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखा अनुमानों की औचित्यता के मूल्यांकन सहित स्टैंडएलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुतियों का मूल्यांकन भी इसमें सम्मिलित होता है।

हमारी धारणा है कि स्टैंडएलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों के संबंध में, हमें प्राप्त लेखा परीक्षा प्रमाण हमारे मान्य सुझावों की प्रस्तुति के आधार के लिए उचित एवं पर्याप्त हैं।

योग्य मत का आधार

1. *कम्पनी द्वारा नियुक्त ठेकेदारों तथा आकस्मिक कर्मचारियों से कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान की प्राप्ति न किया जाना तथा जमा न करवाया जाना। स्टैंडएलोन इंड ए एस पर इसके कारण हुए प्रभावों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।*

कम्पनी द्वारा चूंकि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं एवं हित लाभों से बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाती हैं अतः कम्पनी को कर्मचारी राज्य बीमा नियम अधिनियम, 1948 की उपयोज्यता से छूट मिलती रही है। 11 सितम्बर, 2017 को अंतिम छूट प्रदान करते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा पवन हंस के नियमित कर्मचारियों द्वारा 21000/– से अधिक राशि की मासिक मजदूरी प्राप्त करने का उल्लेख करते हुए ईएसआई (केन्द्रीय) के नियम 50 के साथ पठनीय कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के खंड 2(9)(ख) के अनुसार पवन हंस लिमिटेड के सभी कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के दायरे में से पहले से ही बाहर माना गया है। नियत काल आधार पर नियुक्त किए गए संविदारत कर्मचारियों को भी फ्लोटर सुविधा के साथ कर्मचारी एवं उसके जीवन साथी को मिलाकर एक लाख रुपए की राशि की मेडीक्लेम सुविधा दी गई है तथा ओ.पी.डी. उपचार के लिए चिकित्सा भत्ते के तौर पर उनकी समेकित मूल आय के अनुसार मासिक चिकित्सा भत्ता भी दिया जाता है। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रसूति लाभ भी प्रदान किए जाते हैं। अधिकांश संविदारत कर्मचारी पॉयलट, विमान अनुरक्षण इंजीनियर, उड़ान इंजीनियर, उड़ान अटैंडेंट, तकनीशियन इत्यादि होते हैं जो 21000/– रुपए से अधिक राशि का वेतन प्राप्त करते हैं तथा वे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के दायरे से बाहर होते हैं जिसके लिए अलग से औपचारिक छूट प्राप्त कर ली जाएगी। इसके अलावा, ऐसे कर्मचारियों, जिनकी सेवाएं ठेकेदार के माध्यम से प्राप्त की जा रही हैं, के संबंध में ठेकेदार द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बीमा करवाए जाने का सुनिश्चय पवन हंस लिमिटेड द्वारा प्रधान नियोक्ता होने के कारण किया जाता है। पवन हंस द्वारा आकस्मिक कर्मचारी दैनिक मजदूरी आधार पर नियुक्त नहीं किए गए हैं।

2. *महाराष्ट्र राज्य के अलावा कम्पनी द्वारा व्यावसायिक कर, यथा लागू, की न तो कटौती की गई है तथा न ही जमा करवाया गया है। स्टैंडएलोन इंड ए एस पर इससे होने वाले प्रभावों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।*

जिन राज्यों में व्यावसायिक कर लागू है उनके संबंध में व्यावसायिक कर की कटौती तथा जमा करवाने के लिए कम्पनी द्वारा राज्य वार पंजीकरण किया जा रहा है।

3. *नोट संख्या 32 XXII (क) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, नागर विमानन मंत्रालय के निदेशानुसार कम्पनी द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को देय 4803.23 लाख रुपए के अनुमानित पट्टा किराए के बकाया का लेखांकन किया गया है। हमारा ध्यान इस ओर गया है कि आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत 480.32 लाख रुपए की स्रोत पर कर कटौती कम्पनी द्वारा न तो की गई है तथा न ही जमा करवाई गई है। इससे कम्पनी स्टैंडएलोन इंड ए एस के वित्तीय विवरण केवल स्रोत पर कर कटौती में देरी पर लगने वाले ब्याज के अलावा प्रभावित नहीं होंगे।*

नोट संख्या 32(XXII) के संदर्भ में यह उल्लेख किया गया है कि नागर विमानन मंत्रालय से प्राप्त दिनांक 1.8.2017 के पत्र संख्या एवी–30020/7/2015–जी में उल्लिखित निर्णय के परिणामस्वरूप पवन हंस द्वारा 1.8.2014 से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को पट्टा किराए का भुगतान केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा किए जाने वाले प्रभारों के अनुसार (वाणिज्यिक दरों का 50%) ही किया जाना है। तदनुसार, कम्पनी द्वारा लेखा बहियों में 4803.23 लाख रुपए की राशि के प्रावधान पट्टा किराया भुगतान के लिए किए गए हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्तानुसार किए गए प्रावधान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ की गई आंतरिक क्रिया पर आधारित हैं तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अभी इसके लिए बिल प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। तथापि, प्रावधान की गई उपर्युक्त राशि पर आय कर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत जनवरी 2018 तक रु. 480.32 लाख (दिसंबर 2017 में रु. 419.22 लाख एवं जनवरी, 2018 में 61.10 लाख) स्रोत पर कर कटौती वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान की जाएगी तथा जमा करवा दी जाएगी।

4. *नोट संख्या 32 ट(सी) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार कम्पनी द्वारा वर्ष 1991–92 में अपने कर्मचारियों के लिए लोखंडवाला कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई से 42 आवासीय फ्लैटों की खरीद की गई थी। कम्पनी द्वारा 29 फ्लैट वित्तीय वर्ष 2008–09 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को किराए पर दिए गए हैं जो 31.3.2018 तक जारी रहेगें। इंड ए एस 40 – भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी निवेश सम्पति, किराया आय अथवा पूंजीगत लाभ अथवा दोनों के उद्देश्य से धारित सम्पति का वर्गीकरण निवेश सम्पति पर किया जाना है तथा ऐसी सम्पति के उचित मूल्य का उल्लेख नोट में किया जाना है जो कि कम्पनी द्वारा नहीं किया गया है।*

इन फ्लैटों को सरकारी सेक्टर की यूनिट मानकर इसे निवेश सम्पति न माने जाने के संबंध में पश्चिमी क्षेत्र शाखा के लेखा परीक्षक के साथ परामर्श करके संतोषजनक निर्णय लिया जा रहा है। वस्तुस्थिति यह है कि इंड ए एस की अपेक्षाओं का कार्यान्वयन एवं अनुपालन भारत में पहली बार किया जा रहा है तथा अभी यह विकास की स्थिति में है तथा लेखांकन व्यवहारों में इसकी एकरूपता में समय लगेगा तथा इसके संबंध में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निश्चित दिशानिर्देश भी जारी किए जाएंगे।

प्रस्तुत प्रेक्षण के अनुसार कम्पनी इन परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए निवेश सम्पति के रूप में करेगी तथा तदनुसार इंड ए एस अपेक्षाओं के अनुसरण में प्रकटन भी किया जाएगा।

5. कम्पनी द्वारा मार्च 2016 में मैसर्स किल्मोव जेएससी, रूस को 3 एमआई 172 इंजनों की मरम्मत के लिए $265, की राशि का अग्रिम दिया था जिसके संबंध में ई–मेल के माध्यम से केवल $93,720 की राशि की प्राप्ति की पुष्टि ही प्राप्त हुई है। पार्टी को दिए गए अग्रिम के संबंध में वर्ष के अंत में वितरित शेष की पुष्टि नहीं की गई है। स्टैंडएलोन इंड ए एस विवरणों में प्रमाणात्मक आकलन किया जाना संभव नहीं है।

करार के अनुसार (करार खंड 5.2.1) तीन इंजनों के लिए क्रमशः दिनांक 21.3.2016 तथा 28.3.2016 को 30% अग्रिम जारी किया गया था। इसके अलावा खंड 5.2.2 के अनुसार "(भुगतान की अंतिम राशि का निर्धारण करार की मद 4.2 के अंतर्गत कार्य के पूर्ण मूल्य पर मद 3.1 तथा 3.2 को विचार में लेकर 5.2.1 की मद के अंतर्गत प्राप्त अग्रिम के अनुसार किया जाना है। ग्राहक द्वारा अंतिम भुगतान अप्रतिसंहरणीय साख पत्र दस्तावेज में से किया जाता है)" तथा करार के खंड 5.2.8 के अनुसार "(मद संख्या

8.2 (अर्थात रशियन फेडरेशन के क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय एयर वे तैयार की जाने की तिथि से) ग्राहक को इंजन की डिलीवरी किए जाने की तिथि से 30 (तीस) दिन के भीतर मद संख्या 5.2.2 के अनुसार साख पत्र में से अंतिम भुगतान किया जाना है) "मैसर्स यूईसी किल्मोव द्वारा एडब्ल्यूआर लागत के साथ शेष 70% भुगतान के लिए साख पत्र तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

तदनुसार, शेष 70% लागत का मसौदा साख पत्र एवं एडब्ल्यूआर की लागत का प्रेषण मैसर्स यूईसी किल्मोव को 24.11.2017 किया गया है तथा मैसर्स यूईसी किल्मोव द्वारा साख पत्र की स्वीकृति की गई है। करार के प्रावधानों के अनुसार पवन हंस लिमिटेड को इंजनों का प्रेषण किए जाने के पश्चात सीमा शुल्क औपचारिकताएं प्रारम्भ की जाएंगी।

2) जबकि मैसर्स यूईसी किल्मोव से अग्रिम भुगतान की पावती लम्बित होने पर उन्होंने 70% भुगतान के लिए साख पत्र तैयार करने का विकल्प दिया है जिसे 30% अग्रिम भुगतान की प्राप्ति की स्वीकृति माना जा सकता है तथा शेष एडब्ल्यूआर लागत के साथ एयरवे बिल की शर्त पर शेष 70% भुगतान होने पर पवन हंस लिमिटेड को किसी प्रकार की हानि के बिना यह भुगतान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। साख पत्र के नकदीकरण की सुविधा इंजनों के प्रेषण तथा पवन हंस लिमिटेड के सुविधा केन्द्र में प्राप्ति होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रदान की जाती है।

3) इंजनों के प्राप्त होने के पश्चात मैसर्स यूईसी किल्मोव द्वारा करार के खंड 5.3 के अनुसार निष्पादित कार्य की प्रक्रिया की जाएगी जिस पर दोनों पार्टियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और फिर इसे मैसर्स यूईसी किल्मोव के साथ तीन इंजनों की मरम्मत एवं ओवरहॉल से संबंधित करार के निष्पादन के तौर पर वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा जिससे समय समय पर किए गए संव्यवहार के अनुसार करार का समापन हो जाएगा। मेल के माध्यम से प्रेषित पूर्व उत्तरों के तकनीकी फीडबैक एवं अन्य सम्बद्धताओं को संज्ञान में लिया होगा ताकि इन्हें की जा रही प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की स्थिति में उठाया जा सके। तथापि, ओवरहॉल किए इंजनों की डिलीवरी की प्रक्रिया निर्बाध रूप से चल रही है।

मैसर्स यूईसी किल्मोव द्वारा पुनःसमाधान कर लिया गया है तथा करार के खंड 5.2.2 के अनुसार अंतिम भुगतान के लिए साख पत्र तैयार करने का विकल्प दिया गया है। दिनांक 1.12.2017 को साख पत्र तैयार कर लिया गया था।

6. *पश्चिमी क्षेत्र में लेखांकन नीति 2 ख (vi) के उल्लंघन में कम्पनी द्वारा डॉफिन एन एवं एन3 हेलीकॉप्टरों के इंजन तथा एमजीबी का मूल्यह्रास संबंधित घटकों, जबकि इंजन तथा एमजीबी विभिन्न उप माड्यूल्स से युक्त होते हैं, के अनुसार वास्तविक उड़ान घंटों के स्थान पर बेड़े के औसत उड़ान घंटों पर किया गया है तथा इसे अलग से किया जाए तो इसे प्रबंधन द्वारा हेलीकॉप्टरों के लिए निर्धारित कुल मूल्य के 8ः की सीमा पूरी नहीं हो पाती है। चूंकि उप माड्यूल्स/घटक अत्यधिक अस्थिर एवं अंतर्निमेय होते हैं अतः दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार इंजनों तथा एमजीबी का वास्तविक उड़ान घंटों के अनुसार मूल्यह्रास किया जाना तर्कसाध्य नहीं है। इस प्रकार स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर इससे हुए प्रभाव का प्रमाण नहीं किया जा सकता है।*

इंजन तथा एमजीबी हेलीकॉप्टरों के प्रमुख घटक होते हैं तथा ये घटक लेखांकन के अतर्गत आते हैं।

तदनुसार, इन दोनों का समावेश पवन हंस लिमिटेड में उक्त लेखांकन के लिए किया गया है तथा पश्चिम क्षेत्र में एन/एन3 के अलावा अन्य सभी इंजनों/एमजीबी को निर्धारित उपयोग सीमा के साथ एक यूनिट माना गया है।

एन/एन3 (एरियल 1सी/2सी इंजन तथा एमजीबी) के मामले में यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि ये चौथी/पांचवी जनरेशन प्रौद्योगिकी के साथ इस माड्यूलर अवधारणा से युक्त हैं जिसमें घटक का निर्माण विविध उप घटकों में किया गया जिससे किसी प्रकार का दोष पाए जाने पर खराब माड्यूल को बदलकर डाउन टाइम में कमी लाई जा सकती है जबकि एमआई–172/बेल 407/206 के मामले में पूरे इंजन/एमजीबी को उतारना पड़ता है। आधुनिक विकास के साथ यह अवधारणा पूर्ण उपयोज्यता काल वाले माड्यूल्स को आवृति रुप से बदलकर सेवायोग्य इंजनों की प्रत्येक समय उपलब्धि का सुनिश्चय करने के लिए की गई है।

इस प्रकार, माड्यूलर अवधारणा युक्त इंजन तथा मेन गियर बॉक्स विविध उप–घटकों (प्रत्येक की अपनी उपयोज्यता अवधि) का सम्मिश्रण बन गया है। उप–घटकों का परस्पर परिवर्तन अत्यधिक परिवर्तनशील होता है तथा हेलीकॉप्टरों में लगे विविध इंजनों के लिए इनका अंतरण एवं संचलन किया जाता है और ऐसा ही मेन गियर बॉक्स के मामले में भी होता है।

इसके अलावा, प्रत्येक वर्ष माड्यूल्स में अनेकों संवर्धन/मरम्मतें की जाती हैं जिनके लॉग कार्ड इन्हें स्वतंत्र घटक की स्वीकृति हेतु स्वतंत्र लेखांकन के लिए उपलब्ध हैं। तथापि, किसी एक माड्यूल से हेलीकॉप्टरों के कुल मूल्य के 8% की अपेक्षित सीमा पूरी नहीं हो पाती है अतः इस कारण से इसे अस्वीकरण के योग्य माना जाना तो बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। इसके अलावा इनके आवृति होने के कारण एमजीबी/इंजन एवं हेलीकॉप्टरों के बीच इनकी निरंतर परस्पर परिवर्तनशीलता से माड्यलर अनुरक्षण की धारणा का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है एवं इससे नई जनरेशन की अवधारणा के संदर्भ में इंजन की प्रीमियर लागत निश्प्रभावित होती है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए पश्चिम क्षेत्र के संदर्भ में, जहां डॉफिन एन एवं एन3 तैनात किए गए हैं, औसत की विधि का उपयोग अपरिहार्य है।

7. *भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी इंड ए एस 16– सम्पति संयंत्र तथा उपकरण के पैरा 17 में की गई अपेक्षाओं के अनुसार डॉफिन एन एवं एन3 के ओवरहॉल एवं जांच पर कर्मचारी लागत को विचार में नहीं लिया गया है। स्टैंडएलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों पर इससे हुए प्रभाव का प्रमाणन संभव नहीं है।*

घटक लेखांकन की प्रक्रिया पहली बार चालू वर्ष से उपयोग में लाई गई है। ओवरहॉल से संबंधित सभी सामग्रीगत लागतों को आकलन में शामिल किया गया था। डॉफिन एन एवं एन3 बेड़े के प्रमुख ओवरहॉल एवं जांच पर कर्मचारी लागत के लिए गहन कार्य/आकलन किए जाने अपेक्षित हैं तथा इन्हें वित्तीय वर्ष 2017–18 से आगे के लिए शामिल किया जाएगा।

8. *कम्पनी द्वारा घटक लेखांकन के लिए मूल्यह्रास का आकलन करते समय अपने सभी घटकों के लिए 1 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार 'शून्य' उड़ान घंटे विचार में लिए गए थे। तथापि, ऐसे घटक 31 मार्च, 2015 से पूर्व अपनी संबंधित पूंजीयन की तिथि से उपयोग में लाए जा रहे हैं। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार 1 अप्रैल, 2015 की स्थिति को प्रत्येक घटक के वास्तविक उड़ान घंटों का संज्ञान नहीं किया जा सकता है अतः इनके कारण स्टैंडएलोन इंड ए एस विवरणों पर हुए प्रभाव का प्रमाणन नहीं हो सकता है।*

इंजन तथा एमजीबी हेलीकॉप्टरों के प्रमुख घटक होते हैं तथा ये घटक लेखांकन के अतर्गत आते हैं।

तदनुसार, इन दोनों का समावेश पवन हंस लिमिटेड में उक्त लेखांकन के लिए किया गया है तथा पश्चिम क्षेत्र में एन/एन3 के अलावा अन्य सभी इंजनों/एमजीबी को निर्धारित उपयोग सीमा के साथ एक यूनिट माना गया है।

एन/एन3 (एरियल 1सी/2सी इंजन तथा एमजीबी) के मामले में यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि ये चौथी/पांचवी जनरेशन प्रौद्योगिकी के साथ इस माड्यूलर अवधारणा से युक्त हैं जिसमें घटक का निर्माण विविध उप घटकों में किया गया जिससे किसी प्रकार का दोष पाए जाने पर खराब माड्यूल को बदलकर डाउन टाइम में कमी लाई जा सकती है जबकि एमआई–172/बेल 407/206 के मामले में पूरे इंजन/एमजीबी को उतारना पड़ता है। आधुनिक विकास के साथ यह अवधारणा पूर्ण उपयोज्यता काल वाले माड्यूल्स को आवृति रूप से बदलकर सेवायोग्य इंजनों की प्रत्येक समय उपलब्धि का सुनिश्चय करने के लिए की गई है।

डॉफिन दोहरे इंजन वाला विमान है तथा एक इंजन 5 माड्यूलों (प्रत्येक का अपना प्रयोज्यता काल) से युक्त होता है तथा इस प्रकार 10 माड्यूल होते हैं। इंजनों एवं इनके माड्यूलों की विभिन्न विमानों के लिए डायनामिक परिवर्तनशीलता तथा प्रत्येक परिवर्तन के समय प्रत्येक माड्यूल को प्राप्त वाली नए माड्यूल की लागत के साथ तुलनीय नई उपयोज्यता अवधि के कारण इनके औसत उपयोज्यता काल का निर्धारण एक प्रक्रिया के तौर पर अंगीकार करना संभव नहीं है। ऐसा ही मेन गियर बॉक्स के मामले में है।

इस प्रकार जटिलताओं और आधारभूत स्थिति को ध्यान में रखते हुए 1.4.2015 की स्थिति के अनुसार इंड ए एस में पारगमन के उद्देश्य से इंजनों तथा मेन गियर बॉक्स के संदर्भ में घंटो के मूल्यांकन के लिए एक बार उपयोग के उद्देश्य से विचार में लिया गया है।

इसके अलावा, 1.4.2015 की स्थिति के अनुसार 'शून्य उड़ान घंटे' केवल 3000/3500 ओवरहॉल उपयोज्यता कालक्रम में से किसी एक ओवरहॉल उपयोज्यता क्रम में से है जो किसी घटक की उपयोज्यता अवधि (असीमित) की शर्त के साथ हैं। किसी इंजन माड्यूल अथवा एमजीबी का 10 अथवा अधिक बार ओवरहॉल हो सकता है। तथापि, प्रस्तुत मामले में, एक बार उपाय के तौर पर एक ओवरहॉल की अवधि 'शून्य' के तौर पर ली गई है।

9. *"भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996" के प्रावधानों के अंतर्गत प्रधान नियोक्ता के रूप में कम्पनी द्वारा ठेकेदारों के, ब्याज एवं जुर्माने के अलावा, यदि कोई हों, के लगभग 72.94 लाख रुपए की राशि के बिलों में 1% श्रम उपकर काटने की अपेक्षा की गई है। कम्पनी द्वारा रोहिणी हेलीपोर्ट, नई दिल्ली के निर्माण, जिसका अस्थाई पूंजीयन विचाराधानी वर्ष के दौरान किया गया है, एवं हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण अकादमी, हदप्सर, पुणे, जिसका कार्य 2012 में पूरा किया जा चुका है, के लिए न तो श्रम उपकर की कटौती की गई है तथा न ही इसे संबधित राज्य सरकारों को जमा करवाया गया है। ऐसा किए जाने से उपर्युक्त राशि के लिए 'अन्य चालू दायित्वों' में घटत तथा 'अन्य वित्तिय दायित्वों' में वृद्धि हुई है।*

क) रोहिणी हेलीपोर्ट परियोजना : निर्माण एजेंसी को पिछले डेढ़ वर्ष से कोई भुगतान जारी नहीं किया गया है। निर्माण एजेंसी को अगला भुगतान जारी करते समय श्रम उपकर के रूप में देय पूर्ण काल की राशि वसूल करके राज्य सरकार को जमा करवा दी जाएगी।

ख) हदप्सर, पुणे : पवन हंस द्वारा निर्माण कार्य का निष्पादन केन्द्रीय सरकार के उपक्रम एनबीसीसीएल से करवाया गया है। श्रम उपकर की कटौती करने तथा उसे संबंधित राज्य सरकार को जमा करवाने का दायित्व एनबीसीसी का है। हम इसके संबंध में एनबीसीसी से पुष्टि प्राप्त कर रहे हैं।

10. *योग्य मत के आधार के पैरा की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके खंड 1 से 9 में स्टैंडएलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों अथवा जहां ज्ञात न हो वहां राशियों पर कोई प्रभाव न पड़ने का उल्लेख किया गया है। खंड संख्या 10 से 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए 'अन्य चालू दायित्वों' में 72.94 लाख रुपए की वृद्धि तथा 'अन्य वित्तीय दायित्वों' में 72.94 लाख रुपए की घटत परिणत होगी।*

इसके संबंध ऊपर विस्तृत सूचना दी गई है।

योग्य मत

हमारे मतानुसार और हमारे पास उपलब्ध सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऊपर योग्य मत के आधार के पैरा में वर्णित मामले के प्रभाव के अतिरिक्त, जिनमें कुछ मामलों में लेखा परीक्षा की स्वीकृति का प्रमाणन नहीं किया जा सका है, उपर्युक्त स्टैंडएलोन इंड ए एस

इसके संबंध ऊपर विस्तृत सूचना दी गई है।

वित्तीय विवरण अधिनियम के अंतर्गत 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के क्रियाकलापों तथा इसकी वित्तीय स्थिति तथा इस तिथि को अन्य विस्तृत आय एवं रोकड़ प्रवाह इक्विटी परिवर्तन से संबंधित अपेक्षित सूचना की प्रस्तुति इंड ए एस सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सत्य एवं स्वच्छ छवि प्रस्तुत करते हैं।

मामलों का महत्व

हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं:

1. नोट संख्या 32 XX की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा इक्विटी की जांच किए जाने तथा प्रबंधन को लक्षद्वीप बेस में 129.20 लाख रुपए की राशि की वित्तीय अनियमितताओं तथा प्रबंधन द्वारा 40.09 लाख रुपए के समर्थित/बीजक/बिल/कर्मचारियों को देय क्रेडिट के संबंध में स्वीकृति दिए जाने एवं 89.12 लाख रुपए की शेष राशि हानि माने जाने तथा इसके प्रावधान वित्तीय वर्ष 2014–15 में किए जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का उल्लेख है। इसके अलावा, जांच कार्रवाई जारी होने का उल्लेख किया गया है। वित्तीय वर्ष 2013–14 की लेखा बहियों में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है तथा इसके संबंध में लेखांकन नोट संख्या 32(XX) में स्पष्टीकरण दिया गया है।

2. लेखांकन नीति के नोट संख्या 2ख (x)(ख) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो उन गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति की वसूली योग्यता का मूल्यांकन तब किए जाने से संबंधित है जब उनकी वहन राशियों की वसूली न हो सकने के कोई लक्षण स्पष्ट हों। हमारा ध्यान पिछले कुछ वर्षों से एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड (एओजी) के दिनों की संख्या में हो रही बढ़त तथा राजस्व उड़ान घंटों एवं हेलीकॉप्टरों के उपयोग में हो रही घटत की ओर गया है जिसके कारण आंतरिक हो सकते हैं तथा जिनके संबंध में कम्पनी को भारत के सनदी लेखाकार द्वारा परिसम्पत्तियों की क्षति के संबंध में जारी इंड एएस 36 की अपेक्षाओं के अनुसार हेलीकॉप्टरों की क्षति के निर्धारण पर विचार करना है। नागर विमानन महानिदेशालय से वार्षिक आधार पर प्रत्येक हेलीकॉप्टर के लिए उड़नयोग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। तदनुसार जब तक किसी हेलीकॉप्टर के संबंध में उड़नयोग्यता का प्रमाण पत्र होता है तो उसका अर्थ यह है कि वह हेलीकॉप्टर कम्पनी के लिए राजस्व उत्पति के योग्य है। यह हेलीकॉप्टर (परिसम्पत्ति) प्रचालन की एक विशिष्ट प्रकृति है। इस प्रकार किसी हेलीकॉप्टर परिसम्पत्ति के लक्षणों के संबंध में किसी हेलीकॉप्टर विशेष का यह मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं हो पाता कि उसमें किसी प्रकार की हानि हुई है अथवा नहीं, बाह्य (प्रौद्योगिकीय, बाजार, आर्थिक अथवा विधिक परिस्थितियां, बाजार ब्याज दर इत्यादि) तथा आंतरिक कारक (किसी परिसम्पत्ति का अप्रचलन अथवा भौतिक क्षति, ऐसी परिसम्पत्ति का खराब आर्थिक निष्पादन इत्यादि) के लिए इंड–ए एस 36 में किए गए उल्लेखानुसार परीक्षण किया गया है तथा ऐसी किसी परिसम्पत्ति की क्षति नहीं पाई गई है। इसके अलावा

हेलीकॉप्टर वार/ग्राहक वार लाभदेयता का निश्चय करने की प्रक्रिया की गई है तथा ऐसी प्रक्रिया नियमित आधार पर की जाती है। अतः क्षति के प्रावधान का प्रश्न नहीं उठता है। पवन हंस लिमिटेड द्वारा ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि हेलीकॉप्टरों की क्षति के मूल्यांकन के लिए इंड ए एस 36 की अपेक्षाओं का पालन किया जाना आवश्यक नहीं है।

तदनुसार इंड एएस–36 का अनुपालन न करने का कोई मामला नहीं है। अतः क्षतियों के प्रावधान का प्रश्न नहीं उठता है।

3. नोट संख्या 32 XXIX की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार बेल हेलीकॉप्टर टैक्सट्रोन इनकारपोरेशन, सं.रा. अमेरिका से तीन बेल 412ईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए दिए गए अग्रिम के उद्देश्य से 3,398.40 लाख रुपए के पूंजी अग्रिम प्राप्त किए गए हैं तथा जिनमें से 2 हेलीकॉप्टर फरवरी, 2017 से जुहू एयरोड्राम, मुम्बई के एयरवर्क्स हैंगर में बिना असेम्बलिंग किए/बिना प्रयोग किए पड़े हुए हैं क्योंकि कम्पनी द्वारा इनकी स्वीकृति तकनीकी आधार पर नहीं की गई है। आपूर्तिकर्ता द्वारा कम्पनी को विवाचन का नोटिस दिया गया है तथा विवाचक की नियुक्ति के लिए कहा गया है जो अभी नहीं किया गया है। यह मामला चूंकि न्यायाधीन है अतः अग्रिम के तौर पर आपूर्तिकर्ता को पूंजी कार्य एवं उपर्युक्त हेलीकॉप्टरों के प्रगति कार्य के संबंध में दिए 390.10 लाख रुपए के व्यय की वापस प्राप्ति के संबंध में हम किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं।

इस विषय से संबंधित पूर्ण अद्यतन स्थिति नोट संख्या 32XXIX में दी गई है।

4. नोट संख्या 2 ख (vi) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है कम्पनी द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे हेलीकॉप्टरों के उपयोज्य काल का मूल्यांकन करने के लिए एक आंतरिक तकनीकी समिति का गठन करने के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है। तकनीकी समिति की रिपोर्ट मुख्यतः हेलीकॉप्टरों के निर्माताओं द्वारा प्रकोषित साहित्य पर आधारित है तथा इसमें डॉफिन/बेल/एक्यूरिल बेड़े के लिए 35 वर्ष तथा एमआई बेड़े के लिए 30 वर्ष के सामान्य उपयोज्यता काल का सुझाव दिया गया है। कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-II में हेलीकॉप्टरों का

बेल तथा एयरबस हेलीकॉप्टरों का उपयोज्यता काल अनिश्चित अवधि का है। एयरबस हेलीकॉप्टर्स द्वारा 30 से 35 वर्ष तक उत्पाद सेवा के लिए आश्वासन दिया गया है जो कि इसे 30 से 35 का उपयोज्यता काल दिए जाने का आधार है।

एमआईएल द्वारा 30 वर्ष की निश्चित उपयोज्यता अवधि सूचित की गई है तथा इसका आगे संवर्धन उनके काल विस्तार कार्यक्रम पर आधारित होगा। विश्व भर में हेलीकॉप्टरों का उपयोग संबंधित देश के विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाले उड़नयोग्यता प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाता है। तदनुसार, किसी

	सामान्य उपयोज्यता काल 20 वर्ष होने का उल्लेख किया गया है। यह चूंकि एक तकनीकी मामला है अतः इसके संबंध में तकनीकी समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आश्रित हैं।	हेलीकॉप्टर का उपयोज्यता काल ग्राहक विशिष्ट अपेक्षाओं पर आधारित नहीं है। ऐसा राज्य सरकार तथा गृह मंत्रालय के साथ किए गए हमारे विद्यमान करारों से भी देखा जा सकता है जिसका निर्वाह 30 वर्ष से भी अधिक पुराने हेलीकॉप्टरों के उपयोग से किया जा रहा है। यदि ग्राहक द्वारा विशिष्ट मापदंड लगाए जाते हैं तो उसके लिए उचित हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाया जाता है तथा पुराने हेलीकॉप्टर का उपयोग किसी वैकल्पिक करार के लिए किया जाता है। हेलीकॉप्टर के उपयोज्यता काल के मापदंड का एकमात्र माध्यम नागर विमानन महानिदेशालय (विनियामक प्राधिकरण) द्वारा ओईएम सहायता के साथ जारी किया जाने वाला उड़नयोग्यता प्रमाण पत्र है न कि ग्राहक द्वारा वांछित अथवा हेलीकॉप्टरों के नियोजन से संबंधित मापदंड।
5.	पश्चिम क्षेत्र तथा निगमित कार्यालय के संबंध में लेखा बहियों एवं सेवा कर विवरण के अनुसार केन्द्रीय मूल्य संवर्धित कर समाधान नहीं किया गया है।	यह समाधान कर लिया जाएगा तथा चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यक लेखांकन प्रविष्टियां दर्ज कर ली जाएगीं।
6.	नोट संख्या 32 XI की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें लेखा परीक्षण किए जा रहे वर्ष के दौरान निदेशक मंडल द्वारा पॉयलटों तथा विमान अनुरक्षण इंजीनियरों को 1.4.2016 से प्रभावी लाइसेंस संबद्ध भत्ता प्रदान किए जाने के प्रावधानों के निर्माण की सिफारिश की गई है तथा कम्पनी द्वारा 1147.39 लाख रुपए के प्रावधान किए गए हैं जो कि भारत सरकार से अंतिम अनुमोदन प्राप्त किए जाने की शर्त के साथ हैं।	यह तथ्यपरक है।
7.	नोट संख्या 32 XV की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें वर्ष के दौरान अस्थाई आधार पर रोहिणी हेलीपोर्ट का पूंजीयन किए जाने का उल्लेख किया गया है जो ठेकेदार द्वारा अंतिम बिल प्रस्तुत किए जाने के कारण है। इसके अलावा रोहिणी हेलीपार्ट के पट्टा करार, विविध घटकों का मूल्यह्रास कम्पनी अधिनियम, 2013 में उल्लिखित उपयोज्यता काल के लिए किए जाने का उल्लेख किया गया है।	यह तथ्यपरक है।
8.	कम्पनी द्वारा अपने नियमित कर्मचारियों के लिए	पवन हंस लिमिटेड विमान/एयरलाइन के कार्यों से संबद्ध

स्वैच्छिक रूप से एक अलग भविष्य निधि ट्रस्ट की स्थापना की गई है। तथापि, इसमें ठेकेदारों तथा कम्पनी द्वारा सीधे नियुक्त किए गए आकस्मिक श्रमिकों के भविष्य निधि अंशदान की कटौती शामिल नहीं है क्योंकि मामला न्यायाधीन सूचित किया गया है।

संगठन है जिसका स्वामित्व एवं नियंत्रण केन्द्र सरकार के पास है तथा यह कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की उपयोज्यता से "अलग" है। इस प्रकार संविदारत कर्मचारियों के भविष्य निधि की कटौती नहीं की जाती है। तथापि एविएशन कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधित्व से संविदारत कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, मुम्बई में 2016 की रिट याचिका संख्या 3495 दायर की गई है जो न्यायाधीन है। कम्पनी द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का निर्माण अपने नियमित कर्मचारियों के लिए किया गया है। इसमें संविदारत कर्मचारियों को शामिल किए जाने का मामला माननीय उच्च न्यायालय मुम्बई के सम्मुख विचाराधीन है तथा अग्रेतर कार्रवाई लम्बित रिट याचिका के परिणाम प्राप्त होने पर ही की जा सकेगी।

9. यह देखा गया है कि निदेशक मंडल की दिनांक 19.3.2015 की बैठक संख्या 148 में आंतरिक लेखा परीक्षण विभाग की जनशक्ति 7 होने की संकल्पना की गई है जबकि वर्तमान में केवल 2 कर्मचारी ही कार्यरत हैं। लेखा परीक्षा किए जा रहे वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा के निदेशानुसार तिमाही आंतरिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के स्थान पर प्रत्येक क्षेत्र के लिए केवल एक ही रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अलावा, हमारा ध्यान संलग्न आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी रिपोर्ट में की गई अपेक्षा के स्थान पर अनेक आंतरिक नियंत्रण कमियों की ओर गया है। इसे ध्यान में रखते हुए कम्पनी की ओर से आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग को सशक्त किया जाना, आंतरिक लेखा परीक्षा की रिपोर्टिंग की बारम्बारता को बढ़ाना तथा प्रत्येक क्रियात्मक विभाग एवं कम्पनी द्वारा की जा रही प्रक्रियाओं के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा के विस्तार को संवर्धित किया जाने की आवश्यकता है ताकि कम्पनी के प्रचालनों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप आनुपातिक वर्णन संभव हो सके।

अपेक्षित जनशक्ति के अनुसार कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के संबंध में अनेक नोट तथा अनुस्मारक सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए हैं परन्तु निकटस्थ विनिवेश के कारण इस पर सहमति नहीं दी जा सकी है।

वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रचालन काफी समय से है। तथापि, लेखा परीक्षा समिति के निदेशानुसार चालू वर्ष 2017–18 से इसे तिमाही आधार पर किए जाने के निदेशों के संबंध में कर्मचारियों के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखकर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा जारी निदेशानुसार यह अर्ध वार्षिक आधार पर किया जा सकेगा।

आंतरिक लेखा परीक्षा में सभी प्रमुख क्षेत्र यथा वित्त एवं लेखा, मानव संसाधन एवं प्रषासन, प्रचालन, विपणन, इंजीनियरिंग, अनुरक्षण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी का समावेश नियमित रूप से किया जाता है।

आंतरिक लेखा परीक्षा द्वारा भविष्य निधि, कराधान एवं अन्यों के संबंध में निरंतर गैर अनुपालन सूचित किया गया है।

10. नोट संख्या 32 XXV(क), जो इंड ए एस वित्तीय विवरणों का भाग है, में कम्पनी द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पंजीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की कोई भी देयताएं बकाया नहीं हैं। तथापि,

सूक्ष्म, लघु उद्यम आदेश, 2012 की सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति के अनुसार 1 अप्रैल, 2015 से माल एवं सेवाओं के लिए समग्र अधिप्राप्तियों का न्यूनतम 20% अनिवार्य कर दिया गया है तथा 20% के लक्ष्य में से 4% का उप लक्ष्य केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु उद्यमों से अधिप्राप्ति के लिए भी निश्चित किया गया

विचाराधीन वर्ष के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की उपयोज्यता के संबंध में आपूर्तिकर्ताओं से पुष्टि प्राप्त नहीं की गई है, इस कारण से हम उक्त कम्पनी अधिनियम के अनुपालन पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैंय	है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग उद्यम के आदेश में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए 358 मदों, जो उनके लिए अलग से आरक्षित की गई हैं, की अनिवार्य खरीद सूक्ष्म, लघु उद्यमों से करने की अनिवार्यता की गई है। वर्ष 2016–17 के दौरान पवन हंस द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से 3.30 करोड़ रुपए की राशि के माल तथा सेवाओं की अधिप्राप्ति की गई थी तथा अधिप्राप्ति का विवरण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय को भी प्रेषित किया गया था। इसके अलावा, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से 358 मदों की उपलब्ध करवाई गई सूची जो विमानन मानकों के अनुरूप नहीं है जो हमारी कम्पनी की खरीद के मुख्य भाग होते हैं तथा जिनकी आपूर्ति विभिन्न ओईएम/निर्माताओं से प्रचालनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती है। पवन हंस के निदेशक मंडल द्वारा विचार किए जाने एवं अनुमोदित किए जाने के पश्चात नागर विमानन मंत्रालय को इसके संबंध में छूट प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव भिजवाया जा रहा है। यह भी घोषित किया जाता है कि वर्ष 2016–17 के दौरान माल एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाले किसी भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को देय कोई भी मूल राशि तथा उस पर देय ब्याज बकाया नहीं है।
11. स्टैंडएलोन इंड ए एस के भाग के रूप में प्रस्तुत नोट संख्या 32 IX व्यवसाय प्राप्य, दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक दायित्व, अन्य चालू दायित्व, दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम तथा जमा पर शेष की पुष्टि की सूचना प्रेषण से संबंधित है। किसी भी प्रमुख पार्टी द्वारा शेष की पुष्टि नहीं की गई है तथा इससे, अंतर, यदि कोई हुए, का संज्ञान एवं समाधान नहीं किया जा सकेगा। बकाया पुष्टि एवं पुनःसमाधान उपलब्ध न होने के परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों पर होने वाले प्रभाव की प्रमात्रा नहीं आंकी जा सकती है।	वर्ष के अंत में व्यवसाय प्राप्य/देय के संबंध में भेजे गए शेष पुष्टि पत्र में संबंधित प्रतिक्रिया/पुष्टि सीधे सांविधिक लेखा परीक्षक को भिजवाए जाने का उल्लेख किया गया था।
इन मामलों के संबंध में हमारा मत योग्य मत नहीं है।	
अन्य मामले	
1. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी की वित्तीय सूचना एवं 1 अप्रैल, 2016 की पारगमन तिथि को तुलन पत्र का अथ शेष इन स्टैंडएलोन	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

इंड ए एस वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है जो 31 मार्च, 2016 तथा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए पूर्व जारी सांविधिक वित्तीय विवरणों पर आधारित है जो कम्पनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2016 (यथा संशोधित) के अनुसरण में तैयार किए गए हैं तथा जिनका लेखा परीक्षण हमारे द्वारा नहीं किया गया है तथा जिनके संबंध में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा क्रमशः दिनांक 2 नवम्बर, 2016 एवं 7 अक्तूबर, 2015 को अपरिवर्तित मत के अलावा अन्य मत व्यक्त किया गया है। इन वित्तीय विवरणों में किए गए समायोजन कम्पनी द्वारा इंड ए एस में पारगमन के अंगीकृत हमारे द्वारा लेखा परीक्षित सिद्धांतों के अनुसार हैं।

2. हमारे द्वारा कम्पनी के इंड ए एस वित्तीय विवरणों में सम्मिलित पश्चिम क्षेत्र के स्टैंडएलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण नहीं किया गया है जिसके संबंध में वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना में 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार कुल परिसम्पत्तियां 78,438.10 लाख रुपए तथा सकल परिसम्पत्तियां 856.80 लाख रुपए की दर्शाई गई है तथा समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व वित्तीय विवरणियों में किए गए उल्लेखनुसार 27,815.42 लाख रुपए, सकल लाभ 662.82 लाख रुपए तथा सकल रोकड़ प्रवाह की राशि 426.47 लाख रुपए दर्शाई गई है। इस वित्तीय विवरण तथा अन्य वित्तीय सूचनाओं का लेखा परीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है तथा उनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है तथा उसके अनुसार हमारा सुझाव तदनुसार स्टैंडएलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों के लिए ऐसे वित्तीय विवरणों से संबंधित लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी पर आधारित है।

कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

इन मामलों के संबंध में हमारा मत योग्य मत नहीं है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट

1. अधिनियम के खंड–143 के उपखंड (II) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") में की गई अपेक्षाओं के अनुसार हम आदेश के पैराग्राफ–3 तथा 4 में निर्दिष्ट मामलों के विवरण ''अनुलग्नक–क'' में प्रस्तुत कर रहे हैं।

कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

2. खंड 143(3) में की गई अपेक्षा के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :–

इसके संबंध में ऊपर पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया है।

क. हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे व प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार योग्य मत के आधार के पैरा में हमारी टिप्पणियों की शर्त पर हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं;

ख. *ऊपर योग्य मत के आधार के पैरा में किए गए उल्लेख के अलावा* हमारे मतानुसार कम्पनी ने लेखा बहियों का अनुरक्षण विधि द्वारा अपेक्षित विधि के अनुरूप किया गया है अथवा ऐसा इन बहियों के संबंध में हमारे द्वारा किए गए परीक्षण से प्रतीत होता है। *तथापि, हमने यह देखा है कि कम्पनी लेखांकन पैकेज के लिए उस पुराने अंक का उपयोग कर रही है जो अब प्रचलन में नहीं है तथा कम्पनी से चालू अपेक्षाओं के अनुसार उन्नयन अपेक्षित किया गया है;*

कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

ग. अधिनियम के खंड 143(8) के अंतर्गत लेखा परीक्षण की गई पश्चिम क्षेत्र के लेखों की रिपोर्ट का लेखा परीक्षण शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा करके हमें भिजवाया गया है तथा इस रिपोर्ट को तैयार करने के इसका उचित उपयोग किया गया है;

कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

घ. इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन पत्र और अन्य विस्तृत आय सहित लाभ एवं हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी परिवर्तन विवरण बही खातों से मेल खाते हैं;

कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

ङ योग्य मत के आधार के पैराग्राफ में उल्लिखित मामले के प्रभाव के अतिरिक्त हमारी राय में उपर्युक्त स्टैंडएलोन इंड ए एस वित्तीय विवरण के साथ पठनीय अधिनियम के खंड 133 के अंतर्गत संबंधित नियमों के साथ पठनीय विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं;

कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

च. चूंकि यह एक सरकारी कंपनी है, अतः किसी निदेशक की नियुक्ति के लिए निदेशक की अयोग्यता से संबंधित दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार कंपनी अधिनियम,

कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

2013 के खंड 164 के उप खंड (2) के प्रावधान कंपनी के मामले में लागू नहीं हैं;

छ. कंपनी के वित्तीय नियंत्रणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता के संबंध में कृपया 'अनुलग्नक ख' में अलग से प्रस्तुत की गई रिपोर्ट देखें तथा

इसके संबंध में पर्याप्त स्पष्टीकरण अनुग्लक 'ख' में दिया गया है।

ज. अधिनियम के खंड 143 के उप खंड (3) की धारा (जे) के उपबंधों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम के अंतर्गत की गई अपेक्षा के लिए हमें प्राप्त सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम अपने मतानुसार यह रिपोर्ट करते हैं कि:

कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

i. कंपनी ने अपने स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर लम्बित मुकदमों से होने वाले प्रभाव का प्रकटन कर दिया है। स्टैंडएलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों का संदर्भ नोट 32 II देखें।

ii. कंपनी के लिए डैरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं पर किसी प्रकार की ऐसी सामग्रीगत हानि संभावित नहीं है, जिसके प्रति किसी हानियों के प्रावधान किए जाने अपेक्षित हों। तथापि, पश्चिम क्षेत्र के लेखा परीक्षकों द्वारा यह सूचित किया गया है कि:

"कम्पनी द्वारा लागू विधि एवं लेखांकन मानकों द्वारा की गई अपेक्षाओं के अनुसार डैरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं पर किसी प्रकार की सभांवित हानियों, यदि कोई हों, के लिए प्रावधान किए गए हैं।"

कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान किसी प्रकार की डैरिवेटिव संविदा नहीं की गई है।

iii. रिपोर्ट के दौरान कम्पनी से निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में कोई राशि स्थानांतरित किए जाने की अपेक्षा नहीं थी।

कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

iv. कम्पनी द्वारा 8 नवम्बर, 2016 से 30 दिसम्बर, 2016 की अवधि के दौरान विशिष्ट बैंक नोटों के धारण एवं संव्यवहार के संबंध में अपने स्टैंडएलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों में अपेक्षित प्रकटन दिया है। लेखा परीक्षण प्रक्रिया तथा प्रबंधन के प्रतिनिधित्व पर विश्वास के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी द्वारा अनुरक्षित एवं प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत

कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

की गई लेखा बहियां दिए गए प्रकटन के अनुसार है – इसके संबंध में स्टैंडएलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों का नोट संख्या 32 XXV(ड.) देखें; तथा

v. अधिनियम के खंड 143(5) में की गई अपेक्षा के अनुसार हम अनुलग्नक – ग में कम्पनी के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट मामलों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

कृते जे.पी. कपूर एंड उबेराय
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः 000593एन

विनय जैन
साझीदार
सदस्यता संख्याः 095187

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 1 दिसम्बर 2017

31 मार्च, 2017 का समाप्त वर्ष के स्टैंडएलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों पर पवन हंस लिमिटेड के सदस्यों को संबंधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'।

लेखा परीक्षक का प्रेक्षण	प्रबंधन का उत्तर
(i) क) कम्पनी द्वारा अचल परिसम्पत्तियों के मात्रात्मक एवं स्थिति के पूर्ण विवरण दर्शाने वाले रिकार्ड का उचित अनुरक्षण किया गया है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
ख) हमें प्रदान की गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर कम्पनी में अचल सम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए नियमित कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत सभी अचल परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन चरणबद्ध पद्धति से तीन वर्ष की अवधि में किया जाता है। कम्पनी के आकार तथा इसकी परिसम्पतियों के स्वरुप को ध्यान में रखते हुए *हमारे मतानुसार भौतिक सत्यापन की इस अवधि को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए तथा विमान एवं अतिरिक्त इंजनों का सत्यापन वार्षिक आधार पर किया जाना चाहिए। इसके अलावा बही रिकार्ड तथा भौतिक शेष की अनियमितताओं के संबध में कोई टिप्पणी नहीं कर पा रहे है क्योंकि इनका समाधान किया जा रहा है। इसके अलावा 5,158.24 लाख रुपए के सकल मूल्य के मरम्मत के लिए भिजवाए गए रोटेबल्स तथा भारत के बाहर के बाहर स्थित विक्रेताओं के पास रखे रोटेबल्स के मामले में केवल कुछ विदेशी ओईएम (वास्तविक मूल निर्माता) द्वारा कम्पनी को न तो कोई भौतिक सत्यापन रिपोर्ट भेजी गई है और न ही कम्पनी की ओर से ऐसे रोटेब्ल्स का धारण करने से संबधित कोई पुष्टि भेजी गई है।*	अचल परिसम्पत्तियों की भौतिक जांच पूरी कर ली गई है तथा अचल परिसम्पत्तियों के रजिस्टरों के साथ मिलान कार्य प्रगति पर है। बहियों तथा भौतिक शेष के बीच के अंतर तलाश किए जा रहे हैं तथा संबंधित विभागों को मिलान प्रक्रिया पूरी करने के लिए इन्हें भेजा गया है। 31.3.2017 की स्थिति के अनुसार 5158.24 लाख रूप के रोटेबल्स एवं मरम्मत योग्य उपकरण एवं 1650.62 लाख रुपए के डब्ल्यूडीवी विदेशी उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के पास रखे हुए हैं। इनमें से 31.3.2017 की स्थिति के अनुसार 769.80 लाख रुपए के सकल मूल्य के रोटेबल्स तथा 394.07 लाख रुपए मूल्य के डब्ल्यूडीवी वापस प्राप्त कर लिए गए हैं। जिन पार्टियों के पास रोटेबल्स अभी भी रखे हुए हैं उनसे रोटेबल्स उनके पास होने की पुष्टि प्राप्त की जा रही है। वास्तविक मूल निर्माता (ओईएम) के साथ सम्पर्क करके उनसे मरम्मत/ओवरहॉल की गई मदें वापस प्राप्त किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
ग) स्टैंडएलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों में सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के नोट संख्या 3 में किए गए प्रकटीकरण के अनुसार अचल परिसम्पत्तियों के हक विलेख कम्पनी के नाम हैं जो *रोहिणी हेलीपोर्ट के अलावा, जिसकी भूमि का स्वामित्व नागर विमानन मंत्रालय के पास है एवं पश्चिम क्षेत्र में आवास भवन (जेएचसी) के अलावा जिसका हक विलेख कम्पनी के नाम पर इसलिए नहीं है कि इसकी भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नाम पर है तथा कम्पनी द्वारा इस भूमि पर फ्लैट निर्मित किए गए हैं जो आंशिक रूप से पट्टे पर 25 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त किए गए हैं।*	तथ्यपरक विवरण

(ii)	हमें प्रदान की गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी द्वारा नीतिगत रूप से प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार मालसूचियों का भौतिक सत्यापन किया जाता है। तृतीय पक्षकारों के पास रखी गई मालसूची तथा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों के भंडार तथा कलपूर्जों की मालसूची के अलावा पश्चिम क्षेत्र तथा उत्तरी क्षेत्र के मामले में भंडार एवं पूर्जों की उच्च मूल्य की मदें मुख्य भंडार में रखी गई हैं तथा वर्ष की समाप्ति पर प्रबंधन द्वारा इनका भौतिक सत्यापन कर लिया गया है तथा ऐसे सत्यापन से किसी प्रकार की भौतिक अनियमितता नहीं पाई गई है। ऐसी मालसूची की अन्य मदों के एक भाग का सत्यापन भी वर्ष के अंत कर लिया गया है। डिटेचमेंट के भंडार एवं पुर्जों का मामलों का निवारण क्षेत्रीय मुख्यालय द्वारा वर्ष के अंत में किया जाता है तथा डिटेचमेंट के भंडार एवं पुर्जों के अंत शेष को संबंधित डिटेचमेंट द्वारा प्रस्तुत भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट के आधार पर रिकार्ड में लिया जाता है तथा ऐसा होने से इसके लिए सीमित नियंत्रण की व्यवस्था की गई है, अतः नियंत्रण प्रक्रिया सीमित है क्योंकि स्टॉक रिकार्ड का मैनुअल अनुरक्षण डिटेचमेंट में किया जा रहा है।	मालसूचियों के स्टॉक का मैनूअल रजिस्टर प्रत्येक डिटेचमेंट में रखा गया है। इसके अलावा बेस प्रबंधकों को मालसूची रजिस्टर का अद्यतन नियमित रूप से करने के निदेश दिए गए हैं।
(iii)	प्राप्त सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी द्वारा कम्पनियों, फर्मों अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में समाहित अन्य पार्टियों को किसी प्रकार का ऋण, रक्षित अथवा अनारक्षित, प्रदान नहीं किया गया है। तदनुसार आदेशों के अनुच्छेद 3(iii) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
(iv)	हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा कम्पनी के रिकार्ड की जांच के अनुसार कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 185 तथा 186 के अंतर्गत समाहित पक्षकारों को किसी प्रकार के ऋण अथवा उनमें कोई निवेश, अथवा उन्हें किसी प्रकार की गारंटी अथवा प्रतिभूति प्रदान नहीं की गई है। तदनुसार आदेश के अनुच्छेद 3(iv) के प्रावधान कम्पनी के लिए लागू नहीं होते हैं।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
(v)	हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी द्वारा भारतीय रिजर्व	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 73 से 76 तथा किसी अन्य संबंधित प्रावधान तथा उनके अध्याधीन नियमों के अंतर्गत किसी प्रकार के स्वीकार्य जमा जनता से प्राप्त नहीं किए गए हैं। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(v) कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

(vi) प्राप्त सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 148(1) के अंतर्गत कम्पनी द्वारा प्रदत्त सेवाओं अथवा बेचे जाने वाले सामान के लिए लागत रिकार्ड का अनुरक्षण किए जाने का निर्धारण नहीं किया गया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (vi) कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

(vii) (क) हमें उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा की गई कम्पनी की लेखा बहियों में राशियों की कटौती/प्राप्ति के रिकार्ड की जांच के अनुसार कम्पनी द्वारा भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, मूल्य संवर्धित कर तथा उपकर लागू अन्य सभी अविवादित सांविधिक देयताओं के संबंध में सामान्यतः वर्ष के दौरान संबंधित प्राधिकरणों को नियमित रूप से भुगतान किया गया है। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उत्पाद कर के लिए कम्पनी द्वारा भी बकाया देय नहीं है।

हमें दी गई सूचना एवं प्रस्तुत स्पष्टीकरणों के अनुसार भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, मूल्य संवर्धित कर तथा उपकर लागू अन्य सभी देयताओं के 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार उनकी देयता से छरू माह की अवधि से अधिक बकाया नहीं थे जो सिवालय पश्चिम क्षेत्र के लिए 13.81 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी के अलावा हैं जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।

कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

पश्चिम क्षेत्र के मामले में कम्पनी द्वारा वर्ष 1998 में अपने कर्मचारियों के लिए 6 आवासीय फ्लैट एमएचएडीए, मुम्बई से खरीदे गए थे तथा अस्थाई आधार पर कम्पनी द्वारा इनका कब्जा आबंटन पत्र के आधार पर लिया गया था अतः कम्पनी द्वारा अस्थाई आधार पर स्टॉम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण करवाया गया है जिसके लिए अंतिम भुगतान सोसायटी के नाम उचित कन्वेंस डीड तैयार होने पर किया जाएगा। कुछ सोसायटियों द्वारा मुम्बई उच्च न्यायालय में एमएचएडीए के खिलाफ मूल्य में भिन्नता का दावा किया है। अतः ऐसी स्थिति में स्टॉम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण की राशि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

ख) हमें प्रस्तुत सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नानुसार किए गए उल्लेख के अलावा 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार कम्पनी द्वारा संबंधित प्राधिकरण में किसी विवाद के कारण जमा न करवाए गए आय कर, बिक्री कर, सम्पति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, तथा उपकर

लेखांकन नोट संख्या 32(II). (ग). (ii)/(iii) में ये राशियां आनुषंगिक देयताओं में शामिल की गई हैं।

की कोई देयता बकाया नहीं है :–

क्र. सं.	विधान विवरण	देयता का स्वरूप	राशि (रुपए लाख में)	राशि से संबद्ध अवधि	मामला विवाद स्तर
1	दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004	मू.सं.क., ब्याज तथा जुर्माना	10,481.78	वि.वर्ष 2006–07	अपीलिय प्राधिकरण, मू.सं.क., दिल्ली
2	दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004	मू.सं.क., ब्याज तथा जुर्माना	10,556.99	वि.वर्ष 2007–08	अपीलिय प्राधिकरण, मू.सं.क., दिल्ली
3	दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004	मू.सं.क., ब्याज तथा जुर्माना	12,384.79	वि.वर्ष 2008–09	अपीलिय प्राधिकरण, मू.सं.क., दिल्ली
4	दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004	मू.सं.क., ब्याज तथा जुर्माना	12,007.90	वि.वर्ष 2009–10	अपीलिय प्राधिकरण, मू.सं.क., दिल्ली
5	सेवा कर अधिनियम, 1994	सेवा कर	562.06	वि.वर्ष 2009–10	सेवा कर आयुक्त (अपील), मुम्बई
6	सेवा कर अधिनियम, 1994	सेवा कर	495.94	वि.वर्ष 2010–11	सेवा कर आयुक्त (अपील), मुम्बई
7	सेवा कर अधिनियम, 1994	सेवा कर	615.38	वि.वर्ष 2011–12	सेवा कर आयुक्त (अपील), मुम्बई
8	सेवा कर अधिनियम, 1994	सेवा कर	298.65	वि.वर्ष 2012–13	सेवा कर आयुक्त (अपील), मुम्बई
9	सेवा कर अधिनियम, 1994	सेवा कर	61.76	वि.वर्ष 2013–14	सेवा कर आयुक्त (अपील), मुम्बई
10	सेवा कर अधिनियम, 1994	सेवा कर	232.84	वि.वर्ष 2014–15	सेवा कर आयुक्त (अपील), मुम्बई
		योग	**47,698.09**		

(viii) हमारे मतानुसार एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा कम्पनी के रिकार्ड के संबंध में की गई जांच के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान के ऋणों के प्रति कोई चूक नहीं की गई है। इसके अलावा, सरकार से कोई ऋण अथवा उधार प्राप्त नहीं किए गए हैं तथा 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार कोई लाभांश नहीं किए गए थे। — कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

(ix) कम्पनी द्वारा किसी प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा किसी आगामी सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) तथा आवधिक ऋणों के माध्यम से धन की उत्पति नहीं की गई है। — कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

(x) हमें प्रदान की गई सूचना एवं प्रस्तुत स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखा परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान वर्ष के दौरान कम्पनी अथवा इसके अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के विरूद्ध अथवा कम्पनी द्वारा की गई किसी प्रकार की धोखेबाजी की सूचना प्रकाष में नहीं आई है अथवा रिपोर्ट नहीं की गई है। — कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

(xi) एक सरकारी कम्पनी होने के नाते कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड संख्या (xi) के अंतर्गत दिनांक 5.6.2015 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन पारितोषिक से संबंधित मामले कम्पनी के लिए लागू नहीं हैं। — कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

(xii) हमें दी गई सूचना एवं प्रस्तुत स्पष्टीकरणों के अनुसार यह कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है। तदनुसार आदेश का पैराग्राफ 3(xii) कम्पनी के मामले में लागू नहीं होता है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
(xiii) हमारे मतानुसार एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा कम्पनी के रिकार्ड के संबंध में की गई जांच के अनुसार कम्पनी द्वारा संबद्ध पक्षकारों से किया गया लेन देन व्यवहार,जहां लागू हो, कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 177 तथा 188 के अनुसरण में किया गया है तथा इसके संबंध में लागू लेखांकन मानकों के अनुसार स्टैंडएलोन इंड ए एस के वित्तीय में अपेक्षित प्रकटीकरण किया गया है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
(xiv) हमें प्रस्तुत की गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा कम्पनी के रिकार्ड की जांच के आधार पर कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान शेयरों अथवा पूर्णतः अथवा आंशिक परिवर्तनीय लाभांशों का किसी प्रकार का अधिमान्य आबंटन अथवा निजी नियोजन नहीं किया गया है। तदनुसार आदेश का पैराग्राफ 3(xiv) कम्पनी के लिए लागू नहीं होता है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
(xv) हमें प्रस्तुत की गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर कम्पनी द्वारा निदेशकों अथवा स्वयं से सम्बद्ध व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का गैर–नकदी लेन व्यवहार नहीं किया गया है। तदनुसार आदेश का पैराग्राफ 3(xv) कम्पनी के लिए लागू नहीं होता है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।
(xvi) हमें प्रस्तुत की गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के खंड 45-क के प्रावधानों के अंतर्गत कम्पनी से पंजीकरण करवाना अपेक्षित नहीं किया गया है।	कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

कृते जे.पी. कपूर एंड उबेराय
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः 000593एन

विनय जैन
साझीदार
सदस्यता संख्याः 095187

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 1 दिसम्बर 2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए पवन हंस लिमिटेड के स्टैंडएलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों के संबंध में स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समान तिथि का अनुबंध 'ख'

लेखा परीक्षक का प्रेक्षण	प्रबंधन का उत्तर

कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के खंड 143 के उप खंड 3 के खंड वाक्य (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार पवन हंस लिमिटेड ("कम्पनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए हमारे द्वारा किए गए स्टैंडएलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के साथ किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कम्पनी का प्रबंधन भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों को ध्यान में रखकर कम्पनी द्वारा स्थापित किए गए अनिवार्य घटकों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के प्रति उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्वों में कंपनी की नीतियों के साथ साथ इसके व्यवसाय, इसकी परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व चूकों, लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता एवं सम्पूर्णता तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्टों की सामयिक प्रस्तुति के सुनिश्चय के लिए प्रभावशाली रूप से कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण के प्रति उत्तरदायित्व शामिल है।

लेखा परीक्षक के दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करना है। हमारे द्वारा किया गया लेखा परीक्षण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मार्गदर्शी नोट तथा लेखा परीक्षण के मानकों के अनुसार, जो कम्पनी अधिनियम के खंड 143(10) में निर्धारित माने गए, आंतरिक लेखा परीक्षण के लिए यथासंभव लागू, जो दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए लागू हैं, तथा जो दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं, किया गया है।

इन मानकों तथा मार्गदर्शी नोट की अपेक्षाओं के अनुसार हमसे नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करते हुए लेखा परीक्षण की योजना बनाकर एवं निष्पादन करते हुए यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना की गई है अथवा नहीं तथा क्या ऐसे नियंत्रण प्रभावपूर्ण एवं प्रत्येक वस्तुगत दृष्टि से कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं।

हमारे लेखा परीक्षण में प्रक्रियाबद्ध निष्पादन के माध्यम से वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली तथा उनकी प्रचालनात्मक प्रभाव्यता के लेखा परीक्षण प्रमाण एकत्र करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में जोखिमों के आकलन, किसी वस्तुगत दोष की उपस्थिति, तथा मूल्यांकित जोखिमों के आधार पर आंतरिक नियंत्रण पर डिजाइन तथा प्रचालनात्मक प्रभाव्यता का परीक्षण एवं मूल्यांकन के प्रति अनुकूलता प्राप्ति भी शामिल है। स्टैंडएलोन इंड एएस विवरणियों के वस्तुपरक मिथ्याकथन, जालसाजी अथवा चूक के कारण, के जोखिमों के मूल्यांकन सहित प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षक के विवेकानुसार किया जाता है।

हमारा ऐसा मानना है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की व्यवस्था के लिए हमारे मान्य सुझावों की प्रस्तुति के आधार के लिए हमें प्राप्त लेखा परीक्षण प्रमाण उचित एवं पर्याप्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कम्पनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों से वित्तीय विवरणों के संबंध में औचित्यपरक आश्वासन प्राप्त होते हों। किसी कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए नीतियां एवं प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं जिनके अनुसार (1) रिकार्डों का अनुरक्षण इस प्रकार किया जाना होता है कि उसमें औचित्यपरक विवरण, परिशुद्धता तथा कम्पनी की परिसम्पत्तियों के संबंध में लेन देन व्यवहार तथा विन्यास की छवि स्पष्ट प्रतीत होती हो; (2) जिससे यह औचित्यपरक आश्वासन की प्राप्ति होती हो कि किए गए लेन देन व्यवहारों को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों के अनुमत्त निर्माण की आवश्यकता के अनुरूप रिकार्डबद्ध किया गया है तथा

कम्पनी की प्राप्तियां एवं व्यय की प्रविष्टि केवल कम्पनी के प्रबंधन तथा निदेशकों से प्राधिकार प्राप्ति के पश्चात की गई है; तथा (3) कम्पनी की परिसम्पत्तियों के संबंध में वित्तीय विवरणों पर सामग्रीगत प्रभाव करने वाले कम्पनी की परिसम्पत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान के संबंध में रोकथाम अथवा समय पर जानकारी प्राप्त होने का औचित्यपरक आवश्वासन प्राप्त होता हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित बाध्यताएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित बाध्यताओं के कारण सांठ गांठ अथवा नियंत्रणों पर लंघन द्वारा अनुचित प्रबंधन, चूक अथवा धोखेबाजी के कारण गलत बयानी जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं तथा उनका पता नहीं भी लगाया जा सकता है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में भावी अवधियों के लिए किए जाने वाले मूल्यांकन के अनुमानों में भी इस जोखिम से परिपूर्ण होते हैं कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय नियंत्रणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के कारण इनके अनुपालन का स्तर कम हो सकता है।

योग्य मत

हमें प्रस्तुत की गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के अनुसार *कम्पनी में आरसीएम एवं लक्ष्य, प्रक्रिया एवं उनसे संबंधित जोखिम के अंतर की ट्रेकिंग से युक्त वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण सहित आंतरिक नियंत्रण को सुचारू बनाने के लिए विस्तृत मॉडल का प्रलेखन नहीं किया गया है। मॉडल के परीक्षण एवं स्थापित प्रणाली की पर्याप्तता एवं प्रभाव्यता की समीक्षा के दौरान पर्याप्तता के डिजायन एवं अचल परिसम्पत्ति प्रबंधन, अधिप्राप्ति प्रक्रिया, राजस्व लेखांकन, सांविधिक अनुपालन, कोष प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी सामान्य नियंत्रण की प्रभाव्यता में अंतर पाए गए हैं।* हमारे मतानुसार, नियंत्रण मानदंडों के लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में ऊपर उल्लिखित सामग्रीगत कमी/कमियों के प्रभावों/संभावित प्रभावों के अलावा कम्पनी द्वारा प्रत्येक सामग्रीगत स्वरूप में वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रक्रिया का अनुरक्षण किया है तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण के मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित भारत के सनदी लेखाकार द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग के लेखा परीक्षण के मार्गदर्शी नोट में प्रमाणन करने वाले लेखा परीक्षकों से वित्तीय नियंत्रणों पर उक्त नियंत्रण के प्रचालन का मूल्यांकन जोखिम नियंत्रण मैट्रिक्स का निर्माण करके करने की अपेक्षा की गई है। कम्पनी द्वारा वर्ष 2016 में विशेषज्ञों से सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रणों का मूल्यांकन करवाया है जिसकी "संतोषजनक" मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध है।

पर्यवेक्षण एवं प्राधिकरण, शक्तियों के प्रत्यायोजन, पदनामित सक्षम प्राधिकारियों के लिए अपवाद, कार्यात्मक मैनुअल/मानक प्रचालन प्रकियाएं, बजट नियंत्रण के अस्तित्व की अंतर्निहित प्रक्रिया के साथ लिखित रिकार्ड पहले से ही प्रचलन में हैं।

संविदाओं का समानुपात मुख्यतः बी 2 बी (व्यवसाय से व्यवसाय) अथवा बी 2 जी (सरकार से व्यवसाय) के लिए होने तथा बी 2 सी (उपभोक्ता से व्यवसाय) के लिए न होने के कारण राजस्व लेखांकन की व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ है। सीजनल संविदाओं के मामले में टिकट समाधानों के अवसर भी उत्पन्न हुए हैं जिसके लिए उचित रक्षात्मक

आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों के अनुरूप कम्पनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के लिए की गई स्थापना के आधार पर 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

हमने संज्ञान में लाई गई प्रत्येक सामग्री कमजोरी/कमजोरियों तथा उपर्युक्तानुसार 31 मार्च, 2017 की स्थिति के लिए कम्पनी के स्टैंडएलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए उपयोग में लाई लेखा परीक्षण की प्रकृति, समय उपर्युक्ता एवं विस्तार पर विचार किया है तथा हमारे मतानुसार ये सामग्रीगत कमजोरियां कम्पनी के स्टैंडएलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों को प्रभावित नहीं करती हैं।

कृते जे.पी. कपूर एंड उबेराय
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्याः 000593एन

विनय जैन
साझीदार
सदस्यता संख्याः 095187

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 1 दिसम्बर 2017

उपायों का निर्माण किया जा रहा है।

कम्पनी के लिए सांविधिक अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर गम्भीरता से लिया जाता है तथा इसका अनुसरण किसी अपवाद के बिना किया जाता है।

अधिप्राप्ति की प्रक्रिया क्रय मैनुअल, प्राधिकार प्रत्यायोजन, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देश, स्वामित्व के सिद्धांतों के अनुसार की जाती है। प्रक्रिया विधिवत निर्धारित की गई है तथा भली भांति कार्य कर रही है तथापि ऐसे अवसर अवष्य आते हैं जब टेंडरिंग प्रक्रियाओं/समय नोटिसों के कारण इसमें समय अधिक लगता है।

मशीनरी तथा कलपूर्जों जैसी अचल परिसम्पत्तियों का लेखांकन भली भांति किया जा रहा है तथापि सूचना प्रौद्योगिकी, संचार एवं प्रशासनिक जैसी चल परिसम्पत्तियों के लिए उचित उपाय किए जाने आवश्यक समझे गए हैं।

इसी प्रकार मानव संसाधन प्रबंधन, कोष प्रबंधन तथा सूचना प्रौद्योगिकी सामान्य नियंत्रण भी भली भांति ढंग से कार्य कर रहे हैं तथा इनसे अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति हो रही है तथा कुछ क्षेत्रों में उन्नयन किया जाना आवश्यक समझा गया है।

तथापि, आगामी वर्ष वित्तीय रिपोर्टिंग जोखिम आधारित आंतरिक नियंत्रण का अलग से विस्तृत मॉडल दस्तावेज उपयोग में लाने का सुनिश्चय किया जाएगा। इसके अलावा, लेखा परीक्षा में संज्ञान में लाए गए अंतर के क्षेत्रों की समीक्षा की जाएगी तथा इन्हें सुदृढ़ बनाया जाएगा।

अनुबंध 'ग' भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 143(5) के अंतर्गत 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणियों पर पवन हंस लिमिटेड के सदस्यों को जारी निदेश

क्र. सं.	निदेश	लेखा परीक्षक की टिप्पणी
1.	क्या कम्पनी के पास फ्री होल्ड तथा लीज होल्ड भूमि के लिए क्रमशः क्लीयर टाईटल/लीज डीड हैं? यदि नहीं, तो कृपया उस फ्री होल्ड तथा लीज होल्ड भूमि का क्षेत्रफल बताएं जिनके टाईटल/लीज डीड उपलब्ध नहीं हैं।	कम्पनी के पास अपने निगमित कार्यालय के लिए नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे पर लीज होल्ड पट्टा भूमि के लिए टाईटल डीड है। रोहिणी हेलीपोर्ट के लिए कंपनी एवं ना.वि.मं. के मध्य कोई लीज अनुबंध नहीं है। पश्चिम क्षेत्र के लेखा परीक्षकों द्वारा निम्नलिखित सूचना दी गई है: कम्पनी के पास कोई फ्री होल्ड पट्टा भूमि नहीं है परन्तु कम्पनी के पास 35706.84 वर्ग मीटर की लीज होल्ड पट्टा भूमि है जिसकी टाईटल डीड कम्पनी के पास नहीं है तथा इसकी उपलब्धि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जुहू एयरोड्राम, एस.वी. रोड, विले पार्ले पश्चिम, मुम्बई –400056 में करवाई गई है।
2.	क्या देयताओं / ऋणों / ब्याज इत्यादि के लिए छूट प्राप्ति / बट्टा करने का कोई मामला है, यदि हां, तो उसके कारण एवं उससे संबंधित राशि बताएं।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी द्वारा ऋण और ब्याज पर कोई छूट नहीं थी। कम्पनी द्वारा 1572.59 लाख रुपए की वसूली को व्यवसाय प्राप्यों के अंतर्गत संदेहास्पद माना गया है तथा उसके लिए प्रावधान किए गए हैं। पश्चिम क्षेत्र के लेखा परीक्षकों द्वारा निम्नलिखित सूचना दी गई है: छूट देने/बट्टा खाता/ऋणों/ब्याज इत्यादि से संबंधित कोई मामला नहीं है।
3.	क्या तृतीय पक्षकारों के पास रखी गई माल. सूचियों तथा सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से उपहार स्वरूप प्राप्त परिसम्पत्तियों के रिकार्ड का उचित रखरखाव किया जाता है।	कम्पनी द्वारा तृतीय पक्षकारों के पास रखी मालसूचियों का उचित रिकार्ड रखा गया है। तथापि, विदेशी विक्रेताओं को भेजे गए रोटेब्ल्स तथा मरम्मत योग्य मदों के शेष की पुष्टियां उपलब्ध नहीं हैं। सरकार अथवा अन्य प्राधिकरण से कोई उपहार प्राप्ति का कोई मामला नहीं है। पश्चिम क्षेत्र के लेखा परीक्षकों द्वारा निम्नलिखित सूचना दी गई है: कम्पनी द्वारा कुछ मामलों के अलावा तृतीय पक्षकारों के पास रखी मालसूचियों का उचित रिकार्ड रखा गया है तथा इसके संबंध में विस्तृत नोट संख्या 32(VI)(ए) लेखांकन नोट में पहले ही शामिल किया जा चुका है तथा वर्ष के दौरान कम्पनी को सरकार से कोई उपहार प्राप्त नहीं हुआ है तथा तदनुसार उक्त प्वांइट लागू नहीं है।

कृते जे.पी. कपूर एवं उबेराय
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 000593एन)
(विनय जैन) साझेदार
सदस्यता संख्या 095187

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 01.12.2017

निदेशकों की रिपोर्ट का
अनुबंध 'ख'

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के संबंध में पवन हंस लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसरण में 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए पवन हंस लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक इन वित्तीय रिपोर्टों के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत लेखा परीक्षा मानकों के अनुच्छेद 143(10) के अंतर्गत विनिर्धारित मानकों के अनुसरण में स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हैं। दिनांक 01 दिसंबर, 2017 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उनके ऐसा किए जाने का उल्लेख किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के संबंध में पवन हंस लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों का अनुपूरक लेखा परीक्षण किया है। अनुपूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्य संबंध दस्तावेजों तक पहुँच बनाए बिना किया गया है तथा प्रमुखतः यह वैधानिक लेखा परीक्षकों एवं कंपनी कार्मिको से पूछताछ तथा कुछ चुनिंदा लेखांकन रिकॉर्डों की जाँच तक सीमित है। अपने अनुपूरक लेखा परीक्षण के आधार पर मैं अधिनियम के अनुच्छेद 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य मामलों पर प्रकाश डालना चाहूँगा जो मेरे ध्यान में आया और जो मेरे दृष्टिकोण से वित्तीय विवरणियों और संबंधित लेखा परीक्षण रिपोर्ट की बेहतर समझ के लिए आवश्यक है :

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
क) नकदी प्रवाह पर टिप्पणी कर पूर्व शुद्ध लाभ में से ₹6.20 करोड़ का विदेशी विनिमय विचलन (शुद्ध) समायोजित नही किया गया है जिसक परिणामस्वरूप कार्यशील पूंजी में ₹6.20 करोड़ का ओभरस्टेटमेंट प्रचालन लाभ के लिए दर्ज हुआ है। इसके अतिरिक्त राशि को नकदी प्रवाह विवरणी में प्रथक गतिविधि के रूप में भी प्रर्दशित किया जाना चाहिए था।	समीक्षाधीन वर्ष के लिए लिए यह मात्र प्रकटीकरण अपेक्षा है और इसका कंपनी की लाभप्रदता और वितीय स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं है। आगामी वर्षों में अनुपालन के लिए नोट किया गया है।
ख) सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणी **i) योग्य मत का आधार (क्रम सं. 6)** लेखाकत नीति 2ख (vi) द्वारा कथित है कि कंपनी ने संपत्ति, संयत्र एवं उपस्करों की किसी मद के मुख्य घटकों की पृथक पहचान और मूल्यह्रासित करने जो मदों की कुल लागत से संबंध स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है और जिसका भिन्न उपयोगी जीवन है के लिए इंड एएस–16 के अनुसार संपत्ति, संयत्र एवं उपस्कारों के लिए घटक लेखांकन का अनुपालन किया है। कंपनी ने हेलीकाप्टर की कुल लागत के सापेक्ष वैसे घटक जिनकी लागत 8 प्रतिशत या अधिक हो को महत्वपूर्ण घटक स्वीकार किया है। तदनुसार, कंपनी ने डॉफिन के एनएन के इंजन और मेन गियर बॉक्स (एमजीबी) प्रत्येक के लिए उपयोगी जीवन पांच वर्ष स्वीकार किया है और डॉफिन एन 3 हेलीकाप्टर के मामले में एक वर्ष में औसत 600 घंटों की उड़ान पर विचार करते हुए इंजन के लिए	पवन हंस ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रेक्षणों को स्वीकार किया है और स्वीकार्य लेखांकन नीति के आधार पर प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है।

छः वर्ष और एमबीजी के लिए पांच वर्ष स्वीकार किया है। तदानुसार कंपनी ने पश्चिमी क्षेत्र में डॉफिन एन और डॉफिन एन 3 हेलकाप्टरों के इंजन और एमजीबी को मूल्यह्रासित किया है। सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में योग्य मत का आधार शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त मद 6 लेखांक नीति 2 ख (vi) के उल्लंघन में पवन हंस के पश्चिमी क्षेत्र में संबंधित घटक के औसत उड़ान घंटों पर डॉफिन एन और एन3 हेलीकॉप्टरों के इंजन और एमजीबी को मूल्यह्राषित किया है। अतः योग्य मत सं. 6 सत्य नहीं है।	
ii) योग्य मत (क्रम सं. 9 एवं 10) का आधार उपर्युक्त योग्यताएं व्यक्त करती है कि भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अनुसार प्रधान नियोक्ता के रूप में कंपनी द्वारा ठेकेदार के बिल से एक प्रतिशत श्रमिक उपकर घटाया जाना अपेक्षित था जिसका योग ब्याज और शास्ति यदि कोई हो को छोड़कर रुपए 0.73 करोड़ था। कंपनी ने पूरा किए गए कार्य, रोहिणी हेलीपार्ट, नई दिल्ली जो रिपोर्ट किए गए वर्ष में औपबंधिक रूप से पूंजीकृत हुआ और हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण अकादमी, हडप्पसर, पुणे जो 2012 में पूर्ण हुआ के लिए संबंधित राज्य सरकारों से किए गए कार्य अनुबंध के लिए न श्रमिक उपकर की कटौती की और न जमा किया। उपर्युक्त योग्याताओं में उल्लखित श्रमिक उपकर की राशि रोहिणी, नई दिल्ली में हेलीपोर्ट परियोजना और हडप्पसर, पुणे में हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण अकादमी सह हेलीपोर्ट का योग न्यूनतम रु. 0.64 करोड़ (रु. 52.70 करोड़ रोहिणी, नई दिल्ली और रु. 11.34 करोड़ हडप्पसर, पुणे के लिए) की सीमा तक है।	रोहिणी हेलीपोर्ट के मामले में श्रमिक कल्याण उपकर के रूप में देय राशि रु. 52.70 लाख अर्थात रु. 5269.70 लाख का 1% है जो मेसर्स दिनेश चन्द्र आर अग्रवाल इंफ्राकोन प्रा. लि. को प्रदत्त/देय था और हडप्पसर, पुणे परियोजना के मामले में श्रमिक कल्याण उपकर के रूप में देय राशि 11.34 लाख अर्थात रु. 1134.00 लाख का 1% मेसर्स एनबीसीसी को प्रदत्त किया गया। अतः श्रमिक कल्याण उपकर के मद में संविधिक प्राधिकरणों को देय हुए राशि रु. 64.04 लाख था। रोहिणी हेलीपार्ट परियोजना के मामले में परियोजना के लिए मेसर्स दिनेश चन्द्र आर अग्रवाल इंफ्राकोन प्रा. लि. (डीआरएआईपीएल) को पूर्व में डेढ़ वर्ष से अधिक भुगतान जारी नहीं किया गया है। निर्माण अभिकरण को अगले भुगतान को जारी करते समय यथा तिथि श्रमिक उपकर के विरूद्ध देय राशि की उगाही की जाएगी और संविधिक प्राधिकरणों को जमा किया जाएगा। मेसर्स डीआरएआईपीएल और मेसर्स पीएचएल के मध्य विवादों हेतु एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण गठित किया जा चुका है। हडप्पसर, पुणे परियोजना के मामले में निर्माण कार्य पवन हंस द्वारा एनबीसीसीएल–एक केन्द्रीय सरकार के उपक्रम द्वारा कराया गया था। इस कार्य के लिए श्रमिक कल्याण उपकर को घटाने और संबंधित सांविधिक प्राधिकरणों को जमा करने की जिम्मेदारी एनबीसीसीएल को है। पवन हंस ने इसके लिए एनबीसीसीएल से पुष्टीकरण की मांग की है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से तथा कृते

(नीलेश कुमार साह)
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के
प्रधान निदेशक तथा पदेन सदस्य
लेखा परीक्षण मंडल–1, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 02 फरवरी, 2018

निदेशकों की रिपोर्ट का
अनुबंध 'ग'

सेवा में,
सदस्यगण,
पवन हंस लिमिटेड

इसी तिथि की साचिविक ऑडिट रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

साचिविक रिकार्डों का अनुरक्षण कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व इन साचिविक रिपोर्टों के संबंध में हमारे द्वारा किए गए ऑडिट के आधार पर अपना मत व्यक्त करना है।

1) हमने ऑडिट व्यवहारों तथा प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है तथा हमें उचित रूप से साचिविक रिकार्डों की अंतर्वस्तु के संबंध में इनके परिशुद्ध होने का औचित्यपरक आश्वासन प्राप्त हुआ है। साचिविक रिकार्डों में दिए गए तथ्यों की शुद्धता के सुनिश्चय के लिए परीक्षण आधार पर जांच की गई हैं। हमारा यह मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं तथा व्यवहारों से हमें अपना मत व्यक्त करने का औचित्यपरक आधार प्राप्त हुआ है।

2) हमने कम्पनी के वित्तीय रिकार्डों तथा लेखा बहियों की परिशुद्धता तथा उपयुक्तता की जांच नहीं की है।

3) आवश्यकतानुसार हमने विधियों, नियमों तथा विनियमों के अनुपालन एवं घटित घटनाओं इत्यादि के संबंध में प्रबंधन से जानकारी प्राप्त की है।

4) निगमित एवं अन्य लागू विधानों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारे द्वारा की गई जांच पड़ताल परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित है।

5) इस साचिविक ऑडिट रिपोर्ट से न तो कम्पनी की भावी व्यावहारिकता के प्रति तथा न ही कम्पनी के प्रबंधन द्वारा संचलित किए गए कार्यों के प्रति उनकी निपुणता अथवा प्रभाव्यवता के संबंध में किसी प्रकार का आश्वासन प्राप्त होता है।

कृते एसजीएस एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

डी.पी. गुप्ता
दिनांकः 15 फरवरी, 2018
स्थांनः नई दिल्ली

सदस्यता संख्या एफसीएस 2411
व्यवसाय प्रमाण पत्र संख्या 1509

फार्म सं. एमआर–3
साचिविक ऑडिट रिपोर्ट
[कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 204(1) तथा कम्पनी (कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुसार]

सेवा में
सदस्य,
पवन हंस लिमिटेड,

मैंने संगत सांविधिक प्रावधानों एवं मान्य निगमित क्रियाकलापों का अनुसरण किए जाने के प्रति पवन हंस लिमिटेड (एतदद्धारा "कम्पनी" के रूप में उल्लिखित) का साचिविक ऑडिट किया है। साचिविक ऑडिट की प्रक्रिया का संचलन निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन का औचित्यपरक आधार प्राप्त करने तथा उनके संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने के विचार से किया गया था।

हमारे द्वारा कम्पनी की बहियों, दस्तावेजों, कार्य विवरण पुस्तिकाओं, फार्मों एवं दाखिल की गई विवरणियों तथा कम्पनी द्वारा अनुरक्षित किए गए अन्य रिकार्ड तथा साचिविक ऑडिट किए जाने के दौरान कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा भी उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के संबंध में की गई जांच के आधार पर मैं, एतद्वारा, यह सूचित करता हूं कि मेरे विचारानुसार 31 मार्च, 2017 ("ऑडिट अवधि") को समाप्त वित्तीय वर्ष की समाहित ऑडिट अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का पूर्णत अनुसरण किया गया है तथा कम्पनी में यहां किए गए उल्लेख के अनुसार बोर्ड प्रक्रियाएं एवं अनुसरण की यंत्र–व्यवस्था रिपोर्टिंग की शर्त के साथ यथोचित ढंग से की गई है:

मैंने निम्नलिखित प्रावधानों का अनुसरण किए जाने के संदर्भ में 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी की बहियों, दस्तावेजों, कार्य विवरण पुस्तिकाओं, फार्मों एवं दाखिल की गई विवरणियों तथा कम्पनी द्वारा अनुरक्षित किए गए अन्य रिकार्ड की जांच की है:–

- कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमय **(ऑडिट अवधि के लिए कम्पनी पर लागू नहीं)**
- निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा उसके अधीन निर्धारित किए गए विनियम एवं उप नियम।
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश तथा विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के लिए बनाए गए नियम **(ऑडिट अवधि के लिए कम्पनी पर लागू नहीं)**
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 तथा इस अधिनियम के अध्याधीन निर्धारित नियम एवं विनियम **(कम्पनी चूंकि असूचीबद्ध पब्लिक कम्पनी है अतः ऑडिट अवधि के लिए कम्पनी पर लागू नहीं)**

हमने नीचे उल्लिखित लागू उपवाक्यों का अनुसरण किए जाने के संबंध में भी जांच की है: –

- इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सैक्रेटरिज्स ऑफ इंडिया (भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान) द्वारा जारी साचिविक मानक।
- शेयर बाजारों के साथ सूचीबद्ध किए जाने के लिए कम्पनी द्वारा किए गए अनुबंध **(ऑडिट अवधि के लिए कम्पनी पर लागू नहीं)**
- भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 14 मई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8)/2005–जीएम में सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों के निगमित संचालन के लिए निर्धारित दिशानिर्देश।

हम यह भी सूचित करते हैं कि, कम्पनी की विद्यमान अनुसरण व्यवस्था तथा उससे संबंधित दस्तावेजों तथा परीक्षण जांच आधार पर उनके रिकार्ड का परीक्षण किए जाने पर यह पाया गया है कि कम्पनी द्वारा, विशिष्ट रूप से संबद्ध, निम्नलिखित विधान व्यवस्था का अनुसरण किया गया है:

क) वायुयान अधिनियम,1934 तथा वायुयान नियमावली,1937

विचाराधीन अवधि के दौरान, नीचे उल्लिखित प्रेक्षणों के साथ, कम्पनी द्वारा अधिनियम, नियमों, विनियमों दिशानिर्देशों, मानकों, इत्यादि के प्रावधानों के संबंध में अनुपालन किया गया है :

मैं यह भी सूचित करता हूं कि :

1. ऑडिट अवधि के हिस्से के लिए स्वतंत्र निदेशकों, जिनकी नियुक्ति दिनांक 02 जनवरी, 2017 को हुई के अतिरिक्त पूर्ण कालिक निदेशकों, गैर अधिशासी निदेशकों के उचित संतुलन से युक्त कम्पनी के निदेशक मंडल का गठन विधिवत है।
2. ऑडिट समिति तथा नामांकन एवं प्रतिफल समिति का गठन अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं किया गया है।
3. कम्पनी में जोखिम प्रबंधन समिति स्थापित नहीं है। कम्पनी को जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करने तथा उसका कार्यान्वयन करने का परामर्श दिया गया है।
4. कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा 2013 एवं उसके अध्याधीन नियमों के अंतर्गत अपेक्षित फार्मों एवं विवरणियों को विधिवत रूप से दाखिल किया गया है।
5. कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 173(3) के उपबंधों के अनुसरण में निदेशक मंडल की बैठक के आयोजन के संबंध में कार्यसूची के साथ सूचना कम से कम 7 दिन अग्रिम भिजवाई जानी अपेक्षित की गई है। कम्पनी को इस संबंध में अनुपालन का परामर्श दिया गया है।
6. कम्पनी में निगमित सामाजिक दायित्वों के लिए दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष तक समिति का गठन उचित ढंग से नहीं किया गया है। कम्पनी को निगमित सामाजिक दायित्वों के लिए समिति का गठन किए जाने तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 135 के अनुसार निगमित सामाजिक दायित्वों के लिए नीति तैयार करने का परामर्श दिया गया है।

विचाराधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में किए गए परिवर्तन अधिनियम के उपबंधों का अनुसरण करते हुए किए गए हैं।

कार्यवृत्तों में किए गए रिकार्ड के अनुसार निदेशक मंडल अथवा मंडल की समितियों की बैठकों में लिए गए सभी निर्णय, जैसे भी मामलें हों, एकमत रूप से लिए गए हैं।

मैं आगे यह भी रिपोर्ट करता हूं कि लागू विधानों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों का संचलन एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी के आकार एवं प्रचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणाली एवं प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।

कृते एसजीएस एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव
(डी.पी. गुप्ता)
एम.एन.एफसीएस 2411
सी.पी.सं. 1509
तिथिः 15 फरवरी, 2018
स्थलः नई दिल्ली

नोटः यह रिपोर्ट "अनुबंध–क" पर संलग्न हमारे इसी तिथि के पत्र के साथ पठनीय है जो इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

निदेशक रिपोर्ट का अनुबंध 'घ'
फार्म संख्या एओसी –2
(अधिनियम के खंड 134 के उप खंड (3) के खंड वाक्य (ज) तथा कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 188 के उप खंड (1) में संदर्भित संबद्ध पार्टी व्यवहार के साथ कम्पनी द्वारा किए गए अनुबंध ६ व्यवस्थाओं तथा उनके संबंध में तीसरे परन्तुक के अंतर्गत किए गए निश्पक्ष लेन देन व्यवहार के विवरणों के प्रकटीकरण का फार्म ।

1. निश्पक्ष आधार के अलावा किए गए अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन देन व्यवहारों का विवरण

क्र.सं.	(क) संबद्ध पार्टी का नाम तथा संबंध		(ख) अनुबंध /व्यवस्थाओं /लेन देन व्यवहारों का स्वरूप	(ग) व्यवस्थाओं /लेन देन व्यवहारों का स्वरूप की अवधि	(घ) अनुबंध की प्रमुख शर्तें अथवा		(ड.) निदेशक मंडल द्वारा दिए गए अनुमोदन की तिथि (तिथियां), यदि कोई हों	(च) अग्रिम के रूप में चुकता राशि, यदि कोई हो	(छ) अग्रिम के रूप में चुकता राशि, यदि कोई हो	(ज) खंड 188 के प्रथम परंतुक के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार आम बैठक में किस तिथि को विशेष संकल्प पारित किया गया
	नाम	संबंध			प्रमुख शर्तें	लेन देन व्यवहार मूल्य (रुपए मिलियन में)				
शून्य										

2. निष्पक्ष आधार पर किए गए अनुबंध अथवा व्यवस्थाएं अथवा लेन देन व्यवहारों का विवरण

क्र.सं.	(क) संबद्ध पार्टी का नाम तथा संबंध		(ख) अनुबंध/व्यवस्थाओं /लेन देन व्यवहारों का स्वरूप	((ग) व्यवस्थाओं/लेन देन व्यवहारों का स्वरूप की अवधि	(घ) अनुबंध की प्रमुख शर्तें अथवा		(ड.) निदेशक मंडल द्वारा दिए गए अनुमोदन की तिथि (तिथियां), यदि कोई हों	(च) अग्रिम के रुप में चुकता राशि, यदि कोई हो
	नाम	संबंध			प्रमुख शर्तें	लेन देन व्यवहार मूल्य (रुपए मिलियन में)		
1	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	सहभागी	हेलीकॉप्टर सेवाओं की उपलब्धता	वित्त वर्ष 2016–17 के लिए	आईसीबी के माध्यम से सम्पर्क	202.85		
2	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	सहभागी	सेवाओं के किराए पर एएफई हानि व लाभ	वित्त वर्ष 2016–17 के लिए	वास्तविक	0.24		
3	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	सहभागी	ओएनजीसी द्वारा पवन हंस के हेलीकोप्टरों का उपयोग	वित्त वर्ष 2016–17 के लिए	वास्तविक	1.72		
4	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	सहभागी	हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाने में देरी के कारण एलईडी की कटौती	वित्त वर्ष 2016–17 के लिए	वास्तविक	6.09		
5	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	सहभागी	इक्विटी पर लाभांष भुगतान	वित्त वर्ष 2016–17 के लिए	वास्तविक	53.04		
6	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	सहभागी	ऋण पर ब्याज भुगतान	वित्त वर्ष 2016–17 के लिए	वास्तविक	2.22		

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध–ङ
वर्ष 2016–17 का सीएसआर विवरण

क्र.सं.	चिह्नित सीएसआर परियोजना और गतिविधि	सेक्टर जिसमें परियोजना कवर की जाती है	परियोजना/कार्यक्रम 1. स्थानीय क्षेत्र या 2. राज्य और जिला विनिर्दिष्ट करें जहाँ परियोजना कार्यक्रम चलाए गए	परियोजना या कार्यक्रमवार राशि परिव्यय (बजट) (रु. लाख में)	परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर व्यय राशि के उपशीर्ष 1. परियोजनाओं/कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय 2. ऊपरी व्यय (रु. लाख में)	समीक्षाधीन अवधि के लिए संचयी व्यय	प्रत्यक्ष या निष्पादित करने वाले अभिकरण के माध्यम से व्यय की गई राशि
1.	ग्राम नीमका शाहजापुर (यू.पी.) में स्वच्छ भारत अभियान निष्पादन के तहत	(गैर–पारंपरिक ऊर्जा संसाधन/स्वास्थ्य/पर्यावरण) Sanitation (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (i)	(ग्रेटर नोएडा) उत्तर प्रदेश	44.58	5.73	-	मेसर्स डी के कंस्ट्रक्शन कंपनी के माध्यम से
2.	स्वच्छ भारत कोष में योगदान	स्वच्छता (कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII की मद सं. (i))	दिल्ली	39.27	39.27	-	कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से
			योग	**83.85**	**45.00**		

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध–'च'

फॉर्म संख्या एमजीटी–9

वार्षिक विवरणी का सार

31.03.2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार

(कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 92(3) तथा
कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार)

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण :

i) सीआईएन : यू62200 डीएल 1985 जीओआई 022233

ii) पंजीकरण तिथि : 15.10.1985

iii) कम्पनी का नाम : पवन हंस लिमिटेड

iv) कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी : यात्रियों के लिए वायु परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाना

v) पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण :

सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली–110 003

दूरभाष : 011–24620889

फैक्स : 011.24610764

ई–मेल : co.secy@pawanhans.co.in

vi) क्या सूचीबद्ध कंपनी है : नहीं

vii) रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता तथा सम्पर्क विवरण यदि कोई हो : लागू नहीं

II. कंपनी की प्रधान व्यावसायिक क्रियाकलाप

क्रं. सं.	प्रमुख उत्पाद/सेवाओं का नाम तथा विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी का कुल टर्नओवर का %
1.	यात्रियों के लिए अंतर्देशीय गैर अनुसूचित वायु सेवाओं की उपलब्धि	99462420	100%

III. धारक, सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनियों का विवरण : लागू नहीं

IV. शेयर धारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में एक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

i) श्रेणीवार –शेयर धारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारम्भ में शेयर धारिता				वर्ष के अंत में शेयर धारिता				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	योग	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	योग	कुल शेयरों का %	
क. प्रोमोटर									
(1) भारतीय									
क) वैयक्तिक/अ.हि. परिवार	-	125266	125266	51%		125266	125266	51%	शून्य
ख) केन्द्रीय सरकार	-	-							
ग) राज्य सरकार/सरकारें	-	120350	120350	49%		120350	120350	49%	शून्य
घ) निकास निगम									
ङ) बैंक वित्तीय संस्थान									
प्रोमोटरों की कुल शेयर धारिता (क) = (क) (1) + (क) (2)		245616	245616	100%		245616	245616	100%	
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता			शून्य	शून्य				शून्य	शून्य
ग. जीडीआर तथा एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर			शून्य					शून्य	शून्य
सकल योग (क+ख+ग)	**-**	**245616**	**245616**	**100%**	**-**	**245616**	**245616**	**100%**	**-**

ii) प्रोमोटरों द्वारा शेयरधारिता

क्र.सं	शेयरधारी का नाम	वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			
		शेयर की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में से %	कुल शेयरों के प्रति गिरवी शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के प्रति गिरवी शेयरों का %	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में % अंतर
1	भारत के राष्ट्रपति	125266	51%	शून्य	125266	51%	-	-
2	ओएनजीसी लि.	120350	49%		120350	49%	-	-
	योग	**245616**	**100%**	**-**	**245616**	**100%**	**-**	-

iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया विनिर्दिष्ट करें) शून्य

iv) शीर्ष दस शेयरधारकों का शेयरधारण पैटर्न (निदेशकों, प्रमोटरों तथा जीडीआर व एडीआर धारकों से इतर) : शून्य

v) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिक का शेयरधारण पैटर्न

क्र.सं.		वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारिता		वर्ष के प्रारम्भ तथा अंत के दौरान संचित शेयर धारिता	
	प्रत्येक निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के संबंध में	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में से %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में से %
	वर्ष के प्रारम्भ में	-	-	-	-
	निदेशक 1. श्रीमती उषा पाढी	1	-	1	-
	2. श्रीमती गार्गी कौल	1	-	1	-

V. ऋण ग्रस्तता

बकाया/संचित ब्याज सहित कम्पनी की ऋणग्रस्तता जिसके लिए भुगतान देय नहीं है

(₹ करोड़ में)

	जमा के अलावा सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता i) मूल राशि ii) ब्याज देय पर चुकता नहीं iii) संचित ब्याज किंतु अप्रदत्त	38.71 शून्य शून्य	130.91 339.31 शून्य	- - -	169.62 339.31 -
योग (i+ii+iii)	38.71	470.22	-	508.93
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन परिवर्धन कमी	- 8.37	- 470.22	- -	- 8.37
शुद्ध परिवर्तन	8.37	470.22	-	8.37
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता i) मूल राशि ii) भुगतान नहीं किए गए देय ब्याज iii) अप्रदत्त संचित ब्याज	30.34 - -	- - -	- - -	30.34 - -
योग (i+ii+iii)	**30.34**	-	-	**30.34**

VI. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/अथवा प्रबंधकों को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्र.नि./पू.का.नि./प्रबंधक का नाम			कुल राशि ₹
		डा. बी.पी. शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक			
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 17(1) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 17(2) के अंतर्गत अनुलब्धियों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 17(3) के अंतर्गत वेतन के अंतर्गत लाभ	25,22,276 4,20,233 -	- -	- -	25,22,276 4,20,233 -
2.	स्टॉक का विकल्प	-	-	-	-
3.	उद्यम इक्विटी	-	-	-	-
4.	कमीशन – लाभ पर % के रूप में – अन्य निर्दिष्टत करें...	-	-	-	-
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-	-
	योग (क)	29,42,509		-	29,42,509
	अधिनियम के अंतर्गत सीमा	लागू नहीं	लागू नहीं		लागू नहीं

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिकः शून्य

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशको के अलावा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक			
		मुख्य कार्यकारी अधिकारी	श्री संजीव अग्रवाल, कम्पनी सचिव	श्री डी. सहाय, मुख्य वित्तीय अधिकारी	योग
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 17(1) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 17(2) के अंतर्गत अनुलब्धियों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 के खंड 17(3) के अंतर्गत वेतन के अंतर्गत लाभ		27,23,042 2,08,790 -	25,18,721 6,59,130 -	-

2.	स्टॉक का विकल्प	-	-	-	-
3.	उद्यम इक्विटी	-	-	-	-
4.	कमीशन – लाभ पर % के रूप में – अन्य निर्दिष्ट करें	-	-	-	-
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-	-
	योग		**29,31,832**	**31,77,851**	**61,09,683**

VII. जुर्माने / दंढ / अपराधों की आवृत्ति

प्रकृति	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाया गया जुर्माना / दंड / संचयी शुल्क	प्राधिकार (आरडी / एनसीएलटी / न्यायालय)	अपील, यदि कोई हो, (विवरण दें)
क. कम्पंनी					
जुर्माना	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
संचयी	-	-	-	-	-
ख. निदेशक					
जुर्माना	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
संचयी	-	-	-	-	-
ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी					
जुर्माना	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
संचयी	-	-	-	-	-

कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 102 के अनुसरण में अपेक्षित विवरणी

मद संख्या 3(i)

एयरवाइस मार्शल संजीव कपूर को दिनांक 1.9.2017 को आगामी आदेशों तक के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 के खंड 161 के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 152 के अनुसरण में एयरवाइस मार्शल संजीव कपूर की नियुक्ति का काल 32वीं वार्षिक आम सभा में समाप्त होने जा रहा है। एयरवाइस मार्शल संजीव कपूर को भारतीय वायु सेना में वरिष्ठ पदों पर कार्य करते हुए विविध क्षेत्रों में अत्यंत समृद्ध अनुभव प्राप्त है तथा वे आवर्ती क्रम में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। कम्पनी को एयरवाइस मार्शल कपूर की नियुक्ति कम्पनी के निदेशक के रूप में किए जाने का प्रस्ताव का नोटिस प्राप्त हुआ है। तदनुसार एयरवाइस मार्शल संजीव कपूर की पुनः नियुक्ति के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन मांगा गया है। शेयरधारियों के अनुमोदन के लिए प्रस्तावित नोट की मद संख्या 3(i) में दिए गए साधारण संकल्प की निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसा की गई है। इसे स्वीकार किया जाए तथा एयरवाइस मार्शल संजीव कपूर के अतिरिक्त कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा उनके संबंधी इस संकल्प के प्रति हितबद्ध अथवा सम्बद्ध नहीं हैं।

मद संख्या 3(ii)

श्री अशोक नायक की नियुक्ति दिनांक 2.1.2017 को कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 161 के अंतर्गत निदेशक के पद पर हुई थी तथा उनकी नियुक्ति का कार्यकाल कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 152 के अंतर्गत 32वीं वार्षिक आम सभा के आयोजन तक के लिए था। श्री अशोक नायक स्वतंत्र निदेशक हैं तथा उन्हें हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष के पद पर कार्य करने का विविध एवं समृद्ध अनुभव प्राप्त है। वे केन्द्रीय सरकार के अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडल में भी स्वतंत्र निदेशक हैं। तदनुसार श्री अशोक नायक की पुनः नियुक्ति के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन मांगा गया है। शेयरधारियों के अनुमोदन के लिए प्रस्तावित नोट की मद संख्या 3(ii) में दिए गए साधारण संकल्प की निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसा की गई है। इसे स्वीकार किया जाए तथा एयरवाइस मार्शल संजीव कपूर के अतिरिक्त कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा उनके संबंधी इस संकल्प के प्रति हितबद्ध अथवा सम्बद्ध नहीं है।

मद संख्या 3(iii)

श्री हरीश चौबे की नियुक्ति दिनांक 2.1.2017 को कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 161 के अंतर्गत निदेशक के पद पर हुई थी तथा उनकी नियुक्ति का कार्यकाल कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 152 के अंतर्गत 32वीं वार्षिक आम सभा के आयोजन तक के लिए था। श्री चौबे स्वतंत्र निदेशक हैं तथा उन्हें आई.आई.टी., दिल्ली में प्रोफेसर के पद पर कार्य करने का विविध एवं समृद्ध अनुभव प्राप्त है। तदनुसार श्री चौबे की पुनः नियुक्ति के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन मांगा गया है। शेयरधारियों के अनुमोदन के लिए प्रस्तावित नोट की मद संख्या 3(iii) में दिए गए साधारण संकल्प की निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसा की गई है। इसे स्वीकार किया जाए तथा एयरवाइस मार्शल संजीव कपूर के अतिरिक्त कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा उनके संबंधी इस संकल्प के प्रति हितबद्ध अथवा सम्बद्ध नहीं है।

भारत का पहला एकीकृत हेलीपोर्ट, रोहिणी, दिल्ली

India's First Integrated Heliport at Rohini, Delhi

पवन हंस लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)

PAWAN HANS LIMITED

(Government of India Enterprise-A Mini Ratna PSE)

-: Corporate Office :-
Pawan Hans Ltd.
C-14, Sector-1, Gautam Budh Nagar,
Noida (U.P.) – 201 301
E-mail:- contact@pawanhans.co.in
Phone: - 0120-2476700
Fax: - 0120-2476983

-: Registered Office :-
Rohini Heliport
Sector 36,
New Delhi, 110085
E-mail:- contact@pawanhans.co.in
Phone: - 011-27822201

Northern Region:-
General Manager,
Pawan Hans Ltd.
C-14, Sector-1, Gautam Budh Nagar,
Noida (U.P.) – 201 301
E-mail:- gm_nr@pawanhans.co.in
Phone: - 0120-2476804

Western Region:-
General Manager,
Pawan Hans Ltd.
Juhu Aerodrome, S. V. Road,
Vile Parle (West), Mumbai, 400 056
E-mail:- gm_wr@pawanhans.co.in
Phone: - 022-26142614, 26146211,
Fax: - 022-26146926,26261704

Eastern Region:-
General Manager,
Pawan Hans Ltd.
Ground Floor, Manoramaloy
VIP, LGBI Airport Road,
Guwahati 781015, (Assam)
E-mail:- gm_er@pawanhans.co.in
Phone: - 0361- 2840778/2840135
Fax: - 0361- 2840174

www.pawanhans.co.in

Printed by Nutech Print Services - India